खण्ड-347, अंक-5
मंगलवार, 15 आश्विन, शक संवत् 1902
(7 अक्टूबर, 1980 ई0)

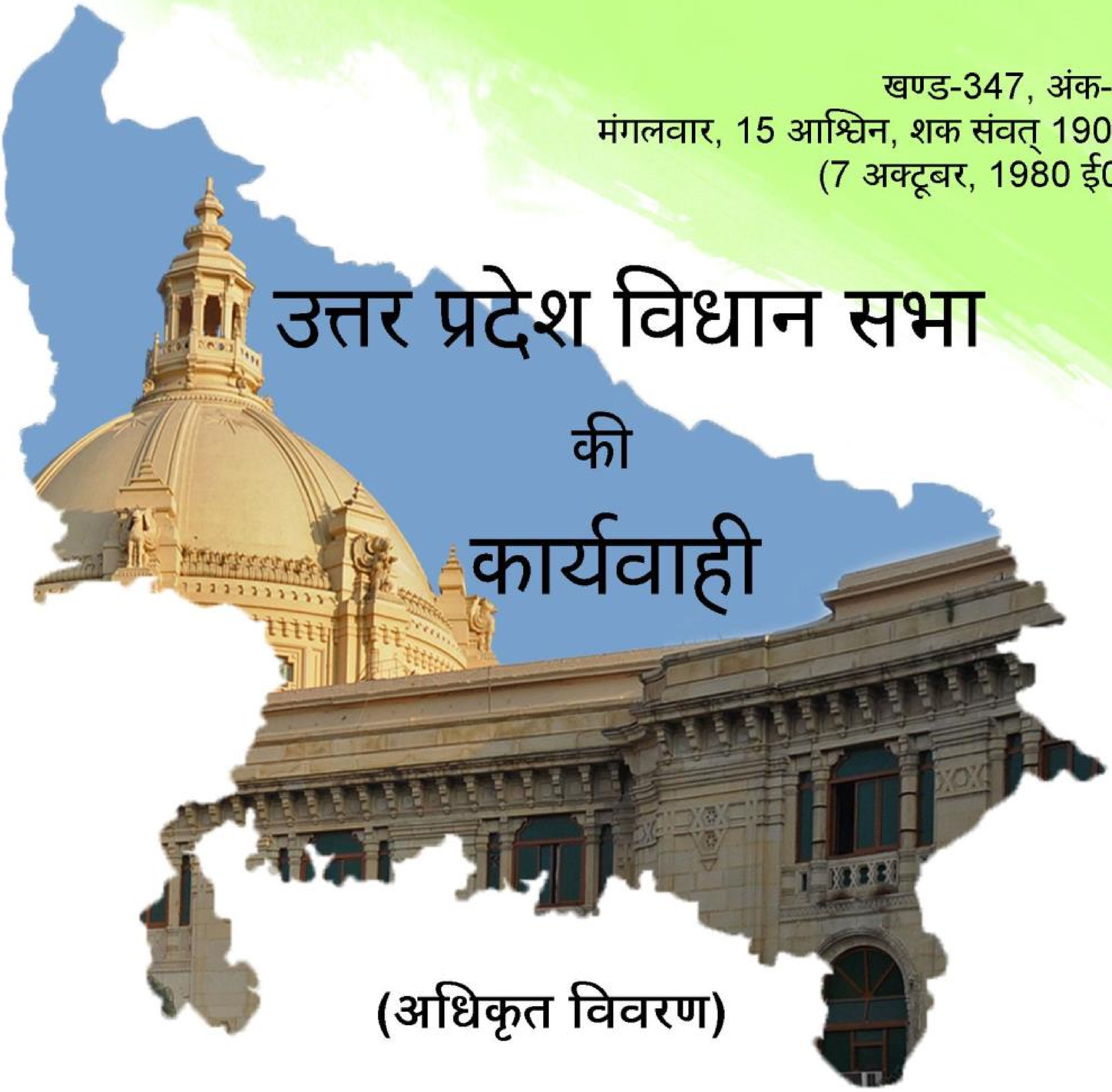

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 347 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	547–550
प्रश्नोत्तर	551–601
तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	601–602
रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जमीन के बैनामे के लिये स्टाम्प मूल्य में वृद्धि के शासनादेश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	602–603
बस्ती जनपद के करमैनी–बेलौली, धूरापली बांध टूट जाने से विधान सभा क्षेत्र मेहदावल के कतिपय ग्रामों में बाढ़ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	603
सहारनपुर में इकबालपुर स्टेशन पर पकड़ी गयी चीनी व खण्डसारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	603–604
पूर्वी उत्तर प्रदेश में घातक बीमारियों के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	604
बुलन्दशहर जिले में सूखे का प्रकोप तथा विद्युत् आपूर्ति की मांग के के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	604–605
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	605
लखनऊ की शहरी सीमा पर स्थित इस्माइलगंज नया गांव को घरेलू बिजली न मिलने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गई) ..	605
प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों आदि के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के लिये तिथि निर्धारण	605–606
आयुक्त, आगरा मंडल, श्री देश राज सिंह के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	606–607
सिंचाई मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	607–608
लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड, लखनऊ के मैनेजर श्री सी० वी० सिंह तथा विधि अधिकारी श्री वी० पी० वर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ..	608–609
दिनांक 6 अक्तूबर 1980 की कार्य सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	609–612

विषय	पृष्ठ-संख्या
1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 3--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, [अनुदान संख्या 19 25 व 80 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्राद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 43 व 88--सूचना विभाग (स्वीकृत) .. .	612-695
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	696
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा सदन के समय के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	696
झांसी जनपद के थाना बरुआसागर की पुलिस द्वारा अनशनकारियों पर लाठी चार्ज किये जाने की तथा कथित घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	696-701
गुड़ खण्डसारी उद्योग सम्बन्धी नयी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 19 सितम्बर, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (नत्थी ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	701-708
नत्थियां	709-716

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 7 अक्तूबर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 354

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथसिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
(नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल सन्हेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरीगढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
सरदार चंचल सिंह गिल, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)

चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छतर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर, सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
ध्रुव राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फरुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)

बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज वल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मंडलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज़ 0 (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमानअन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री उर्फ लल्लन जी (गोरखपुर)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)

राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरीगढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिवनारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ीगढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल-हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट :--मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित श्री [illegible] में [illegible] थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 7 अक्तूबर, 1980

तारांकित प्रश्न

शिक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तन का प्रश्न

*1—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली व शिक्षा पाठ्यक्रम में कोई मौलिक परिवर्तन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित 10+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत पाठ्यक्रम के परिवर्तन पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। इस राज्य में इस परिवर्तन का क्या स्वरूप हो, यह अभी तय नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगी कि मात्र कक्षा के इस समय बांटने के बजाय वह शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या है परिवर्तन करने जा रहे ह ? इसका भी सुझाव केन्द्र से है या आपने इस पर खुद सोचा है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जहां तक 10+2 का प्रश्न है, हमारी वह व्यवस्था तो है ही जहां तक पाठ्यक्रम का सवाल है, 1975-76 में एन0 सी0 ई0 आर0 के माध्यम से करिकुलम बनाया गया और उसका अनुमोदन भारत सरकार ने किया था। उसमें उन्होंने पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था करने की राय दी है कि दसवीं जमात तक तो सामान्य शिक्षा दी जायगी विज्ञान, सोशल स्टडीज वगैरह की, भाषा की और ग्यारहवीं जमात से बइफरकेशन होना चाहिए और उसमें भी करिकुलम होना चाहिए जिससे कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह उनकी राय थीं। उनके सजेशन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी यह विचाराधीन है जैसा मैंने आपसे निवेदन किया।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि 14 साल तक के लड़के और लड़कियों को अनिवार्य शिक्षा देना संविधान के तहत है, निर्देशक सिद्धांतों में है, तो शिक्षा प्रणाली में आठवीं तक अनिवार्य शिक्षा और बाकी माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इस पाठ्यक्रम पर भी वह विचार करगी कि जिसमें राष्ट्रीयता, नागरिकता, भूगोल, अर्थमेटिक, विज्ञान प्रारम्भ में पढ़ाया जाय और बाद में योग्यता के विषय पढ़ायें जायं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अभी मैंने निवेदन किया। कोई निर्णय नहीं लिया गया है और मान्यवर, जैसा आपने विज्ञान और गणित के बारे में कहा वह हमारे विचाराधीन है और मैं समझती हूं यह हम चाहते भी हैं। दसवीं कक्षा तक इसमें कोई मतभेद नहीं है। दशम कक्षा तक विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए सब

लड़के लड़कियों के लिए। हम चाहते भी हैं। लेकिन साइन्स को पूरे तरीके से अनिवार्य करने में कितना खर्चा होगा और इसे कहां तक हम कर सकेंगे और उसके लिए हमारे पास क्या साधन हैं, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। हमको साधन जुटाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे यह विचाराधीन है कि विज्ञान को दसवीं जमात तक अनिवार्य करें।

श्री ऊदल--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री इस प्रश्न पर भी विचार कर रही हैं कि मौजूदा नियोजन के युग म शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाय और इसमें नागरिकता को भी जैसा राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा प्राथमिकता दी जाय और राष्ट्रीय भावना की तरफ भी ध्यान दिया जाय और जितने साम्प्रदायिक स्तर पर जो कालेजेज चल रहे हैं प्राइवेट तरीके से। उनको भी बन्द किया जाय, यह प्रश्न आपके विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्रीय भावना और जातिवाद के खिलाफ प्रचार होना चाहिए और इस जातिवाद से लड़ने के लिए हमारी पूरी सरकार कटिबद्ध है और नागरिकता का जो पाठ है, उसको सिखाने का प्राविधान होना चाहिए और नागरिकशास्त्र तो हमारे कोर्स मे शामिल है ही।

राज्य विद्युत् परिषद् में मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सर्विस (व्यवस्था सूचना सेवा) का प्रारम्भ

*2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य विद्युत् परिषद् को गतिशील बनाने के लिए उसमें व्यवस्था सूचना सेवा (मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सर्विस) प्रारम्भ करने का विचार है ? यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है ? इससे परिषद् की गतिशीलता में क्या लाभ होगा और योजना कब से प्रारम्भ होगी।

वित्त, विद्युत् एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जी हां। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की वर्तमान सूचना सेवा व्यवस्था को पुनरीक्षित करने तथा उसमें नवीनीकरण हेतु जून, 1980 में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है जिसकी संस्तुति अपेक्षित है। आधुनिक प्रबन्ध प्रणाली पर आधारित व्यवस्था सूचना सेवा के लागू हो जाने से परिषद् के कार्यों में अवरोध के कारणों का समय रहते पता लग सकेगा और अवरोधों को दूर करने के लिए कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो विचाराधीन प्रश्न में सूचना सेवा व्यवस्था है और इस समय जो आपके पास सूचना सेवा है, उसके अनुसार क्या रूप रेखा होगी और क्या परिषद् के काम में अधिक दक्षता इसके लागू होने से आयेगी और आयेगी तो किस प्रकार आयेगी और जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, उसको लागू करने में क्या कठिनाई हो रही थी और इस कार्यकारी दल द्वारा किन-किन बातों पर विचार किया जा रहा है, जिससे काम में दक्षता बढ़ सकेगी।

श्री ब्रह्मदत्त—

जैसा कि मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया कि अभी कार्यकारी दल गठित हुआ है, जो 3–4 बिन्दुओं पर अपनी संस्तुति देगा और हमारे जो उत्पादन–गृह हैं, उनमें उत्पादन क्षमता कसे शीघ्रता से पूरी हो, जो योजना हमारी चल रही है, उनको जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जाए तथा प्रबन्ध में कार्य–कुशलता कैसे ली जाए। इसके अलावा जो हमारे वित्तीय प्रतिबन्ध हैं, जो जो वेस्टर्फुल एक्सपेन्डीचर हैं, उसको कैसे रोका जाए। इसके अलावा यह भी देख रहे हैं कि प्रतिव्यक्ति आय कैसे बढ़े। इन चार बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह रिपोर्ट शासन को कब तक प्राप्त हो जायेगी और कार्यकारी दल का गठन कुछ इन मुद्दों पर भी विचार करने के लिए गठित किया गया है, जिससे वितरण व्यवस्था लागू हो सके ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, कार्यकारी दल की संस्तुति आ जाय, जिनमें प्रबन्ध में कार्यकुशलता लाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने और वितरण व्यवस्था में सुधार, यह तीनों संस्तुतियां शामिल हैं।

श्री गुलाब सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो राज्य विद्युत् परिषद् की वर्तमान सूचना सेवा को लागू करने जा रहे हैं, उसकी टर्म्स आफ सर्विसेज किस प्रकार की होंगी, और उसकी व्यवस्था किस प्रकार की करने जा रहे हैं। इसके लिए कोई प्रकाशन आदि करेंगे यानी इसकी किस प्रकार से व्यवस्था की जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

कार्यकारी दल का गठन कर दिया गया है, जैसे उसकी संस्तुति आ जायेगी, उसी पर हम विचार करेंगे ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सूचना विभाग अलग कार्य कर रहा है और कार्यकारी दल अलग या दोनों एक हैं या कार्यकारी दल जब रिपोर्ट देगा, उसी के अनुसार कार्यवाही आप करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

कार्यकारी दल ही यह बतायेगा कि इस सम्बन्ध में क्या सूचना होगी वैसे हमारी सूचना तो अलग से चलती है, वह एक अलग से व्यवस्था है, यह अलग है इसे विशेष रूप में पुनरीक्षित करने के लिए अलग से कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

श्री ऊबल—

विद्युत् में कार्यकुशलता लाने के क्या प्राविधान हैं और कई थर्मल पावर स्टेशन जो बंद हैं और किन्हीं थर्मल पावर स्टेशनों में उत्पादन भी कम हो रहा है, तो इस ओर भी कोई कार्यवाही सरकार कर रही है कि इनकी कार्यकुशलता कैसे बढ़े ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, यह चीज तो विद्युत् परिषद् में गतिशीलता लाने के लिये है जहां तक अलग-अलग स्टेशनों की बात है उनकी अलग परिस्थिति है ।

श्री ऊदल--

उनके लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है । उसके लिये अलग से व्यवस्था की जायगी ।

कस्बा इस्माइलगंज, जिला लखनऊ को अलग फीडर से विद्युत् आपूर्ति की मांग

*3-श्री रामस्वरूप निम तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद रोड, लखनऊ पर राम सागर मिश्र नगर के समीप शहरी क्षेत्र में स्थित कस्बा इस्माइलगंज को चिनहट स्थित सब-स्टेशन से गाजीपुर फीडर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भांति केवल 5-6 घंटे बिजली दी जा रही है जबकि इसी के विपरीत इस कस्बे से लगे हुये अन्य स्थानों जैसे ट्रांसफारमर फैक्ट्री, बिहारी का पुरवा आदि को एच० ए० एल० सब-स्टेशन से शहरी क्षेत्र की भांति बिजली दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या कस्बा इस्माइलगंज को भी एच० ए० एल० सब-स्टेशन से मेसर्स टेक्निकल एसोसियेट फीडर द्वारा बिजली की सप्लाई की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

लखनऊ में राम सागर मिश्र नगर के समीप स्थित कस्बा इस्माइलगंज को 5-6 घंटे बिजली दिये जाने का कारण यह है कि यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी में आता है । ट्रांस्फार्मर फैक्ट्री, बिहारी का पुरवा आदि स्थानों को शहर की भांति बिजली इसलिये दी जाती है कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री का अपना स्वतन्त्र फीडर है जिस पर 24 घंटे विद्युत् आपूर्ति की जाती है ।

जी नहीं । कस्बा इस्माइलगंज विद्युत् आपूर्ति के लिए परिषद् की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी में आता है । अतः इसकी विद्युत् आपूर्ति शहरी क्षेत्रों के समान कर पाना सम्भव नहीं है ।

किसी क्षेत्र की विद्युत् आपूर्ति उस क्षेत्र की श्रेणी के अनुसार की जाती है उसकी किसी विशेष फीडर के द्वारा विद्युत् आपूर्ति करने में कोई अन्तर नहीं आता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, दो फीडर हैं, दो गांव हैं जिनका जिक्र किया गया दोनों गांव राम सागर मिश्र नगर कालोनी से सटे हुये हैं । बिहारी के पुरवा को 24 घंटे बिजली दी जा रही है फैक्ट्री फीडर से और इस्माइलगंज को बिजली दी जा रही है रूरल फीडर से । तो दोनों गांवों को फैक्ट्री फीडर से बिजली देने में क्या आपत्ति है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

फैक्ट्री फीडर के रास्ते में जो हैं उनको बिजली दी जा सकती है लेकिन उसको बढ़ाने से सारी व्यवस्था भंग हो जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी देते हुये कि न तो उसमें एक पोल बढ़ाना है न तार बढ़ाना है, एक भी पैसे का खर्च उसमें इंवाल्व नहीं है । जिस तरह से बिहारी के पुरवा को बिजली दे रहे हैं ठीक उसी प्रकार से इस्माइलगंज को बिजली दे सकते हैं । अगर वित्तीय भार होता तो शायद मैं सुझाव न देता हूं मेरे इस सुझाव पर विचार करते हुये इस्माइलगंज को भी फैक्ट्री फीडर से बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

ठीक है दिखलवा लूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा एक बुनियादी सवाल है कि शहरों में 8, 10 घंटे और 22 घंटे बिजली दी जा रही है तो गांव वालों ने क्या पाप किया है जो उनको 5-6 घंटे बिजली दी जा रही है । क्या उनको भी शहरों की तरह बिजली देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

पाप तो यहां रहने वाले किसी ने नहीं किया है हम प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार कर ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाय ।

संयुक्त निदेशक, उद्योग, पौड़ी गढ़वाल का रिक्त पद

*4--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक, उद्योग, गढ़वाल मंडल, पौड़ी गढ़वाल का स्थान कब से रिक्त पड़ा हुआ है और इस पद के रिक्त पड़े रहने का क्या विशेष कारण है तथा कब तक यह पद भर दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

संयुक्त उद्योग निदेशक, पौड़ी गढ़वाल का पद इस समय रिक्त नहीं है ।

ग्राम रामपुर बजुर्ग, थाना हाटा, जिला देवरिया की श्रीमती आरती देवी के साथ बलात्कार एवं हत्या

*5--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना हाटा, ग्राम रामपुर बुजुर्ग की श्रीमती लचीया दिनांक 30 जून, 1980 को थाना हाटा में इस आशय की रपट लिखाई है कि उसके समक्ष उसके पतोहू के साथ 5-6 आदमियों ने सामूहिक बलात्कार किया तथा जान से मार डाला ? यदि हां, तो मुलजिमानों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्रीमती लाची देवी न दिनांक 30-6-80 को थाना हाटा पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि वह जब अपनी पतोहू श्रीमती आरती देवी के साथ कुसम्ही से एक जीप टैक्सी में वापस लौटी और हाटा पर उतरने लगी तो उस टक्सी में बैठे अन्य व्यक्ति उसकी पतोहू को बेइज्जत करने के उद्देश्य से कसिया की तरफ भगा ले गए। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अभियोग में नामजद व विवेचना से प्रकाश में आए चार अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया व शेष तीन में न्यायालय में आत्म-समर्पण कर लिया। जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे प्रश्न में पूछा गया था श्रीमती आरती देवी के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद जान से मार डाला गया क्या यह सही है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, उसकी मृत्यु हो गई और बलात्कार का भी प्रमाण है, चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा पूंछ-तांछ न की जाये।

श्री हरिवंश सहाय--

वहां के क्षेत्रीय विधायक कुबेर भंडारी जी ने सवाल उठाया था, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है जिसकी रपट लिखाई है, उसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। आप इस पर कार्यवाही के लिए लिख कर दे दें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

जिस महिला के साथ माननीय सदस्य ने बलात्कार की बात कही है उसकी डाक्टरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सूचना सब कुछ है लेकिन न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए कुछ कहना उचित नहीं होगा।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, डाक्टरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, यह बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह मुनासिब नहीं लगता।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

इससे न्यायालय में कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा कि उसके औचित्य में कोई फर्क नहीं पड़ता ।

श्री ब्रह्मदत्त--

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा, प्रश्न है कि अभियुक्त पकड़े गए ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का मामला है या नहीं ? क्योंकि कल मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि बलात्कार बन्द हो गए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कहा है कि बलात्कार हुआ और मृत्यु हो गई । 30 जून की यह घटना है ।

श्री ऊदल--

प्रश्न में जान से मार देने की बात कही है, मंत्री जी दूसरी बात कहते हैं कि वे पकड़े गए हैं या नहीं, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी हो जाती है ।

श्री ब्रह्मदत्त--

इसमें 5 चोटें आयीं और जनरेशन आर्गेन्स के बारे में भी, मान्यवर, यह बड़ा वीभत्स मामला है, जो दशा हुई उसका बयान करना ठीक नहीं समझता ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जाकर मंत्री जी से फाइल देख लें, आपके क्षेत्र का मामला है यह मैं भी जानकारी रखता हूं ।

श्री कुबेर भंडारी--

48 घंटे शव के परीक्षण में मान्यवर, लिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने कहा कि जान लेने की धमकी दी जा रही है । उस पर आप लिख कर दे दें ।

*6--श्री रियासत हुसैन--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

उत्तर प्रदेश के विभाजन सम्बन्धी कथित ज्ञापन

7--श्री चेतराम गंगवार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 6 माह से उनको और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उत्तर प्रदेश के आठ भागों में बांटने के लिए व अनेकों ज्ञापन मिले हैं ? यदि हां, तो सारी योजना क्या है और सरकार का प्रचार प्रदेश को कितने हिस्सों में बांटने का है तथा कब तक ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विषय में, चाहे वह व्यक्तिगत आधार पर हो यह मंत्रि परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर राजस्व मन्त्री के द्वारा पश्चिमी जिले में सहारनपुर-मेरठ के नागरिकों को यह आश्वासन दिया गया है कि प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटा जायेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त--

यह प्रश्न माननीय राजस्व मन्त्री जी से पूंछा जाये तो अच्छा होगा । मैं कहां तक उत्तर दे सकता हूं ।

एक सदस्य--

अखबारों में आया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अखबारों की बातों का उत्तर सदन में नहीं दिया जा सकता ।

श्री हुकम सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे ज्ञापन मिले हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मेरठ डिवीजन को उत्तर प्रदेश से अलग किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ज्ञापन की बात कर रहे हैं । वह प्रश्न मंत्री जी के बयान से सम्बन्धित है । दोनों में भेद है ।

श्री हुकम सिंह--

ज्ञापन इन्हें प्राप्त हुआ या नहीं ? राजस्व मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था । जानकारी चाहता हूं । यदि जानकारी है तो बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप के प्रश्न का उत्तर आ चुका है । मूल प्रश्न के मूल उत्तर में उन्होंने कहा 'जी नहीं' ।

श्री हुकम सिंह--

ज्ञापन को कह दिया जी नहीं । इनको जानकारी है या नहीं कि इनके कैबिनेट के मन्त्री ने बयान दिया । यह कह दें कि नहीं दिया ।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित । अभी मन्त्री जी ने कहा कि यह राजस्व मन्त्री से आप पूंछे । मैं जानना चाहता हूं कि जब सामूहिक उत्तर-

दायित्व है, एक मन्त्री ने बयान दिया इनका उत्तरदायित्व हो जाता है । मैं उसके बारे में यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके मंत्रि मण्डल की राय है या एक मन्त्री की राय है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाय ।

श्री ब्रह्मदत्त--

यह प्रश्न मंत्रिमन्डल के विचाराधीन नहीं है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, सरकार ने प्रदेश को विकास और प्रबन्ध की दृष्टि से हिल्स, बुन्देलखंड, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में बांटा है, अन्य तमाम विभागों में विभाजित किया है । तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार को क्या यह संस्तुति करेगी कि इसी आधार पर उत्तर प्रदेश को इतने टुकड़ों में बांट दिया जाये ।

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं ।

श्री चेतराम गंगवार--

क्या इसको देखते हुये कि प्रदेश बहुत बड़ा है । इसकी जनसंख्या करीब 15 करोड़ हो गई है । 11 करोड़ 71 में थी । इसका उचित ढंग से विकास हो सके, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए इसको कई टुकड़ों में बांटा जा सकता है । सदन की एक कमेटी गठित करेंगे जो इसकी खराबियों और अच्छाइयों का आंकलन करे और साल भर में अपनी रिपोर्ट दे दें ।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, कल कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि देश बहुत बड़ा है । इसको विभाजित करने के लिए एक कमेटी गठित करें । मैं इसको उचित नहीं मानता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी का उत्तरदायित्व सामूहिक है । राजस्व मन्त्री जी ने बयान दिया था सहारनपुर में । एक महीने से ज्यादा हो गया । अभी उन्होंने उसका प्रतिवाद भी नहीं किया । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संबंधित मन्त्री की ऐसी धारणा है जोकि सरकार की धारणा से नहीं मिलती है, तो क्या उनको मंत्रिमण्डल से पृथक करने की कार्यवाही करेंगे जिससे कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है, वह चल सके ।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं सरकार की नीति के संबंध में जवाब दे सकता हूं । एकेडेमिक विचारों के बारे में यहां जवाब देना ठीक नहीं ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा

*8--श्री राम नारायण तथा श्री रामकरन (अनुपस्थित)--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर के लिए सन् 1967 में अर्जित की गई ग्राम छावनी लाइन, परगना व

तहसील व जनपद गाजीपुर के किसानों को 15 एकड़ भूमि के मुआवजे की रकम अथवा भूमि के बदले भूमि नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)---

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर के भवन निर्माणार्थ ग्राम छावनी लाइन, परगना व तहसील व जनपद गाजीपुर के जिन किसानों की 15 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी वे लोग भूमि के प्रतिकर के बदले में भूमि चाहते थे । अतः उनको प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया और भूमि पुनर्ग्रहण सम्बन्ध प्रस्ताव जिलाधिकारी से प्राप्त हो गया है, जिस पर शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम कचार थाना असन्दरा, जिला बाराबंकी में डकैती एवं हत्या की घटना

*9---श्री राम सागर--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के थाना असन्दरा, ग्राम कचार मजरे हकामी में दिनांक 24, 25-10-79 को कत्ल, डकैती की घटना हुई है जिसकी रपट थाने में दर्ज है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त---

जी हां ।

विवेचना जारी है व सही मुल्जिमान के पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

श्री राम सागर---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मृतक के आश्रित परिवार में कितने व्यक्ति हैं ? रिपोर्टकर्ता और मृतक का क्या सम्बन्ध है ? परिवार की ओर से रपट न लिखाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मान्यवर, परिवार के द्वारा रपट न लिखाये जाने के बारे में तो जानता नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न के पहले भाग का जवाब दे दें कि रिपोर्ट कर्ता से मृतक का क्या सम्बन्ध है, उसके बारे में बता दें ।

श्री ब्रह्म दत्त---

मान्यवर, प्रथम रिपोर्ट में है कि मैं हकामी बृजनाथ सिंह से तहरीर लिखा कर ले आया हूं और मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही की जाय यह स्टेटमेन्ट है गुरसरन पुत्र सतन यादव, निवासी पूरे कचार, मजरे हकामी, थाना असन्दरा, जिला बाराबंकी का । इसमें कहा है कि "मैं गुरसरन पुत्र सतन यादव, निवासी पूरे कचार, मजरे हकामी अपने दरवाजे पर अपने लड़के हजारी लाल के साथ सोया था कि आधी रात के करीब 6-7 बदमाश मेरे दरवाजे पर आये ।" इससे मालूम होता है कि गृह स्वामी ने रिपोर्ट लिखाई ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस घटना को हुये पूरे एक वर्ष हो गये हैं और पुलिस सम्बन्धित मुल्जिमान से मिली हुयी हैं और पता लगाने और गिरफ्तारी करने में असमर्थ हैं, पुलिस में स्थानीय पार्टी बंदी के कारण रिपोर्ट लिखाई गयी है और उसी में फंसी हैं, तो क्या इन परिस्थितियों में इस मामले की सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे, क्योंकि एक साल हो गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं संस्तुत करूंगा कि सी0 आई0 डी0 से जांच करा ली जाय ।

श्री फखरे आलम--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मृतक के पिता ने कोई प्रार्थना-पत्र दिया की गलत रिपोर्ट लिखाई गयी है और सही आदमी का नहीं आ पाया ? तो उसकी अप्लीकेशन पर कोई एक्शन लिया गया ? तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी अप्लीकेशन पर एक्शन लेंगे और सी0 आई0डी0 से इस मामले की जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कह दिया कि सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, वह रिपोर्ट अलग आदमी ने लिखा दी थी ताकि उसकी अपनी बचत हो जबकि उसने खुद किया है । उसके ऊपर आरोप हैं मृतक के पिता का । उसमें यह बातें खुली हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, यह सारा मामला सी0 आई0 डी0 को दे दिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वादी के घर में जो घटना देखी गयी, उसके बाद उनका घर पूरा जला दिया गया और वादी ने अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि है, तो वादी की सुरक्षा के बारे में शासन क्या विचार कर रहा है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

लेकिन वादी जो हैं वह सुरक्षित हैं । साल भर से सुरक्षित हैं ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, इस घटना में एक आदमी मारा गया और इसमें कुछ नहीं हुआ जिससे असली मुल्जिमों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि उसका घर जला दिया गया । उसके भाई ने सुरक्षा की मांग की और कहा कि एक बंदूक दे दी जाय । लेकिन उसको बंदूक नहीं दी गयी । उल्टे उसको दफा 107/17 में मुकदमा चलाया जा रहा है । तो मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि उसके ऊपर जो 107/17 का मुकदमा चलाया जा रहा है उसको वापस लेने की कृपा करेंगे और उसको तुरन्त बंदूक देने को करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मेरे पास प्रश्न से सम्बन्धित जो सूचना थी दे दी। अब सी0 आई0 डी0 को जांच करने के लिए निदेश दे रहे हैं। तो सारे मामले को सी0 आई0 डी0 देखेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिसके यहां डकैती पड़ी थी उससे भिन्न व्यक्ति की रिपोर्ट लिखी गयी। एक साल तक नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तो क्या इस मामले को भी जांच के लिए सी0 आई0 डी0 को रिफर करेंगे कि पुलिस द्वारा कुछ लोगों को छोड़ने का प्रयास तो नहीं किया गया है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री राजबीर सिंह, निवासी गाजियाबाद का अपहरण

*10—श्री सुरेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-6-80 को दिन के समय लगभग 10 बजे ग्राम बछलौता, थाना बाबूगढ़, जिला गाजियाबाद के एक नौजवान हरिजन युवक को उसी ग्राम के सवर्ण जाति के कुछ व्यक्तियों ने हापुड़ में मारपीट करके अपहरण कर लिया गया था, जिसकी रपट थाना बाबूगढ़ में कराई गयी थी ? यदि हां, तो मुलजिमान कौन हैं और सरकार ने क्या कानूनी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

श्री महावीर सिंह हरिजन, नि0 मो0 बनारसी पुरा, कस्बा हापुड़, जिला गाजियाबाद ने दिनांक 7-6-80 को अपने पुत्र राजबीर सिंह के ग्राम बछलौता के पांच नामजद जाट लड़कों व अन्य द्वारा उसी दिन मारपीट कर अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना हापुड़ पर रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट में नामजद अनिल कुमार, हरि, महेन्द्र, हरबीर व पप्पू के अतिरिक्त विवेचना के दौरान श्याम कुमार नामक एक अभियुक्त का हाथ होना पाया गया। पंजीकृत अपराध की विवेचना के उपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र 27-7-80 को न्यायालय में भेज दिया गया है और अब अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री शब्बीर अहमद, ग्राम सरूरपुर, जिला गाजियाबाद की हत्या

*11—श्री मन्जूर अहमद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि 27-6-80 की शाम को शब्बीर अहमद, पुत्र श्री नजीर अहमद, ग्राम सरूरपुर, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद की कुछ व्यक्तियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी, जिसकी रपट भी थाने में दर्ज नहीं की गयी, के सम्बन्ध में मृतक के भाई ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र डी0 आई0 जी0, मेरठ को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । घटना के सम्बन्ध में श्री भोजराज शर्मा की रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत पहिले ही किया जा चुका था । प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर एक अन्य अपराध संख्या 196-ए पंजीकृत किया गया । दोनों अपराधों की विवेचना जारी है ।

जौनपुर में गोमती पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन-पत्थर

*12--श्री जंगबहादुर तथा श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद में नव निर्मित गोमती पुल का उद्घाटन स्वर्गीय संजय गांधी ने किया था और उनके नाम का पत्थर भी लगाया गया था परन्तु जनता शासन में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त पत्थर को वहां से हटवा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

यह सही है कि इस पुल का उद्घाटन स्वर्गीय संजय गांधी ने किया था और उनके नाम का पत्थर भी लगाया गया था, परन्तु यह सही नहीं है कि जनता शासन में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त पत्थर को वहां से हटवा दिया गया ।

श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, प्रश्न के बाद हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी जौनपुर बाढ़ के सिलसिले में गये थे । मैं समझता हूं कि उनकी दृष्टि अवश्य उस पत्थर पर पड़ी होगी। यदि उन्होंने नहीं देखा तो मेरी सूचना को सही मानकर कि वह पत्थर हटा लिया गया था और इस प्रश्न के बाद वह लगा दिया गया है क्या मंत्री जी उसकी जांच करवाकर यदि पत्थर हटाया गया है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, जांच के बाद ही यह सूचना दी जा रही है । ऐसी कोई बात नहीं है कि जनता शासन में इसको हटाया गया है, ऐसी बात नहीं है ।

नागरिक डिग्री कालेज, जंघई, जिला जौनपुर के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन

*13--श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक डिग्री कालेज (जंघई), जौनपुर में उच्च शिक्षा निदेशक के पत्रांक 22689-91, दिनांक 25-2-80 द्वारा अनुमोदित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है और क्या मन्त्री जी ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, क्योंकि सम्बन्धित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति नागरिक डिग्री कालेज, जंघई की अपवर्जित प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय की परिनियमावली के प्राविधानों के विपरीत की थी ।

उक्त स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारियों को वेतन भुगतान न किये जाने के लिये कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है, अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि कालेज के जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है वे कितने दिनों से काम कर रहे हैं और कब से उनके वेतन का भुगतान बन्द किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरी सूचना के अनुसार दो कर्मचारियों एक श्री दयाशंकर शर्मा, चपरासी, 16-12-74 से और दूसरे श्री शशीन्द्र कुमार दुबे, लिपिक की नियुक्ति 22-11-76 से अपवर्जित प्रबन्ध समिति ने किया था । लेकिन नियमानुसार इनकी नियुक्ति नहीं हुई थी । इसलिये उनको जब यह गलती मालूम हुई तो उनका वेतन रोक दिया गया । प्रबन्धक ने उनकी नियुक्ति किया था । इसलिये प्रबन्धक द्वारा 30-8-77 तक अपनी जेब से पैसा देते रहे, सरकार से पैसा उनको नहीं दिया गया । चूंकि सरकार का एप्रूवल नहीं था और उनकी नियमानुसार नियुक्ति नहीं हुई थी ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी या तो सदन को गुमराह कर रही हैं या सूचना उनको वास्तविक नहीं दी गई है । इनके विभाग के सहायक शिक्षा अधिकारी, सिविल, लालता प्रसाद वर्मा ने पत्र लिखा है 25-2-80 को कि श्री शशीन्द्र कुमार दूबे और श्री दया शंकर शर्मा की नियुक्ति प्रबन्ध समिति ने की है, इसलिये उसको वैध मानते हुये शासकीय अनुदान स्वीकार किया है और उनको वेतन देने के आदेश दिये गये हैं । उस पत्र की एक प्रति मेरे पास है । तो मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुये जिन अधिकारियों ने जानबूझकर वेतन उनका रोका है, क्या मंत्री जी उनको दंडित करने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने अभी कहा था कि उनकी नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई थी और प्रबन्ध समिति ने 30-8-77 तक उनको पेमेन्ट किया और उसके बाद प्रबन्ध समिति ने रोक दिया चूंकि उनको गलती का अहसास हो गया । फिर प्राधिकृत नियंत्रक वहां सरकार की तरफ से नियुक्त हो गया तो उन्होंने 17 मई, 1978 से काम लेना बन्द कर दिया था चूंकि उनकी नियुक्ति वैधानिक थी । यह बात सही है कि उनकी नियुक्ति का आर्डर 25-2-80 को निदेशालय से दिया गया था और यह कहा गया था कि नियुक्ति के दिन से पेमेन्ट किया जाय । लेकिन डी० डी० आर० ने पेमेन्ट नहीं किया । अतः दिनांक 11-9-80 को दुबारा निर्णय उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा रिवाइज किया गया, तब गलती मालूम हुई कि उनकी नियुक्ति वैधानिक नहीं थी ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, प्रबन्ध समिति ने उनकी नियुक्ति की थी । लेकिन उत्पीड़न की दृष्टि से कुछ पद सृजित करने के बारे म प्रबन्ध समिति ने आपके विभाग को लिखा तो यहां से लिखा गया कि पद सृजित नहीं किये जा सकते हैं । बाद में विभाग ने पदों को स्वीकृति दे दिया और फिर नियुक्ति को वैध माना. और पुनः बाद में शासन ने आदेश भेजा कि आपकी नियुक्ति गलत है, आपके पद सृजित नहीं हैं. इसलिय वेतन नहीं देंगे । यह सारी कार्यवाही उत्पीड़न के तहत की गयी है । इसलिए म आश्वासन मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या इस संदर्भ में दोनों कर्मचारी जो हैं उनको वेतन भुगतान के स्पष्ट आदेश देंगी और जिन्होंने उत्पीड़न उनका किया ह, उनकी जांच कराकर जांच को सारे सदन के संज्ञान में लायेंगी और उन कर्मचारियों के जीवन की रक्षा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आप प्रश्न मुझको भी पूछने का अधिकार दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी को प्रश्न पूछने का अधिकार कितना देना चाहिए यह मेरा काम है, यह आपका काम नहीं है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इनका जब एप्वाइंटमेंट हुआ 16-12-74 को, तो यह बताने की क्या माननीय विधायक कृपा करेंगे कि 16-12-74 को कौन सा अधिकार दिया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न नहीं करेंगी, आप सूचना दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, प्रश्न में ही उत्तर आ जाता है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, आपके डायरेक्टर ने वेतन संदाय को तो अनुमति दे दी । मेरा प्रश्न 9 जुलाई, 1980 का है कि इन कर्मचारियों को वेतन संदाय की अनुमति देने के बावजूद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण है ? मान्यवर, चूंकि अधिकारियो को दंडित करना पड़ता, आदेशों के अनुपालन न करने के संबंध में, इसलिए वह 11 सितम्बर को यह कह रहे हैं कि हमने 25 फरवरी के आदेश को वापस ले लिया । तो इस तरह से मान्यवर, इस प्रश्न के तहत जो अधिकारी इसमें दंडित होते हैं, उनको बचाने के लिए यह आदेश आपने निरस्त किया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो पूरी सूचना आपको प्राप्त हुई, उसके आधार पर पुनः आप इन छोटे कर्मचारियों को वेतन भुगतान कराने के संबंध में आदेश देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, विधायक जी ने खुद ही कहा जब शासन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने निराकरण किया और अपनी गलती को सुधारने का हर व्यक्ति को अधिकार है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, दो कर्मचारियों के जीवन का मामला है। इनकी नियुक्ति को नियमानुसार मानते हुए प्रबन्ध समिति को एक आदेश भेज दिया गया और भुगतान नहीं हो रहा था, ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य ने एक सवाल कर दिया कि वेतन क्यों भुगतान नहीं हो रहा है। मान्यवर, अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन हो रहा था। 11 सितम्बर को अधिकारियों के आदेश को रिवाइज कर दिया और पुनः जो वह कर्मचारी उत्पीड़न के शिकार हो गये। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मानवीय आधार पर, मैं यह नहीं कहता हूं, इनके लिए अधिकारी प्रिय हैं, जनता प्रिय तो है नहीं, इसलिए मैं उनके उत्पीड़न की रक्षा के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या उनको वेतन दिलाने के लिए जो नियुक्ति वैध मानकर पुनः विधिवत मानकर, वेतन दिलाने का आदेश करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जब इनका एप्वाइंटमेंट हुआ, तब, उस समय अवैधानिक हुआ था, मैनेजिंग कमेटी ने उनको बिना नियम के एप्वाइंट किया था। तो क्या हम इनको उत्साहित कर सकते हैं और दो-तीन साल तक अपने पास से भुगतान किया। वेतन संवाय से उनका भुगतान नहीं हुआ।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

मान्यवर, यह जो कहा गया कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक ने अनुमोदन दिया था, तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक ने विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा के तहत इसका अनुमोदन दिया था ?

श्रीमन्, यह स्पष्ट प्राविधान है कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का अनुमोदन शिक्षा उप निदेशक करते हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक करते हैं। मुझे स्पष्ट जानकारी है कि इन अधिकारियों में से किसी ने भी इन कर्मचारियों को अनुमोदन नहीं दिया था। इन पदों का सृजन 15-1-73 को हुआ था और उसके बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है और न कोई अनुमोदन किया गया है। तो क्या ऐसे कर्मचारियों के वेतन वितरण का दायित्व सरकार ले सकती है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिन पदों के सृजन की आज्ञा सरकार ने नहीं दी है या जिनका एप्वाइंटमेंट नियमित ढंग से नहीं हुआ है उनका पेमेंट सरकारी संवाय खाते से किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता।

श्री मोहन सिंह--

नियमों के विपरीत जो ये दो नियुक्तियां हुई थीं उसके बावजूद जिस सहायक उप निदेशक (शिविर) ने वैध मानते हुए वेतन निर्धारित करने के आदेश दिये तो ऐसे अवैधानिक आदेश के जारी करने के आरोप में क्या उस अधिकारी को शिक्षा मंत्री महोदया दंडित करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने पहले ही उत्तर दिया है कि अगर कोई भूल करता है तो उस गलती को सुधारने का अधिकार है (व्यवधान तथा शोरगुल)।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

माननीय शिक्षा मंत्री को यह गलत सूचना दी गयी है कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति गलत थी । मैं इस पर प्रिविलेज के मोशन की नोटिस देता हूं ।

मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सारे तथ्यों की पुनः जांच करा कर क्या वह आश्वासन देंगी कि इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान शासन द्वारा करा दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जांच मैं अवश्य करवा लूंगी लेकिन जांच के उपरान्त जो भी तथ्य सामने आयेंगे उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

*14--श्री जीराज सिंह मौर्य--

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

महात्मा गांधी डिग्री कालेज, फतेहपुर में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति तथा अध्यापकों को वेतन भुगतान

*15--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उप कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय की संस्तुति "महात्मा गांधी डिग्री कालेज, फतेहपुर की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के स्थान पर प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त कर दिया जाय" की अवहेलना की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? (क) 1976 की आडिट रिपोर्ट क्या थी और उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया ? (ख) क्या उक्त विद्यालय के 10 अध्यापकों का वेतन 5 नवम्बर, 79 से 2 फरवरी, 1980 तक का अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

इस कालेज में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है ।

(क) शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार आडिट रिपोर्ट में इस महाविद्यालय में कुल 7,739·30 रु0 का गबन हुआ बताया गया है । इन आपत्तियों के सम्बन्ध में उचित विधिक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस मामले पर जिलाधिकारी की आख्या के सन्दर्भ में कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय की राय प्राप्त की जा रही है । उसके पश्चात् निर्णय लिया जायेगा ।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी ने सूचना दी है, यह स्पष्ट एक गबन का मामला है और शिक्षा निदेशालय से इस सम्बन्ध में निर्देश भी गये हैं । वे क्या निर्देश हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इसमें कोई लीपा-पोती नहीं की गई है। आडिट रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश कर दी है कि 7739·30 रु0 का गबन बताया गया है। जहां पर ऐसी अव्यवस्था होती है, वहां अवश्यक कार्यवाही होती है और उसकी जांच की जाती है साथ ही उसके ऊपर यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 57/58 के तहत कार्यवाही की जाती है, नोटिस दी जाती है और वह कार्यवाही हो रही है।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगी कि इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र जांच की कार्यवाही करके निर्णय करेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शीघ्रतातिशीघ्र से भी शीघ्र कार्यवाही करेंगे आपके मुंह से निकला नहीं कि यहां से आर्डर हुआ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, आडिट से साबित हो चुका कि 7700 रु0 से भी अधिक का गबन हुआ है तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई या नहीं और यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इसके विषय में सूचना लेनी होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप बैलगाड़ी में हैं तो मैं घोड़े पर हूं और आप यदि घोड़े पर हों तो मैं रेल पर सवार हूं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मन्त्री, यह सदन रेल चलाने के लिए नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे विधायक रेल से कुचल जायें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं आश्वासन देती हूं कि अगर इस तरह की अव्यवस्था होगी तो मैं एरोप्लेन से उड़ जाऊंगी।

(व्यवधान)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की और उस पीठ की एक गरिमा है और आप जैसे व्यक्ति आसीन हों तो क्या माननीय मन्त्री जिस प्रकार से उत्तर दे रही हैं वह क्या उस गरिमा के अनुकूल है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था या विचार चाहूंगा?

श्री उपाध्यक्ष--

गरिमा आप बनाये रखें मैं केवल इतना ही कह सकता हूं लेकिन अगर शिक्षा विभाग ही गरिमा न रखे, तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगी कि जो साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की प्रक्रिया है जिसमें कि गबन का मामला साबित हो चुका है तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और जो पैसा जो गबन किया है उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो गबन का पैसा वसूल करने के लिए प्लेन तक पर चढ़ने के लिए तैयार हैं।

*16--श्री शंकर सिंह--

[9-9-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 52 द्वारा उत्तरित]

गोंडा-बहराइच रोड पर घाघरा नदी पर पुल बनाने की मांग

*17--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी से गोंडा-बहराइच रोड पर स्थित घाघरा नदी पर पुल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होने की आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां। यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पुल निर्माण के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और कब तक धन उपलब्ध हो जाने की आशा है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, इसकी महत्ता को देखते हुए इसका सर्वेक्षण करा लिया गया है और इसमें 519·47 लाख के लगभग लागत पड़ेगी।

श्री राम सागर--

मान्यवर, यह फैजाबाद और गोंडा सड़क पर बहुत महत्वपूर्ण पुल है। इस पुल के न बनने से हर वर्ष नाव दुर्घटना में तमाम आदमी और जानवरों की मृत्यु होती है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके महत्व को देखते हुए क्या इस पुल को शीघ्र बनाने के लिए कोई नये बजट की तुरंत व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, इस विषय में भारत सरकार से भी बात की जा रही है और निश्चित रूप से, आप निश्चित रहें, चाहे जिस तरह से होगा सहायता, ऋण या शत प्रतिशत या 50 प्रतिशत पर मिल जायेगा तो हम इसका निर्माण करेंगे ?

श्री सुन्दर सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पुल के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है और क्या छठी योजना में इसे सम्मिलित किया गया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां, किया गया है।

*18--श्री ऊदल--

[10वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा में जहरीली शराब से मृत्यु

*19--श्री ओम प्रकाश जिन्दल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 8-7-80 की रात्रि को आगरा में गुदड़ी बाजार, मन्सूर खां मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से अनेकों लोगों की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और अब तक सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री ब्रह्मदत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार माल के बाजार आगरा में एक केमिस्ट की दूकान से दिनांक 7-7-80 को चार व्यक्तियों ने टिंचर जिन्जर लेकर उसका सेवन किया था जिसके कारण तीन व्यक्तियों की दिनांक 8-7-80 को मृत्यु हो गई।

2--उक्त मामले में दिनांक 8-7-80 को अपराध थाना छत्ता, जिला आगरा में पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना में नामांकित दो अभियुक्तों में से एक ने न्यायलय में आत्मसमर्पण किया और उसे जेल भेज दिया गया। दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और उसके विरुद्ध धारा 82/83 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।

श्री राम सागर--

मान्यवर, शराब पीने के काम में आजकल सरकार ने छूट दे रखी है और शराब जहरीली आ रही है जिसके पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है और आगे भी हो सकती है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शराब फैक्ट्रीज में बनती है उसको पहले मंगाकर आप टेस्ट करके फिर जनता को पीने की अनुमति देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आपने कहा कि जहरीली शराब आ रही है तो क्या इसका व्यक्तिगत तजुर्बा है ?

नोट--प्रश्न संख्या 19 श्री बदन सिंह की रुचि पर लिया गया।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस शराब के मामले में केवल एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तो अन्य मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई आ रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

श्रीमन्, इसमें दो अभियुक्त थे एक ने तो आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरे के खिलाफ 82, 83 की कार्यवाही जारी है।

*20--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[9-9-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 51 द्वारा उत्तरित]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले विधान परिषद् के चुनावों का स्थगन

**1-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया गया था कि इसी माह होने वाले स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद् के चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

प्रदेश में अति वृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति के कारण इस चुनाव के अनन्तिम कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित करने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन से परामर्श के पश्चात् आयोग को सुझाव भेजा गया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह चुनाव इससे बहुत पहले अप्रैल में हो जाने चाहिए थे, वह उस समय कराये नहीं गये, उसके बाद बाढ़ का बहाना बनाकर टाल दिया, अब तो खैर चुनाव हो रहे हैं तो ग्रेजुवेट और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय निकायों से होने वाले चुनाव के बारे में क्या शासन ने चुनाव आयोग से कह रखा है कि आप इनके चुनाव अभी न करायें ?

श्री जगदीश प्रसाद--

स्थानीय निकायों के चुनाव होने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शासन ने ऐसी कोई संस्तुति की है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से इस बात की सिफारिश की है कि स्थानीय निकायों के माध्यम से विधान परिषद् सदस्यों के जो चुनाव होते हैं, वह न कराये जायं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न उसमें कहां बना है ? यह उसमें कहां आता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उसके साथ-साथ उन्होंने स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मना किया था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बारे में शासन की नीति क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप जिस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, सोचिये, क्या वह मूल प्रश्न के सन्दर्भ में है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह शासन की नीति के बारे में है, चुनाव के बारे में है...

श्री उपाध्यक्ष--

आप दूसरा प्रश्न पूछिये, जो स्पष्ट हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ग्रेजुवेट और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में सरकार ने बहाना बनाकर टाल दिया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसी प्रकार से स्थानीय निकायों के बारे में सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव न कराये जाएं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपने सवाल को फिर घुमाकर कह दिया ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, दिन प्रति दिन उच्च शिक्षा का विस्तार हो रहा है और स्नातकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ग्रेजुवेट निर्वाचन क्षेत्र में कुछ और सीट्स बढ़ाने पर क्या मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न तो स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद् के चुनावों से ताल्लुक रखता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, थोड़ा आप उदार हो जायं, यह सरकार के इरादे की बात है, चुनाव न होना जनतन्त्र के खिलाफ है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं बेहद उदार हूं, लेकिन नियम उदार नहीं हो रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपको यह अधिकार है कि आप हमारे प्रश्न में संशोधन करके पूछ सकते हैं । इसलिए आप बता दीजिए कैसे पूछा जाए ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं चाहता हूं कि आप पूछिये, लेकिन आप नियमों के अन्दर ही पूछिये ।

श्री हुकम सिंह--

जिस प्रकार के सुझाव सरकार ने स्नातक और अध्यापक क्षेत्र के चुनाव स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग को दिये, क्या वैसे ही अन्य कोई चुनाव स्थगित करने के लिए सरकार ने आयोग को सुझाव या आदेश दिये हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, इस चुनाव के बारे में कुछ मांग हुयी थी कि बाढ़ और बरसात के कारण इसको स्थगित करा दिया जाय । इसी वजह से चुनाव आयोग से स्थगित करने के लिए कहा गया था ।

श्री हुकम सिंह--

मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनावों को स्थगित किया गया क्या इसी प्रकार का सुझाव शासन की ओर से लोकल बाडीज के चुनाव के सम्बन्ध में भी दिया गया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इसके बारे में सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री मोहन सिंह--

जिस आधार पर इन चुनावों को टालने के लिए चुनाव आयोग को लिखा गया है अन्य चुनावों को भी स्थगित करने हेतु सरकार क्या कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

विचार किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि कुछ लोगों ने मांग की थी कि इस निर्वाचन को बाढ़ और वर्षा के कारण स्थगित कर दिया जाय तो वे कौन-कौन से लोग और संस्थायें हैं जिनके आवेदन-पत्र शासन के पास आये, विधान परिषद् में स्थान भरने की बात भी हुयी । तो जिन माध्यमों से यह सूचना प्राप्त हुयी वे कौन-कौन थे और किन-किन कारणों से इसे स्थगित कराना चाहा था ?

श्री जगदीश प्रसाद--

कई जिलाधिकारियों, विधान परिषद् के सदस्यों और अखबारों के सम्पादकों ने कहा था कि अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण इसको स्थगित कर दिया जाय । इसलिए स्थगित कर दिया गया और जो अन्य चीजों के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, वे भी कराये जायेंगे ।

कस्बा सांडी, जिला हरदोई को अधिक मात्रा में विद्युत् आपूर्ति की माँग

**2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पर्याप्त वर्षा हो जाने के बावजूद भी हरदोई जनपद के सांडी कस्बे व उसके आस-पास के गांवों को उससे भी कम विद्युत् दी जा रही है, जितनी कि इस वर्षा के पहले माह में विद्युत् संकट के समय दी जाती थी ? यदि हां, तो पर्याप्त विद्युत् न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं ।

माह जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह से ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत् आपूर्ति 5 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 6 घंटे प्रतिदिन कर दी गई है । परन्तु कभी-कभी विद्युत् उत्पादन में अचानक कमी आ जाने के कारण आकस्मिक कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में भी करनी पड़ जाती है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह पूरे हरदोई जिले का मसला है । माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि माह जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह से ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत् आपूर्ति 5 घंटे से प्रतिदिन बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है । मेरी जानकारी यह है कि यह सूचना केवल कागज पर है । तो क्या मेरी सूचना को सही मानकर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि व्यवहार में यह बात सही नहीं है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जिस क्षेत्र की बात है, उसका सारा डेटा मेरे पास है, लेकिन जब माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो जांच भी अवश्य करा लूंगा, लेकिन जो रिकार्ड्स मेरे पास हैं, उनसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जनपद का कस्बा सांडी, जिसकी आबादी 25 हजार से अधिक है, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में लिए जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हरदोई जनपद के सांडी कस्बे की जन संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 11 हजार 560 है । इसलिए द्वितीय श्रेणी के नगरों में आता है । उसको छः घंटे ग्रामीण कार्यक्रम के अनुसार और 4 घंटे दूसरे रूप में विद्युत् आपूर्ति की जा रही है दो फेजेज में ।

श्री केदार नाथ सिंह--

किसान अपने आप बिना जरूरत अपने ट्यूबवेल को प्रयोग में नहीं लाते हैं । अगर आप 24 घंटे भी बिजली दें तो उतना ही प्रयोग में लायेंगे, जितनी जरूरत है । यह मानते हुये क्या किसान को और ज्यादा समय तक विद्युत् देने की कृपा करेंगे, ताकि किसान उसका अपनी जरूरत के समय उपयोग कर सकें ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न बड़ा सामान्य हो गया ।

श्री केदार नाथ सिंह--

यह बड़ा जेनुइन प्रश्न है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसान अनायास अपने ट्यूबवेल चलाकर पानी बहाने का काम नहीं करते, उतना ही पानी लेंगे, उतना ही विद्युत का उपयोग करेंगे, जितनी आवश्यकता उनकी कृषि के लिए होगी । यह मानते हुए क्या विद्युत मन्त्री किसानों को ज्यादा समय तक विद्युत उपलब्ध कराने की चेष्टा करेंगे ताकि किसान अपनी क्षति, जो सिंचाई कम मिलने के नाते हो रही है, उसकी पूर्ति कर सकें और प्रदेश में कृषि की पैदावार बढ़ सके ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, विद्युत का अधिकतम उत्पादन करके अधिकतम विद्युत उपलब्ध कराने की चेष्टा की जा रही है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

प्रश्न यह नहीं है । मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि कृषि उत्पादन को महत्व हम सभी दे रहे हैं, यह बहुत ही आवश्यक है, जब आप यह मानते हैं और यह भी मानते हैं कि किसान उतनी ही विद्युत इस्तेमाल करेगा, जितनी आवश्यकता होगी आप क्यों नहीं किसानों को जब चाहें . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप भाषण कर रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री सूबेदार सिंह--

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सांडी ग्राम और उसके आसपास का मामला पूरे प्रदेश का मसला है, बिजली की कमी इस साल जब कि वर्षा बहुत अच्छी हुई है, पूरे प्रदेश में है, क्या वह इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वर्षा के बाद सूखा पड़ना शुरू हो गया है, खेतों को सिंचाई की अधिक जरूरत है, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि खेत सिंचाई से वंचित न रह जायं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह व्यवस्था, मान्यवर, की जा रही है ।

श्री नरेश चन्द्र--

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे अपने विभाग के फर्जी आंकड़ों पर विश्वास न करके हरदोई जिले में 14 घंटे रोजाना बिजली काट रहे हैं, कृषि मन्त्री जी भी आये थे, माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि प्रदेश में प्रत्येक जिले को जितने घंटे उन्होंने कागज पर लिखित कटौती की है, उससे ज्यादा हरदोई में कटौती नहीं होगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा 14 घंटे की कटौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में साढ़े सात घंटे बिजली दिए जाने का दावा मैं भी नहीं कर रहा हूं।

श्री ऊबल--

मेरी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे कि बिजली देहातों में कम दी जाती है, लेकिन जो पावर स्टेशन में इंसपेक्टर है, वह 6 घंटे से ज्यादा रजिस्टर में भर देता है। इसकी जांच करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसकी कोई स्पेसिफिक सूचना कहीं से मिलेगी तो जरूर जांच करा ली जायगी।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर कि सांडी एक औद्योगिक ग्राम है, उसकी महत्ता और भौगोलिक स्थिति को देखते हुये क्या माननीय मन्त्री जी आदेश करने की कृपा करेंगे कि उसे शहरी क्षेत्र के अनुसार बिजली दी जाय ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यदि वह औद्योगिक क्षेत्र है तो उद्योगों को बिजली दिये जाने के हिसाब से बिजली मिलेगी।

श्री धर्मवीर सिंह (मेरठ)--

क्या माननीय मन्त्री जी पश्चिमी जिलों में भयंकर सूखे की स्थिति को देखते हुये पश्चिमी जिलों में खासकर 24 घंटे बिजली देने के आदेश देंगे, क्योंकि अब आलू आदि की बोआई बहुत नजदीक आ गई है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

पश्चिमी जिलों में भयंकर सूखा तो नहीं पड़ा। जहां कम वर्षा हुई है, वहां बिजली की आपूर्ति 8 घंटे करने के आदेश हैं।

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मन्त्री जी के आदेशानुसार कितने घंटे बिजली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देहातों में बढ़ा दी गई है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि 5 घंटे के 6 घंटे समस्त ग्रामीण क्षेत्रों और जहां बरसात कम हुई है, वहां 6 घंटे के बजाय 8 घंटे बिजली दिये जाने के आदेश दिये हैं।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

जैसे माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 5 घंटे और जहाँ पर सूखा है, वहां 8 घंटे बिजली दिए जाने की व्यवस्था की गई है । मेरी जानकारी को सही मानते हुये हमारे जनपद बस्ती के डुमरियागंज में बिजली 3 घंटे रहती है और वहां की आबादी ज्यादा होने के हिसाब से वह बहुत कम है . .

श्री उपाध्यक्ष--

यह हरदोई जनपद से सम्बन्धित प्रश्न है आप बस्ती जनपद की बात कर रहे हैं ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री शम्भूनाथ--

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित] ।

2--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित] ।

बरेली में बरेली-बदायूं रोड पर रेलवे-क्रासिंग पर पुल की मांग

3--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर बरेली में, बरेली-बदायूं रोड पर उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे का जो रेलवे क्रासिंग है काफी देर तक मोटर गाड़ियों के आवागमन के लिए बन्द रहते हैं, उस पर अन्डर ग्राउन्ड या ओवरहेड पुल बनाने की योजना है ? जबकि भारत सरकार का रेलवे विभाग इस योजना पर आधा खर्चा देने को राजी है बशर्ते कि यह प्रोजेक्ट भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार भेजे ? इसका आश्वासन भारत सरकार ने जुलाई, 1980 के एक प्रश्न के उत्तर में दिया है ? यदि हां, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

नगर बरेली में, बरेली-बदायूं मार्ग पर उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के जो क्रासिंग हैं उन पर अन्डर ग्राउन्ड या ओवरहेड पुल बनाने की अभी कोई योजना राज्य शासन के विचाराधीन नहीं है ।

राज्य शासन इस तथ्य से अवगत है कि यदि उपरोक्त स्थान पर अन्डर ग्राउन्ड या ओवर हेड पुल का निर्माण होता है तो उसका आधा खर्चा रेलवे विभाग वहन करेगा । परन्तु धनाभाव के कारण राज्य सरकार इस निर्माण कार्य पर अपने हिस्से की लागत को वहन करने में असमर्थ है ।

4--श्री जगदीप सिंह--

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत-आपूर्ति का समय

5—श्री राधेश्याम पटल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के गंगापार क्षेत्र, जिसमें सोरांव, फूलपुर, हंडिया तहसील सम्मिलित हैं, को विद्युत् आपूर्ति की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में कितने घंटे बिजली दी जाती है ?

श्री ब्रम्हदत्त—

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत् आपूर्ति के लिए जिलावार चार भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को छः घन्टे प्रतिदिन सप्ताहवार चक्रीय कार्यक्रम के अनुसार विद्युत् दी जाती है।

इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत आने वाली सभी तहसीलों को जिनमें सोरांव, फूलपुर तथा हंडिया तहसील सम्मिलित है को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 घंटे प्रतिदिन विद्युत् की आपूर्ति की व्यवस्था है।

6—श्री सन्त बख्श रावत—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में जल-भराव की समस्या

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ के टाइप तीन व कुछ 'बी' प्रकार के मकानों के सामने बरसात में दो से तीन फुट पानी भर जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

लगातार भारी वर्षा होने पर इन आवासों के सामने जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

लखनऊ बाढ़ नियंत्रण योजना के अन्तर्गत कुकरैल नाले के बांध पर लगाए गए पम्पों द्वारा जल निकासी की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाती है।

8—श्री रियासत हुसैन—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

आजमगढ़ के अहरौला विकास खंड में नये विद्युत् कनेक्शन

9—श्री शम्भूनाथ—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अहरौला विकास खंड, जनपद आजमगढ़ में कितने विद्युत् कनेक्शनों के एग्रीमेन्ट 15-8-80 तक और हो चुके हैं और उनको कनेक्शन नहीं मिला ? कनेक्शन न मिलने का क्या कारण है ?

श्री ब्रम्हदत्त—

जनपद आजमगढ़ के अहरौला विकास खंड में दिनांक 15-8-80 तक कुल 128 एग्रीमेन्ट देने हेतु लम्बित हैं जिन्हें कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। बिजली के आवश्यक सामानों के प्राप्त होने की कठिनाई के कारण इन्हें कनेक्शन देने में कुछ समय लग रहा है।

उतरौला, जिला गोण्डा में चुनाव-व्यवस्था पर खर्च की गई धनराशि

10—श्री मसरुर जाफरी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा उतरौला, जनपद गोंडा में मध्यवर्ती निर्वाचन 1980 में पोलिंग स्टेशन के बनवाने, पोलिंग स्थानों पर बैलगाड़ियों द्वारा पहुंचाने तथा पोलिंग स्टेशनों पर छाया, पानी पिलाने की व्यवस्था सम्बन्धी खर्चों का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सरकार भुगतान करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंडा से प्राप्त सूचना के अनुसार पोलिंग स्टेशन बनाने सम्बन्धी अवशेष व्यय का भुगतान तहसीलदार उतरौला को कर दिया गया है। पानी व्यवस्था के वाउचर माह अगस्त के अन्त तक प्राप्त होते रहे। अब जांच हो चुकी है और भुगतान किया जा रहा है। छाया व्यवस्था के प्रमाणित वाउचर अभी भुगतान हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त नहीं हुए हैं। बैलगाड़ियों के किराए के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। पोलिंग स्टेशन बनाने तथा पानी व छाया व्यवस्था के लिए पर्याप्त अग्रिम धनराशि पूर्व में ही दी जा चुकी थी।

तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें

11—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ब्लाक तथा तहसील हसनगंज में कितनी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में निर्मित करायी गयी तथा उनका पक्का निर्माण भी हो गया ? क्या यह भी सही है कि ग्राम समदपुर से रसूलपुर तकिया तक पक्की सड़क बनाने हेतु मिट्टी डाल दी गयी हैं ? यदि हां, तो उसे कब तक पक्का करा दिया जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जनपद उन्नाव के ब्लाक तथा तहसील हसनगंज में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में 118.80 कि0 मी0 सड़कें निर्मित कराई गई। इनमें से 62.46 कि0 मी0 का पक्का निर्माण हो गया है (इनमें से 55.46 कि0 मी0 का सतह लेपन, 2 कि0 मी0 मध्य सतह तथा 5 कि0 मी0 का ऊपरी सतह तक कार्य हो चुका है)।

ग्राम सदमपुर से रसूलपुर तकिया सड़क जिसकी लम्बाई 4 कि0 मी0 है, पर 3.8 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य खाद्यान्न योजना नं0 5 के अन्तर्गत किया गया है। शेष 0.2 कि0 मी0 में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं हो पाया है। खाद्यान्न योजना नं0 5 की सड़कों पर पुलिया एवं खड़ंजे का कार्य स्वीकृत है। अतः इस सड़क पर पुलिया एवं खड़ंजे का कार्य कराया जायेगा। इस सड़क को पक्का कराने का कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है।

फतेहपुर में सिपाहियों तथा जुआड़ियों में मार पीट

12--श्री बदन सिंह तथा श्री राजपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30-7-80 को चौकी मुरई मोहल्ला, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर में तीन सिपाहियों तथा कुछ जुआड़ियों सलीम आदि के बीच कोई मारपीट की घटना हुई है जिसकी रिपोर्ट उक्त थाने में लिखाई गई थी ? यदि हां, तो इसकी जांच के तथ्य क्या है ? तथा क्या किसी सिपाही को भी चोट आयी है ? क्या सम्बन्धित सिपाहियों की तरफ से थाने पर कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सलीम निवासी बहेलियन टोला, फतेहपुर ने दिनांक 30-7-80 को थाना कोतवाली पर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 30-7-80 को जब वह दो अन्य व्यक्तियों के साथ मोटे महादेवन के पास मछली का शिकार कर रहा था, तीन कान्सटेबिलों ने जुआ खेलने का झूठा आरोप लगा कर पैसा मांगा तथा पैसा न देने पर मारा पीटा । इस सूचना के आधार पर एक अपराध धारा 323/342/452 भा0 द0 वि0 अंकित किया गया जिसमें विवेचनोपरान्त उक्त तीनों कान्सटेबिलों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया । मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

उपरोक्त तीनों कान्सटेबिलों द्वारा सी0 जे0 एम0 फतेहपुर के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर न्यायालय के आदेशानुसार थाना कोतवाली पर एक अभियोग धारा 13 जुआ ऐक्ट के अन्तर्गत कायम किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है । इसी प्रार्थना-पत्र में यह भी लिखा गया है कि कान्सटेबिल गोपाल जी को भी चोटें आई हैं ।

13--श्री राजपाल सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

बस्ती जनपद में अधिक समय से कार्यरत कान्सटेबिलों के स्थानान्तरण की मांग

14--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में एल0 आई0 यू0 में कार्यरत कितने सिपाही तथा हेड कान्स्टेबिल की सेवायें उस जनपद में 5 वर्ष से अधिक की है ? क्या सत्य है कि दो और तीन वर्ष की सेवा वाले उपरोक्त लोगों को स्थानान्तरित कर दिया गया लेकिन कुछ लोगों को 7 वर्ष हो जाने के बाद भी नहीं हटाया गया जबकि उनके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें है ? यदि हां, तो क्या उन्हें तत्काल हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

स्थानीय अधिसूचना इकाई बस्ती में एक कान्सटेबिल 5 वर्ष से अधिक समय से नियुक्त है । अधिसूचना विभाग के 134 कान्सटेबिलों के पद समाप्त करने के फलस्वरूप 2-3 वर्ष की सेवावधि के कान्सटेबिलों का स्थानान्तरण किया गया था । एक मात्र कान्सटेबिल जो सात वर्ष से नियुक्त है के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है अतः स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं होता ।

15--श्री जंग बहादुर--

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट बालिका विद्यालय खोलने की योजना

16--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार हाईस्कूल एवं इन्टर कालेज खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी क्या रूप रेखा है ? क्या प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक-एक हाई स्कूल मय बोर्डिंग हाउस के खोलने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

देहाती क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सीमित वित्तीय संसाधनों एवं निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे असेवित क्षेत्रों में जहां निर्बल वर्ग के लोग रहते हैं और स्वयं विद्यालय खोलने में असमर्थ हैं एवं जहां भवन/भूमि की सुविधा उपलब्ध है तथा छात्राओं की संख्या भी पर्याप्त है, शासन द्वारा राजकीय बालिका हाई स्कूल (कक्षा 6-10) खोले जाते हैं ।

सीधे इन्टर कालेज नहीं खोले जाते और न प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक हाई स्कूल खोलने की कोई योजना ही विचाराधीन है ।

मृत डकैत राजेन्द्र चौबे के विरुद्ध कत्ल-डकैती के मुकदमे

17--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कथित डकैत राजेन्द्र चौबे पुत्र श्री लक्ष्मी चौबे, ग्राम तेनुआ, थाना खुखुन्दर, चौकी भलुअनी, जिला देवरिया की कथित पुलिस मुठभेड़ में 11-4-80 की रात में मार दिया गया जिसकी सूचना 12-4-80 को पुलिस अधीक्षक देवरिया को दे दी गई ? यदि हां, तो श्री राजेन्द्र चौबे के विरुद्ध डकैती और कत्ल के कितने मुकदमे थे ? और इस डकैती का सुराग देने वालों को क्या-क्या पुरस्कार दिए गए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

राजेन्द्र चौबे के विरुद्ध कत्ल एवं डकैती के 4 मुकदमे थे । डकैती घटित होने की पूर्व सूचना किसी ने नहीं दी थी । अतः पुरस्कृत करने का प्रश्न नहीं है ।

अवध विश्वविद्यालय जांच आयोग का प्रतिवेदन

18--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 में शासन ने अवध विश्वविद्यालय जांच आयोग का गठन किया था और उक्त आयोग की जांच आख्या शासन को वर्ष 1979 में प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसकी संस्तुतियां क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? क्या माननीय मंत्री जी उक्त जांच आख्या सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

जी हां। प्राप्त प्रतिवेदन में विश्वविद्यालयों अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है। सरकार द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। शासन द्वारा प्रतिवेदन पर विचार कर विभिन्न पदाधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय के लिए जाने के उपरान्त ही प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा जा सकेगा।

श्रीमती देवकी देवी को राजनैतिक पेन्शन

19—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बाबूराम, ग्राम देवरिया (किच्छा), जिला नैनीताल को राजनैतिक पेन्शन स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो कितनी और कब से ? क्या इस स्वीकृत पेन्शन की धनराशि श्रीमती देवकी देवी को दी जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां। श्रीमती देवकी देवी को शासनादेश संख्या 1191—जेड/6—वी—79—572(585)—64, दिनांक 30 जुलाई, 1979 द्वारा 25 फरवरी, 1972 से 60 रु0 मासिक पेन्शन स्वीकृत की गयी है। प्राप्त सूचना के अनुसार जिला अधिकारी ने पेन्शन कागजात तयार करके महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिए हैं।

महालेखाकार से पेन्शन प्राधिकार—पत्र प्राप्त होने पर पेन्शन का भुगतान होने लगेगा।

20—श्री राजकुमार राय—

[10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

21—श्री राजकुमार राय—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

आजमगढ़ के कतिपय विकास खंडों का विद्युतीकरण

22—श्री शम्भू नाथ—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतरौलिया, अहरौला, कोइलसा, जिला आजमगढ़ विकास खंड के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु इस वर्ष धन स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जिला आजमगढ़ के विकास खंड अतरौलिया के लिए "विशेष योजना कृषि" के अन्तर्गत धन स्वीकृत है। विकास खंड अहरौला व कोइलसा के लिए कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं है तथा इन विकास खंडों में ग्रामीण विद्युतीकरण सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने का प्राविधान है। विकास खंड अतरौलिया में 'विशेष योजना कृषि' के अन्तर्गत तथा अहरौला व कोइलसा विकास खंड में सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य चालू है।

घाघरा नदी पर बड़हल घाट पुल का निर्माण

23--श्री शम्भूनाथ--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती-फैजाबाद व आजमगढ़ के मध्य में घाघरा नदी में बड़हल घाट पर पुल निर्माण करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ में चार वर्ष से कम सेवा-काल वाले पुलिस अधिकारी

24--श्री दल सिंगार यादव तथा राम कुंवर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में 29-8-80 को कुल कितने पुलिस स्टेशन आफिसर किन-किन थानों पर ऐसे थे जिनकी सेवा मात्र 4 वर्ष या इससे भी कम है ? क्या उन लोगों की सूची कृपया सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आजमगढ़ जनपद में 29-8-80 को थाना कन्धरापुर व मेंहनगर पर 4 वर्ष से कम सेवा के क्रमशः सर्वश्री सुखसागर शुक्ल व श्री राजेन्द्र प्रसाद राय, उप-निरीक्षक, थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे ।

श्री उदय नारायण राम की आजमगढ़ में सेवा-अवधि

25--श्री दल सिंगार यादव तथा श्री राम कुंवर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के थाने के भूतपूर्व इंचार्ज, श्री उदय नारायण राम की कुल सेवा उस समय कितने वर्ष की थी जब वह उपरोक्त थाने के इंचार्ज हुए एवं उसी जनपद के ऐरावला थाने से स्थानान्तरण किन-किन आरोपों के आधार पर किया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

श्री उदय नारायण राम को थानाध्यक्ष, धूसी के पद पर नियुक्ति के समय कुल सेवा 4 वर्ष 5 माह के लगभग थी । इनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया ।

गोरखपुर रेन्ज के थाना एवं थानाध्यक्षों की सूची

26--श्री दल सिंगार यादव तथा श्री राम कुंवर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री गोरखपुर रेंज के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के विभिन्न थानों की एक तालिका सदन की मेज पर मय इंचार्ज के नाम और सेवा अवधि के रखने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वांछित सूचना संलग्न † है ।

27--श्री दल सिंगार यादव--

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

आजमगढ़ में शस्त्रास्त्रों के लाइसेन्सों का नवीनीकरण

28--श्री राजकुमार राय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में शस्त्र स्त्रों के लाइसेन्स का नवीनीकरण इस समय रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आजमगढ़ में घोसी-बेलघरा रोड के पिच का कार्य

29--श्री राजकुमार राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या सरकार का घोसी-बेलघरा रोड को 1981 तक पिच कराने का इरादा है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में अपराध की घटनाएं

30--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना सलेमपुर में 1 जून, 1980 से 15 अगस्त, 198 के बीच कितनी डकैतियां, चोरियां, राहजनी तथा कत्ल हुए हैं ? कितने में चार्जशीट लगी है तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगी है ? फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत अवधि में केवल चोरी की 12 घटनाएं थाना सलेमपुर में पंजीकृत हुई हैं जिनमें से 2 में आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है, 8 में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगाई गई तथा शेष 2 विवेचनाधीन हैं ।

31--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दयानन्द विद्या मंदिर हाई स्कूल, सीतापुर में स्थायी अध्यापक

32--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीतापुर में श्री दयानन्द विद्या मंदिर द्वारा संचालित हाई स्कूल में कोई अध्यापक स्थायी नहीं है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

---

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 709 पर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्नगत विद्यालय के सभी अध्यापक स्थायी हैं ।

33--श्री भगवान दीन कुशवाहा--

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद में डेंगूरपुर घाट पर पैन्टून ब्रिज बनाने की योजना

34--श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में गंगा नदी पर डेंगूरपुर घाट पर पैण्टून ब्रिज बनाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब से बनना आरम्भ होगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाल कृष्ण, विधायक द्वारा प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत पर्यवेक्षकों की अनियमित नियुक्ति सम्बन्धी शिकायत

35--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि माह जनवरी, 1980 के द्वितीय पक्ष में तत्कालीन मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश (श्री बनारसी दास) को सर्वश्री हरि नारायण डीगर, उप शिक्षा निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) एवं इन्दु प्रकाश सिंह, उप शिक्षा निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा), निदेशालय, उत्तर प्रदेश पीपरपुर हाउस, लखनऊ के विरुद्ध प्रौढ़ शिक्षा योजनान्तर्गत पर्यवेक्षकों की नियुक्तियों में उनके द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं के विषय में श्री बालकृष्ण, विधायक से कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ ।

प्रश्नगत शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर शासन द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे । जांच आख्या प्राप्त हो गई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

36--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त अनियमित नियुक्तियों को शासन/विभाग द्वारा निरस्त किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । उपरोक्त जांच आख्या पर शासन स्तर पर विचारोपरान्त नियुक्तियों के निरस्त करने के प्रश्न पर निर्णय लेना संभव हो सकेगा ।

37—श्री सत्यपाल सिंह—

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]

आजमगढ़ के मऊनाथ भंजन विद्युत गृह में कोयले की खपत और विद्युत उत्पादन का विवरण

38—श्री राज कुमार राय—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में मऊनाथ भंजन विद्युत् गृह में सन् 1978–79 एवं 1979–80 में कितना विद्युत् उत्पादन हुआ और कितना कोयला लगाया गया ? यदि कोयले के खपत और बिजली के उत्पादन में दोनों वर्षों में अन्तर है, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

आजमगढ़ जनपद के मऊनाथ भंजन विद्युत गृह में वर्ष 1978–79 में एवं 1979–80 में हुए विद्युत उत्पादन एवं कोयले की खपत के आंकड़े निम्न-लिखित हैं :—

विवरण	1978–79	1979–80
विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)	14·883	11·628
कोयला खपत (मैट्रिक टन)	32147	28446
कोयले की खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	2·16	2·45

वर्ष 1979–80 में पिछले वर्ष 1978–79 की अपेक्षा 3·255 मिलियन यूनिट कम उत्पादन हुआ तथा कोयले की खपत 2·16 किलोग्राम प्रति यूनिट से बढ़कर 2·45 किलोग्राम प्रति यूनिट हो गया । इसका कारण इस विद्युत गृह को खराब किस्म का कोयला मिलना रहा है । कोयले में राख की मात्रा ज्यादा तथा उपयोगी ताप मात्रा कम रही है ।

पुलिस प्रशासन को जिलाधिकारियों के अधिकार से मुक्त करने का कथित निर्णय

39—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 7–8 वर्ष पहले पुलिस प्रशासन जिलाधीशों के अन्तर्गत था जिसे अब एक दम खत्म करके पुलिस को स्वतंत्र बना दिया गया है जिससे पुलिस प्रशासन में निष्क्रियता आ गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको बदलने पर विचार कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

पुलिस प्रशासन के संबंध मे जिलाधिकारियों के अधिकारों में तो कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं, परन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता में हुए संशोधनों के फलस्वरूप जिलाधिकारियों के अधिकारों में परिवर्तन अवश्य हुआ है ।

फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

40—श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

41—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

42—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को राजनैतिक पेन्शन हेतु आय—सीमा की समाप्ति

43—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

क्या सरकार को गृह मन्त्री भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक तौर पर की गयी इस घोषणा की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को राजनैतिक पेन्शन उनके सम्मानार्थ देने का निश्चय किया है ? अतः अब आय सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध इस सम्बन्ध में लागू न होगा ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की आय के सम्बन्ध में जिला—धिकारियों से पूछा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां ।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेन्शन के आवेदकों के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पेन्शन की पात्रता के लिए निर्धारित 4,999 रु0 प्रति वर्ष की अधिकतम आय सीमा पर से प्रतिबन्ध 1—8—1980 से समाप्त किया गया है न कि पूर्वकालिक तिथि से । इसलिए केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेन्शन योजना, 1972के अन्तर्गत आवेदकों तथा पेन्शनरों की 1—8—1980 के पूर्व की अवधि की वार्षिक आय की जांच करायी जा रही है ।

अल्मोड़ा जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को राजनैतिक पेन्शन में विलम्ब

44—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गृह विभाग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से अल्मोड़ा जनपद के किन—किन स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को राजनैतिक पेन्शन के सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी है और रिपोट न जाने के कारण ही उनकी केन्द्रीय पेन्शन रुकी हुई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट भेजने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

भारत सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर अल्मोड़ा जनपद के 15 ऐसे सेनानियों की पेन्शन रुकी हुई है जिनके संबंध म भारत सरकार द्वारा मांगी रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी जा सकी है । इनमें से तीन सेनानियों के संबंध में राज्य सरकार की रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जा चुकी है । शेष 12 सेनानियों,

जिनकी सूची संलग्न है, के संबंध मे वांछित विन्दुओं पर संबंधित जिलाधिकारी से जांच कराई जा रही है । सत्यापन/जांच पूर्ण न होने के कारण केन्द्र शासन को रिपोर्ट भेजने में समय लग रहा है ।

संलग्न सूची में उल्लिखित 12 सेनानियों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा ने तीन अन्य सेनानियों सर्वश्री गंगा सिंह पुत्र श्री बची सिंह, मनी राम उर्फ मान देव एवं चन्द्र सिंह के नाम भेजे हैं किन्तु इनका उल्लेख भारत सरकार से प्राप्त सूची में नहीं है । अतः इनके विषय में जानकारी की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 713 पर)

स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को कारावासित अवधि का प्रमाण-पत्र

45--श्री गोवर्द्धन तिवारी--

क्या सरकार को कतिपय स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों को जलों से कब वे जेल में दाखिल हुए और कब जेल से रिहा हुए इस तरह के प्रमाण-पत्र मिलने में बड़ी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो प्रत्येक स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक ने पेंशन हेतु दिए गये अपने प्रार्थना-पत्र में इस बात का पूरा विवरण दें कि वे किस-किस जेल में रहे अन्त में किस जेल से रिहा हुए इसलिए क्या सरकार सम्बन्धित जेल अधिकारियों से स्वयं सीधे उक्त स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों का जेल में रहने का प्रमाण-पत्र मंगवाने की कृपा करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जिन जेलों के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं अथवा क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गये हैं, वहां से सेनानियों की भोगी गयी वास्तविक जेल अवधि का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है ।

इसके अतिरिक्त भोगी गयी वास्तविक जेल अवधि के स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित होने के संबंध में सूचना देने हेतु पुलिस, अभिसूचना एवं अथवा न्यायिक अभिलेखों को भी देखने की आवश्यकता पड़ जाती है । कारागार अधीक्षक के लिए इन अभिलेखों को देखकर सूचना देने में कठिनाई होना स्वाभाविक है, जब कि जिलाधिकारी कारागार, पुलिस, अभिसूचना एवं न्यायिक अभिलेखों आदि सभी श्रोतों से सूचना प्राप्त कर शासन को सुविधापूर्वक भेज सकते हैं । अतः रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से मांगी जाती है ।

46-47--श्री शम्भूनाथ--

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

48--श्री सत्यपाल सिंह--

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी रिट

49--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सरकारी नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी रिट पिटीशन सं० 480, सन् 1980 के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से पैरवी में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

रिट पिटीशन सं0 480/80 में राज्य सरकार की ओर से विरोध तथा पैरवी करने हेतु आवश्यक आदेश, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में इस राज्य की ओर से नियुक्त एडवोकेट-आन-रिकार्ड को दे दिए गए हैं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध श्री सत्यपाल सिंह, विधायक का भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्र

50--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28 या 29 अगस्त, सन् 1980 को प्रश्नकर्ता विधायक ने कोई शिकायती-पत्र माननीय शिक्षा मन्त्री व शिक्षा सचिव को बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिए थे? यदि हां, तो उसमें मुख्य आरोप क्या हैं और क्या कार्यवाही की गयी है? क्या सरकार उपरोक्त आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए जांच सतर्कता विभाग से करायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक 29 अगस्त, 1980, जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ। शिकायती-पत्र में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा बेइमानी करने, अध्यापकों से पैसा ऐंठने तथा यूनीसेफ से एक लाख रुपये, जो भवन की मरम्मत के लिये आया उसे स्वयं हजम करने के आरोप हैं। शासन द्वारा शिक्षा निदेशक को निर्देश दिये गये हैं कि वे आरोपों की जांच मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, बरेली से कराकर शासन को आख्या भेजें। सतर्कता जांच का प्रश्न विभागीय जांच के परिणामों पर निर्भर करेगा।

कानपुर जनपद में बिल्हौर-रसूलाबाद मार्ग को पक्का कराने की मांग

51---श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर से रसूलाबाद व या ककवन (डा0 लोहिया मार्ग) के सम्पूर्ण मार्ग को डामर रोड बनाना कब स्वीकृत किया गया था और अभी कितनी सड़क पर डामर व अन्य कार्य करना अवशेष है तथा यह अवशेष भाग कब तक अन्तिम रूप में बन पाएगा?

श्री जगदीश प्रसाद--

यह सड़क 2 भागों में स्वीकृत हुई है। प्रथम भाग 25-11-71 को, जिसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 23-9-76 को दी गई थी। दूसरा भाग कि0 मी0 18 से 21 तक (4 कि0 मी0 लम्बाई) जो कंकड़ की सतह थी, उसका आधुनीकरण 25-9-79 को स्वीकृत किया गया।

इस सम्पूर्ण मार्ग पर 5.75 कि0 मी0 की लम्बाई में डामर व अन्य कार्य अवशेष हैं। इस अवशेष कार्य को पूर्ण किये जाने की जून, 1981 तक सम्भावना है।

52--श्री रियासत हुसैन--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

श्री मान सिंह, निवासी हरदोई द्वारा दिया गया शपथ-पत्र

53--श्री त्यापाल सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि थाना पाली, जिला हरदोई की अपराध संख्या 80, सन् 1980 में मुद्दई मान सिंह ने दिनांक 22-7-80 को जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई को शपथ-पत्र दिया था जिसमें उसने अपने पिता की हत्या का आरोप महाराज नारायन व जड़ुवीर पर लगाया था और उसी शपथ-पत्र में यह भी कहा था कि रिपोर्ट में नामजद मुल्जिमान सही नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या स्थानीय पुलिस ने शपथ-पत्र के अनुसार कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

मुकदमा अपराध संख्या 80 धारा 302 भा0 दं0 वि0 की विवेचना से नामांकित अभियुक्तों की नामजदगी सही पाई गई और आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र दिनांक 19-7-80 को न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है । अतएव मुद्दई मान सिंह द्वारा दिनांक 22-7-80 को जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई को दिये गये शपथ-पत्र पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

54--श्री हरगोविन्द वर्मा--

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

देवा रोड फीडर से घरेलू उपयोग के लिये विद्युत् देने की मांग

55--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अध्यक्ष, किसान विद्युत् उपभोक्ता पंचायत क्षेत्र, चिनहट, लखनऊ की ओर से माननीय मुख्य मन्त्री तथा सचिव, विद्युत् विभाग को चिनहट तथा इस्माइलगंज फीडर की ही भांति देवा रोड फीडर को भी घरेलू उद्योग हेतु विद्युत् आपूर्ति के बारे में दिनांक 27-8-80 को कोई ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रम्ह दत्त--

जी हां, चिनहट तथा इस्माइलगंज कस्बों को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अस्थायी रूप से बत्ती एवं पंखे के लिए दो फेस सायंकाल 6 बजे से 10 बजे तक विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था की गई है ।

उक्त व्यवस्था केवल छोटे-छोटे कस्बों एवम् बड़े ग्रामों की जनसंख्या तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के आधार पर विशेष परिस्थितियों में अस्थायी रूप से किया जाता है ।

अतः सम्पूर्ण देवा रोड फीडर को इस प्रकार की अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं है ।

जालौन में गुंडा ऐक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण –

56—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 5 वर्षों में जालौन जनपद में किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध गुन्डा ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चलाने में कागज थानेदारों द्वारा पुलिस अधीक्षक, उरई को भेजे गये और पुलिस अधीक्षक ने कब-कब किस-किस अंजाम के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में चार्जशीटें भेजी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद जालौन में गत 5 वर्षों 1976 से 1980 तक—में प्रत्येक वर्ष क्रमशः 30, 23, 20, 29 तथा 24 रिपोर्टें पुलिस थानों द्वारा उ0 प्र0 गुन्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, जालौन को भेजी गई, जो सभी पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई हैं । अधिकांश चार्जशीट सम्बन्धित न्यायालय को एक माह के अन्दर अग्रसारित कर दी गई । केवल वर्ष 1977 एवं 1980 में एक-एक चार्जशीट पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को भेजने में लगभग दो माह तथा वर्ष 1979 की दो चार्जशीट प्रस्तुत करने में लगभग एक-एक वर्ष का समय लगा ।

उपर्युक्त 126 मामलों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तैयार करने में लगने वाले समय, श्रम व व्यय की तुलना में उसकी उपयोगिता एवं सार्थकता को देखते हुए प्रत्येक मामले के विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है ।

पूर्वांचल के विकास हेतु पटेल आयोग की संस्तुतियां

57—श्री राम नारायण—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को सम्यक विकास हेतु आज तक सरकार द्वारा कौन-कौन सी ठोस योजनायें बनाई गई हैं और अब तक कितनी धनराशि उन पर व्यय की गई है ? इस सम्बन्ध में क्या सरकार छठवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जनपद में कोई छोटा या बड़ा उद्योग की स्थापना करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जनपद में नये थानों की स्वीकृति

58—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में किन-किन स्थानों पर नये थाने खोले जा रहे हैं ? तथा कब तक इन नये थानों में कार्य शुरू कर दिया जायेगा ? क्या नये एवं पुराने थानों के पुनर्गठन भी विचाराधीन हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद देवरिया में बधौच घाट, इकौना, मलुआनी, सेवराही में नये थानों की स्थापना की स्वीकृति इस वर्ष दी गई है । नवसृजित थानों के कार्यक्षेत्रों की विज्ञप्तियां जारी होने के पश्चात् थाने विधिवत् कार्य करने लगेंगे ।

जी हां ।

गोरखपुर में राजघाट पुल पर प्रकाश व्यवस्था की मांग

59--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले में राप्ती नदी पर निर्मित राजघाट पुल पर प्रकाश की कोई व्यवस्था सन् 1962 से अब तक नहीं की गई ? इससे पुल के दोनों तरफ नौसड़-चौराहे से महेव. चुंगी तक यात्रियों को राहजनी, हत्या, लूट का शिकार होना पड़ता है तथा पुल की सुरक्षा को भी खतरा है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रकाश की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई और क्या सरकार शीघ्र व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । सामान्यतः पुलों पर प्रकाश की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं की जाती है । यदि पुल शहर की सीमा में हो तो सम्बन्धित नगर-पालिका द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है । यह पुल गोरखपुर नगरपालिका की सीमा से बाहर है और उक्त नगरपालिका प्रकाश की व्यवस्था करने के लिये सहमत नहीं है ।

60--श्रीमती गौरी देवी--

[9 अगस्त, 1980 को तारांकित प्रश्न संख्या 19 द्वारा उत्तरित ।]

आजमगढ़ की अधूरी चकउथ-असना रोड

61--श्री राज कुमार राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील घोसी, आजमगढ़ में स्थित चकउथ-असना रोड को चकउथ से 3 किलोमीटर दक्षिण क्यों छोड़ दी गई ? क्या चकउथ गांव तक बनाने और बढ़ाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पिथौरागढ़ में सेना के लिये अध्याप्त भूमि का मुआवजा

62--श्री चारु चन्द्र ओझा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में भारतीय सेना के उपयोग के लिए किन-किन ग्रामों की भूमि अध्याप्त की गयी थी तथा उन ग्रामों के सम्बन्धित भू-स्वामियों को दिये गये पुनर्वास का आश्वासन पूरा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1965 से 1972 के बीच भारतीय सेना के उपयोग के लिए निम्न ग्रामों की भूमि अध्याप्त की गई थी :--

तहसील पिथौरागढ़

1--ग्राम देवलाल गांव, 2--दौला, 3--जैरासी, 4--विण, 5--चैंसर, 6--कासनी, 7--कुसोली, 8--कुसोली नयाबाद, 9--मढ़कुटिया 10--दिगरानी, 11--लेलू, 12--कोटली, 13--रुईना, 14--बदलानी, 15--सिमलकोट, 16--बस्ते, 17--सिसौली, 18--देकटिया, 19--मड़ 20--मूनाकोट ।

तहसील डीडीहाट

1—ग्राम अजेड़ा, 2—जमजाली गांव ।

तहसील धारचूला

1—ग्राम धारचूला, 2—स्यांकुरी, 3—जुम्मा, 4—खेला, 5—सांगुड़ी ढकढौना ।

प्रभावित भूमि स्वामियों के पुनर्वास वर्ष 1969 में जिला नैनीताल की सितारगंज तहसील के अन्तर्गत भूमि की व्यवस्था की गई थी, लेकिन विस्थापित परिवारों के सदस्यों ने प्रस्तावित भूमि को लेने से इन्कार कर दिया । इसके अतिरिक्त तहसील चम्पावत के ग्राम मुडियानी में 180 एकड़ भूमि तथा तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम मड़ में 208 एकड़ भूमि इन परिवारों के पुनर्वास हेतु प्रस्तावित की गई थी परन्तु इन स्थानों में भी सम्बन्धित परिवारों ने बसने से इंकार कर दिया ।

उपरोक्त सभी विस्थापित व्यक्ति वास्तव में इसी जनपद में अपने गांवों के आस-पास ही बसना चाहते हैं, परन्तु उनकी इच्छानुसार इस जनपद में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है ।

फतेहपुर जनपद के निलम्बित कान्सटेबिल

63—श्री रम नरेश शुक्ल—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि दिनांक 30 जुलाई, 1980 को चौकी मुराई मोहल्ला, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर के कान्सटेबिल प्रद्युम्न प्रसाद तिवारी, गोपालजी तथा जुल्फिकार हुसैन को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि रोजनामचे से गोपाल जी की रवानगी को मिट कर अभिलेख में हेराफेरी की गयी ? यदि हां, तो क्या गुप्तचर जांच कराकर निलम्बन को समाप्त करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित कान्सटेबिलों को निलम्बित किया गया ? क्योंकि इनके विरुद्ध थाना कोतवाली (फतेहपुर) में धारा 323/342/452 भारतीय दण्ड विधान के अधीन अपराध पंजीकृत हुआ था । विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है । विवेचना से रो० आ० में कान्सटेबिल गोपाल जी की रवानगी मिटाकर अभिलेखों में हेराफेरी किया जाना ज्ञात नहीं हुआ । अतः गुप्तचर विभाग से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

टिकली कोयला की पंजीकृत इकाइयां तथा बीजकोक का आवंटन

64—श्री बलबीर सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिकली कोयला की औद्योगिक इकाइयां अपने प्रदेश में कितनी पंजीकृत हैं ? तथा वर्ष 1980 में किस-किस इकाई को कितना-कितना बीजकोक आवंटित किया गया है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण का कार्य जिला स्तर पर किया जाता है। नैनीताल, लखनऊ, पौड़ी-गढ़वाल, आगरा, झांसी तथा फैजाबाद मन्डलों में 117 ब्रिकेटिंग ईकाइयां पंजीकृत हैं। अन्य मन्डलों से सूचना अपेक्षित है।

15 जुलाई, 1980 तक जिन इकाइयों को ब्रीज कोक आवंटित किया गया है उनकी सूचना संलग्न है।

उत्तर प्रदेश हैन्डलूम एम्पोरियम द्वारा बिक्री पर छूट

65—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री जटा शंकर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश हैन्डलूम एम्पोरियम ने अभी हाल में मई/जून, 1980 में रियायती दरों पर बिक्री की घोषणा की थी ? यदि हां, तो बिक्री में किस दर से छूट दी गयी थी ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

जी हां।

बिक्री में 5 प्रतिशत रिवेट और 10 प्रतिशत डिस्काउन्ट की दर से छूट दी गयी थी।

हथकरघा निगम द्वारा जारी कर्टसी कूपन

66—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री जटाशंकर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विभाग में एक स्पेशल छूट (बी० अ ई० पी० डिस्काउन्ट) कूपन्स जारी किए गये थे ? यदि हां, तो छूट देने का आधार क्या था ? तथा जिन व्यक्तियों को छूट दी गयी उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

जी नहीं।

हथकरघा निगम द्वारा बिक्री प्रोत्साहन हेतु कर्टसी कूपन्स दिये जाते हैं। सूची निगम द्वारा नहीं रखी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवन

67—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल के जनपद के कौन-कौन बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज ऐसे हैं जिनके भवन क्षतिग्रस्त हैं और जिनकी मरम्मत न होने के कारण वहां शिक्षा प्रदान करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं ? इन भवनों की मरम्मत हेतु कुल कितनी धनराशि की 1980-81 में मांग की गयी है तथा उसे स्वीकार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद टिहरी गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 105 प्राइमरी स्कूल तथा 15 जूनियर हाई स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त हैं जिनकी मरम्मत के लिए रु0 12,75,000 की आवश्यकता बताई गयी गयी है। वर्ष 1979-80 में इन विद्यालयों की मरम्मत हेतु 52,000 रुपये की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी थी।

शासन द्वारा तथा प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित एवं मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, गोहना विकास खंड एका, जिला मैनपुरी के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

68—श्री बाबू सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह, स0 अ0, प्रा0 पा0, गोहना, वि0 ख0 एका, जनपद मैनपुरी के सम्बन्ध में श्री माधव, भू0 पू0 विधायक का पत्र दिनांक 2-5-1980 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, गोहना विकास खण्ड, एका जनपद मैनपुरी के सम्बन्ध में श्री माधव का पत्र दिनांक 2-5-80 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

मिर्जापुर की चुर्क एवं डाला सीमेन्ट फैक्टरियों में उत्पादन एवं घाटे का विवरण

69—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क एवं डाला, मिर्जापुर की पिछले कई वर्षों से भट्ठियां बन्द रहती हैं और उत्पादन काफी गिर गया है ? यदि हाँ, तो सन् 1974 से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितना उत्पादन हुआ और कितने रुपये का घाटा प्रतिवर्ष होता चला जा रहा है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क एवं डाला, जिला मिर्जापुर की भट्टियां प्रायः कार्यरत रही हैं, यद्यपि चुर्क कारखाने में बड़े पैमाने पर पुनर्वासन एवं आधुनिकीकरण के कारण समय-समय पर उसकी भठ्ठियों को बन्द करना पड़ा है। 1973-74 से प्रतिवर्ष उत्पादन की स्थिति तथा घाटे का विवरण संलग्न है†।

†(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 714 पर।)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फैजाबाद के कथित सेवा-निवृत्त प्रधानाचार्य की पेन्शन

70--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फैजाबाद, जिनकी मृत्यु 12 दिसम्बर, 1978 को हो गयी थी क्या उनकी पेन्शन तथा परिवार को पेन्शन आदि प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो सरकार उनके परिवार को कब तक पेन्शन आदि दिलाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस नाम का कोई प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फैजाबाद से सेवा निवृत्त नहीं हुआ । अतः पेन्शन अथवा परिवारिक पेन्शन प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ मण्डल के सहायक अध्यापकों का अप्रूवल

71--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल के राजकीय उ0 मा0 विद्यालयों, हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज में कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक कितने हैं जिन्हें जून, 1980 तक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करते 8 वर्ष से अधिक हो गये परन्तु अभी तक उनका एप्रूवल नहीं हुआ और क्यों ? एप्रूवल कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा

वेतनक्रम	रु0 400-750 में	2
स्नातक वेतनक्रम	रु0 300-550 में	7
सी0 टी0 वेतनक्रम	रु0 250-425 में	इनके बारे में जांच की जा रही है ।

उक्त अध्यापकों का अब तक अप्रूवल न होने के कारणों की छानबीन की जा रही है ।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों हेतु दिया गया अनुदान

72--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79, तथा 1979-80 में प्रौढ़ शिक्षा योजना के अधीन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने हेतु कितना-कितना आर्थिक अनुदान दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रौढ़ शिक्षा योजनान्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने हेतु कोई अनुदान राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, अपितु भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रश्नागत वर्षों में स्वैच्छिक संस्थाओं, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों एवं नेहरू युवक केन्द्रों को दिये गये अनुदान की सूचना भारत सरकार से अभी तक प्रतीक्षित है जिसके प्राप्त होने पर यह सूचना दी जा सकेगी।

बस्ती जनपद के सहायक अध्यापकों का अवशेष वेतन

73--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जनपद में वर्ष 1970 से अब तक प्राइमरी पाठशालाओं के सहायक अध्यापकों के पुराने वेतन का बकाया है ? यदि हां, तो किन-किन अध्यपकों का कितना-कितना धन किन वर्षों का बाकी है और उसका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जनपद बस्ती में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत प्राइमरी स्कूलों के 604 अध्यापकों का वर्ष 1970 से अब तक का रु0 1,24,228.66 बकाया है। उक्त बकाये की धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है। अध्यापकों की बकाये की स्थिति का विवरण संलग्न सूची† में अंकित है।

प्रदेश के अरबी एवं संस्कृत पाठशालाओं में लिपिक एवं परिचारक के पद

74--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य सहायता प्राप्त कितने अरेबिक मदरसे व संस्कृत पाठशालाएं हैं और उन पर शासन द्वारा वर्ष 1974-75 से 1979-80 तक कितना रुपया व्यय किया गया ? अरेबिक मदरसों में लिपिक तथा परिचालक के पद सृजित करने का आधार क्या है ? तथा संस्कृत पाठशालाओं में लिपिक तथा परिचारक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद सृजित अभी तक क्यों नहीं किए गये ? यदि वह सृजन विचाराधीन है तो कब तक किए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अरेबिक मदरसे	213
संस्कृत पाठशालायें	1007

वर्ष	व्यय की गई धनराशि
	रु0
1974-75	91,72,857
1975-76	1,35,15,265
1976-77	2,13,80,889
1977-78	2,01,12,221
1978-79	2,52,53,000
1979-80	2,84,09,000

†छापी नहीं गयी।

वेतन आयोग वर्ष 1971–73 की संस्तुति के आधार पर अरेबिक मदरसों में लिपिक तथा परिचारक के क्रमशः 70 तथा 140 पद स्वीकृत किये गये हैं ।

संस्कृत पाठशालाओं में लिपिक तथा परिचारक के पदों के सृजन का प्रश्न विचाराधीन है ।

शीघ्रता के लिए प्रयास लिया जा रहा है ।

निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश, पद हेतु योग्यताएं

75—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश के लिए शासन द्वारा निर्धारित योग्यता क्या है ? इससे पूर्व किस योग्यता के व्यक्ति इन पद पर नियुक्त किए जाते रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शासन के वर्तमान निर्णय के अनुसार निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पद के लिए निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में द्वितीय श्रेणी के स्नातकोत्तर डिग्री या आचार्य डिग्री या समकक्ष योग्यता है ।

इसके पूर्व इस पद को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था थी जिसके लिये निम्नलिखित योग्यता निर्धारित थी:—

(क) अनिवार्य—

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत मे प्रथम या द्वितीय-श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ।

(2) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से या कानून द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से आचार्य डिग्री या अन्य समकक्षीय योग्यता ।

(3) संगठन की क्षमता शैक्षिक विधियों का ज्ञान, विद्यालय कार्य का व्यावहारिक अनुभव तथा हिन्दी का अच्छा ज्ञान ।

(4) संस्कृत बोलने में प्रवीणता ।

(ख) वरीयान—

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से आचार्य की डिग्री प्राप्त करने वाले को प्रथमिकता ।

उक्त अर्हताओं के अनुसार केवल एक अधिकारी लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर सीधी भर्ती से नियुक्त किया गया था किन्तु उनके सेवा निवृत्त होने के उपरान्त इस पद पर तदर्थ व्यवस्था चलती रही और तदर्थ व्यवस्था में जो भी व्यक्ति विभागीय प्रोन्नति से नियुक्त किये गये वे सभी शासन द्वारा निर्धारित वर्तमान योग्यता रखते थे ।

सीतापुर में भवन विहीन स्कूल

76—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बतने का कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद, एलिया तथा परसेन्डी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन चलने वाले कौन-कौन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल हैं जिनके भवन नहीं हैं ? प्रत्येक के लिए भवन की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित सीतापुर जिले के विकास खंडवार भवन हीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

विकास खंड का नाम	भवनहीन प्राइमरी पाठशाला की संख्या	भवनहीन जूनियर हाई स्कूल की संख्या
1	2	3
1—खैराबाद	20	3
2—एलिया	14	4
3—परसेंडी	24	6
योग ..	58	13

भवनहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों का विवरण, संलग्न हैं । इन भवनहीन स्कूलों में से 5 प्राइमरी स्कूलों का भवन निर्माण हेतु चयन किया गया है । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवनहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और जसे जैसे धन की व्यवस्था होती जायेगी, भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया जायेगा किन्तु किसी अवधि का आश्वासन देना संभव नहीं है ।

आगरा मंडल के प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक

77—श्री लल्लू सह चौहान—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल में कितने बी० टी० सी० ट्रेनिंग उत्तीर्ण अध्यापक अभी भी बेरोजगार हैं ? क्या जिलावार संख्या देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 715 पर) ।

जिला परिषद् मैनपुरी के भवनविहीन सीनियर बेसिक स्कूल

78—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपया करेंगे कि मैनपुरी जनपद में वर्ष 1964-65 से 1969-70 तक कितने सीनियर बेसिक स्कूल (बालक तथा बालिकाओं) योजना के अन्तर्गत खोले गए ? क्या उक्त सभी विद्यालयों के लिए प्लान से 15,000 रुपया प्रति विद्यालय जिला परिषद् मैनपुरी को दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालय सीनियर बेसिक स्कूल भवन अभी तक निर्मित नहीं हुए हैं और क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैनपुरी जनपद में वर्ष 1964-65 से 69-70 तक शासकीय आदेशों के अनुसार 20 सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये थे। उपयुक्त बीस सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु 15,000 रुपया प्रति विद्यालय की दर से शासन द्वारा अनुदान दिया जा चुका है। इन बीस स्कूल भवनों में से 12 स्कूल भवनों का निर्माण जिला परिषद्, मैनपुरी द्वारा 18-9-75 तक पूरा किया जा चुका है और निम्न 8 स्कूल भवन बनने को शेष रह गये थे :—

(1) कन्या जूनियर हाई स्कूल, जगतपुर।
(2) कन्या जूनियर हाई स्कूल, उमइया फकीरपुर।
(3) कन्या जूनियर हाई स्कूल, पेंठ।
(4) जूनियर हाई स्कूल, बंसत।
(5) जूनियर हाई स्कूल, उमैया।
(6) जूनियर हाई स्कूल, बरुआमांती।
(7) जूनियर हाई स्कूल, रठेंहरा।
(8) जूनियर हाई स्कूल, चापरी।

इसी बीच 16 सितम्बर, 1975 को शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये कि शिक्षा अनुदान की अवशेष धनराशि में से अग्रिम आदेशों तक जिला परिषद् कोई व्यय न करे। शासनादेश दिनांक 1-3-77 द्वारा शासन द्वारा पुनः आदेश दिये गये कि शिक्षा भवनों के निर्माण हेतु प्राप्त सभी अनुदानों की अवशेष धनराशि का उपभोग उन विद्यालयों के भवनों के निर्माण पर किया जाय जिन्हें जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयन किया जाय। जिला बेसिक शिक्षा समिति मैनपुरी ने उपरोक्त 8 स्कूलों में से अभी तक केवल 3 स्कूल (क० जूनियर हाई स्कूल, जगतपुर, जूनियर हाई स्कूल बरुआमाती, जूनियर हाई स्कूल चापरी) के भवनों के निर्माण हेतु संस्तुति की है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के अन्तर्गत अध्यापकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त स्थान

79—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के अधीन प्राइमरी तथा हाई जूनियर स्कूलों में 1 जनवरी, 1980 को कितने स्थान अध्यापकों के और कितने स्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त थे ? क्या उन पर अब नियुक्तियां कर ली गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 1980 को ग्रामीण क्षेत्र में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत पदों से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने के फलस्वरूप अध्यापकों का कोई भी पद रिक्त नहीं था और न ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कोई पद रिक्त था, किन्तु नगर क्षेत्र में अध्यापकों के 12 पद तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 6 पद रिक्त थे। नगर क्षेत्र में अध्यापकों के 12 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु छात्र अध्यापक अनुपात के निर्धारित मानक 40 : 1 से अध्यापक संख्या अधिक होने के कारण कोई नियुक्ति सम्भव नहीं थी और जहां तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 6 रिक्त पदों पर नियुक्त का प्रश्न है, प्रदेश में आवश्यकता से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है, जिसके फलस्वरूप इन पदों पर भी नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं था।

टिहरी जनपद का हिंडोलाखाल--कुजापुरी मार्ग

80--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-जनपद के अन्तर्गत हिंडोलाखाल से कुजापुरी देवी मन्दिर तक का मोटर मार्ग जो सम्प्रति निर्माणाधीन है वह किस योजना के अन्तर्गत, किसके आदेश से बनाई जा रही है और उसकी कुल दूरी कितनी है तथा उ। पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

उक्त मार्ग पहले कार्य के लिए खाद्यान्न योजना-2 के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था। शासनादेश संख्या 4864-ई/23-सा0नि0अनु0-11--125-ई-78, दिनांक 25-9-79 में मार्ग पर डामर लेपन की स्वीकृति दी गई है।

मार्ग की कुल दूरी 5.12 किलोमीटर है। अब तक कुल 6.07 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बज कर 19 मिनट]

*श्री जनार्दन प्रसाद ओ।--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है प्रश्नोत्तर काल के सम्बन्ध में। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो मेरे सप्लीमेन्ट्री के उत्तर में उन्होंने यह कहा कि माननीय राजस्व मंत्री और गन्ना विकास मंत्री ने प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में जो उनके वक्तव्य रहे होंगे, वह उनके निजी रहे होंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि जो मामले सदन में विचार होने वाले हों, उन पर मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान देगा और जो कि शासन की नीतियों के खिलाफ हो ? इस पर मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ओझा जी मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य क्या कहता है और मंत्रि-मण्डल के क्या उत्तरदायित्व हैं, यह उनके अपने विवेक की बात है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

नहीं मान्यवर, व्यवस्था मेरी'' ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विराजें, आपने जब एक बात व्यवस्था की उठायी है तो उसको सुनें ।

कोई भी माननीय मंत्री सदन के बाहर क्या कहते हैं और उस बात के कहने से मंत्रि-मण्डल पर क्या असर पड़ेगा, यह उनके सोचने की बात है, इस पर उपाध्यक्ष क्या व्यवस्था दे ? उन्होंने जो भी कहा है, वह सदन के बाहर कहा है, उसका यहां से कोई ताल्लुक नहीं । सदन के बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर की बातें और पेपर की किसी बात को सदन अपने संज्ञान में नहीं लेता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह सदन के अंदर की बात है, मान्यवर, मुझे मौका दें एक बात कहने का ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ओझा जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जमीन के बैनामे के लिये स्टाम्प मूल्य में वृद्धि के शासनादेश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब नियम 301 का सूचनाएं ली जायेंगी, आज 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इनमें से जो स्वीकार हुयी हैं, उन के देने वाले सदस्यों को बारी-बारी से बुलावेंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा उ० प्र० नियमावली के स्पष्ट अवहेलना किये जाने से सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों की लूट हो रही है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली के नियम 341(1) अ में यह स्पष्ट प्राविधान है कि जमीन का बैनामा करने के लिए कितना स्टाम्प लगेगा इसके निर्धारण हेतु बाजार मूल्य तय करने के लिए भूमिधरी के लगान का 800 गुनी मालियत तय की जायेगी । परन्तु मान्यवर, निबन्धक महानिरीक्षक ने वर्ष फरवरी, 1979 में एक शासनादेश संख्या 2173-2280-5-672 जारी करके 25% बढ़ोत्तरी कर दी है और दुबारा 11 जुलाई, 1980 को शासनादेश संख्या 4622-983-5-672 द्वारा 30% वृद्धि कर दी, इससे अब 1200 गुना से भी अधिक मालियत कूंती जाती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, क्या अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम जो कि विधान मण्डल की औपचारिक स्वीकृति मिल गई उसे शासनादेशों द्वारा सुपरसीड किया जा सकता है ? काश्तकारों की लूट हो रही है तथा सदन की अवमानना भी ।

अतएव, मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि उपरोक्त दोनों गैर कानूनी शासनादेश को अविलम्ब निरस्त किया जाये तथा निरसन की कार्यवाही से सदन को भी अवगत कराने की कृपा की जाए।

बस्ती जनपद के करमैनी-बेलौली धूरापली बांध टूट जाने से विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल के कतिपय ग्रामों में बाढ़ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहम्मद नबी--

मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गत सप्ताह दिनांक 27-9-80 को मेरे विधान सभा क्षेत्र मेहदावल, तहसील खलीलाबाद, जनपद बस्ती का करमैनी, बेलौली धूरापाली बांध कट गया था जिसके कारण राप्ती नदी का पानी लगभग 100 गांवों में 5 से 6 फुट की ऊंचाई में भर गया । जिससे खरीफ की सारी फसलें लगभग एक करोड़ रु0 की नष्ट-भ्रष्ट हो गयीं तथा बहुत बड़ी संख्या में मकान ध्वस्त हो गए। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है पानी भर जाने से रबी की फसल के बोने की कोई सम्भावना नहीं है लाखों व्यक्तियों एवं पशुओं के भूखों मर जाने की आशंका हो गई है । पानी के बाढ़ से समस्त क्षेत्र के किसान एवं मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं । जिसके कारण क्षेत्र की समस्त जनता में असंतोष, अविश्वास का वातावरण व्यापक रूप से उत्पन्न हो गया है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

सहारनपुर में इकबालपुर स्टेशन पर पकड़ी गयी चीनी व खाण्डसारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सत्यपाल सिंह यादव और श्री ऊदल की सूचना एक ही विषय से सम्बन्धित थी, इसे श्री ऊदल पढ़ेंगे ।

श्री ऊदल--

प्रदेश में बड़े पैमाने पर चीनी खांडसारी ऊंचे दामों पर प्रदेश के बाहर भेजने का धंधा चल रहा है । तारीख 4/5-10-80 को रेलवे स्टेशन इकबालपुर जो रुड़की-सहारनपुर के बीच में पड़ता है वहां से 1400 क्विंटल चीनी खांडसारी बुक कराया गया था जो रेलवे ले जा रहा था ।

यह चीनी तथा खांडसारी, कुमार ट्रेडिंग, प्यारे मोहन लाल, राइस खांडसारी मिल, गोबर्धन दास महेन्द्र कुमार, नेशनल खांडसारी मिल, भारत गुड़ खांडसारी मिल, बाबरी खांडसारी उद्योग मुजफ्फरनगर की थी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ऊदल--]

इस चीनी को अमृतसर, पटियाला, जालंधर, बम्बई एवं जयपुर के लिए सेल्फ बिल्टी पर बुक किया गया था। इसमें रेल अधिकारियों का भी हाथ है। वह चीनी सहारनपुर में पकड़ी गई है। इस मामले को दबाने के लिए ऊपर से उद्योगों के मालिकों ने दौड़-धूप शुरू कर दिया है। अभी तक किसी को पकड़ा भी नहीं गया है। इसमें सप्लाई विभाग का भी हाथ है प्रशासन चुप बैठा है और पूंजीपतियों से मिला है इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न को आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में लाकर सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राण घातक बीमारियों के प्रकोप के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गौरी शंकर भैय्य--

मान्यवर, बाढ़ और भीषण वर्षा का दौर समाप्त होते ही उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में घातक बीमारियों का प्रकोप फैल गया है। जिससे अब तक 100 से अधिक जानें जा चुकी हैं तथा हजारों लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं।

प्रदेश के पूर्वी जिले जहां बाढ़ का सर्वाधिक प्रकोप रहा है, वहां इन्सेफलाइटिस से अब तक 100 लोगों का प्राणान्त हो चुका है। तेज बुखार में देखते-देखते मनुष्य को तोड़कर मारे डालने वाली इस घातक बीमारी से सैकड़ों लोग प्रभावित हैं, पिछले वर्ष भी इस बीमारी से सैकड़ों लोग मर चुके हैं। इस बीमारी का सर्वाधिक प्रकोप बलिया, बस्ती, देवरिया, जौनपुर, गोरखपुर में है। इसके अलावा पीलिया, मलेरिया, डायरिया, पेचिश, अन्तर्सोध और हैजा जैसी बीमारियों से उपरोक्त जिलों के हजारों लोग प्रभावित हैं। खेद का विषय यह है कि स्वास्थ्य विभाग इन बिमारियों के लिए अब तक उचित दवा और डाक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाया है।

अतः इस अविलम्बनीय और निश्चित विजय की ओर माननीय सदन के द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा मांग करता हूं कि प्रत्येक जिले में प्रति स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन प्राणघातक बीमारियों के लिए आवश्यक दवा, उपचार के साधन तथा डाक्टर की अविलम्ब व्यवस्था की जाय।

बुलन्दशहर जिले में सूखे का प्रकोप तथा विद्युत आपूर्ति की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह--

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व की स्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, आजकल लगभग पिछले 20-25 रोज से जनपद बुलन्दशहर में अत्यन्त सूखा पड़ रहा है किसानों की फसल और विशेष रूप से धान की फसल इस सूखे की वजह से सूखती जा रही है तथा धान की बालों में व्यापक रोग लगने लगा है, नहर तथा नलों में कहीं-कहीं पानी दिखाई देता है। गांव में बिजली शून्य से लेकर तीन घंटे तक आती है जिसमें अनेकों बार ट्रिप आ जाते हैं गांवों को इतनी कम बिजली आज सूखे को देखते हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिल्कुल नगण्य सी है । यदि बिजली की गति यही रही तो जनपद बुलन्दशहर में खरीफ की पैदावार खास तौर से धान की पैदावार सरकारी अनुमानों से कहीं ज्यादा कम होगी तथा किसान इतनी अधिक लागत के बावजूद कम पैदावार की वजह से अत्यधिक घाटे में चला जायेगा ।

अतः मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह अपनी नीति और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाये तथा वर्तमान सूखे की स्थिति में जनपद बुलन्दशहर के गांवों को कम से कम 15 घंटे लगातार बिजली दिलाने की व्यवस्था करे । जिससे किसानों को तबाह होने से बचाया जा सके ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 सितम्बर, 1980 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 सितम्बर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति, दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया ।

लखनऊ की शहरी सीमा पर स्थित इस्माइलगंज-नया गांव को घरेलू बिजली न मिलने के सम्बन्ध में याचिका

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं आपकी अनुमति से लखनऊ की शहरी सीमा पर स्थित इस्माइलगंज-नया गांव को घरेलू बिजली न मिलने तथा विद्युत् अधिकारियों द्वारा वहां के निवासियों के साथ भेदभाव व अन्याय करने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, विद्युत् उपभोक्ता संघ, इस्माइलगंज-नयागांव, निवासी इस्माइलगंज, पोस्ट चिनहट, जिला लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों आदि के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के लिए तिथि निर्धारण

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों के चारित्रिक मामलों के सम्बन्ध में और ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में जिसमें बड़े रैकेट हैं, यहां तक कि इसमें सत्ता दल के विधायक और मंत्री भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में कोई दिन तय नहीं हो पाया है । मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके बारे में कोई तिथि आपने निर्धारित की हो तो सदन को अवगत करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सत्र के सम्बन्ध में अन्तिम घोषणा अभी तो मैंने की नहीं कि कब तक चलेगा लेकिन जो कुछ आपने लिखकर दिया है उस पर असरदार कार्यवाही होगी ।

(व्यवधान)

आप तिथि ही जानना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष--

तो चलिये, 9 तारीख कह दी ।

आयुक्त, आगरा मण्डल, श्री देश राज सिंह के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । 19 सितम्बर को इस सदन में आपने निर्देश दिया था शासन को, कि आगरा के कमिश्नर देश राज सिंह के खिलाफ कार्यवाही करें । यह आपका निर्देश था और जो आपका निर्देश हो उसके बारे में शासन के लिए वह जरूरी है कि सदन को अवगत करायें कि क्या कार्यवाही हो रही है । वैसे तो एक हफ्ते के अन्दर जानकारी दे देनी चाहिए थी लेकिन आज तक क्या कार्यवाही सम्बन्धित कमिश्नर के खिलाफ की गयी, शासन ने सदन को अवगत नहीं कराया, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें कि शासन का यह रुख कहां तक उचित है ? या आप कोई तारीख तय कर दें कि इसके सम्बन्ध में सदन में जवाब दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, मैंने शासन को निर्देश दिया था कि कमिश्नर, आगरा के खिलाफ यह सरकार कार्यवाही करेगी, ऐसी में उससे अपेक्षा करता हूं । इसका मतलब है कि जो भी कार्यवाही होगी उसकी सूचना मुझको दी जायेगी न कि सदन को । मुझे सूचना यह तो हो गयी है कि कार्यवाही प्रगति पर है और मैं उस सूचना से सन्तुष्ट हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, ये हम लोगों को गुमराह तो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी गुमराह किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे संसदीय कार्य मंत्री ने मिलकर जानकारी दी है और उससे मैं सन्तुष्ट हूं कि कार्यवाही प्रगति पर है और मुनासिब हो रही है । बस । अब आप विराजें ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, इसी के ऊपर रियासत हुसैन ने व्यवस्था मांगी थी । आपने दूसरी दफा सरकार के सदस्यों को निर्देश दिया था कि क्या कार्यवाही कर रहे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी अवगत करायें । तीसरी बार व्यवस्था दी जा रही है । सरकार इस ईशू से कतराती जा रही है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कब तक इस पर कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने पहली अव्यवस्था तो यह की कि मैं खड़ा ही रहा और आप खड़े होकर बोलते रहे। दूसरी व्यवस्था यह की कि जब मैं खड़ा हूं तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा था, व्यवस्था दी थी कि क्या कार्यवाही हो रही है, मुझको जानकारी कराई जाये। तत्काल उसके दूसरे दिन संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कार्यवाही हो रही है इसकी जानकारी कराई। मैं कार्यवाही से संतुष्ट हूं और दिन प्रतिदिन जो प्रगति हो रही है उसकी जानकारी मैं रख रहा हूं। मैं संपर्क में हूं और जानता हूं कि जो आप चाहते हैं उसके अनुसार ही कार्यवाही चल रही है।

श्री धरम पाल--

प्रगति की रफ्तार क्या है ? 5 कि0 मी0, 10 कि0 मी0।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 35 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

अब विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में मैं निर्णय दे रहा हूं।

श्री पंचानन राय ने दिनांक 25 सितम्बर, 1980 को माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को तारांकित प्रश्न संख्या 5 (नत्थी ख) के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री ने सदन को यह सूचित किया था कि वित्तीय वर्ष 1978-79 में महुला-गढ़वाल बांध की मरम्मत एवं रख-रखाव पर 29·30 लाख रुपये व्यय हुए थे, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से 24·17 लाख रुपये इसी वित्तीय वर्ष में इसी काम पर व्यय किया गया था। उक्त सूचना में आगे यह भी कहा गया है कि पूरक प्रश्नों के दौरान जब माननीय मन्त्री को यह लगा कि इस भारी भ्रष्टाचार का सदन में भंडाफोड़ हो जायगा, तो उन्होंने जानबूझकर सत्य के विपरीत सदन को यह सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा व्यय की गयी धनराशि 29.37 लाख रुपया न होकर केवल 29 रुपया है। माननीय सदस्य का यह आरोप है कि बार-बार पूरक प्रश्न पूंछे जाने पर भी माननीय मंत्री जी सदन को गलत सूचना देते रहे, इससे सदन का अवमान हुआ है। अतः इस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

मैंने उक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की और दिनांक 24 सितम्बर, 1980 की कार्यवाही के सम्बन्धित प्रश्नों और उत्तरों को भी देखा। माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा सदन में बार-बार पूरक प्रश्नों के उत्तरों में 29.30 रुपये की बात को ही ठीक बताया गया है और 29.30 लाख रुपये की बात को गलत बताया गया है। उन्होंने मुझे भेजे गये अपने स्पष्टीकरण दिनांक 4-10-80 में भी उक्त कथन की पुष्टि की है।

श्री पंचानन ने अपनी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना में कोई ऐसा प्रमाण या लेख्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि माननीय सिंचाई मन्त्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया है। अतः

[श्री उपाध्यक्ष—]

मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में समझौता हो गया है क्यों राय साहब भी यहां मौजूद नहीं हैं और सिंचाई मंत्री भी यहां नहीं मौजूद हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह समझौता आपके बीच हुआ होगा, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं । ऐसे मामलों में जब समझौता है तो आप जरूर होते हैं ।

(हंसी)

लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड लखनऊ के मैनेजर श्री सी० वी० सिंह तथा विधि अधिकारी श्री वी० पी० वर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा ने कल दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 को लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड, लखनऊ के फैक्ट्री मैनेजर श्री सी० वी० सिंह तथा उसके विधि अधिकारी श्री बी० पी० वर्मा के विरुद्ध जो विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने यह अभिसूचित किया है कि उक्त संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके कतिपय अधिकारियों की मनमानी के विरुद्ध श्री वर्मा का एक प्रश्न विधान सभा के छठे सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर निर्धारित था । इसी सम्बन्ध में एक अन्य माननीय सदस्य का प्रश्न उस दिन दूसरे नम्बर पर स्वीकृत हुआ था । श्री राम आसरे वर्मा के कथनानुसार उक्त संस्था के उपरिलिखित दोनों अधिकारी दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 को सायंकाल लगभग 7.30 बजे उनके निवास स्थान पर आये और उन पर दबाव डालने लगे कि उक्त प्रश्न उनके द्वारा वापस ले लिया जाय अथवा उस दिन वह सदन में अनुपस्थित रहें । दूसरे प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को रोकने हेतु भी उन अधिकारियों ने श्री वर्मा से कहा । जब माननीय राम आसरे वर्मा ने उक्त कार्य को करने से इनकार किया तो सर्वश्री सी० वी० सिंह एवं बी० पी० वर्मा ने यह धमकी दी और कहा—

"इस समय यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो वह आपके हित में नहीं होगा।"

मैंने श्री राम आसरे वर्मा को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर विचार किया और इस बात को देखते हुए कि श्री वर्मा की शिकायत के अनुसार श्री वर्मा द्वारा सदन के कृत्यों के निर्वहन करने में कथित अधिकारियों द्वारा अनुचित दबाव डालना और धमकी देना मुनासिब बात नहीं कही जा सकती है, अतः मैं इस मामले को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 66 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति, जब वह गठित हो जाय, द्वारा जांच अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट करता हूं ।

दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 की कार्यसूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाई गई आपत्ति पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

कल दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 को श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न 1 व 2 के सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई थी कि उक्त प्रश्न 6ठे सोमवार (6-10-80 की अस्थायी कार्यसूची) में छपे थे किन्तु उनको 6-10-80 की कार्यसूची में "आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त" किया गया दिखाया गया है और माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि आश्वासन पुरानी सरकार ने दिया था। अतः क्या नई सरकार उसे पूरा करेगी ? यदि ऐसी बात है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। उस समय मैंने माननीय सदस्य से यह कहा था कि मैं पत्रावली देखने के बाद निर्णय लूंगा।

मैंने पत्रावली का अवलोकन कर लिया है और मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि निरस्त किए गए प्रश्नों का विषय अभी भी आश्वासन समिति के विचाराधीन है। जहां तक माननीय सदस्य का यह कथन कि पुरानी सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति नई सरकार करेगी या नहीं, इस संबन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धीकरण (पंचम संस्करण) का करण संख्या 90 निम्न प्रकार है :--

> "90--सरकार द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन, आश्वासन समिति या सदन के विघटन पर समाप्त नहीं होंगे जब तक कि नई सरकार उनको अस्वीकार न करे।"

शासन की पत्रावली में यह स्वीकार किया गया है कि इस सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन पर कार्यवाही की जा रही है। संबन्धित आश्वासन भी आश्वासन समिति के विचारार्थ लम्बित हैं। इस आशंका का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि पूर्व सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को नई सरकार पूरा नहीं करेगी।

अतः प्रश्नों का निरस्त किया जाना नियमानुकूल है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिनमें से कोई सूचना नियम 56 में स्वीकार करने लायक नहीं थीं। लेकिन श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री गौरी शंकर भैया जिन्होंने केन्द्र द्वारा गन्ने का क्रय मूल्य 13 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की घोषणा से प्रदेश के गन्ना उत्पादकों में रोष एवं असंतोष से सम्बन्धित सूचना दी है, इसमें मैंने सरकार को निर्देश दिया है कि शासन इस विषय पर वक्तव्य दे। सरकार इस पर वक्तव्य देगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने वर्ष 1980-81 के लिये गन्ना, धान, मोटा अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादन का मूल्य अत्यन्त कम निर्धारित करने से प्रदेश के काश्तकारों को होने वाली क्षति के सम्बन्ध में सूचना दी है। यही सूचना श्री नन्द किशोर सिंह, श्री हरिवंश सहाय की भी थी।

श्री नन्द किशोर सिंह और श्री हरिवंश सहाय की एक सूचना देवरिया जिलान्तर्गत ग्राम गायघाट के कई गावों के जलमग्न होने के सम्बन्ध में है।

[श्री उपाध्यक्ष---]

श्री प्रदीप कुमार यादव की सूचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफलाइटिस बीमारी से कई लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में है ।

सभी सूचनायें इस योग्य नहीं थी कि नियम 56 में ली जायं । लेकिन पहली सूचना के महत्व को देखते हुये मैं उस पर सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैंने एक कार्यस्थगन की सूचना दी है । मान्यवर, मैंने धान, गन्ना, मोटे अनाज के बारे में ..

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरी बात तो कम से कम सुन लें, मुझे तसल्ली हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

ओझा जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम 56 के अन्तर्गत, एक ऐसे सवाल की सूचना दी थी और आदरणीय सदन की कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया था जिसका संबन्ध इस प्रदेश के 30 लाख परिवारों से है । इस प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री है जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुयी है । पूर्वांचल और पश्चिमी जिलों में तमाम ऐसे जिले हैं जहां कैश क्राप्स शुगर इंडस्ट्री पर निर्भर करती है । पिछली बार जब गन्ना विकास मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था और जो वाद विवाद हुआ था और मंत्री जी ने आश्वासन दिया था उससे ऐसा लगा था और आशा की एक किरण बंध रही थी कि पिछले साल गन्ना किसानों को मिलने वाले पैसे से इस साल कुछ अधिक मिलेगा । सरकार की किसान विरोधी नीति इससे ज्यादा और कोई नहीं होगी कि पिछले साल जब 2 रुपये किलो चीनी बिक रही थी, जनता पार्टी ने सवा 14 रुपये गन्ने का मूल्य दिया था । आज जब चीनी 10 रुपये में नहीं मिल रही है, आपकी कैफेटेरियां बन्द होने जा रही है, बहुत से लोग जो डायबिटीज के मरीज नहीं हैं उन्होंने भी बिना चीनी की चाय पीना शुरू कर दिया है । ऐसे समय में किस प्रकार से किसानों के साथ केन्द्र सरकार ने विश्वासघात किया है । इतना बड़ा विश्वासघात किसानों के साथ कभी नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, आप मुझे 2 मिनट दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी बातों को मैंने सुना । अब आप बैठे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मुझको जनता ने भारी बहुमत से चुनकर भेजा है। इसलिए मैं उनकी बात को यहां नहीं कहता हूं तो मैं उनके साथ विश्वासघात करता हूं। इसलिए मुझे आप उनकी बात को कहने दें।

(व्यवधान)

सरकार अपनी नैतिकता को देखते हुए गन्ने की कीमत 25 रुपए क्विंटल से कम नहीं निश्चित करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें। आपको बोलने की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप अब जो बोलेंगे वह मेरी बिना इजाजत के बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा सदन त्याग कर चले गए)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस सरकार की किसान विरोधी नीति है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग एक मिनट सुनें। आप लोग बैठ जायं। जो बातें आपने उठायी हैं, वह धान और गन्ने के दाम के प्रश्न के सम्बन्ध में हैं। यह बात अखबार में भी आयी है। आपने देखा कि भारत सरकार ने इसके बारे में कुछ तय किया, पेपर में आया है। आपने नियम 56 में इसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव दिया। राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता है। लेकिन हमने आपकी भावनाओं को मानते हुए इस पर वक्तव्य देने के लिए शासन को कह दिया है और उत्तर प्रदेश शासन इस पर वक्तव्य देगा। क्योंकि वह क्या तय कर रहे हैं उसके लिए यह सक्षम नहीं हैं लेकिन शासन यहां की स्थिति को देखते हुए इस पर वक्तव्य दें। इसका निर्देश उनको दे दिया है। इसलिए अब आपके कहने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह सरकार किसान विरोधी है। सरकार अपनी बातों को पूरा करने में विफल है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

आज आधे घंटे की चर्चा है उसको बढ़ा दें और दो घंटे की कर दें तो सारे पक्ष उसमें सामने आ जायेंगे, जो कीमत तय किया है वह केन्द्र सरकार ने तय किया है। चूंकि हमारे प्रदेश की सरकार यहां चल रही है, इसलिए हमारा पक्ष है कि यह सरकार भी सक्षम है उस कीमत को बढ़ाने की और इस बात में हम कामयाब हो सकें इसके लिए हमारे पास ऐसी मिसालें हैं जो दो घंटे की चर्चा करा दें तो उसमें हम वह सारी मिसालें बता सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र सिंह जी मैं आपकी बात में बल पा रहा हूं, लेकिन आपने जो आधे घंटे की चर्चा की बात कही है तो नियम 49 के अन्दर तो केवल आधे घंटे का समय दिया जा सकता है। उस नियम के अन्दर जिसकी ग्राह्यता हुई है।

(व्यवधान)

हमारी बात सुन लें। जिस नियम 49 के अन्दर उसको स्वीकार किया गया है उसके अन्तर्गत चर्चा का समय नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि आपकी बात में बल है। क्यों नहीं आप इसके लिए एक दूसरी सूचना हमको दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप स्वयं सक्षम हैं हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए..

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं। आप गतिरोध उत्पन्न न करें। नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी पक्ष के जो नेता बैठे हुए हैं उनकी बात में मुझे बल लगता है। वे मुझे इस बात की सूचना दे दें। मैं समझता हूं कि आप की बात में बल है, मैं उस पर विचार करूंगा।

(श्री विजय सिंह राना के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

राना जी, आप बैठें। माननीय नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों को संयत रखें।

1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 3—मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या 17—सचिवालय, अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19, 25 व 80—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या 29—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रयोग विभाग तथा अनुदान संख्या 43 व 88—सूचना विभाग (क्रमगत)†

(12 बजकर 57 मिनट]

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

†दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 की कार्यवाही से।

माननीय नेता विरोधी दल जब बहुत सी बातें बोल रहे थे तो मैं उन्हीं की उद्धृत पत्रिका इंडिया टु डे जिसका उद्धरण वे दे रहे थे ले आया ताकि मैं भी उसमें कुछ पढ़ूं कि हिन्दुस्तान के अखबार वाले उत्तर प्रदेश शासन की क्या इमेज समझते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के बारे में उनका क्या विचार है ? क्या उनके विचार माननीय नेता विरोधी दल के विचारों से मेल खाते हैं या नहीं । मान्यवर, मैं उन्हीं के शब्दों के साथ शुरू करता हूं । सामान्य प्रशासन चर्चा पर मुझको कल ऐसा लगा कि जैसा तुलसीदास जी ने कहा "जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी" । कल नेता विरोधी दल इंडिया टु डे के पृष्ठ 14 का उद्धरण दे रहे थे । इंडिया टु डे के ही पृष्ठ 27 का उद्धरण मैं देना चाहता हूं । पृष्ठ 27 में लिखा है मान्यवर, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में, उनके शासन के बारे में । लिखा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह असन्दिग्ध रूप से, ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन किसी तरह की धोखा-धड़ी नहीं करते । उसमें लिखा है हिज आनेस्टी इज टेन्ट माउन्ट टू कमिटिंग पोलिटिकल हियरार्की इन ए स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश व्हेयर करप्शन इज एन इस्टेब्लिश्ड वे आफ लाइए । मान्यवर, उसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश के बारे में.... (व्यवधान) आपके नेता बोल रहे थे, उन्हीं की किताब ले आया हूं । डरिए मत । इस पत्रिका में आगे लिखा है कि मुख्य मंत्री ईमानदारी से प्रशासन करते हैं । उनके रोज दुश्मन होते जा रहे हैं । कैसे दुश्मन । वे दुश्मन जोकि ब्लैक मार्केटियर्स ।

(शोर)

श्री विजय सिंह राना--

यह बजट पर बहस हो रही है या अखबार पर बहस हो रही है... ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यही बात स्टेट्समैन ने लिखी है उसका उद्धरण देना चाहता हूं ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

राना जी, आप तो माने हुए शिक्षक हैं, अच्छी शिक्षा इस सदन को दीजिए..

श्री विजय सिंह राना--

शिक्षक हूं तभी चिल्ला रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं आपका ध्यान माननीय सदन का ध्यान अखबार के इस वाक्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि एक विरोधी दल के नेता मिले

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

और उन्होंने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कोई धोखाधड़ी के लिये, नाटक के लिए इस्तीफा नहीं दिया। अगर वह इस्तीफा दे कर चले गये तो उत्तर प्रदेश के लिये बड़े दुर्भाग्य का दिन होगा। इस बजट का समर्थन करते हुये इसमें जो सूचना विभाग का बजट है उसके लिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पत्रिका प्रेमचन्द विशेषांक के माध्यम से पत्रकारिता के इतिहास में मील के एक पत्थर की तरह सदैव याद की जायेगी। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। उनको डर था। इसीलिये इस बात को मैंने कहा "जाकी रही भावना जैसी"। मैं यह दिखाना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल, जिनके लिये मेरे दिल में बहुत आदर है और जिनसे हमारा नाम थोड़ा सा मिल जाता है, उनके लिये इस करन्ट अखबार में क्या लिखा गया है। मिनिस्टर्स मर्डर्स एण्ड रेपिस्ट्स। यह उन्हीं की फोटो छपी है नेता विरोधी दल की। मसूद साहब, अबदुल हलीम साहब और नेता विरोधी दल के बारे में क्या-क्या कहा गया है। मैं इसकी फोटो स्टेट कापी ले कर आया हूं। मिनिस्टर केसेज सी डी मी केस। उनकी मिनिस्ट्री में उनके मिनिस्टर सी डी मी के केस में इंवाल्व थे। सी डी मी को हिन्दी में क्या कहेंगे उसे बतलाने में मुझे संकोच होता है। एक अखबार पढ़े 'नार्दन इंडिया पत्रिका 22 मई, 1979 की मिनिस्टर एक्यूज्ड आफ एम्बेजिलमेन्ट। इनके मिनिस्टर पर एम्बेजिलमेन्ट का चार्ज लगाया गया था।

दुख के साथ आज से एक वर्ष पहले तथा दो वर्ष पहले इस माननीय सदन में उठाये गये सवालों की ओर मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल उन दिनों मिनिस्टर थे। उन्हीं के दल के विधायक ने चार्ज लगाया है जनता विधायक का कृषि मन्त्री पर हत्या कराने का आरोप। वह मरवाने की साजिश कर रहे थे। समय नहीं है वर्ना मैं पूरा-पूरा उद्धरण पेश करता। यह माननीय नेता विरोधी दल ही थे जिसमें वह स्वयं अपराधी बताये गये थे। एक शेर के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह शेर उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में है—

होता है जहां मेरी बरबादियों का जिक्र।

तेरा भी नाम लेती है दुनिया कभी-कभी ॥

जब-जब उत्तर प्रदेश के प्रशासन का सवाल उठता है तो तीन वर्ष बिना देखे नहीं रहा जा सकता। उन तीन वर्ष की कहानी मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। इसमें मान्यवर, यह लिखा है उनके राज्य में 1978 का जिक्र है वन मर्डर एवरी 12 अवर इन लखनऊ मिनी एमरजेंसी इन अलीगढ़ रमधन फार चरण सिंह रेजिगनेशन। कल उन्होंने जो कहा था उसे आज मैं बदलता हूं कि रजनारायण ने चरण सिंह के राज्य में चरण सिंह के लिये क्या कहा था। उन्होंने कहा चरण सिंह इज डूम्ड "चरण सिंह इज वस्टे लीडर आई हैव कम एक्राश। ही इज स्लो आफ माइन्ड, इन डिसीसिव, अथारिटेरियन, मच मोर दैन मिसेज गांधी। एन्ड दिस इज फार वर्स दैन बींग कम्यूनल" करेंट सितम्बर, 1979।

श्री उपाध्यक्ष—

जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

चूंकि उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा किया था। जिस तरह से नेता विरोधी दल ने [× × ×] कहा था [× × ×]।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कल उनको भी रोका था और कार्यवाही से निकालने के आदेश दिये थे। आपको भी रोकता हूं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उनके ऊपर जमीन से सम्बन्धित चार्जेज हैं। मेरे पास उनकी फोटो स्टेट कापी है मैं उनको प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय रियासत हुसैन ने एक बात उठायी थी उनका कोटेशन गलत था। उन्होंने स्वर्गीय फिरोज गांधी का नाम लिया था वह इलस्ट्रेटेड वीकली के माध्यम से लिखा गया था मुसलमानों के सम्बन्ध में पृष्ठ 112 पर उसमें लिखा गया है ... (व्यवधान) वर्तमान शासन से अपेक्षा है कि वह इस स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला करे ताकि चोर-बजारी और काले काम करने वाले लोग पकड़े जा सकें। इस हेतु विजिलेन्स व सी0 आई0 डी0 को पुलिस से अलग किया जाय .. (व्यवधान)। मान्यवर, मीसा के बन्दियों को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की तरह जगह दी गई है, यह अनुचित है इसको भी ठीक करें।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने विभाग का बजट पेश करते हुए जो पौराणिक और उपनिषद की भाषा का प्रयोग किया उसमें न तो कोई सामान्य प्रशासन के बारे में नीति थी और न कोई संकल्प ही था। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार आई0 ए0 एस0 के हाथों की कठपुतली हो रही है। आज की सरकार ने, मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 50 से ज्यादा पद आई0 ए0 एस0 कैडर के अपने आदमियों को एकोमोडेट करने के लिये सृजित किये हैं। मैंने पहले भी बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि आज का प्रशासन खर्चीला और निकम्मा हो रहा है और यह सच्ची बात है। मैंने कहा था कि आपने अपने स्टाफ में 3 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को रखा है। और अब बजट भाषण के बाद उन तीन की जगह पर चार आई0 ए0 एस0 अधिकारी हो गये। एक पी0 सी0 एस0 को हटा दिया। साथ ही आपने 12 चीफ डेवलपमेन्ट आफिसरों की नियुक्ति कर दी पूरे प्रदेश में। कहा जाता है कि ये 12 सी0 डी0 ओज0 जो हैं ये आई0 ए0 एस0 कैडर के होंगे। और चूंकि यह पद कारगर सिद्ध हुआ है इसलिए आप हर जिले में एक सी0 डी0 ओ0 की नियुक्ति भी कर दें जो कि कलेक्टर के रैंक का आई0 ए0 एस0 का होगा। आपने जगह-जगह पर मुरादाबाद में और अन्य जगहों पर मंडलों में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव आई0 ए0 एस0 पद बनाये हैं। उद्योग विभाग में पहले एक सचिव होता था अब आपने दो सचिव कर दिये, एरिया डेवलपमेन्ट और विशेष सचिव दिखा करके।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह—]

एनिमल हजबैन्डरी में इसी तरह से मुकम्मल तौर पर अधिकारियों के पदों का सृजन किया 50 से भी ज्यादा पद उत्तर प्रदेश सरकार ने सृजित किये हैं जिन पर आई0 ए0 एस0 अधिकारियों की पोस्टिंग हो गई है। इसका नतीजा यह है कि पी0 सी0 एस0 कैडर के लोग उदास, निराश और हताश हो गये हैं उनको प्रोन्नति के अवसर कम हो गये हैं। यही कारण है कि आज आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 के अधिकारियों में झगड़ा होता है बनारस के एस0 पी0 और कलेक्टर में झगड़ा हुआ, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया, देवरिया के एस0 पी0 और कलक्टर के बीच झगड़ा हुआ, बाराबंकी के कलेक्टर और एस0 पी0 के बीच झगड़ा हुआ, एस0 पी0 को हटा दिया गया, अलीगढ़ के एस0 पी0 और कलेक्टर के बीच झगड़ा हुआ दोनों को हटा दिया गया। इस तरह की तनावपूर्ण सूचनायें पूरे प्रदेश में आज मिलती है। आज पी0 सी0 एस0 कैटेगरी के लोगों में गहरा असन्तोष है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

माननीय मोहन सिंह जी ने बाराबंकी के एस0 पी0 और कलेक्टर के झगड़े की बात कही। यह उनकी भूल है कोई झगड़ा नहीं हुआ बल्कि एस0 पी0 बदमाश था इस लिए तबादला कर दिया गया।

श्री मोहन सिंह—

मैं यही कहना चाहता हूं यह सरकार आई0 ए0 एस0 लोगों के चंगुल में फंसी हुई सरकार है इसकी कोई स्वतन्त्र नीति नहीं है। आज पी0 सी0 एस0 के प्रमोशन के सारे एवेन्यूज खत्म किये जा रहे हैं। आई0 पी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 में गुस्सा है। आज 17 आई0 ए0 एस0 ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंडमस रिट दाखिल की है। आज आई0 ए0 एस0 बनाम आई0 पी0 एस0, आपस में लड़ रहे हैं। पी0 सी0 एस0 निराश हताश और उदास हैं तो इस अफसरशाही के झगड़े को लेकर आप सामान्य प्रशासन को चुस्त नहीं कर सकते हैं। मेरा इस सरकार पर इलजाम है कि इस सरकार में कोई मारल और पोलिटिकल अस्तित्व नहीं है।

यह कितना दुर्भाग्य है कि जातिवाद को कितना आपके प्रशासन में बल मिला। आपके भूतपूर्व मुख्य सचिव ने स्वजातीय लोगों को यहां भरा इसको उन्हें खुली छूट मिली। एपाइंटमेन्ट सेक्रेटरी ने और मुख्य सचिव ने दोनों ने मिल कर छोटे अफसरों से लेकर बड़े अफसरों तक स्वजातीय लोगों को भरा और स्वजातीय लोग कलेक्टर और कमिश्नर बनायें हैं। आपने देखा होगा इस वर्ष इस सचिवालय दीर्घा में पुराने मुख्य सचिव की बिरादरी के लोगों की भरमार हो गयी और इस पूरे प्रदेश में नियुक्ति सचिव के लोगों की भरमार हो गयी। सर्वाधिक संख्या कलेक्टरों की नियुक्ति सचिव की बिरादरी की है। एक तरफ वह नियुक्त करते हैं और दूसरी तरफ जब मुख्य मन्त्री जी को सूचना लगती है तो वह हरिजन कलेक्टरों को हटाने का अभियान शुरू कर देते हैं। मुरादाबाद के अन्दर 15 दिन में हटाया, अलीगढ़ में 10 दिन के अन्दर हटाया, गोरखपुर के कलेक्टर को हटाने की सूचना है। तो नियुक्ति सचिव ढूंढ़-ढूंढ़ कर हरिजनों की नियुक्ति कर रहें और मुख्य मन्त्री जी ढूंढ़-ढूंढ़ कर उन्हें हटाने का अभियान चलाते हैं। तो क्या इस प्रकार आप इस प्रदेश के सामान्य प्रशासन को दुरुस्त करेंगे इसकी कोई कल्पना नहीं है मैं कहना

चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर सरकार अस्तित्वहीन है उसका नतीजा आपने देखा कि मुख्य मंत्री जी स्वयं मारकेटिंग इन्स्पेक्टर का काम करने लगे और राशन की दुकानों की चेकिंग में उन्हें जाना पड़ा। शायद उन्होंने कहीं पढ़ लिया होगा कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने रंडियों के कोठे की चेकिंग की तो उसी के समानान्तर इन्होंने राशन की दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी तो इससे ज्यादा अस्तित्वहीनता की बात मुख्य मंत्री के लिए और क्या हो सकती है होना यह चाहिए कि प्रशासन में वह यहीं सचिवालय में बैठे रहे और पौड़ी गढ़वाल में बैठे एक साधारण कर्मचारी को एहसास हो कि हमारे प्रदेश में एक हुकूमत है। लेकिन आज प्रशासनिक अधिकारी निष्क्रिय हैं।

हमारी सरकार ने एक फैसला किया था कि प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करेंगे लेकिन आज वह बरकरार है नतीजा है कि प्रशासन में निराशा का वातावरण देखने को मिल रहा है। जातिवाद का नंगा नाच उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं मिलेगा। हम लोगों की जब सरकार थी तो हमने चोरों को हथकड़ियां लगाकर सड़कों पर घुमाने का प्रयत्न किया लेकिन आज इनके शासन में चोरों को पकड़ने वाले जो इंस्पेक्टर और जो अधिकारी हैं उनको हथकड़ियां लगाई जाती हैं। 24 अगस्त को सेल्स टैक्स के 3 बड़े अधिकारियों को हथकड़ियां लगा कर मुजफ्फरनगर की सड़कों पर घुमाया गया। उनका तो दोष केवल इतना था कि इस मंत्रिमंडल के एक सदस्य की चोरी को पकड़ा। स्क्रैप के चोरी का मामला था रेनबो स्टील प्लांट जिनके वह मालिक हैं उसको पकड़ने का उन्होंने काम किया तो उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। जिस प्रशासन में टैक्स की चोरी को पकड़ने वाले अधिकारियों को सड़कों पर घुमाया जाय तो उसका क्या होगा। आप कहते हैं कि दुष्ट दलन और भ्रष्टाचार मिटाने का अभियान चला रहे हैं। सुल्तानपुर का मामला है, आप एक तरफ ब्लैक मारकेटियर्स को पकड़ेंगे राशन की दूकानों की चेकिंग करेंगे। लेकिन उन्हीं के दल के विधायक के दबाव से सुलतानपुर में 1 लाख 30 हजार डीजल की चोरी करने वाले को छोड़ दिया जाता है और तो और उस डीजल की चोरी करने वालों को पकड़ने वाले अधिकारियों--कलेक्टर और सप्लाई अफसर का 24 घंटे के अन्दर वहां से तबादला किया जाता है। इसलिए मेरा इल्जाम है कि अधिकारियों के हाथ की, आई० ए० एस० कैडर के हाथ की कटपुतली यह सरकार है और उनके हितों के ही लिए यह सरकार सारे कार्य करती है। केवल पुराने लोगों को जो 47-48 से पुराने कैडर में हैं चाहे वह जिस विभाग-उद्योग, श्रम या कृषि-में हों, उनके रिटायरमेन्ट के बाद अब उनके विभागीय प्रोन्नति के सारे अवसर खत्म हो गये हैं और अब वे कम से कम अतिरिक्त निदेशक के पद तक भी पहुंचने वाले नहीं हैं। आप तीन महीने तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सके और तीन-तीन महीने तक विधान सभा की समितियों को गठन नहीं कर पाये। आप हमारे ऊपर सत्य, असत्य का आरोप करते हैं और खराब कामों में हमारी नकल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा कोई बड़ा मंत्री गल्ती करता था तो उसके गर्दन को पकड़ने का काम हमारे दल के विधायक किया करते थे। हमारी

[श्री मोहन सिंह---]

कमियों की इन्होंने नकल की हैं, लेकिन अच्छाइयों की नकल करके कुछ भी सीखने का काम इन्होंने नहीं किया है । इसलिए यह सरकार उत्तर प्रदेश में कोई स्थायी और सुदृढ़ सरकार नहीं दे सकती है ।

एक तरफ तो इनके राज्य में एक निरपराध महिला को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, जिसके लिए हमारी पार्टी ने आन्दोलन किया और 29 हजार आदमी जेल गये, लेकिन आप पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं हटाएंगे, क्योंकि उससे आपकी सरकार की बदनामी हो जायेगी । लेकिन मुरादाबाद में दंगे होने पर वहां के एस० एस० पी० और कलेक्टर दोनों को हटा दिया । तो जहां इनको कोमल और मृदु होना चाहिए वहां यह कठोर होते हैं और जहां कठोर होना चाहिए वहां से यह गीदड़ की तरह भागते हैं । तो ऐसी अस्तित्वहीन, संकल्पहीन और नीतिहीन सरकार प्रदेश को न तो कभी कुशल और चुस्त प्रशासन दे सकती है और न अपनी जनता को अमन चैन से रहने के लिए आश्वस्त कर सकती और न असामाजिक तत्वों, तस्करों और चोर बाजारियों से ही निपटने का कार्य कर सकती है । इसी प्रदेश में 30 से ज्यादा डी० आई० जी० बदल दिए गये हैं । हमारी भी सरकार ने इतना तक तो किया है कि मुख्यमंत्री रामनरेश यादव के समय में यादव डी० आई० जी० हेडक्वार्टर हो जाते हैं, बनारसी दास के समय में कोई बनिया डी० आई० जी० हेडक्वार्टर हो जाता है और मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में कोई राजपूत उस पर हो जाता है । लेकिन आपने इतनी हिम्मत की कि सारे डी० आई० जी० को हटाया । डी० आई० जी० हेडक्वार्टर को हटाने के मसले पर जांच करने के लिए आप सदन की एक कमेटी गठित करें, उसके सामने मैं इस सम्बन्ध में अपने आरोपों को सिद्ध करूंगा । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुलतानपुर ने जनवरी 1980 में लोक सभा के चुनाव में केवल 30 हजार रुपया व्यय दिखाया, लेकिन विधान सभा के चुनाव के समय 2 लाख 18 हजार रुपये का खर्चा दिखाया । मेरा इल्जाम है कि इसमें पैसे का गबन किया गया है ।

अब मैं अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रोद्योग के बारे में, जिसका 31 हजार रुपये का बजट है, कहना चाहता हूं कि डा० सम्पूर्णानन्द जी ने इस विभाग का सृजन किया था । इस विभाग का यह दुर्भाग्य है कि जिस अधिकारी के ऊपर जल निगम में सतर्कता विभाग द्वारा जांच हो रही थी और तयार रिपोर्ट सबमिट होने वाली थी, उस अधिकारी को डेपूटेशन पर इस विभाग में नियुक्त किया गया है । यह विभाग विज्ञान की और उद्योग की प्रगति के लिए बनाया गया है, इसलिए वहां पर कोई प्रसिद्ध वैज्ञानिक मुकर्रर होना चाहिए था, वहां पर किसी इंजीनियर को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस लिए मैं कहना चाहता हूं इस विभाग को आप किसी पढ़े-लिखे आदमी के हाथ में दें और उसको ऐसे अधिकारियों से अलग करें तथा आप इस बिभाग के लिए विशेष प्रयत्न करने की कृपा करें । मान्यवर, दूसरी बात यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह सामान्य प्रशासन का बजट है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सामान्य प्रशासन पर सामान्य कार्य होना चाहिए ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । श्री के0एस0 त्रिपाठी, वन सचिव के बारे में पूर्व की सरकार के आदेशों को निरस्त कर दिया । जो भ्रष्टाचार की बुनियाद वाले अधिकारी हैं, उनको इन्होंने प्रोत्साहन दिया । इनके दल में यदि हिम्मत होती तो जो गरजिम्मेदारी की बातें हुयी हैं, वे न होती । माननीय मुख्य मंत्री का इस्तीफा प्रधान मंत्री को तो मिला नहीं लेकिन अखबारों में प्रसारित कर दिया गया । यदि इनके दल में हिम्मत होती तो अनुशासनहीनता का आरोप लगा कर उनको निकाल देना चाहिए था । अतः ऐसी तत्वहीन, कर्तव्यहीन, संकल्पहीन, निहितहीन और कमजोर सरकार के हाथों में एक नया पैसा भी सामान्य प्रशासन के लिए देना बहुत बड़ी बात है ।

श्री त्रिवेनी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदानों की मांग की है मैं उनका समर्थन करता हूं । कल से सदन में सामान्य प्रशासन पर चर्चा चल रही है और मैं इस बहस से ही आश्चर्यचकित हुआ जब नेता विरोधी दल ने सामान्य प्रशासन की मदों पर बोलते हुए व्यक्तिगत आक्षेप लगाये । इस सदन की मर्यादा रही है कि जब भी सामान्य प्रशासन पर नेता विरोधी दल का भाषण होता था तो हर सदस्य बड़े ध्यान लगाकर उसे सुनता था लेकिन कल उनकी स्पीच को सुनकर मैं यह समझा कि प्रदेश के विकास से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया है व्यक्तिगत हमला करना, व्यक्तिगत आक्षेप लगाना ही लीडर आफ दि अपोजिशन का काम रह गया ।

मैं भाई मोहन सिंह जी को बताना चाहता हूं कि उनकी सरकार में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन आज भी वे सदन में मौजूद हैं । इसी प्रकार से और बहुत से माननीय सदस्य सदन में मौजूद हैं । आप ब्यूरोक्रेसी के सम्बन्ध में कहते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो हमारे प्रजातन्त्र के प्रतीक हैं, वे भी आज सदन में मौजूद हैं । लीडर आफ दि अपोजीशन के ऊपर तो कत्ल का चार्ज लगा था और 302 का मुकदमा वापस लिया गया । वे सब रिकार्ड आपके सचिवालय में आज भी मौजूद हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह एक व्यक्तिगत लांछन है । ये बिल्कुल [×××] जो यह कह रहे हैं ।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, [×××] नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन के कार्यालय से माननीय चौधरी चरण सिंह ने सिंबल की फाइल से कागज चुरा लिए थे।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने "झूठ" शब्द का प्रयोग किया है जो असंसदीय है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने ठीक ध्यान आकर्षित किया है "झूठ" शब्द का प्रयोग असंसदीय है और इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, इनके जमाने में 3 वर्षों के दौरान जो इन्होंने प्रदेश में कुकर्म किए हैं, उनका रिकार्ड सचिवालय में मौजूद है, जिसे आप मंगाकर देख सकते हैं। इनके लीडर जो पूरे भारत देश की सरकार की नीति निर्धारित करते थे, उन्होंने स्वयं कहा था कि हमारी कैबिनेट में चरित्रहीन लोग हैं। उसी कैबिनेट में उन्होंने शपथ ली। यह आप केन्द्र सरकार की पत्रावली मंगा कर देख सकते हैं। श्रीमन्, भाई मोहन सिंह, जो इतने प्रगतिशील आदमी हैं, उनकी स्पीच सत्य से परे हुई। मोहन सिंह जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी। जो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप था, उसकी कार्यवाही हो रही है। लेकिन एक तरफ माननीय सदस्य बैठे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, प्रजातन्त्र के प्रतीक बन कर बैठे हैं। गाजियाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, पैथालजी डिपार्टमेन्ट, मेडिकल कालेज, लखनऊ जब माननीय चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे, वह फाइल मंगाकर देख लीजिए उन्होंने क्या किया था। हमारे मुख्य मन्त्री ऐसे मुख्य मन्त्री हैं, जिन्होंने अपनी जमीन और घर विनोबा जी को दान दे दिया। ऐसे मुख्य मन्त्री के चरित्र पर लांछन लगाना, माननीय सदस्य सत्य से परे बात कर रहे हैं। (व्यवधान) जरा सुन लें। गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में आज बोल रहे हैं। उनके जमाने में पश्चिमी प्रदेश में गन्ना जलाया गया था। पांच रुपये और सात रुपये क्विंटल गन्ना मिल वालों ने नहीं लिया। आज भ्रष्टाचार का चार्ज लगा रहे हैं।

पुलिस का भी आज बजट है। पुलिस के बारे में मुझे यह कहना है, जैसा कि हमारे अपोजीशन के भाई भी कहते हैं सभी पुलिस वाले भ्रष्ट नहीं हैं। पुलिस में भी अच्छे और बुरे हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि पुलिस में उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय, उनको सुविधायें दी जायं। आपके माध्यम से यह कहूंगा, हमारे भाई जो अपोजीशन से बोल रहे थे हमारे दोस्त हैं, ऐसी बात न कहें जो सत्य के परे हो। उनकी सारी फाइल सेक्रेटेरिएट में मौजूद है, उसको मंगाकर देख ली जाय। लीडर आफ अपोजीशन पर 302 का मुकदमा वापस किया गया है, यह फाइल शायद ला डिपार्टमेन्ट या होम डिपार्टमेन्ट से मंगवा कर देख लीजिये। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं इस अनुदान के आइटम नम्बर 4—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशनें तथा अन्य व्यय) और आइटम नम्बर 10—सांस्कृतिक कार्य विभाग के बारे में कुछ

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विचार रखूंगा सम्भवतः जिसके बारे में कोई सदस्य नहीं बोल रहे हैं। इसलिए मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने समय दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं जानता था, आप इस विभाग के मन्त्री थे।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हमारे देश में कुछ सौभाग्य से जीवित हैं, उनके कल्याण के लिए हमारे प्रदेश की ओर से एक व्यवस्था है, इसमें एक स्वतन्त्रता संग्राम कल्याण संस्थान भी है। जब मैं मन्त्री बना और राजनैतिक पेन्शन विभाग मेरे पास आया तो मुझे सूचना मिली कि स्वतन्त्रता संग्राम कल्याण संस्थान बन्द कर दिया गया है और इसका कोई कार्यालय नहीं है। मैंने वित्त विभाग से विशेष स्वीकृति लेकर संस्थान को पुनर्जीवित किया। इस संस्थान का कार्य यह था कि जो स्वतन्त्रत संग्राम के सेनानी निराश्रित हैं, उनके लिए सदनों का निर्माण हो। इसके अतिरिक्त जिलों और कस्बों में जहां पर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी मार दिए गए थे या कोई ऐसा कार्य हुआ था, जिसकी स्मृति में स्मारक बनाना है, उस कार्य को संस्थान करे। संस्थान को पुनर्जीवित करके, एक अकाउन्टेन्ट, एक क्लर्क, एक चपरासी, एक चौकीदार कार्यालय के लिये फर्नीचर आदि सारी व्यवस्था कराई। एक मन्त्री की भी नियुक्ति की गई, उस मन्त्री के ऊपर कार्यभार सौंपा गया कि वह देखें कि प्रदेश में कहां सेवा सदन और स्मारक बन सकते हैं और उसका सर्वेक्षण करें। ये कार्य प्रारम्भ हो रहे थे कि दुर्भाग्यवश श्री बनारसी दास जी की सरकार को समाप्त किया गया तथा राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और 2-3 महीने बाद आप पदासीन हुये। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि आपका विभाग भी है, यह एक ऐसा सामाजिक कार्य है, जिसका कि कोई इस दल या उस दल से सम्बन्ध नहीं है। संस्थान बन्द हो गया था, उसे हमने अपने शासनकाल में पुनर्जीवित किया था। परन्तु वहां पर आकर एक श्री कामेश्वर सिंह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं रिटायर्ड एस० पी० बैठ गये, कहते तो हैं कि वे आपके सम्बन्धी हैं, उन्होंने आते ही दो व्यक्तियों को कार्य मुक्त कर दिया, उन व्यक्तियों को नोटिस दिया, परन्तु उन व्यक्तियों को एक माह की तनख्वाह भी नहीं दी गई। जो स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी थे, अस्पताल में ये भर्ती हैं, उन दोनों की ड्यूटी थी कि वह उन बीमार सेनानियों की सेवा करते थे, उनको शौच का पानी देते थे, उनको उठाते-बैठाते थे, उनको नोटिस देकर उनकी नौकरी समाप्त कर दी। जिसको पूर्व शासन ने पुनर्जीवित किया था, उसको यह शासन बन्द करने जा रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उत्तर में यदि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार व्यक्त करें एवं इस पर आश्वासन दें। यदि ऐसा करेंगे तो कम से कम उन सब पर बड़ी कृपा होगी, जिनकी बदौलत हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है। दूसरी बात मैंने अपने शासन काल में यह देखी थी कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, उसी तरह से आकर सचिवालय के चक्कर काटता है, जिस तरह के आम जनता या कोई कोटा परमिट के लिये चक्कर काटते हैं, परेशान रहते हैं। मेरे विचार से इनका सम्मान सुरक्षित रहना चाहिये। मैंने एक नियम बनाया था कि सेनानी डाक से पत्र भेज दें और यदि 30

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव—]

दिन तक उत्तर न मिले, तो वे व्यक्तिगत रूप से आकर मुझसे मिलें। इसी तरह से मैंने एक नियम बनाया था कि अगर कोई स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी मर जाता है, तो बिना किसी आवेदन-पत्र के यदि उसकी विधवा है उसकी विधवा को पेन्शन प्राप्त होती रहे, इसके लिये किसी जांच की जरूरत नहीं है। इस तरह से जो अकारण जांच शुरू कर दी गई थी, उन जांच को बन्द करवा दिया गया था और ये आदेश था कि इनको परेशान न किया जाय। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जो कुछ कार्य हम लोगों नें किया था, उस कार्य को समाप्त कर दिया गया। केन्द्र से यह घोषणा की गई कि इन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेन्शन बढ़ा दी गई परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही है। मैं चाहूंगा कि आप इस ओर जरूर ध्यान देंगे, इस विषय पर कुछ न कुछ अवश्य बोलेंगे। दूसरा कार्य सांस्कृतिक विभाग का है। जब मेरे पास यह विभाग आया तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि लखनऊ के रहने वाले ही सांस्कृतिक विभाग का रुपया ले जाते हैं अन्य लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। मैंने मान्यवर, इसका विस्तार किया और विस्तार करके प्रदेश के चारों ओर जिलों में जा-जा कर सांस्कृतिक कार्य क्रम कराना प्रारम्भ किया, जिनको मैं देखता था कि जो कलाकार दूर पड़े हैं और आज उनको कोई भी सहयोग मिलने वाला नहीं है, उन कलाकारों का मैंने सम्मान किया और अनुदान दिलाया कला को जीवित रखने के लिये मैंने अत्यधिक प्रयास किया यह विभाग रोटी, कपड़ा, मकान से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु फिर भी मैं वह चाहता था कि इस विभाग का बजट बढ़ाया जाय। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूर्व शासन चला गया, उसी समय से कला की ओर से आंखें फेर ली गयीं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि जो ऐसे विभाग हैं, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है, उनकी ओर भी विशेष ध्यान दें और ऐसा मैं अनुभव करता हूं कि जो कुछ भी शासन को करना चाहिये, वह उसके लिए अवहेलना कर रहा है।

इसलिए मुझे भी इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ रहा है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने कृपापूर्वक सामान्य प्रशासन के इन अनुदानों पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कल से इस पर एक लम्बी चर्चा हो रही है। हमारे विरोधी पक्ष के सम्मानित सदस्यों ने, जिनके हाथ में करीब पिछले 3 सालों तक इस देश और प्रदेश के शासन की बागडोरी रही। जिनके काल में जातिवाद और गुण्डागर्दी का जन्म हुआ वे आज हमारे ऊपर यह सारे इल्जाम लगा रहे हैं। मान्यवर, जातिवाद को बढ़ावा देने में इनके नेता चौधरी चरण सिंह ही अग्रणी रहे हैं, यह देश के इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा। मान्यवर, आज यह सारे इल्जामात हमारे ऊपर लगा रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। हमारे पास निश्चित प्रमाण हैं जिसमें आपकी पिछली सरकार ने ऐसे-ऐसे मामलों में पैसे लिये हैं, जिसमें हमारे ही यहां के लोग थे। जिसमें यह भी नहीं देखा गया कि क्या जायज है और क्या नाजायज है। आज माननीय रियासत साहब यहां नहीं हैं, इन्होंने ही पिछली सरकार के समय इसी सदन में एक प्रश्न पूछा था जो अकबरपुर के वीरेन्द्र हत्या काण्ड से सम्बन्धित था। उसमें जो मुल्जिमान पकड़े गये थे वह रिकग्नाईज डकैत गैंग के सरगना थे और पेशेवर कातिल थे और तमाम दफात में सजा-याफ्ता भी

थे। मान्यवर इसी पिछली सरकार ने उन मुल्जिमानों को फैजाबाद जेल में 'बी' क्लास दिया था। माननीय रियासत साहब के प्रश्न पर उसको मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा,

(इस समय 1 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री दिवाकर विक्रम सिंह पीठासीन हुए)

कि जितनी गुण्डापरस्ती इनकी पिछली सरकार में हुयी, वह कभी भी नहीं हुयी और आज इस शासन पर इल्जाम लगाते हैं कि इस प्रदेश में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अपने समय में हुए कुर्सी वाद के झगड़ों को भूल गये। जब कुर्सी मिल गयी तो सरकार अच्छी रही और जब कुर्सी छिन गयी तो सरकार निकम्मी हो गयी। मान्यवर, 23-9-1979 के धर्मयुग में तत्कालीन सरकार के पूर्व गृह मन्त्री ने उस समय में बढ़ते हुए अपराध के आंकड़े पर एक बयान दिया था, उसका एक हिस्सा यह है कि पूर्व गृहमन्त्री और अभी प्रधानमन्त्री श्री चरण सिंह का यह कहना कि जनता पार्टी का शासन आने के बाद, अपराधों की स्थिति बिगड़ी नहीं है, ठीक नहीं लगता जब कि हम विभिन्न प्रदेशों में अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि देखते हैं 1976 की तुलना में 1977 में हुए अपराधों की संख्या मध्य प्रदेश में 19.8% उत्तर प्रदेश में 10.3 प्रतिशत, उड़ीसा में 13.4 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 5 4 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। लेकिन जनता सरकार के गृहमन्त्री बयान देते रहे कि जनता सरकार में कोई अपराध नहीं हो रहे। जब तक वह कुर्सी पर रहे, तब तक उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि कितना क्राईम बढ़ा, लेकिन कुर्सी से हटा दिये जाने के बाद सही दिखाई पड़ा। माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराएं कि जो पिछली सरकार द्वारा अकबरपुर के श्रमिक आन्दोलन पर गोली चलायी गयी। वहां के जिलाधीश और सिक्योरिटी आफिसर ने गोली चलवाई। इसके लिए जब श्रमिकों ने उस समय के उप मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव जी को मामले की जांच के लिए ज्ञापन दिया। जांच के उपरान्त बैठक हुयी, उसमें फैसला हुआ कि आठवी मांग के सम्बन्ध में न्यायिक जांच कराना उचित नहीं है। उप मुख्य मन्त्री जी ने यह भी बात कही कि जिन्होंने अपना साथ दिया है, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वह गलती पर हों या सही रास्ते पर रहे हों। इस तरीके का आप शासन करते रहे तो मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार का शासन करने का कोई आधार नहीं था जो गोली खाये हुये मजदूर थे उन्हीं को आपकी सरकार में बन्द किया गया। जिन्होंने मजदूरों के ऊपर गोली चलाई थी जिनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 की धारा 307 के अन्तर्गत रिपोर्ट है उनके सम्बन्ध में राम नरेश यादव जी ने आर्डर दिया था कि उनके ऊपर मुकदमा नहीं कायम किया जायेगा। इससे बड़ी शर्मनाक चीज और क्या हो सकती है। मान्यवर, भाई मोहन सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश की जनता इस बात में विश्वास करती है कि इस देश में नई प्रगतिशील व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और स्वच्छ प्रशासन श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ही मिल सकता है।

[श्री प्रियदर्शी जेतली--]

(तालियों की आवाज)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं उनका दामन किसानों और मजदूरों के खूनों से दागदार है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष का यह कटौती का प्रस्ताव उनके आचरण के बिल्कुल विपरीत है मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी नई समाजवादी दिशा की ओर कदम बढ़ायेंगे।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, आपने आज मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं और वह इसलिये मान्यवर, कि मैं इस छुट्टी मे घर गया था तो मेरी पत्नी ने पूछा कि बजट सेशन है आपने बहुत काफी बोला होगा मैंने कहा हां बोला तो। उसने कहा क्या बोला मैंने कहा हां और न के अलावा और कुछ नहीं बोला इसलिये विशेष धन्यवाद दे रहा हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश का हाल मैं यहां पर नहीं बता सकता हूं जैसा हमारे कुछ सदस्यों ने जो विरोध पार्टी के अन्दर हैं और नेता विरोधी दल पूरे प्रदेश और देश की हाल बता रहे थे। लेकिन मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर बुलन्दशहर के अपराधों का थोड़ा आकड़ा जरूर देना चाहता हूं। इस विधान सभा क्षेत्र में कत्ल और डकैती के मामले पिछले शासन के मुकाबले 50 प्रतिशत रह गये हैं। मान्यवर, जब से यह समाजवादी सरकार आई है मोटर गाड़ियों की लूट एक भी नहीं हुई। मान्यवर, यह समाजवादी और प्रिय सरकार जब से आई है मेरे यहां बलात्कार काण्ड नहीं हुआ है। हरिजनों को सताये जाने का एक काण्ड अवश्य हुआ। मान्यवर, जब इस विधान सभा चुनाव के अन्दर आजादी से वोट डालने का मौका दिया गया तो लोकदल के लोग एक गांव शेखूपुर रौरा जाकर वहां पर हमला किया और एक हरिजन को गोली से मारा और 4, 5 को घायल कर दिया यह इतिहास है इनका यह आंकड़े हैं। इसके बाद नेता विरोधी दल कह रहे थे कि बाढ़ टूट रही है मैं कहना चाहता हूं कि लोक दल की बाढ़ टूट रही है और लोग इधर आते चले जा रहे हैं। मान्यवर, इनकी बात वैसी है कि अन्धे के आगे रोवें, अपना दोदा खोयें।

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में हम अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं लेकिन वही कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुराय। मेरे अनूप शहर के अस्पताल में एक डाक्टर थे, जबरदस्ती उनको खींच लिया गया और उसके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया और एक जनता पार्टी के मन्त्री थे उनके समक्ष खड़ा कर दिया। अगर आप नवजीवन देखें 1 सितम्बर, 1978 को, उसमें भी लिखा है कि जनता पार्टी के विधायक द्वारा अभद्रता और जूनियर डाक्टरों द्वारा हड़ताल। हम लोगों के लिए कहा गया है कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और सजा देने के लिए कहा तो नहीं दिया गया। मैं अमृत प्रभात प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। यह हमारा शासन है और वह इनका था। हम लोग अयोग्य हो सकते हैं लेकिन नपुंसक नहीं जैसा कि इनके गाड फादर ने कहा था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के नेता के बारे में कहा था, हमारा नेता एक है लेकिन आपके यहां अनेक थे। ग्रीक में, यूनान में एक कहावत है कि वन बैंड कमाण्डर इज वेटर दैन थ्री बैंड कमाण्डर। मान्यवर, कुछ सुझाव है जैसे सिपाहियों के रहने के लिए भवनों की कमी है, उनके वेतन और भत्ते में सुधार किया जाये तथा इंग्लैण्ड के अन्दर मान्यवर, कोई भी डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट आई० पी० एस० का नहीं होता है। वहां सिपाही से तरक्की होती है और तब जाकर वह एस० पी० का पद पाता है। अतः सिपाही ही भर्ती हो और वही तरक्की पाकर एस० पी०, आई० पी० तक पहुंचे।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। शासन का ध्यान आकर्षित किया गया था और परम्परा रही है कि जब मुख्य मन्त्री सामान्य प्रशासन पर बजट प्रस्तुत करते हों तो कैबिनेट के आम सदस्य उपस्थित रहें। खासकर जो ब्राह्मण मन्त्री हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, एक भी आदमी उनका उपस्थित नहीं है, तो परम्परा को ध्यान में रख कर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई आवश्यक नहीं है। वह स्वयं देख लेंगे कि मन्त्रिमण्डल के किस सदस्य को उपस्थित होना है और किसको नहीं, जिसको वे आवश्यक समझेंगे वह रहेंगे।

*श्री बन्नन सिंह गहलोत--

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया और जो उसके बारे में कहा गया और जो सुनने में आया उससे तो वह बहुत दुरुस्त और साहस का लगता था लेकिन कोई आचरण वैसा दिखलाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन में कुछ सुधार हुआ है। मुख्य मन्त्री तबादलों के मामलों में बहुत कठोर हैं, उन्होंने किसी दबाव को सहन करने से इंकार कर दिया है। लेकिन मान्यवर, तबादलों के सिलसिले को देखने में आया है कि पिछले तीन महीनों में तबादला करवाने वाले और रोकवाने वाले यहां आते हैं और रुकते भी हैं राजनीतिक प्रभाव से और बराबर होते भी हैं। माननीय पंचायती राज मन्त्री ने 15 जुलाई को एक पत्र लिखा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी गौरी भैय्या ने एक बात कही। उस पर आपने कहा कि व्यवस्था नहीं है। असल में उन्हें कहना था कि संसदीय औचित्य का प्रश्न है। पार्लियामेंट्री एटीकेट का प्रश्न है। सामान्य प्रशासन का प्रश्न जब सदन में जेरेतजवीज हो तो मंत्रिपरिषद् के सारे सदस्य सदन में मौजूद रहें। इस पर आप व्यवस्था दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर व्यवस्था की विशेष आवश्यकता मैं नहीं समझता। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं निश्चित कर लेंगे। इस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री धम्मन सिंह गहलौत—

मैं यह कह रहा था कि मुझे जो आवास मिला है वह सड़क की ओर है। मैं रोज प्रातः काल यह देखता हूं कि अनेक रिक्शों पर बैठे हुए सरकारी कर्मचारी इन आवासों की ओर आते हैं। इस सम्बन्ध में कह रहा था कि पंचायती राज मन्त्री ने 15 जुलाई को एक पत्र सारे विधायकों को लिखा कि हम लोग बड़े परेशान हैं कर्मचारियों के तबादलों से। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी 17 जुलाई को पत्र लिखा था सम्मानित विधायकों के लिए सरकारी कर्मचारी सरकारी काम करने के बजाये अपने तबादले कराने के लिए राजनैतिक दबाव डालते हैं, इसे रोकना चाहिए। अभी तक क्या ऐसी व्यवस्था हो सकी है। बराबर अखबारों में छपता है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि इस प्रथा को रोकना चाहिए। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। आप किसी भी दिन बिना बताये तिथि निश्चित करिये और पता लगाइये कि लखनऊ नगर में रेलों से उतरने वाले कौन हैं, किस काम से आते हैं। आपको मालूम होगा कि सैकड़ों कर्मचारी केवल इसी काम से आते हैं। तमाम कर्मचारी तो लौट कर हाजिरी भी लगा देते हैं। सरकारी कर्मचारी भी आदमी हैं, उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिये। क्या हम अंग्रेजों की परिपाटी बदल नहीं सकते तबादला करने से पहले फरियाद नहीं सुन सकते। अगर किसी जगह जाना चाहता है और संभव है तो तबादला किया जाना चाहिए। बच्चों का एडमीशन हो गया है क्या आप वही व्यवस्था दिला सकते हैं दूसरी जगह। जो कोर्स एक जगह है क्या दूसरी जगह दिला सकते हैं। वही स्तर एजूकेशन का होगा। आप चाहते हैं पहली जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाये और दोनों जगहों का खर्च बर्दास्त कर ले।

एक बात मुख्य मन्त्री जी के सम्बन्ध में थी, उन्होंने कहा कि छापे लगाये। मैं इस सम्बन्ध मे उनकी नियत पर शक नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं कि वह चाहते हैं कि जमाखोरी खतम हो, मुनाफाखोरी खतम हो। उसका प्रभाव क्या हुआ। मैं मोहन सिंह जी की बात का समर्थन करता हूं। स्वयं माननीय मुख्य मन्त्री जी को जाने की आवश्यकता नहीं है। कितनी जगहों पर छापा लगायेंगे, 56 जिले हैं कितने दिन निकालेंगे। प्रशासन चुस्त होना चाहिए। वह केवल कलम से आर्डर करें सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाये। ऐसा होता नहीं। सरकारी मशीनरी हरकत में आती है जनता तक पहुंचते-पहुंचते उसका अंजाम बदल जाता है। और कोई मतलब नहीं निकलता। इमरजेन्सी में एक कार्यक्रम चलाया गया। इतनी जबरजस्ती किया गया, इतना अत्याचार सरकारी मशीनरी ने किया कि सरकार ही उखड़ गई। यही छापे के बारे में है मुख्य मन्त्री जी ने लखनऊ में छापे मारे उसके बाद सरकारी मशीनरी हरकत में आयी। एक उदाहरण देना चाहता हूं। अखबारों में एक खबर छपी कि गाजियाबाद में लाखों रुपये की चीनी पकड़ी गई।

मान्यवर, सारे इलाकों के बारे में तो नहीं जानता लेकिन कुछ के बारे में व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर जरूर कहना चाहूंगा। मान्यवर, धामपुर मंडी से बहुत अच्छी शकर, खांडसारी से बनी हुयी, सलफर से युक्त, बहुत अच्छी चीनी ट्रकों से जा रही थी। उन्होंने धामपुर नगरपालिका को टैक्स भी दिया।

उसकी रसीद भी कटी है। धामपुर मंडी से ट्रक लिया। उनके पास रसीद है। जब गाजियाबाद में उतार रहे थे, शायद दूसरे प्रान्त में ले जाने के लिए और दूसरी ट्रान्सपोर्ट सर्विस की व्यवस्था कर रहे थे, तो उनको पकड़ लिया गया। लेकिन मान्यवर, इनका एक पुलिस सब-इंसपेक्टर वहां पहुंचता है और सारे कागजात को फाड़ देता है और लिख दिया कि इनके पास कोई कागज नहीं है। मान्यवर, उसका परिणाम क्या हुआ? जो माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं कि छापे लगाये जायं, गैरकानूनी चीज को पकड़ा जाय, तो वह पकड़ी नहीं गई। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि आज हजारों आदमी बेचैन हैं। हजारों लोगों को यह बेचैनी पैदा कर रहा है कि यह सरकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कानून में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती कि पता लगाया जाता कि वह चीनी है कि नहीं। जिन लोगों की चीनी थी, उनको बुलाया जाता। उनको अवसर दिया जाता। उनको मौका दिया जाता कि वे स्पष्ट करते कि वह क्या चीज थी और कहां जा रही थी। यह देखते कि उनके पास क्या कागज पत्र हैं। लेकिन यह नहीं किया। अब वे लोग हाई कोर्ट जाने लगे, तो उन्होंने क्या किया?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया है।

[1 बजकर 57 मिनट]

श्री धम्मन सिंह गहलौत--

मान्यवर, एक मिनट दे दें। मान्यवर, पुलिस विभाग की दो एक बातें कह कर समाप्त करना चाहता हूं। मान्यवर, यह अखबारों में बराबर आ रहा है कि पुलिस और पी० ए० सी० में साम्प्रदायिक तत्वों को निकाला जायेगा। मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि क्या इसी तीन सालों में पुलिस और पी० ए० सी० में यह साम्प्रदायिक तत्व आ गए हैं। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह पुलिस और पी० ए० सी० की भर्ती तो आज से 50 साल/30 साल पहले कांग्रेस शासन काल में ही भर्ती किये गए थे। तो, मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस में उनको साम्प्रदायिकता के आधार पर भर्ती किया गया था? लेकिन आज उनके बारे में साम्प्रदायिकता की बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि किस तरह से आप उनको पी० ए० सी० से निकाल देंगे? फिर आज पी० ए० सी० की बात कहते हैं। कल मिलेटरी पर आक्षेप लगाया जायेगा। फिर शासन के बारे में कहा जायेगा। फिर मन्त्रियों के बारे में कहा जायेगा कि साम्प्रदायिक हैं। दूसरे दिन मुख्य मन्त्री जी पर आरोप लगाया जायेगा कि साम्प्रदायिक हैं। तो, मान्यवर, इस तरह से किस तरह से काम चलेगा?

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी--]

मान्यवर, बहुत सी बातें उधर के माननीय सदस्यों ने कही। लेकिन, मान्यवर, खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है कि उधर के पक्ष के लोग भी सत्ता में रह चुके हैं। मान्यवर, जब मैंने नेता विरोधी दल का भाषण सुना, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का भाषण सुना और श्री मोहन सिंह के विचार सुन रहा था तो एक बात का जरूर अहसास हुआ कि जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है--

पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे।

तो जब आप सत्ता में थे, तो आप क्या करते रहे? इसका आप फैसला करके तब हमसे विपरीत अपेक्षा कर सकते हैं। आपने तो जातिवाद की बात कही। दूसरे आप हमारी सत्य बात को भी नहीं सुनना चाहते और अपनी गलत बात हमसे सुनवाना चाहते हैं। जब आप सत्ता में थे, तो जातिवाद का जिस तरह से नंगा नाच देखा गया, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और जब विरोधी पक्ष में आ गये हैं, तो आज हम लोगों पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं और जाति विरोध की बात कहकर प्रदेश की जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।

आपने आरोप लगाया कि हमारे मुख्य मन्त्री जी आपसी द्वन्द के कारण दिल्ली दौड़ते हैं। मान्यवर, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि सावन के अंधे को हमेशा हर जगह हरियाली ही दिखाई देती है। लेकिन, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनके दल का जिस दिन जन्म हुआ, जिस दिन सत्ता में ये आये, यह पांच सर वाला बालक उसी दिन से आपस में टकराता रहा था और उसी दिन से ये द्वन्द के शिकार हुए थे।

एक सदस्य--

मान्यवर, माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में ढेर हरियाली है?

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

कांग्रेस (आई) के विधायकों का पूर्ण विश्वास माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह में है और वह पूरे कार्यकाल तक इस प्रदेश को आगे ले जायेंगे।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

एक सदस्य--

क्या आप मुख्य मन्त्री जी को अपना विश्वास दिखाने आये हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

इस प्रदेश में मुख्य मन्त्री हमारे नेता हैं, चाहे जितनी गलतफहमियां आप पैदा करें, आप नाकामयाब होने वाले हैं, जहां तक हमारे दल का सवाल है, हमारी नेता श्रीमती इंदिरागांधी हैं और उनके नेतृत्व में हमको और हमारे दल को आस्था है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांत रहें।

एक सदस्य––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य बजट पर न बोल कर दूसरे विषय पर बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता––

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। समय बरबाद न करें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी––

मान्यवर, उधर से माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार गुप्त भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री जी ने नैतिकत की बात को लेकर त्यागपत्र देने का नाटक किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेकर त्याग–पत्र तो दिया लेकिन जब आपकी हुकूमत थी और आपके नेता चौधरी चरण सिंह के खिलाफ एक सदस्यीय जांच आयोग ने आरोप सिद्ध कर दिया कि उनकी पत्नी तथा उनके दामाद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनमें नैतिकता नहीं थी कि वह इसको स्वीकार करते।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपका दल जब सत्ता में आया तो पहला काम किया कि फर्नांडीज साहब के खिलाफ मुकदमा वापस लिया, बीजू पटनायक साहब के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मामला था उसको वापस लिया गया, प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा था उसको वापस लिया। मान्यवर, उस समय यहां की सरकार में एक राज्य मन्त्री और एक उप मन्त्री जिन पर हत्या और बलवे का मुकदमा चल रहा था उनको वापस लेकर आपने मन्त्री बनाया। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जो आपके समय में बिगड़ी उसे ठीक करने का प्रयास हमारे मुख्य मन्त्री और उनकी टीम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं आप अपने जमाने को देखें, शर्म खाइये कि प्रदेश के इतिहास में अंधों और बहरों पर लाठी वर्षा आपकी सरकार ने करायी थी जो कभी हुआ नहीं।

एक सदस्य––

मान्यवर, यह गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि पंत नगर में क्या हुआ, अलीगढ़ में क्या हुआ । मान्यवर, मैं फर्रुखाबाद से आता हूं । मेरे क्षेत्र में, 25 अक्तूबर को जो कांड हुआ था अंग्रेजी काल में 1857 में वहां अंग्रेजों ने गोली चलायी थी लोग मारे गये थे, वहां मान्यवर, 25 मार्च, 79 को उनकी सरकार के जमाने में छात्रों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोली चली और 2 छात्र मारे गये और 5 छात्र घायल हुये । वहां 5 दिनों तक बाजार बन्द रहा और वकीलों तथा महिलाओं ने प्रदर्शन किया ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मेरे भाषण में इतनी टोका-टोकी की गयी है, दो मिनट और दे दें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां 41 आदमियों के विरुद्ध झूठे मुकदमें चलाये गये और एक भी पुलिस के सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया जिन्होंने छात्रों पर गोली चलायी थी । एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, एक प्रादेशिक सेना है जिसके बहादुर देश के स्वाभिमान की रक्षा करते हैं । मान्यवर, केरल, पंजाब, तामिलनाडु हरियाणा, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक सेना में जो 15 साल की सेवा के बाद प्रादेशिक सेना मेडल प्राप्त कर लेते हैं उनको राज्य सरकार 15 सौ रुपये देती है । आफिसर्स को 15 साल सर्विस बाद यह डिकोरेशन प्राप्त करने पर 2500 रुपये दूसरे प्रदेशों की सरकारें देती हैं । इसलिये मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, जिस तरह वह आगे बढ़ रहे हैं, वह एक काम यह भी करें कि टी० ए० के कर्मचारियों और अधिकारियों को इस छोटी रकम को देने का प्रयास करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मुईद अहमद—

अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । इस बजट के समर्थन में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री ने जब बजट पेश किया तो उधर से नेता विरोधी दल ने जो पुराने दिनों में छपी हुई खबरों को बाचना शुरू किया उससे अंदाजा हो गया कि इस प्रदेश के प्रशासन में वह किस तरह से सुझाव देना चाहते हैं । जब हमारे मुख्य मन्त्री दुष्ट दलन की बात करते थे उधर से चिल्लाहट होती थी, और जब भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते थे तो वह शोर करते थे, पी० डी० ए० ऐक्ट का नाम लेते थे तो उनको पीड़ा होती थी । मेरी समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार, अत्याचार और तस्करी के खिलाफ जब हम अभियान चलाते हैं तो आप लोग इतना शोर शराबा क्यों करते हैं । इससे जाहिर है कि आपने कोई सुझाव नहीं दिया और जब हमारे मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि टेलीफोन, वायरलेस बढ़ाये जा रहे हैं जरायमो को रोकने के लिये और जिलों को मुख्यालय से जोड़ने के लिये टेलीप्रिन्टर लगाये जा रहे हैं तो उसका आपने स्वागत नहीं किया जब कि आपको उसमें सुझाव देना चाहिये था । ऐसा लगता है कि परम्परा में आपने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा बल्कि वास्तव में आप चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन न रहे और दंगे, भ्रष्टाचार और तस्करी के काम हों और ला एन्ड आर्डर आप नहीं चाहते हैं । इससे मुझे एक शेर याद आती है :

आज कर रहे हैं खिजा पे वह तनकीद
खुद जिन्होंने चमन उजाड़ा है ।

नेता विरोधी दल अखबार वाच रहे थे, [× × ×] लेकिन नेता विरोधी दल ने जो हवाला दिया है तो उसके जबाब में मैं भी दो उद्धरण देना चाहता हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं । मूर्खता शब्द संसदीय नहीं है । अभी माननीय सदस्य बोलते-बोलते भावुकता और जोश में नेता विरोधी दल को मूर्खता का बयान अखबार पढ़कर दिया है । यह असंसदीय शब्द कार्यवाही से निकलवा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

मूर्खता शब्द यदि आया है तो उसे निकाल दिया जाय ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, 21 जुलाई, 1978 के दैनिक जागरण का उद्धरण मैं देना चाहता हूं । उसमें लिखा है कि एक मन्त्री की कार से युवती बरामद हुई । उस समय के होम मिनिस्टर ने युवती के जांच के आदेश दिये और जांच बैठाया । तो उन्हीं की कार से युवती बरामद हुई थी यह जांच में पाया गया । मान्यवर, दूसरा उद्धरण दैनिक जागरण 17 नवम्बर, 1978 को देखें, तो आप दावा करते हैं कि वह हरिजन से प्रेम है और उनका समर्थन करते हैं । लेकिन उस समय उन्हीं के विधायक ने हरिजन दरोगा की पिटाई की है जो 17 नवम्बर, 1978 को पेपर में आया है । इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस ने असंतोष व्यक्त करके राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया था । यह फोर्स जिससे शासन में सुधार होता है, ला एन्ड आर्डर मेन्टेन किया जाता है उसको उन्होंने डिमोरलाइज किया है । यह स्थिति है । मान्यवर, नेता विरोधी दल और रियासत हुसैन साहब कल मुरादाबाद की घटना पर चर्चा कर रहे थे । मुरादाबाद की घटना अपने में एक दुर्भाग्य था, वहां के निवासियों का दुर्भाग्य था । इतिहास में भी ऐसी घटनायें कम होती हैं । उसमें ज्यादतियां हुई हैं । इसको मैं तस्लीम करता हूं । मगर उन ज्यादतियों को इस प्रशासन ने किस तरह से रोका है उधर भी देखिये । 13 अगस्त के बाद तथा कर्फ्यू के बाद वहां कमिश्नर और डी०आई०जी० को भेजा गया और उसके बाद मुरादाबाद में एक भी घटना नहीं घटी । एक छुट फुट घटना दर्ज हुई । एक घटना आज तक नहीं घटी जब कि इतना बड़ा शहर रोजाना कुछ न कुछ हुआ करता था ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री मुईद अहमद--]

अंत में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आप पुलिस प्रशासन के लिये बढ़िया सुझाव बतायें, स्वस्थ्य आलोचना करें। मैं कहता हूं इस प्रशासन में सुधार आ रहा है जिस तरह से आप ने बोया है उसको दबाने के लिए, जो जहर आपने बोया है उसे दबाने के लिए, गलत लोगों को भर्ती किया है, उसको ठीक करने में समय लगेगा। एक-एक गलत व्यक्ति की छंटनी करके बेनकाब किया जायगा और प्रशासन को चुस्त और स्वस्थ्य बनाया जायगा, यह दावा है इस शासन का। अन्तमें मैं पुनः बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शंकर सिंह--

गौरी शंकर के बाद शंकर सिंह आते हैं...।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष से पिछली दफा हमने एक व्यवस्था का सवाल किया था कि माननीय सत्ता पक्ष और विपक्ष के मेम्बरों को इजाजत से बुलाते हैं। जो अन्य छोटे-छोटे दल हैं, निर्दल सदस्य हैं, उनमें से भी कम से कम एक आदमी को प्रत्येक दिन बोलने का मौका दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी थी कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा छोटे-छोटे दलों और निर्दल मेम्बरों को बोलने का मौका दिया जायगा। कृपया इसका भी ध्यान रखें।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर कोई व्यवस्था देने की बात गौरी शंकर भैय्या मेरी समझ में नहीं आ रही है। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। कार्यमंत्रणा समिति या पीठासीन अधिकारी या माननीय उपाध्यक्ष जी अगर कोई ऐसा निर्णय ले लेंगे तो उसका पालन किया जायगा। मगर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है....।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

सत्ता दल से विपक्ष के लोगों को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए कटौती के प्रस्तावों पर बोलने के लिए। और चीजों में जैसा भी करें लेकिन कटौती के प्रस्तावों पर तो विपक्ष को बोलने का....।

श्री अधिष्ठाता--

बिष्ट जी, आप जो सदस्य बोल रहे हैं, उन को बोलने दें। क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

श्रीमन् मैं 2-15 पर प्रारम्भ कर रहा हूं। विशेषरूप से अभी कह देना चाहता हूं कि गौरी भैय्या और बिष्ट जी ने जो समय लिया है कृपया उसको मेरे समय में न जोड़ें।

संख्या 3--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 1[illegible]--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19, 25 व 80--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29--सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रौद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 43 व 88--सूचना विभाग

श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री जी जब बोल रहे थे मैंने एक-एक शब्द बड़े ही गम्भीरता से सुना है। उन्होंने अपनी प्रशासन की क्षमता की बात और छापा डालने की बात अपनी तकरीर में कही थी। श्रीमन्, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बहुत हैण्डसम भी हैं और काबिल भी हैं, सरल हैं, स्वभाव में बड़े मधुर हैं, मीठे हैं लेकिन श्रीमन्....

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अगर इतने ही गुण हैं तो मेरी पार्टी में चले आओ [×××]।

श्री विजय सिंह राना--

व्यवस्था का सवाल है। बाजपेयी जी ने [×××] शब्द का इस्तेमाल किया। क्या यह संसदीय है ? [×××]

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

[×××] शब्द संसदीय घोषित हो चुका है।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर बहस न करके सामान्य प्रशासन पर बहस की जाय।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मैं व्यवधान नहीं डालता हूं लिहाजा बाजपेयी जी से प्रार्थना है कि मैं जब बोल रहा हूं तो उनको मेरे भाषण के मध्य व्यवधान डालने की बात क्यों सूझती है ? एक अच्छा व्यक्ति जैसा होना चाहिये वह मुख्य मंत्री जी हैं इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी नामक घोड़े पर कितना ही खूबसूरत सवार बैठ जाय उससे काम नहीं चलता है। जिस घुड़सवार की टांगों में ताकत नहीं है वह ब्यूरोक्रेसी जैसे अड़ियल घोड़े पर काबू नहीं पा सकता। राजा हैं वह तो उनको एक अच्छा घुड़सवार होना चाहिये था, उनकी टांगों में पूरी ताकत होनी चाहिये थी।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

इसीलिये तीन साल में घोड़े ने उनको पटक कर गिरा दिया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता --

जब आपको मौका मिलेगा तो आप कह लीजियेगा।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मैं प्रशासनिक घोड़ों की बात कर रहा था। लेकिन माननीय सदस्य जब तीन साल की बात इसमें लाते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। जिस तरह समाज में, हिन्दू दर्शन म चतुर्वर्णीय व्यवस्था होती है उसी तरह से हमारे प्रशासनिक ढांचे में भी चतुर्वर्णीय व्यवस्था है। जो आई0 ए0 एस0 अधिकारी है वह 20 विस्व का ब्राह्मण है और जो पी0 सी0 एस0 से प्रोमोट हो कर आता है वह 15 वि व का ब्राह्मण होता है। वह 20 बिस्वा का ब्राह्मण 15 बिसवा वाले ब्राह्मण से बात करने में अपनी हेठी समझता है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय सदस्य ब्राह्मण की बात क्यों करते हैं क्या 20 बिस्वा के लिये ब्राह्मण ही मिला था ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

एक जमाना था जब अलीगढ़ के आई0 सी0 एस0 कलेक्टर श्री मार्क्स थे और इटावा के आई0 सी0 एस0 कलेक्टर श्री ह्यूम थे। उनकी बहुत चर्चा होती थी और बहुत जनप्रिय वह थे। लेकिन आज प्रशासन में बैठे हुए तीन और ढ़ाई हजार रुपये वेतन पाने वाले अधिकारी का जनता से उतना अच्छा सम्पर्क नहीं है जितना अच्छा सम्पर्क होना चाहिये। वही अकेले में पढ़ते रहने की आदत पड़ी हुई है (व्यवधान) उनके रवैये में आज परिवर्तन की आवश्यकता है। कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बात का हवाला दिया था। कहा था कि एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। ढाई करोड़ रुपये के घपले की बात उन्होंने कही थी। उनका ध्यान मैं 24 अप्रैल के पायनियर की न्यूज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं बदायूं, ललितपुर, गोरखपुर, देवरिया, झांसी आदि जिलों में घटिया दवाइयां डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल और सी0 एम0 ओ0 को बेची गयी है। उसमें यह था 2 रुपये की कीमत की दवा को 20 रुपये में सप्लाई किया गया। यहां तक हुआ कि जो रिटेल रेट छपा था उससे अधिक दामों पर उनको बेचा गया और दवाइयों के जो रिटेल दाम छपे थे उनसे अधिक दाम लगा दिये गये। क्या इस पर ध्यान नहीं जाना चाहिये था ? जब इस बात की शिकायत डायरेक्टर, मेडिकल हेल्थ से की गयी तो उन्होंने एडीशनल डायरेक्टर श्री आर0 सी0 शर्मा को वह शिकायत मार्क कर दी। और उनको जांच के लिए आदेश दे दिया लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। फर्म की सप्लाई में लाखों रुपये का वारान्यारा होता है। उसमें बहुत बड़ा एक रैकेट शामिल है इसलिए वे उसे दबाकर बैठ गये। जो दवायें बाजार में निश्चित कीमत से अधिक म बेची जाती हैं वह इकानौमिक आफेन्स माना जाता है उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। जिस दिन से आर0 सी0 शर्मा ऐडिशनल डाईरेक्टर हुये तब से रेट कन्ट्रेक्ट नहीं हुआ और कोई इन्क्वायरी नहीं हुई जिसमें लाखों रुपयों का सौदा है ?

आपने हरिजनों के आरक्षण के सम्बन्ध में कहा है। मैं आपका ध्यान आपके ही नाक के नीचे सचिवालय की बात लेता हूं जो आपने एक सामान्य प्रशासन की पुस्तिका निकाली है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें संयुक्त सचिव के 3 पदों में एक पद अनुसूचित जाति के अधिकारियों के लिये रखा गया है इसी तरह से उप सचिव 13 म से शून्य, यानी जीरो परसेन्ट, अनु सचिव 58 में 6,

यानी 10 प्रतिशत, अनुभाग अधिकारी 294 में 29, यानी 9 परसेंट । इसी तरह से निजी सचिव (विशेष ग्रेड) में 3 में शून्य, यानी जीरो परसेंट, निजी सचिव, ग्रेड 1 में 16 में शून्य यानी जीरो परसेन्ट, निजी सचिव ग्रेड 2 में शून्य परसेन्ट और वैयक्तिक सहायक 429 म 11, यानी 3.9 परसेन्ट आरक्षण दिया गया है ।

मान्यवर, जिस देश ने 1976–77 में 148 करोड़ 12 लाख रुपये की चीनी विदेशों म भेजी हो उसे 1980 के दो महीनों के लिए 120 करोड़ रुपये की चीनी विदेशों से खरीदनी पड़ी और जिन राज्यों में इंदिरा कांग्रेस का राज नहीं है वहां चीनी का ज्यादा संकट पैदा नहीं हो पाया ।

मान्यवर, अन्त में मैं एक शेर सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

लग रहा है फिर कोई लहर आने को है
इस शहर के बाद भी कोई शहर आने को है
रक्तखोरों पढ़ सको तो पढ़ लो अपना मरसिया
फिर नये विद्रोह की कोई खबर आने को है ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी––

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट मांगों का समर्थन करते हुये विरोधी पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, शांति और व्यवस्था किसी भी प्रशासन का एक ऐसा दायित्व है जिससे प्रशासन की क्षमता और राज्य की सजगता परिलक्षित होती है । 17 फरवरी, 1980 को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया क्योंकि उस समय की कार्यरत लोकदल की सरकार शांति और व्यवस्था को नियंत्रित करने में पूर्णरूप से असफल हो रही थी । मान्यवर, 1980 म प्रदेश की जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया और 9 जून, 1980 को प्रदेश में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की जनप्रिय सरकार का गठन हुआ । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनप्रिय सरकार ने सर्वप्रथम शांति और व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने शपथ लेने के बाद सबसे पहले अपराध की स्थिति को नियंत्रित करने के लिये 17 जून, 1980 से 16 जुलाई, 1980 तक एक प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जिसके दौरान डकैतियां, लूट, दंगे पिछले 5 वर्षों की अपेक्षा कम हुये और हत्याओं में 16·90 प्रतिशत तथा डकैतियों में 18·79 प्रतिशत की कमी आई । मान्यवर, प्रजातंत्र में जनता में ही सत्ता का निवास है और जनता जनार्दन ही हम सबकी साहब है । लोकदल और जनता पार्टी के शासन काल में गरीब जनता को काफी परेशानियां उठानी पड़ी हैं । 30 अक्तूबर, 1977 के गोली कांड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । पूरनपुर में उस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लोग अनशन कर रहे थे उसके बदले में उनके ऊपर गोलियां चलाई गई । उसमें निर्दोष लोग मारे गये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस चल रहे हैं उन्हें तत्काल वापस लिया

[डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—]

जाये । आज उसी का परिणाम है कि उन्होंने गलतियां की और उधर बैठना पड़ा है ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपराधों को कम करने की तरफ कदम उठाया है और उसी का परिणाम है कि 1980 म अपराधों में कमी आई है । पुलिस वालों ने गौतम गड़रिया और विक्रम मल्लाह जैसे गिरोह को समाप्त किया । कई वर्षों से जो डकैती कर रहे थे और एक आतंक मचा रखा था । उसको समाप्त करने के लिय पुलिस निश्चय ही प्रशंसा की पात्र है । दस्यु उन्मूलन और चोरी करने वालों को पकड़ने के लिये जो अभियान शासन ने चलाया है उसकी मैं सराहना करता हूं और मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि पुलिस वालों को इसके लिए काफी सुविधायें दी जायें जिससे प्रदेश में शांति, व्यवस्था समाप्त करन वालों और गड़बड़ी करने वालों से सही ढंग से निपटा जा सके ।

मैं आपका ध्यान आयुर्वेदिक स्नातकों की मांगों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । जो उनकी मांगें थी उसके लिए लोकदल और जनता पार्टी शासन ने आदेश कर दिये थे, तृतीय श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त करने के आदेश कर दिये थे परन्तु अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है जिससे छात्रों में काफी असंतोष है । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस समय जो आयुर्वेदिक छात्रों की असन्तोष की चिनगारी सुलग रही है वह कभी भी शोले का रूप धारण कर सकती है । इसलिय जो तृतीय श्रणी के चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त करने के आदेश लोकदल सरकार ने किय थे उन्हें कार्यान्वित किया जाये ।

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह की जब संविद सरकार थी उस समय डेढ़ साल तक छात्रों ने आंदोलन किया जिसके कारण उनका एक सत्र समाप्त हो गया था और उन्हें चौधरी चरण सिंह के कोप का भाजन होना पड़ा था इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आप उनके साथ विचार-विमर्श कर और उनकी जो उचित मांगें हैं उन्हें स्वीकार करें । इससे छात्र समुदाय में आपके प्रति विश्वास पैदा होगा और जो छात्र निराश हो गये थे वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—

मान्यवर, मैं दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं । भारत, नेपाल सीमा पर काफी संख्या में स्मगलिंग की जा रही है उसको समाप्त करने के लिए शीघ्र कठोर कार्यवाही की जाय जिसमें सरकारी कर्मचारी भी उनसे मिले हुये हैं । दूसरा जो लोग पूरनपुर में जनता शासनकाल में पकड़े गये थे उनके केसेज वापस ले लें क्योंकि वह लोग क्षेत्र की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिये शांति पूर्ण आंदोलन कर रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय तिवारी जी आप बैठें, आपका समय समाप्त हुआ ।

(व्यवधान) (कई माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे ।)

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

जो लोग जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी कर देश और प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं चाहे वह नेता हों, चाहे अधिकारी हों या व्यापारी हों और चाहे कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हों उनको इतनी कठोर सजा दी जाये ताकि देखनेवालों और सुननेवालों के दिल भी दहल उठें। तभी इस प्रदेश का भला होगा और गरीब जनता को एहसास होगा कि प्रदेश में जनतंत्रीय सरकार उनके लिए कुछ कर रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। आपका समय समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की पेंशनों में समानता लाई जाये।

(व्यवधान)

जो मीसा में बंदी लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह सुविधा देने की बात है उसे निरस्त की जाये।

(व्यवधान)

अन्त में मैं पुनः प्रस्तुत बजट का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्रीमती महारानी दोहरे--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय जी मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसकी मैं आभारी हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी के अनुदान बजट पर बोलते हुये, उसका समर्थन करते हुए मैं सदन में यह बताना चाहूंगी कि वह जब इस अनुदान बजट पर बोल रहे थे, तो उस समय मैंने ऐसा आभास पाया कि उनके हृदय में शोषित और पीड़ित जनता के प्रति बड़ी श्रद्धा और पीड़ा है। जो सदन के माननीय सदस्य हैं, यदि उनके हृदय में वास्तव में उस शोषित और पीड़ित जनता के प्रति जरा भी अंश में हमदर्दी है, तो उस समय उनको भी उनके हृदय में करुणा और दया की झलक दिखाई दी होगी मैं। केवल ऐसे मुद्दों पर बोलना चाहती हूं और मुझे आशा है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी हमारी बात को ध्यान-पूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से उस वर्ग की कुछ आवाज को शासन तक पहुंचाना चाहती हूं।

[श्रीमती महारानी दोहरे—]

15 अगस्त, 1947 को जब यह देश आजाद हुआ और उस आजादी के 35 वर्ष डेढ़ माह हो गये, तब से अब तक उस शोषित और पीड़ित वर्ग की लम्बी कहानी है। जब कोई बजट पास होता है तो उस समय उसे बड़ी-बड़ी आशायें दिखाई देती हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ, उस झोपड़ी और झोपड़ी में टिमटिमाते दीप की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, उस समय दीप में न बाती थी न तेल, लेकिन उस वर्ग ने सोचा कि हमारा देश आजाद हुआ है। पर दुखः इस बात का है कि आज इतने समय बीतने के बाद उस वर्ग को कितनी स्वतन्त्रता मिली है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। वास्तव में आपके हृदय में करुणा और दया उस वर्ग के लिये है, इसके लिये मैं पूर्ण रूप से आभारी हूं, लेकिन आप केवल दो ही काम इसके लिये करें—सामाजिक शोषण से मुक्ति और आर्थिक स्थिति में सुधारा। यदि इन्हें आपके प्रशासन ने कर दिया, तो उससे इस वर्ग की प्रगति अवश्य होगी। इसके लिए पुलिस विभाग में उनके आरक्षण का कोटा, जो अधूरा पड़ा है, उसको कम्पलीट किया जाए, जिससे उसका शोषण क सके। सदन में तीन महीने से बराबर मैं अपनी बहिनों के बारे में सुन रही हूं। विरोधी भाइयों के भारतीय संस्कृति के नारे को उस समय ठेस पहुंची, जब से लोकदल का नारी चुनाव चिन्ह हुआ है, जब से उस खूबसूरत महिला के चेहरे पर स्याही का धब्बा इन्होंने लगवा दिया है। मैं यहां इटावा जिले के उस केस को सामने लाना चाहती हूं, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहती, वहां एक बाल्मीकि बालिका, के साथ, जो एक कृषि अधिकारी के यहां सफाई का काम करती थी, उस अधिकारी के सुपुत्र ने क्या किया ? यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं और उसकी इस सदन में कितनी गूंज उठाई गई थी। उसके बाद वह अपराधी उन्नाव में पकड़ा गया। लेकिन क्य उस अपराधी को कोई सजा दी गई। नहीं, 8 दिन बाद वह केस ही वापस हो गया। इसी तरह उस पीड़ित और शोषित वर्ग पर जादोपुर में जो काण्ड किया गया है। आपकी पार्टी के एक मिनिस्टर थे, उनके सम्पर्क में डकैतों का एक गिरोह रहता था और उस गांव में जितनी भीषण हत्यायें हुयीं वे इटावा जनपद के इतिहास में एक मिसाल हैं। इससे बुरा दिन और कोई न होगा, जब कि 14 हरिजनों को एक ट्रक में डालकर इटावा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यही नहीं उन सब को यमुना के किनारे एक साथ जलाया गया जब तक हरिजनों को सुरक्षा के अधिकार नहीं देगें तब तक उनकी तरक्की और उनका उत्थान और उनकी प्रगति नहीं हो सकती। महिलाओं के प्रति बड़ी हमदर्दी दिखायी जाती है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि यदि उनकी सही मायनों में श्रद्धा है तो उनकी सुरक्षा के लिए आपको सुझाव देने चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया (व्यवधान) मैं माननीय नेता, विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं (व्यवधान)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप हमें बोलने दीजिए। आप हमको जबरदस्ती चिपकाये हुए हैं (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठे, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। जिस माननीय सदस्य को मैंने बोलने के लिए पुकारा था उन्हें बोलने दें ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×] (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जो कुछ भी आप कहेंगें, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें ? आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, यहां पर हमारी जो मशीनरी है, उत्तर प्रदेश की मैं समझता हूं कि उस पर वर्तमान मंत्रिमंडल का कोई नियंत्रण नहीं है और एक दूसरे के विरोधाभाषी हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान वर्ष 1974 के पूर्व के समय की ओर ले जाना चाहता हूं। जो यहां के कृषि मंत्री थे और थोड़े दिन के पहले के जो मुख्य सचिव थे, वे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाया करते थे। वे परिवहन मंत्री के रूप में और वे ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के रूप में कार्य करते थे। अब तो वे कृषि मन्त्री हो गये और वे सौभाग्य से मुख्य सचिव। इसी एक उदाहरण से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यहां की मशीनरी पर सूबे के मंत्रिमंडल का किस प्रकार से नियंत्रण था। जिन लोगों का विरोधाभास था आज वे आपके सामने बैठे हुए हैं। यहां पर अधिकारियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया लेकिन मैं कहता हूं कि मंत्रि मंडल के जो सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको यह देखना है तो बस्ती जिले में जाकर देखिए। वहां पर माननीय मंत्री जी की एक कार्बन कापी मौजूद रहती है उनके हुक्म से सारे तस्कर जो लोकदल और जनता पार्टी के शासनकाल में हिन्दुस्तान में नहीं रहते थे, वे

नोट—[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय—]

आज एक विशेष मंत्री के घर पर घूमते रहते हैं। यदि इन राजनीतिक संगठनों, भ्रष्टाचारियों और तस्करों को इस मंत्रिमंडल के लोग प्रश्रय प्रदान करते रहें तो यहां के अधिकारी किस प्रकार से शासन चला सकेंगे। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार इस स्तर तक व्याप्त हो गया है कि छोटे पैमाने पर कोई सही काम नहीं हो सकता है। हर बात में प्रशासन के लोगों को पार्टी के नजरिये से काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा हमारे जनपद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं इस सदन में कई बार कह चुका हूं। मेरे जिले के माध्यम से काठमांडू और चीन को हमारे देश का सामान जाता है। चावल चीन गया है। हमारे यहां की गल्ले की दूकानों का चावल और गेहूं आदि रक्सौल, गोरखपुर होकर नपाल के माध्यम से चीन जाता है। कुछ दिन पहले गल्ला पकड़ा गया था। हमारे यहां अतिरिक्त जिला अधिकारी हैं, दिन भर पकड़ा जाता है और रात को छोड़ दिया जाता है। इसी सदन में वक्तव्य दिया गया। मैंने पूछा कि किस-किस के विरुद्ध ए०फ०आई०आर० दर्ज करायी गयी। नहीं बताया गया। एक आदमी का चालान हुआ। मुझे बताया गया। आपके युवक कांग्रेस अध्यक्ष थे, इतना बड़ा घोटला करेंगे तो कैसे पकड़ा जायेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त है, जहां वह कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करें वहां वह राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी दूर करें। हमारे यहां पूरी तहसील में दो व्यक्ति हैं जिनके गल्ले और चीनी की 100-100 दूकानें चलायी जाती हैं। एक भी बोरा चीनी का बटता नहीं। इस पर कोई नियन्त्रण होगा। यहां से स्पेशल सेक्रेटरी भूरे लाल जी भेजे गये। वहां तीन-चार सौ बोरे गेहूं और दो-तीन सौ बोरे चावल के पकड़े गये। वह यहां चले आये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि इसे छोड़ दिया जाय क्योंकि एक माननीय सदस्य संसद से सम्बन्धित थे। कांग्रेस के लोगों ने अखबारों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इसी तरह से राजनैतिक लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्ट व्यक्तियों को पनाह देते हैं और हम अखबारों में माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य पढ़ते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर डी०आई०आर० और मीसा चलाया जायगा। उसमें कितने सांसद चले जायेंगे, कितने विधायक चले जायेंगे। यह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। न केवल कर्मचारी भ्रष्ट हैं, मंत्री भी भ्रष्ट हैं। मेरे पास प्रमाण हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि एक कमेटी बना दें। मैं आपके वर्तमान वित्त मंत्री के खिलाफ, मेरे पास प्रमाण हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उनकी कार में डकैत और तस्कार घूमते हैं। रोज बैठे-बैठे अफसरों के ट्रांस्फर हो जाया करते हैं। बाहर लिख देते हैं ट्रांस्फर नहीं होगा, अन्दर ट्रांस्फर हो जाता है। कहां प्रशासन चल रहा है? मैं एक उदाहरण दूंगा। एक सदन में मामला उठाया था जिले के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शिवहर्ष उपाध्याय की 9 बजे रात को गोली से हत्या की गयी, ऐसी जगह पर जहां मजिस्ट्रेट और जज रहते हैं, जहां से कलेक्टर के बंगला नजदीक है। लेकिन उसके बारे में आज तक कोई न गिरफ्तारी हुई है और न मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस ने सी०आई०डी० को जांच दे दी। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जहां माननीय मुख्य मंत्री कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को ठीक करें वहां कलफदार कुरता पहनने वाले, आपके जो कार्यकर्ता घूमा करते हैं, उनको कब्जे में रखें जो भ्रष्टाचार की जड़ हैं।

संख्या 3--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19, 25 व 80--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा अनुदान संख्या 43 व 88-सूचना विभाग

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र --

मान्यवर, आपने आदरणीय मुख्य मंत्री के बजट का समर्थन करने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं सबसे पहले एक शब्द शेर के रूप में कहूंगा। ।" मैं आह भी भरते हैं तो हो जाता हूं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती" ।

मान्यवर, कल से ही यह सुनी जा रही है कहानी और हमारे विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कटौती का यह जो प्रस्ताव रखा, मैं यह सोच रहा था कि कम से कम पढ़े-लिखे आदमी हैं, मन्त्री भी रह चुके हैं मैं उनसे यह उम्मीद कर रहा था कि शायद अनुदान का प्रस्ताव जो रखा गया है वह कम है, उसमें कुछ बढ़ोत्तरी की बात करेंगे। वह महलों के बाहर जब जाते हैं, तो इनकी कल्पना इतनी ऊंची हो जाती है कि जनता को गुमराह करने की सारी साजिश हो जाती है। लेकिन गरीब के हक हकूक की बात जब की जाती है, तो कटौती का प्रस्ताव लाते हैं।

मान्यवर, मैं कुछ नैतिक मूल्यों की तरफ भी अपने आदरणीय अपोजीशन के लीडर से कहना चाहूंगा कि आपने कल अखबार के टुकड़ों का जो अम्बार यहां पर लगा दिया था, अगर मैं उन्हीं शब्दों में उन बातों को दोहराना शुरू करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मान्यवर, आपने जो तर्क प्रस्तुत किया था, क्या यह सही नहीं है कि अपने 30 साल की कांग्रेस की हुकूमत की बेहतर दीवार को 3 सालों में ध्वस्त करके गिरा दिया। मान्यवर, आपने जब भी सदन में चर्चा किया बलात्कार की चर्चा किया। आपने जब सदन में चर्चा किया, तब डकैती की चर्चा किया। आपने जब सदन में चर्चा किया तो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के भ्रष्टाचार की चर्चा किया। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब आपकी हुकूमत थी, तब आपने क्यों नहीं आई० पी० एस० और आई० ए० एस० के अधिकारियों को ध्वस्त कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं खत्म कर दिया। आपकी आखों में वह खटक रहे हैं, जो आपके इशारे पर नहीं नाचते थे। लेकिन जो आपके इशारे पर नहीं चलते थे, आपने उनको उठा कर देवरिया से उत्तरकाशी में भेज दिया या लखनऊ से उठा कर झांसी भेजा। यह आपका इतिहास है। एक बात मैं कहना चाहूंगा मान्यवर, कहना तो नहीं चाहता था, यह अखबार है। अखबार की छोटी सी कटिंग है। एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, मैं उनका नाम नहीं खोलना चाहता हूं, 21 मार्च का यह अखबार का टुकड़ा है, नेशनल हेराल्ड है, इसमें मेम्बर आफ पार्लियामेंट शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा गया और जनता पार्टी के रिजीम में। दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, अभी हमारे बाबू मोहन सिंह जी यहां पर बैठे हुए थे, हमारे जिले के रहने वाले हैं, हमारे करीब के हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अगर उन शब्दों का प्रयोग करूंगा, तो हम लोगों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर बृज किशोर मिश्र--]

आना ही इस सदन में बेकार है। जब वह स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने अफसरों को लेकर पडरौना में गोली चलवाई थी, सारे पुलिस के अधिकारी और अफसर मौजूद थे। आपके सारे काम जो होते हैं वह फर्जी होते हैं। मेरे यहाँ जो काम होते हैं, वह नैतिकता के आधार पर होते हैं। उनका अपना स्थान है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, उस समय 200 गुंडे लोगों को लेकर दो सौ छात्रों को लाठी से मारा गया, न कि पुलिस के माध्यम से बल्कि बड़हल से लाये हुए गुंडों के माध्यम से।

(व्यवधान) (शेम-शेम)।

मान्यवर, ऊंची बात और नैतिकता की बात करना, एक चीज मैं कह दूं, एक लाईन है छोटी-"मेरे दोस्तों को खबर करो, मुझ पत्थरों से भी डर नहीं है, वह अपनी हबिश निकाल ले, मेरी जिस्म कांच का घर नहीं।" तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि सम्पूर्णानन्द और पन्त जी के बाद अगर कोई चीफ मिनिस्टर आया है, गरीबों का रहनुमा, तो वह विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं और उनके नेतृत्व में सारे कांग्रेस आई के सदस्य देश के विकास के लिए अग्रसर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। (व्यवधान)।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मैं सामान्य प्रशासन बजट का समर्थन करने (व्यवधान)।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, मुझे बोलने का समय नहीं दिया जाता (शोर)।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, सदन का समय बेकार नष्ट न करें, इससे कुछ फायदा नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस देश के नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी (व्यवधान) के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार जो कार्यक्रम छेड़े हैं चोर-बाजारी को खत्म करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए तथा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो श्रमिकों के और युवकों के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नैतिक स्तर और चरित्र के बल पर जो कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं, वह उत्तर प्रदेश में अवश्य ही एक नया रूप धारण करेगा और इससे गांवों के गरीबों का विकास होगा तथा उत्तर प्रदेश के नवयुवकों को एक नई दिशा मिलेगी। मेरा अपना सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में गांवों की सुरक्षा के लिए इस सरकार ने जो जिम्मेदारी ली है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जो अच्छे अधिकारी हैं उनके काम के आधार पर चाहे वह थानेदार हों, एस0 पी0, आई0 जी0 या डी0 आई0 जी0 हों। पदोन्नति की जाए ताकि सही लोगों को काम करने का मौका मिले तथा उनका मनोबल बढ़े। दूसरी बात गांवों की, जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, थाने में सिपाही तो बहुत कम होते हैं।

थाने में दो थानेदार होते हैं । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गांवों में सुरक्षा दल का गठन कराकर गांवों के नवजवानों को प्रशिक्षित करके, उनको ट्रेनिंग दिलवा कर उनके द्वारा स्वयं सुरक्षा का काम कराने पर बल दिया जाए । एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भारतीय युवा संस्थान स्थापित है जिसमें उत्तर प्रदेश के युवकों को एक युवक का मिलान केन्द्र हो, जिसके प्रमुख नवयुवक नेता माननीय मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हों । इनके नेतृत्व में देश के लाखों नवजवानों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है ।

जो जेहाद माननीय मुख्य मन्त्री ने छेड़ा है चोर बाजारी समाप्ति के लिये लाखों नौजवान समाज को बनाने के लिये उनके नेतृत्व में काम करने का सकल्प लिया है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि भारतीय युवा संस्थान, जो स्वर्गीय संजय गांधी की प्रेरणा से स्थापित किया गया है उसके माध्यम से 50 हजार गांव सभाओं में युवक मंगल दल के लाख सदस्य हैं, जिसके माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं नेता हैं । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि उनके कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये बल दिया जाय । जहां तक सवाल है सुरक्षा का आज मैं यह बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में आतरौलिया क्षेत्र जहां से म जीत कर आया हूं जनता शासन में चोरी, डकैती, कत्ल इतनी अधिक थी कि उससे जन-जीवन बिल्कुल असुरक्षित था आप जांच करालें उसके हिसाब से आज आजमगढ़ का जन-जीवन बिल्कुल खतरे में नहीं है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आजमगढ़ में अतरौलिया क्षेत्र में तीन पुलिस चौकी गोपालगंज, लखनी पट्टी, अतरईठ स्थापित कराने की कृपा करें । 12 गांव ऐसे हैं जो फजाबाद में पड़ते हैं रेवेन्यू उनका आजमगढ़ म पड़ता है और क्रिमिनल में वह फैजाबाद में हैं उनको भी आजमगढ़ में मिलाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्री के बजट का स्वागत करता हूं और विरोधी पार्टी के कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करता हूं ।

[2 बजकर 57 मिनट ।]

*श्री चेतराम गंगवार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां आफिस चला रहे हैं वह हम लोगों की बात नहीं सुनते है कि हम क्या कह रहे हैं । मान्यवर, आज इस प्रदेश में मुरादाबाद, सम्भल, अलीगढ़ में,....

(व्यवधान)

मान्यवर, इसकी गहराई में जाना चाहिये कि यह कर्फ्यू क्यों लगाने की आवश्यकता पड़ी । मैं यह नहीं जानता की यह षडयंत्र था, षडयंत्र किसका था मैं यह भी नहीं जानता कि कुछ साथी उनके साथ बैठे हैं जो उनसे इत्तफाक करते हैं और उनको हटाना चाहते हैं चाहे उनका हो या पुरानी लोकदल सरकार का हो, सरकार को इसकी गहराई में जाना चाहिए, षडयंत्र चाहे किसी का हो लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री और होम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चेतराम गंगवार--]

सेक्रेटरी और आई0 जी0 की इस बात के लिए प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता कि जो षड़यंत्र 3-4 साल से चला आ रहा था लखनऊ और अलीगढ़ में और मान्यवर, जो कभी नहीं हो पाया उसे समाप्त कर दिया। इसलिए वह बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं यह एक पुस्तक है जिसके पहले पेज पर लिख दिया है कि संसद सदस्यों, विधायकगणों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करते हुए उन पर कार्यवाही की गई। मैंने भी एक एप्लीकेशन लिखा था मुख्य मंत्री जी को और एक प्रश्न भी, मैं आपका आभारी हूं उपाध्यक्ष जी ने उसे स्वीकार कर लिया, जिला बरेली म एक ए0 डी0 एम0 है और एक हैं लोग परकटी कहते हैं, रेनू भाटिया, बड़े-बड़े आफिसर, मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, उनका एक उद्देश्य है लड़कियों का व्यापार, वह परकटी को जीप में बैठाकर नवल होटल जाते हैं अय्याशी करने के लिए और 70 हजार की जीप है। मेरे प्रश्न के बारे में मोहन सिंह को जवाब दिया लिख कर कि जनहित में इसका जवाब देना उचित नहीं है। सरकार जवाब नहीं देगी। आपके आई0 ए0 एस0 आफिसर हैं, 70 हजार की जीप लूट ली जाये और आप उसकी इन्क्वायरी न करायें, यह उचित नहीं है। एक कान्स्टेबिल करतार सिंह था और एक दूसरा था, मोटर साइकिल पर बैठ कर एस0 पी0 के सामने से निकल गया, उसे वहीं पर टरमिनेट कर दिया गया, जिसे टरमिनेट करते हैं उससे जवाब भी नहीं मांगते। मोटर साइकिल पर बैठकर एस0 पी0 साहब के सामने से निकला क्या यही उसका कसूर था, वह मोटर साइकिल चला रहा था और दूसरा बैठा था, उसे आपने क्यों नहीं टरमिनेट किया ? यह सरासर प्रशासन का अन्याय है। यदि आप न्याय करना चाहते थे तो दोनों का टरमिनेशन होना चाहिए था। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे कोई भी सजा दे सकते थे लेकिन एक को कर दिया और दूसरे को नहीं। चीनी पालिसी के लिए पक्ष और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। एक व्यक्ति है बरेली कालेज से उन्होंने ग्रेजूएशन किया, वहां पढ़े-लिखे, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं मेरी कान्स्टीट्यूयेंसी नवाबगंज है, एक एस0 डी0 एम0 हैं चीनी के कोटे के लिए 500 रुपये लेते हैं। 50-60 प्रतिशत जो दूकाने थी उनको उन्होंने कंसिल कर दिया। 150 रुपये पर मन्थ लेते हैं। सब-इन्सपेक्टर, बी0 डी0 ओ0, तहसीलदार, सबका हिस्सा अलग-अलग है। यह आपका प्रशासन है। यह जो इतना बड़ा अधिकारी वर्ग है जो आपको चारों तरफ से घेरे हैं इससे क्या आशा है। आज प्रदेश में 10 रुपये किलो चीनी बिक रही है। कैसे लोगों तक इसे आप पहुंचायेंगे। मैं नहीं जानता कि एस0 डी0 एम0, डी0 एम0 को कहां तक इसका हिस्सा जाता है। (लाल बत्ती जलने पर) अभी केवल 5 मिनट हुए हैं, मैंने 3 बजे बोलना शुरू किया था 3 बजकर 5 मिनट हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका 1 मिनट बाकी है।

श्री चेतराम गंगवार--

सबको 10 मिनट दे रहे हैं। मेरे 5 मिनट बाकी हैं।

श्री अधिष्ठाता--

किसी को 10 मिनट नहीं दिया।

श्री चेतराम गंगवार--

फूड की जांच की कमेटी बनाई जाये जो इसे देखे। एम0 एल0 ए0 या जिस पर आपका विश्वास हो उनको। सूचना विभाग की बात कहना चाहूंगा। सूचना विभाग निष्क्रिय पड़ा है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चेतराम गंगावार--

मान्यवर, इधर के या उधर के किसी सदस्य ने सूचना विभाग पर नहीं कहा। प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई, हजारों आदमी मरे। किसी ने सूचना नहीं दी।

श्री अधिठाता--

आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चेतराम गंगवार--

आपने समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूं।

श्री राम औतार दीक्षित--

अधिष्ठाता महोदय, सामान्य बजट पर अनुदान के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त और जो बजट पर भाषण हुये उनको मैंने सुना। सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख है जिस तरह से चर्चा यहां हुई उसमें से कुछ लोगों ने व्यक्तिगत चर्चा यहां की। व्यक्तिगत चर्चा में न जाकर केवल दो सुझाव आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहता हूं। पहली बात यह कि अभी हमारे विपक्ष के एक सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया। उस पर कोई व्यवस्था आपने नहीं की। मान्यवर, सामान्य प्रशासन दिशा देता है। विभागीय प्रशासन में सामान्य प्रशासन सर्वोच्च होता है। सामन्य प्रशासन के माध्यम से ही विभागीय प्रशासन चला करते हैं। इसलिए मेरी समझ में यह औचित्य का प्रश्न अपनी जगह पर सही था। इसके माध्यम से हमारे विभागीय मंत्रियों की उपस्थिति यहां अनिवार्य है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

मेरा एक छोटा सा सुझाव है और वह सुझाव यह है कि मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के बैठने वाले हों प्रशासन में किसी विधायक का पार्टीसिपेशन नहीं है। उनका पार्टीसिपेशन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे सुझाव पर शायद आगे से अमल किया जायेगा। यदि अमल किया जायेगा तो किसी भी पक्ष को जो यहां चर्चा करते हैं, शिकायत नहीं रह जायेगी। वह सुझाव यह है कि तीन कापियों में एक रजिस्टर बनाया जाये। वह रजिस्टर विधायकों को चाहे इधर के हों चाहे उधर के हो दिया जाए। जैसा भी वह चाहें, चाहे बस से चलें, चाहे कार से, चाहे अपने वाहन से, शिकायत

[श्री राम औतार दीक्षित--]

की तीन प्रतियों में एक प्रति तुरन्त वहीं पर हस्ताक्षर करा कर उसको दे दें। एक प्रति अपने पास रख लें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिय एक सेल नियुक्त की जाये। विधायकों की जो भी शिकायतें तीन प्रतियों के रूप में सेल में ले आयें, उनकी जांच की जाये और उस पर कार्यवाही की जाये।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक सामान्य प्रशासन में चोरी और डकैती आदि की बात कही गयी है, दुनिया की तवारीख में कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष का सदस्य बता दें कि कहां चोरियां नहीं होती ? कहां डकैतियां नहीं पड़ती ? यह तो सामान्य प्रशासक का या किसी भी प्रशासक का आभूषण हुआ करता है। उनकी गति को कैसे रोका जाय और कैसे उनको हाथ में रखा जाय, उसके बारे में किसी माननीय सदस्य ने सुझाव नहीं दिया। उधर के लोगों ने केवल यही कहा कि इतनी चोरियां हुई, इतनी डकैतियां हुयीं, केवल तारीख गिनायीं कि इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन हमारे सामने किसी भी सदस्य ने उदाहरण नहीं दिया कि कैसे उस पर काबू करें। मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने, मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित मुख्य मंत्री जी को सुझाव दिया है, अगर सारे विधायकों को उसमें सम्मिलित कर दिया जायेगा और उस सेल के माध्यम से कार्य किया जायगा, तो वह सेल बहुत कामयाब और क्रियेटिव सेल होगी और उस सेल के माध्यम से जो छोटी-छोटी बातें हैं और जिनके लिये इस माननीय सदन का कीमती समय जाया करते हैं, वह जाया नहीं करेंगे और उस सेल के जरिये से वह हल हो जायेगा। उस सेल के लिये हमारे यहां अच्छे अधिकारी मौजूद हैं। अच्छे अधिकारिओं को उस सेल में लेना चाहिये। जिस तरह से आपकी तमाम सेल हैं--एकोनामिक सेल हो चाहे कोआपरेटिव सेल हो, उसी तरह से इसके लिये एक सेल बना देना चाहिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता है कि इस सेल को बना कर उसके क्रियाकलापों पर अंकुश रखें।

तीसरी बात, मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं अभी जो विरोधी पक्ष के लोग कह रहे थे कि प्रदेश में डर नहीं रह गया है प्रशासन का। उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि जब देश और प्रदेश में डर पैदा किया गया और उस डर के माध्यम से एक दफा इस देश मे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागी, तो आप लोगों ने ही उसका विरोध किया। और इतना विरोध किया कि जगह-जगह यह इमरजेंसी के विरोध में जिस तरह से अलाप किया, उसको कहां तक कहा जाय। क्या था इमरजेंसी में ? इमरजेंसी में केवल डर पैदा हुआ था। उस डर से दफ्तर के बाबू ठीक 10-00 बजे दफ्तर में आ जाते थे। कोई अफसर लंच में जाने के लिये अपनी घड़ियों की देखा करते थे। एक दफा उस मर्यादा को कायम किया गया। लेकिन उस डर के लिए आपने कौनसी बात सड़कों पर नहीं कही ? आज फिर उस डर की बात कहते हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम के मुख्य मंत्री जी से फिर कहना चाहता हूं कि करेप्शन, होर्डर्स, ब्लेकमार्केटियर्स और क्रिमिनल्स के काले कारनामों को रोकने के लिये सत्ता पक्ष के द्वारा आप अधिकारियों में डर पैदा करें और उनको काबू में रखने के लिय कानून बनाये ताकि उनमें डर पैदा किया जा सके। मान्यवर, डर शासन पैदा करे, यह किसी भी शासन का गुण हुआ करता है।

चौथी बात, मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज उस डर की भावना के खत्म होने के कारण ही जगह जगह हमारे विभागों में खामियां पैदा हो गयी हैं। आज शासन तंत्र की उस डर की कमी और उसके खत्म होने

की वजह से आलोचना हो रही है । लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है ? केवल विरोधी दल ।

जहां तक जातीयता की बात कही गयी है, उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, ज्यादा टीका नहीं करना चाहता हूं । लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि जरा अपने गिरेवान को टटोल कर हमारे मित्र लोग देखेंगे तो उनको अहसास होगा कि उस जातीयता को किसन पनपने दिया ? आज मान्यवर, गांव-गांव में और घर-घर में जातीयता का नंगा नाच हो रहा है और प्रजातंत्र के लिये खतरा पैदा हो गया है ।

एक बात कह कर मान्यवर, समाप्त करता हूं । मान्यवर, किसी भी देश के अंदर राष्ट्रीयता सर्वोपरि हुआ करती है । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में कहीं सी0 आई0 ए0 का नाम लिया जाता है, कहीं के0जी0बी0 का नाम लिया जाता है कहीं पाकिस्तानी जासूसों का नाम लिया जाता है । मैं पूंछना चाहता हूं आप लोग जरा अपने गिरेबान को देखें कि आपके अंदर कितनी राष्ट्रीयता है ?

श्री अधिष्ठाता--

अब आप का समय समाप्त हुआ ।

*श्री मुन्शी लाल--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की बातें सुन रहा था । सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई मोहन सिंह जी ने यह कहा कि एक मंत्री इसमें भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल बना दिया गया है । भाई मोहन सिंह को मालूम होना चाहिये कि जब विपक्ष की सरकार थी तो उसमें कितने मंत्री क्रिमिनल थे । एक मंत्री की रिपोर्ट यहां तक थी, दरोगा और एस0 पी0 की रिपोर्ट थी, भले मंत्री हो गये अब पशुओं की चोरी बंद हो जायगी । मान्यवर, म इस सम्बन्ध में ज्यादा और न कह कर दूसरी बात कहना चाहता हूं । एक माननीय सदस्य महोदय ने हरिजनों की बड़ी हिमायत की थी । तो मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों के हिमायती चौधरी चरण सिंह ने सर्वप्रथम एक आई0 ए0 एस0 हरिजन को सस्पेंड किया था ।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने सारे के सारे हरिज आई0 ए0 एस0 अफसरों को बैठा रखा था लेकिन आज जो सरकार है इसने दसियों हरिजन एस0 पी0, दसियों डी0 एम0 नियुक्ति किये हैं । मान्यवर, मैं ज्यादा न कह कर कुछ सुझाव दूंगा । मैं उस जिले में पैदा हुआ हूं, इटावा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुन्शी लाल--]

फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी जिनको हमारी गवर्नमेंट ने सारे भारतवर्ष में क्रिमिनल घोषित कर दिया है । तो क्रिमिनल घोषित करने से क्राइम कैसे दूर हो सकते हैं । मान्यवर, थानों की सीमा बहुत लंबी है, पहले 50 हजार पर एक दरोगा रहा करता था 12 कांस्टेबिल रहते थे पर उसको बढ़ा कर अब डेढ़ लाख कर दिया गया है । तो थानों की सीमा घटानी चाहिये । इनका परिसीमन दोबारा करना पड़ेगा । जब मैं बरनाहल से चलता हूं तो बरनाहल से देहुली 7 कि0 मी0, फरहल 20 कि0 मी0, सिंहपुर 22 कि0 मी0, अजीठ 10 कि0 मी0 पर हमारे थाने का एरिया मिलता है । तो 54 कि0 मी0 मोटर साइकिल पर बैठकर दरोगा नहीं कवर कर सकता है । इसलिये थानों की संख्या बढ़ाई जाय और उनकी सीमा को घटाया जाय । हर थाने का एरिया 10 कि0 मी0 किया जाय और बी0 डी0 ओ से जीप लेकर थानों को दी जायं । हर थाने में कार दी जाय तो क्राइम दूर हो सकते हैं । मान्यवर, हमारे सिपाहियों को पुरानी थ्री नाट थ्री बन्दूक दी जाती है। जबकि डकैतों के पास आधुनिक हथियार होते हैं । इसलिये सिपाहियों को आधुनिक हथियार जैसे एस0 एल0 आर0, ब्रेनगन, टामीगन दी जाय तो पुलिस डकैतों से आसानी से मुकाबला कर सकती है । पुलिस वालों की तन्ख्वाह बढ़ायी जाय और इनको सुविधायें दी जायं । तो डकैतियों और चोरियों में कमी हो सकती है और जन-जीवन सुरक्षित रह सकता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि मैनपुरी में कुछ चौकियां और थाने बढ़ाये जायें और वहां पर पुलिस फोर्स तथा अधिकारियों को बढ़ाया जाय । मेरे जिले में थानों की बिल्डिंग्स बनवायी जायं । मान्यवर, खिदरपुर, सकरामपुर और जासभई, रतभानपुर, दिहुली, मु0 खेड़ा, फूलापुरिया, शिकोहाबाद पर पुलिस चौकियों की व्यवस्था करवायी जाय । मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मुन्शी लाल--

मान्यवर, जब पुलिस किसी क्रिमिनल को इनकाउंटर में मार देती है तो उसकी जांच की मांग की जाती है । तो मेरा निवेदन है कि इनकाउंटर की जांच नहीं होनी चाहिए । इससे पुलिस का मनोबल गिरता है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें ।

श्री मुन्शी लाल--

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं थानों में टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिये । जीपों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांति बनाये रखें। समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। श्री अकबर हुसैन को आप लोग बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि मैं देख रहा हूं कि जो लोग आपके पास जा रहे हैं उन्हीं को आप बोलने का मौका दे रहे हैं। तो क्या यह आवश्यक है कि बोलने के लिये पीठ तक सिफारिश पहुंचाई जाय। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता--

ऐसी बात नहीं है कि यहां जो आ रहे हैं उनको मौका दे रहे हैं। कोशिश यह कर रहे हैं कि हर पार्टी से एक-एक माननीय सदस्य को बोलने का मौका मिले।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, इस अव्यवस्था को देखते हुये एक निवेदन है इस पुलिस विभाग के बजट पर महिला सदस्यों को बोलने का समय दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, उस पक्ष के एक सदस्य कह रहे थे कि छोटी-छोटी बातें सदन के संज्ञान में लाकर सदन का समय नष्ट न करें और उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्य मंत्री छोटी-छोटी बातें उनको अलग सुन लिया करें लेकिन ऐसा प्राविधान अभी नहीं किया गया है और न सदन में आज तक मुझे कहने का मौका ही मिल पाया है। मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं कि इस सत्र में पहली बार मुझको अपने क्षेत्र के बारे में अपने कहने का अवसर दिया है।

मान्यवर, बार बार मुख्य मंत्री ने भ्रष्टाचार उन्मूलन और कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में संकल्प जो दिया है। उनका कहना है कि वह इसे मिटाने का संकल्प ले चुके हैं इसके पहले में और एक दूसरे विधायक श्री रियासत हुसैन उनके संज्ञान में मुरादाबाद की तहसील बिलारी

[श्री अकबर हुसेन---]

की घटना ला चुके हैं। लेकिन आज तक, दो महीने हो जाने के बाद भी, मुख्य मंत्री जी के और राजस्व मंत्री के आदेश होते हुए भी डी0 एम0, मुरादाबाद ने उस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की है। इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। ए 0 डी0 एम0 हरि बहादुर प्रधान ने बिलारी के आठ मुसलमान लेखपालों के खिलाफ यह रिपोर्ट भिजवाई कि ये लेखपाल बिलारी में फिरकेवाराना फसाद करने की साजिश कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को एस0 एस0 पी0 मुरादाबाद ने भी डी0 एम0 को फार्वर्ड कर दिया जाय और डी0 एम0 ने उनका ट्रान्सफर कर दिया। इसकी सूचना जब मुझे मिली तो मैं डी0 एम0 से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि यह रिपोर्ट पुलिस की है इसलिए ट्रान्सफर किया गया है। यह सारी बात मुख्य मंत्री जी को बताई गई है। इसके पीछे तथ्य क्या थे वह बताना चाहता हूं। एस0 डी0 एम0 बिलारी यह समझते थे कि यह लेखपाल तहसील के अन्दर जो भ्रष्टाचार या बेईमानी फल रही थी उसकी सूचना मुझको देते थे और तब मैं उसकी शिकायत एस0 डी0 एम0 से करता था तो एस0 डी0 एम0 कहते थे कि तुमको यह किसने बताया। मेरी तहसील की एक विचित्र स्थिति है। तहसील बिलारी मेरे क्षेत्र में आता है। वहां रेवेन्यू के जितने केसेज चलते हैं उनमें वहां के रजिस्ट्रार कानूनगो वहां के एस0 डी0 एम0 और तहसीलदार दोनों के दलाल बने हुए हैं। जितने केसेज चलते हैं वे उनमें पैसा ले लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना केस तहसीलदार के कोर्ट में हारता है तो कानूनगो उसे यह आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें एस0 डी0 एम0 के यहां से जिता दूंगा। यह विचित्र स्थिति वहां की है। मुख्य मंत्री जांच करा लें यदि 90 परसेन्ट केसेज तहसील बिलारी में ऐसे हैं। तब तो उन लोगों को सस्पेन्ड करा दें, सर्विस से टरमिनेट करा दें और यदि 89 परसेन्ट केसेज ऐसे वहां पर हैं तो मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी तुरन्त जांच करा लें।

दूसरी चीज, जैसा मैंने एस0 डी0 एम0 के भ्रष्टाचार के बारे में बताया लेखपालों के बारे में बताया, मुरादाबाद शहर, सम्भल और चन्दौसी, तीनों के बीच में बिलारी है जिसके बारे में एल0 आई0 यू0 ने, पुलिस विभाग ने, यह रिपोर्ट दी है कि हिन्दू-मुस्लिम फसाद किसी भी वक्त हो सकता है। आप विभाग से मालूम कर लें। यह मुझे एस0 एस0 पी0 ने बताया था। मुरादाबाद में इतना बड़ा कांड हुआ लगभग चार हजार की आबादी कांस्टीटुएन्सी में है लेकिन मेरे क्षेत्र में फिर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और आपका यह सजग प्रशासन कहता है कि फसाद हो सकता है। मान्यवर, इसके सम्बन्ध में एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं। फाटक के पास मेरे गांव में रहने वाला एक आदमी रहता था। ईद की नमाज में उसके दो बच्चे जिनकी उम्र 8 वर्ष और 11 वर्ष थी मारे गए। उसकी बीबी गर्भवती थी। बीबी को लेकर वह दूसरों की तरह भाग न सका घर में छिपा रहा। 15 तारीख के 11 बजे उसकी बीबी का बच्चा पैदा होता है। वहां न कोई दाई उपलब्ध थी न कोई मिडवाइफ। वह आदमी, मान्यवर, अपने बच्चे की नाल अपने हाथ से चाकू से काटता है। बच्चा पैदा होते ही उसके वहां सर्च के लिए पुलिस पहुंच जाती है। सर्च होती है। खून से सना हुआ चाकू मिलता है।

मान्यवर, पोजीशन यह थी कि वह बच्चा पैदा हुआ। खून पड़ा हुआ था उसे दिखला दिया। एक सिपाही कहता है हो सकता है कि बात इसकी सही हो लेकिन इसकी बीबी का गुप्तांग देखो। 11 बजे का केस है, गुप्तांग से खून

जरूर बह रहा होगा। वह आदमी इस बात को सुनकर उत्तेजित हो गया। उसने सिपाही का गिरहबान पकड़ लिया। इस पर दोनों सिपाहियों ने उसकी टांगें तोड़ दी और 307 में उसे बन्द कर दिया। फिर इससे भी ज्यादा दुखद बात यह हुई कि वह औरत 8 किलोमीटर पैदल चलकर मेरे क्षेत्र में पहुंची और बेहोश हो गयी। उसने जब यह किस्सा सुनाया तब भी मेरे शान्तिप्रिय क्षेत्र में कोई हलचल नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त। अब माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।]

*श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मैं सामान्य प्रशासन के बजट के सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। प्रदेश की उन्नति तथा विकास के लिए शासन कुछ करे उसके लिए उसे मुड़कर देखना होगा। उसे देखना होगा कि गत शासन काल में क्या-क्या गलतियां हुई, क्या-क्या बातें हुई जिनसे जनजीवन त्रस्त हो गया, जिससे गरीबों के आंसू बहे थे। मैं मुख्य मंत्री जी को बतलाना चाहती हूं कि गत शासनकाल में हरिजनों, दलितों, गरीबों पर बेहद अत्याचार हुए। कारण स्पष्ट था वह यह जानते थे कि दलित, गरीब तथा हरिजन वर्ग ने उनको वोट नहीं दिया है इसलिए उनको बरबाद तथा ध्वस्त कर दिया जाय और भूखों मार दिया जाय। आज हमको वे गलतियां दोहरानी नहीं हैं, उनमें सुधार करना है और उस सुधार के लिए जरूरी है कि कुछ नए काम किए जायं। शासन बदल गया, जनता पार्टी चली गयी, कांग्रेस सत्ता में आई लेकिन आज चेहरे वही हैं। अधिकारी वर्ग अपनी-अपनी कुर्सियों पर वही हैं और अधिकारियों तथा व्यापारियों के बीच हुए समझौते वही हैं। इसलिए शासन में सुधार होना असम्भव है। अधिकारियों तथा कर्मचारियों में परिवर्तन लाए बिना शासन में सुधार होना मुश्किल है। मैं अपने क्षेत्र की एक घटना का जिक्र करना चाहती हूं। एक दरोगा जी ने गांव के एक गरीब आदमी से उसकी गाय मांगी। गाय बहुत दुधारी थी, देखने में अच्छी थी लेकिन उस गरीब आदमी ने गाय देने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह गाय उसकी रोटी व रोजी का साधन है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस गरीब आदमी पर फर्जी मुकदमा दायर करके उस पर 379/411 का मुकदमा दायर कर दिया गया और उस आदमी को जेल भेज दिया गया और उसकी गाय दूसरे आदमी को दे दी गयी। दरोगा के खिलाफ मैंने तमाम लोगों को लिखा लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। कोई कार्यवाही नहीं हुई और पुनः मैंने इसके बारे में शासन को सूचित किया है ...

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती कमला साहनी--]

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि वहां पर बाढ़ आयी और गरीबों के मकान ध्वस्त हुए और लोगों को पेड़ों पर और खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। मकान बनाने के लिए तहसीलों को जो सीमेन्ट गया उससे बड़े-बड़े लोगों की चार-चार मंजिलें मकान बने किन्तु किसी गरीब हरिजन को उसको दस फिट झोपड़ी बनाने के लिए उसे सीमेन्ट नहीं दिया गया। मुख्य मंत्री जी आज शासन में सुधार करना चाहते हैं और वे यह भी चाहते हैं कि प्रशासन के अधिकारियों को जो ऐसा करते हैं, उनको दंडित किया जा रहा है। यदि किसी ऐसे अधिकारी के खिलाफ लिख दिया जाता है तो उसके पक्ष में बहुत से लोग लिखकर मुख्यमंत्री जी के पास और अन्य मंत्रियों के पास पहुंच जाते हैं और उसको रोकने का प्रयास किया जाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह से यदि कोई भी व्यक्ति सिफारिश लेकर आपके पास जाता है तो उसको फौरन सस्पेंड कर दिया जाय ताकि आइन्दा किसी को इस तरह से हिम्मत न हो। मान्यवर, मैं चाहती हूं कि हर विधायक के क्षेत्र में विधायकों की बात सुनी जाय। क्योंकि 5 साल के बाद विधायकों को अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा और यदि दूसरे व्यक्ति हस्तक्षेप करते हैं तो यह ठीक नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय अधिकारियों से और अन्य मन्त्रियों से कह दें कि वे उन विधायकों की बात सुन लिया करें। इन शब्दों के साथ में मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

*श्री पंचानन--

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष के साथियों ने प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं। नेता विरोधी दल ने जो बातें अपने भाषण में कही, उनके बारे में कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि ऐसी प्रथा पड़ रही है कि जो लोग कटौती का प्रस्ताव रखते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाता है लेकिन आज इस विषय पर उस प्रथा का अतिक्रमण हो रहा है जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

बोलने का मौका करीब-करीब सब माननीय सदस्यों को दिया जा रहा है लेकिन सभी को समय मिल पाना सम्भव नहीं है। जितना समय है उसके अन्दर ही समय दिया जा सकता है...(व्यवधान)। अगर माननीय नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव रखा है तो उसका मतलब यह होता है कि वह विरोध पक्ष के समस्त सदस्यों की तरफ से आया है। यह कहना उचित नहीं है कि इस बजट पर जिन्होंने कटौती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रस्ताव रखा है । उनको समय दिया जाय । इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है । यह तो पीठासीन अधिकारी के निर्णय की बात है । आप पीठासीन अधिकारी को निर्देश नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन--

मैं कह रहा था कि मुख्य मन्त्री जी ने इस बजट को सदन में प्रस्तुत करते हुए बलपूर्वक कहा कि हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य भ्रष्टाचार उन्मूलन और दुष्ट दलन है । मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी क्रांतिकारी राज्य की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह होती है कि उस राज्य में रहने वाले लोगों को सुरक्षा और अमन चैन से रहने दिया जाय । इसलिए सरकार का प्रमुख कर्तव्य है कि जो दुष्ट पिछले तीन सालों में पैदा हुए, जिनको पनपने का अवसर मिला है उनसे सख्ती से निपटा जाय । आज समाज में बड़ी कठिन परिस्थितियां पिछले तीन सालों में पैदा हुई हैं, जिस तरह से उन्होंने राजकाज चलाया उससे आम आदमी को समाज में रहना कठिन हो गया (इस समय 3 बज कर 41 मिनट पर श्री उपसभापति पुनः पीठासीन हुए) और उसी का परिणाम हुआ कि हमारे साथी उधर चले गये और लोगों ने हमें सत्ता में बैठाया । तो जो उन्होंने गलतियां की हैं उनको ठीक करने का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसे ठीक करने के लिए हमें सख्ती से निपटना होगा । आज जो कानून और व्यवस्था बिगड़ गयी है उसकी जिम्मेदारी किसकी है । इन लोगों ने 30 साल में जो कांग्रेस ने अच्छे काम किये थे उनको बरबाद किया । तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मकान जरजर हो जाय तो उसे ठीक करने के लिए गिराना होता है उसके मलबे को हटाना होगा । आप देखें कि किस हालत में इन्होंने देश को पहुंचा दिया था जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट होने लगी, आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ होने लगा । पिछले तीन सालों में चोरबाजारी और भ्रष्टाचार बढ़ा, कालाबाजारी बढ़ी, जरूरी चीजों के मूल्य बढ़ गये । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और तमाम जगहों पर छापे मारे और तमाम घोटालों को पकड़ा जा रहा है, खाद्यान्न के घोटालों को, चीनी के घोटालों को पकड़ा जा रहा है (व्यवधान) इसलिए प्रथम आवश्यकता है कि जब तक हम ऐसे लोगों को नंगा नहीं करेंगे तब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आयेगी । आज उसी का परिणाम है कि स्थिति में गिरावट आ रही है । मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो लोग मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको सरकार मरघट तक पहुंचायेगी, जब यह बात कही जा रही थी तो मैं देख रहा था कि हमारे उधर के साथी इस तरह से देख रहे थे कि जैसे उन्हीं पर यह लागू होता हो । जब नेता विरोधी दल भाषण कर रहे थे तो मैंने उनके एक वाक्य को सुना उन्होंने कहा कि यह सरकार बूथ कैपचरिंग पर आई है । शायद उन्हें अपने दिन याद आ गये जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हीं की सरकार के उपमुख्य मन्त्री ने एक पर्चा बांटा था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय हो गया ।

श्री पंचानन--

तो बूथ कैपचरिंग किसने की थी शायद उन्होंने अपनी ही बात की याद दिला दी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री पंचानन--

इन शब्दों के साथ में इस सामान्य प्रशासन के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें ।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप में से प्रत्येक बोलेगा तो कैसे काम चलेगा । कृपया आप पहले विराजिये । सभी विराजें ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

श्रीमन्, मेरा निवेदन सुन लें, आप आज समय बढ़ा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बाद आधे घंटे की चर्चा भी तो है, समय कैसे बढ़ा दिया जाय ।

(व्यवधान)

ऐसे ही होता रहेगा तो कैसे मैं सुन सकूंगा ?

एक सदस्य--

मान्यवर, दो घंटे का समय बढ़ा दीजिए ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और नेता सदन से भी कि इस पर काफी लोग बोलना चाहते हैं और सदन दो-तीन दिन के बाद उठ रहा है । इसलिए दो घंटे का समय बढ़ा दें, तो बड़ा अच्छा हो । आप ज्यादा मौका न दें, तो कृपया सुझाव ही सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको अंदाजा है कि जब दो घंटे का समय बढ़ेगा, तो 7 बजे तक ऐसे ही होगा। आधा घंटा और प्रक्रिया में लग जाएगा, साढ़े सात हुए। उसके बाद आधे घंटा की चर्चा है, तो इस प्रकार 8 बजेगा।

(व्यवधान)

जब नेता विरोधी दल ने एक बात कही तो अब यह बात अनुचित है कि इसके बाद आप लोग कोई बात कहें।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मेरा ख्याल है कि एक घंटा यथेष्ट रहेगा, 8 बजे तक बैठना भी नहीं पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

डेढ़ घंटा कर दें मुख्य मन्त्री जी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। 20 मिनट से ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

ठीक है, यह सौदा ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--

तो आपने सौदा कबूल कर लिया। यदि पूरे सदन की यह राय है कि डेढ़ घंटा समय बढ़ा दिया जाए, तो डेढ़ घंटे का समय बढ़ाया गया।

(व्यवधान)

अब व्यवधान न उत्पन्न कीजिए। नहीं तो उसी में से यह समय भी निकल जाएगा। अब 5 मिनट में एक सदस्य को दूंगा, ताकि अधिकतम सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

श्रीमन्, 5 मिनट बहुत कम है, 10 मिनट दे दीजिएगा। सामान्य प्रशासन पर 60 करोड़ रुपया जो हम देने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश में शासन, प्रशासन नाम की कोई चीज है ?

एक सदस्य--

जनता पार्टी ने क्या किया ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया उसका परिणाम यह हुआ कि हमें वहां से यहां पर आना पड़ा और अगर आप हमारे नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं तो इधर की कुर्सियां खाली हैं ।

आज मैं अपना भाषण 'आज' नाम के अखबार से आरम्भ करता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री के नाक के नीचे 'उन्नाव-रायबरेली मार्ग पर बस रोककर तीन व्यक्तियों की हत्या, गोली वर्षा में कई घायल ।' दूसरे इसमें दिया हुआ है 'एक ही गांव के तीन घरों को डकैतों ने जमकर लूटा, दुकानदार का अपहरण, साहसी ग्रामीणों ने दो डाकुओं को मौत के घाट उतारा, फतेहपुर में हत्यायुक्त डकैती की घटनाओं का क्रम, हरिजन बाला के साथ हुए बलात्कार की जांच ।' मान्यवर, इनसे स्पष्ट है कि प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है ।

जब से यह सरकार आई जबरदस्ती बूथ कैप्चर करने के बल पर उसके पहले जो भ्रष्ट अधिकारी थे, नौकरशाही थी, उनके सिरों को जनता पार्टी ने मसल दिया था, उनको सांस लेने का मौका नहीं मिला । उन्होंने उनको अपनी सरकार में लेकर आज इस प्रदेश की सरकार को नौकरशाही की सरकार बना दिया है । 33 वर्ष की आजादी के इतिहास में नौकरशाही आज जितनी मजबूत है, उतनी पहले कभी नहीं देखी गयी ।

(श्री जसवंत सिंह बिष्ट के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बिष्ट जी आप क्यों खड़े हैं ?

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

मान्यवर; मेरा निवेदन है कि मुझे समय नहीं मिला, मुझे समय मिलेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि 33 साल की आजादी के इतिहास में जितनी मजबूत नौकरशाही आज है उतनी पहले कभी नहीं रही । आज प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और जिन-जिन जगहों पर हरिजन रह रहे हैं उनके साथ षड़यंत्र करके उनको निकाला जा रहा है । कफल्टा में क्या हुआ ?

मान्यवर, हमारे एक मित्र गोरखपुर से देवरिया एफ0 सी0 आई0 की चीनी ले आये ट्रक द्वारा । रास्ते में पुलिस ने ट्रक को रोका । उस सरदार के पास डी0 एम0 का परमिट था लेकिन उस सरदार को वहां पर 3 दिन तक रोके रखा । तो यहां पर सरदार नहीं रह सकते, हरिजन नहीं रह सकते और मुसलमान नहीं रह सकते

तो किस बात के लिए हम आज 60 करोड़ रुपया सरकार को देने जा रहे हैं। जहां पर बाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वहां पर एक विशेष जाति के लोगों का स्थानान्तरण हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि जिस क्षेत्र में बाई इलेक्शन हो वहां पर किसी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री जी स्वयं इलेक्शन के लिए वहां जाना चाहते हैं जहां पर एक विशेष जाति का डोमिनेशन है। यही हवा है, क्या यही शक्ति है आपके प्रशासन की ? मेरी चुनौती है आप गोरखपुर में नौतनवा की सीमा पर आयें, हम आपका स्वागत करने को तैयार हैं। गोरखपुर जिला वही है जिसको बी0 बी0 सी0, लंडन ने कहा था कि अपराधों के लिए सबसे बड़ा स्थान शिकागो है और दूसरे नम्बर पर गोरखपुर है। 1 महीने में 123 और एक दिन में 5-5 लोग कत्ल हुए हैं। और जो लोग मरे जब उनको ले जा रहे थे तो दूसरे छोर पर एक तीसरे व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। जनता पार्टी केवल अराजकता की वजह से ही गयी। इसका कोई और दूसरा कसूर नहीं था। जनता पार्टी ने अपने शासन काल में जो किया, वह 27 वर्ष में आप नहीं कर सकते। हमको भी घुटन होती थी प्रदेश में शांति व्यवस्था पर प्रशासन के नियंत्रण पर लेकिन जनता ने हमको उसका बदला दे दिया। मान्यवर, मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आंकड़ों के चक्कर में न पड़ें, वास्तविकता को देखें। आपके प्रदेश में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, वे पहले कभी नहीं हुए। वे कौन सी शक्तियां हैं जो हिन्दू और मुसलमानों के खून को बहाना चाहती हैं। यह जवाब आपको देना पड़ेगा। सी0 आई0 डी0, विजिलेंस और एल0 आई0 यू0 आपके कहां हैं? वह कौन सी विदेशी ताकतें हैं, कौन सी साम्प्रदायिक ताकतें हैं उन पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाते ? जहां तक नौकरशाही की बात है, गोरखपुर जिले की बात है, एक तहसीलदार ने शराब पीकर जिला जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कुर्बान को गोली मार दी। कुर्बान पड़ा हुआ है। तहसीलदार आज तक मुअत्तल नहीं किया गया। नटवर जंगल के पास एक मासूम लड़के को, 17 हजार रुपया लेकर, पुलिस ने गोली मार दी और कह दिया कि काउंटर हो गया। यह भ्रष्टाचार है। अपराधियों के नाम पर निरीह लोगों की हत्याएं हो रही हैं। यह शर्म की बात है। यह मानवता माफ नहीं करेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको सात मिनट का समय दिया था। बस, एक मिनट में समाप्त करें।

[3 बजकर 57 मिनट]

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा सुझाव है कि एल0 आई0 यू0, सी0 आई0 डी0 और विजिलेंस को सामान्य पुलिस से अलग कर दें। यह जो मंत्रिमंडल चल रहा है, इसमें कोई 307 का मुलजिम है, कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बेईमान प्रिंसिपल का ट्रान्सफर कराया गोरखपुर से सम्बन्धित मंत्री ने। दूसरे दिन

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

कहा कि मेरे दल के लोग नहीं जाते हैं, मैं माफी चाहता हूं । कृषि स्कूल में 52 प्रतिशत पान वाले अपने भतीजा का ऐडमिशन कराया और 65 परसेंट पान वाले बैकवर्ड क्लास के लड़के का ऐडमिशन नहीं हुआ । भ्रष्टाचार के न मालूम कितने आरोप हैं । लेकिन उसका स्थानान्तरण रोक दिया गया । जहां तक पोलिटिकल करप्शन की बात है मेरे पास फोटो स्टेट कापी है । म नहीं कहता हूं कि सही है या गलत । एक संगठन है, किसान मजदूर वाहिनी, उसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पांच सौ रुपया चन्दा लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इस शासन का कोई मतलब नहीं रहा । कांग्रेस (आई) कार्यकर्त्ता जो चाहता है वही करता है । मंत्री जो शासन कार्य नहीं कर सकते । इसी तरह मंडी समितियों का नामिनेशन नहीं हुआ । जिला परिषदों का नामिनेशन नहीं हुआ । कांग्रेस (आई) की लेजिस्लेचर पार्टी की एक्जिक्यूटिव का चुनाव नहीं हुआ । माननीय मुख्य मंत्री को हटाने के लिए शुरू से आखिर तक लड़ाई लड़ते रहे । इन शब्दों के साथ में माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि यदि इस प्रदेश को नौकरशाही के चंगुल से नहीं छुड़ाया तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ।

(श्री राम स्वरूप निम का नाम पुकारे जाने तथा श्री धर्मवीर सिंह के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों [illegible]लित करें । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । उनको बोलने दीजिए ।

श्री राम स्वरूप निम--

मान्यवर, मैं वह कहानी बताना चाहता हूं कि जो 13 तारीख को आठ बजे रात को मेरे साथ घटना घटी । इस सदन में माननीय मंत्री जी भी हैं । इस सदन के अन्दर कौंसिल के अन्दर एक हमारे माननीय सदस्य ने सवाल पूछा कि शराब का विरोध, रेवेन्यू बजट का विरोध करने के कारण मेरे ऊपर प्राणघातक हमला करवाया गया । और उन मंत्री महोदय ने आज तक प्रेस के अन्दर कोई भी उसका कंडेम्नेशन नहीं किया है । इससे साफ जाहिर होता है कि यह मंत्रि परिषद् उन कातिलों का एक जमघट है जो कि विरोधी पक्ष को बिलकुल सफाया करना चाहता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, इस प्रशासन के बारे में, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं । मेरे गले से लगातार खून बह रहा था और मैं 8 घंटे थाने में खड़ा चिल्ला रहा था कि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, और उस थाने का हेड मुंशी रिश्वत ले रहा था और मुझसे कह रहा था कि आप खड़े रहिये दरोगा जी अभी आयेंगे, तब रिपोर्ट लिखी जायगी । हरि प्रसाद शर्मा मेरी बात सुनकर

अपने घर पर बैठे रहे । उसके बाद एक व्यक्ति सादे ड्रेस में आकर एक गाड़ी का प्रबन्ध किया और उसके बाद मुझे अस्पताल भेजवाया गया । पुलिस एस0 पी0 को खबर की गयी, । एस0 पी0 बीमार थे बीमारी हालत में उनसे जो हेल्प हो सकती थी उन्होंने हेल्प किया और कहा कि जितने सदर थाने के इन्सपेक्टर मिलें, मेरे सामने ले आइये । तीन घंटे तलाश करने के बाद एक भी सब-इन्सपेक्टर या इन्सपेक्टर भी नहीं मिले । पता चला कि एक पार्टी में शराब पी जा रही हैं, वहां पर दावत खा रहे हैं तो यह प्रशासन हैं और उसके बाद ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात सुनिये । 6 दिन बाद सिटी मजिस्ट्रेट मुझे देखने के लिए अस्पताल में आते हैं और कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपके साथ यह घटना घटी हैं । मैं खुले तौर पर आपके सामने यह कहना चाहता हूं, इसी विधान सभा या कौंसिल के इसी मंत्रि परिषद, की तरफ से यह कहा गया था कि उस सदस्य की सुरक्षा के प्रबन्ध कर दिये गये ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं, मेरी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध न करके, मेरी असुरक्षा के सारे प्रबन्ध कर दिये गये । उसका सही रूप में आपको बतलाना चाहता हूं । उसके बाद इसी मंत्रि परिषद के मंत्री सहारनपुर जाते हैं और जाने के बाद उनको यह सब घटना का पता चलता है । लेकिन मानवता के नाते वह देखने भी नहीं आते हैं होता यह है कि जिन जुर्मों में, जिस परेशानी के बाद पुलिस ने पकड़ा उनको, ये छुड़वा देते हैं । कहां गया वह आपका अध्यादेश, जब आप गला फाड़-फाड़ करके कहते थे । जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया उन पर चार कत्ल के मुकदमें चल रहे हैं । आज उनको छोड़ दिया गया । मैं बताना चाहता हूं कि कल मेरा मरडर हो सकता है । उन लोगों ने मेरे बच्चों को उठाने का, मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया हैं । यह सुरक्षा का प्रबन्ध है शासन का । मेरे साथ बहुत गुजरी हैं । (लाल कत्ती जलने पर) मुझे 5 मिनट दे दें उपाध्यक्ष जी । मेरा आप से निवदन है कि इस तरह के शासन व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है ? मान्यवर, मंत्री जी जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, उनका सभी लोग नाम जानते हैं । उनका नाम है यशपाल सिंह । उन्होंने दूसरे व्यक्ति के द्वारा साजिश करा कर मेरे मरडर की लगातार कोशिश की है और करवाया जा रहा है । मेरा आरोप है उनके ऊपर, जितना आरोप लगाया गया, उन्होंने उसका कोई खंडन नहीं किया । तो क्या कारण है ? अगर उनकी साजिश न होती, तो उनको कहना चाहिए था कि इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है । वह सहारनपुर गये और मुझ से मिलने तक नहीं आए ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राम स्वरूप निम--

मान्यवर, एक मिनट और दे दें । तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई भी दुर्घटना होती है ।

[श्री रामस्वरूप निम--]

उसके लिए यह शासन और माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रि परिषद् के सारे लोग जिम्मेवार होंगे । इसके साथ ही मैं एक बात और कहूंगा । मान्यवर, एक प्रश्न मैंने इससे पहले उठाया था ।

एक सदस्य--

डाकू लगता है, तभी पुलिस वालों ने मारा होगा । (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठे आप बगैर मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राम स्वरूप निम--

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठें ।

श्री हर देव--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं । आपके माध्यम से सामान्य प्रशासन बजट पर कुछ कहने के लिए और कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने इस सामान्य प्रशासन में गरीबों, दीनदुखियों की रक्षा के लिए जो इन्तजाम किया है, वह उसके लिए बधाई के पात्र हैं । मैं पहला व्यक्ति था, जब माननीय मुख्य मंत्री जी शपथ लेने वाले थे, तो मैंने कहा था कि मा0 मुख्य मंत्री जी ऐसा प्रशासन लायेंगे, जिसमें दीन-दुखियों, अल्पसंख्यकों और गरीबों की रक्षा का इंतजाम जैसा होना चाहिए, वैसा ही होगा । दूसरी बात मैंने देखा है कि जब-जब राजनीति में या समाज में इन लोगों की जरूरत आयी है, तब-तब हरिजनों के नामों को चिल्लाए हैं, और वैसे भूल जाते हैं आप इन गरीबों का ख्याल करें । तो मैं कहना चाहता हूं कि जब दीनहीन हरिजनों पर जुर्म होता है तो उस जुर्म को दूर करने के लिए जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, जिन इलाके और क्षेत्र में हैं, उस ओर उनको ध्यान देना चाहिए । उस इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठावें । मैं कहना चाहता हूं और मैंने देखा है कि जिस गांव में कत्ल हो जाता है, उस गांव के रहने वाले लोग सही तथ्यों को जानते हुए भी गवाही देने से डरते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सही रूप में नहीं हो पाया है । एक आदमी आततायी है, और बराबर आतंक फैलाकर लोगों को भयभीत कर रहा है, लेकिन कोई सुरक्षों के कदम उसके खिलाफ नहीं उठाये गये हैं । तो इस ओर मा0 मुख्य मंत्री जी पर और उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, वह इन सारी बातों की ओर देखे और इसके लिए उचित व्यवस्था करे । आगे मान्यवर, मैंने देखा है कि जिलाधिकारी या एस0 पी0 महोदय जो हैं कोई आदमी आसामाजिक तत्व हो या न हो वह नियमों का पालन न करते हुए थानेदार गलत ढंग से केस बनाकर उसे फसा देते हैं, अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूंगा कि प्रशासन इस ओर

नोट--[× × ×]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कड़ी निगाह रखे ताकि गलत लोगों को दण्डित किया जाय और जो सही लोग हैं उनको सताया न जाए । मैं यह कहना चाहता हूं आपसे कि मैंने देखा है कुछ थानों पर कुछ जगहों पर कुछ अधिकारी अपनी तरक्की और प्रोमोशन के लिये कुछ गलत काम कर जाते हैं । मैं चाहूंगा इसमें सही कदम होना चाहिये कि हर थाने में एक भ्रष्टाचार उन्मूलन कमेटी कायम की जायें जिससे हर थाने की रिपोर्ट शासन को मिलती रहे । मान्यवर, हरिजनों, शोषित समाज के लिये उनकी रक्षा के लिये जो भी उनकी भलाई के लिये कदम हो उसको उठाने में कोर कसर न रखें ।

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़ा इलतिजाओं के बाद आपने मुझको दूसरी बार बोलने का मौका दिया मैं आपका शुक्रगुजार हूं । हमारे मुख्य मंत्री के तरफ से जो बजट पेश किया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं । और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को; मैं चाहूंगा कि एक कदम जो अभी माननीय मुख्य मंत्री ने उठाया था सी0 एम0 ओज डी0 एम0 के खिलाफ में इसके लिये उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ यह भी चाहूंगा कि जो विजीलेन्स ने इंक्वायरी की है जो पड़ी हुई है उसकी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान दें और उस पर तुरंत कार्यवाही करवायें क्योंकि उसमें जयादातर आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 आफीसर इन्वाल्व हैं । वह फाइलों को डाले रहते हैं और इंक्वायरी 3-4 साल से पड़ी हुई है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा उनका ध्यान दें और तुरन्त कार्यवाही करायें । हमारे यहां शहर में थाने और कोतवालियों की व्यवस्था बहुत खराब है उनकी हालत बहुत खराब है उनकी इमारत बहुत खराब है उनकी तरफ ध्यान देना चाहये । क्योंकि हमारे यहां लखनऊ शहर में पुराने लखनऊ में जो सेंस्टिव एरिया है अकसर छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं और अधिकारियों को 24-24,36-36 घन्टे थानों में ही रहना पड़ता है वहां पर नहाने और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं चाहूंगा कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाय । मैं माननीय मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि वह पुलिस अधिकारियों को आदेश दें कि वह कानून का गलत प्रयोग न करें । जरा सा कोई झगड़ा हुआ 151 के अन्दर 2,3 महीने पहले सैकड़ों व्यक्तियों को बन्द कर दिया गया । मैं चाहूंगा कि अगर इस सम्बन्ध में विधायक लिखकर देते हैं तो विजीलेन्स या सी0 आई0 डी0 से इनकी जांच करायें । इन चन्द अल्फाजों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद नबी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । मैं सोच रहा हूं । अरबों रुपये का बजट है जिसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है, सचिवालय प्रशासन भी शामिल है । कहां से शुरू करें ।

[श्री मोहम्मद नबी]

जहां से देखते हैं हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है । पहले सचिवालय की बात ही कहना चाहता हूं । 2-2 महीने हो गये मन्त्रियों के आदेश पारित हुये, लेकिन उनका पता नहीं चलता कि वह फाइलें कहां पड़ी रहती हैं और न यह पता चलता है कि मन्त्रियों के आदेश पर क्या कार्यवाही हुई । मुख्य मन्त्री जी जरा ध्यान दें, डेढ़ महीने पहले एक प्रार्थना-पत्र दिया था, जिस पर मुख्य मन्त्री जी ने मेरे समक्ष आदेश लिखा, लेकिन वह कागज आज तक नहीं पता चला कि कहां चला गया । दारुलशफा, जहां हम लोग रहते हैं, 10-10 बार बिजली कटती है पानी गायब हो जाता है, यह है जनरल प्रशासन । जहां हम लोग रहते हैं, वहां की यह हालत है । पुलिस की बातें बहुत की जाती हैं, इसमें मुरादाबाद, अलीगढ़ और न जाने कहां-कहां की । जहां भगवान और खुदा का नाम लेने को न मिले, ऐसे प्रशासन का भगवान ही पार लगायेगा । बस्ती जिले के सम्बन्ध में, साल भर हो गया, एक मस्जिद है जहां पुलिस वाले जबरदस्ती मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते । मेरी तहसील खलीलाबाद में 3 व्यक्तियों को घर से बुला कर सड़कों पर गोली मार दी गई और काउन्टर दिखा दिया । लिखकर दिया और विश्वास दिलाया कि यह मेरे क्षेत्र की वारदात है, घर से बुलाकर लाये और कई कोस तक पदल सड़कों पर ले गये, इतना मारा कि रास्ते में चलने के लिये मजबूर हो गये, ट्रक, ट्रैक्टर तलाश की जा रही थी, मोटर साइकिल पर बैठाकर ले जाया गया और सरे मुकाम गोली मारी गई । ऐसे प्रशासन की हम लोग बड़ाई करें ? वैसे हम लोग जिन्दा हैं और रहेंगे ? मेरे यहां सरे शाम 9 बजे एक उपाध्याय जी थे, कालेज से उठते थे तो सहन में जाते थे और लोगों से मिलते थे, एक दिन कालेज के सामने उतरते हैं, सारे लोग आ-जा रहे थे, सारे अधिकारियों के मकानात हैं, पुलिस कार्यालय है, उन्हें गोली मार दी गई । इस हाउस में भी उठा मामला तमाम बहस हुई, लेकिन आज तक उस पर एक व्यक्ति भी गिरफ्तार नहीं हो सका ।

(व्यवधान)

दूसरे दिन सरे बाजार एक व्यक्ति को गोली मारी गई, यह मान्यवर, प्रशासन है । इसमें क्या हो जायेगा, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं रहा कि हम यहां बचे रहेंगे या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मोहम्मद नबी--

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

श्री खैरुल बशर--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन जैसा है, उसे देखते हुये, उसकी कारगुजारियों को देखकर बहुत दुख होता है । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । आपने जो एक रुपया प्रदान कर दिया है कटौती के रूप में वह भी इन्हें नहीं मिलना चाहिये, यह सरकार इस लायक भी नहीं है । मैं आपके

माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपात काल में अपराध बहुत हुये थे। जो आपातकाल में सामान्य प्रशासन का बजट था, उससे दो गुना हो गया है। इसका मतलब है कि जनता पर और बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी शुरू की गई है। आल इन्डिया क्राइम सर्वे की पत्रिका की रिपोर्ट पढ़िये 1971 और 1975 में कांग्रेस पार्टी का राज्य था, लोक दल और जनता पार्टी का राज्य नहीं था। तीन साल की सरकार का जिक्र करते हैं। जरा अपना चरित्र भी देखें। 2.9 जब सारे देश का था (एक लाख की आबादी पर) तो 4.8 उत्तर प्रदेश में सारे देश का दो गुना।

(शोर)

उत्तर प्रदेश वह सूबा है जहां सारे भारत में डकैती सबसे ज्यादा होती है। माननीय मुख्य मन्त्री जी चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं बांदा जिले में। बां जिले के और मुरैना इलाके में।

(व्यवधान)

उस इलाके में कितनी गरीबी है, कितना अत्याचार है। मुझे खुशी हुई यह सुनकर कि मुख्य मन्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैं बधाई का तार देने वाला था कि मुझे पता चला कि यह इस्तीफा नकली है असली नहीं है। मुझे निराशा हुई। सच बात यह है कि मुख्य मन्त्री ने इस्तीफा दिया था, इसलिये कि वह प्रशासन से ऊब चुके थे, कांग्रेस पार्टी के रवैये से ऊब चुके थे। मुझे तकलीफ होती है कि नौकरशाही प्रशासन पर हावी है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह कौन बोला।

श्री खैरुल बशर—

हमारे मुख्य मन्त्री ने जनता को यह बता दिया कि वह नौकरशाही के रवैये से खुश नहीं हैं। उन्होंने इस बात को बता दिया कि इलाहाबाद जो हमारी प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री का नगर है, को नौकरशाही ने किस तरीके से आग में झोंक दिया है। इलाहाबाद की जनता ने बता दिया कि वहां दंगा आपस में नहीं हुआ, यह प्रशासन ने किया।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

तलवार ले लो।

श्री खैरुल बशर—

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोध करता हूं प्रशासन ने जो बजट मांगा है, उसके साथ ही आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री संजय सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, इस समय सामान्य प्रशासन पर चर्चा हो रही है अहम बात यही देखनी है कि यह सामान्य प्रशासन और यह शासन किस लाइन पर चलना चाहती है। इस समय मैं कहना चाहता हूं, कि आपने पिछले शासन में देखा और आज यह शासन किस रूपरेखा पर चल रही है, इसको भी देख रहे हैं। यह अहम बात है।

मान्यवर, आज हमारे सामान्य प्रशासन का एक मुद्दा है कि गरीबी और अमीरी के फासले को किस तरह से दूर किया जाय। अगर यह शासन चल रहा है, अपना काम कर रही है और हर स्थानों पर यही देखने में आ रहा है कि जो पिछड़ा हुआ तबका है, बजट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और अन्य कार्यों के द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों पर उसे ऊपर लाया जाय आपने देखा है कि पिछले जनता शासन को। अगर कहीं पुलिस की लाठी चली है तो वह अमीरों और गरीबों के बीच में उन्होंने अमीरों का ही पक्ष लेकर लाठी चलाया है, चाहे वह सूती मिल, कानपुर का मामला रहा हो, चाहे पंतनगर के विद्यार्थियों का मामला रहा हो, चाहे बेल्छी कांड बिहार का मामला रहा हो, इस तरह की बात जब भी रही है, तो मान्यवर, उस समय के शासन ने ऊंचे दर्जे वालों को ही पक्ष लेकर गरीबों के खिलाफ बात की। लेकिन, मान्यवर, जो मौजूदा प्रशासन है, जो यह सरकार है, यह गरीबों की रक्षा करने के लिये अपने सारे कार्य कर रही है और आज भले ही तमाम सारे भाषण दिये जाते हों, तमाम बातें कही जाती हों, हर तरह से जो गरीबों की मिलिकियत है, उसमें अगर जमीन की बात चली तो जिन लोगों ने जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया था, तो उन सारे लोगों के पक्ष की हम बात करते हैं और आज किस तरह से जमीन का बटवारा हो, किस तरह से गरीबों को कब्जा मिल सके, इस पर सरकार हर तरह से साहसिक कदम उठा रही है। इसके लिए, मान्यवर, मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं और उनके प्रशासन के सम्बन्धित जितने भी लोग हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह के मान्यवर, जितने भी झगड़े उठते हैं, वहां इस प्रशासन का मेन मुद्दा यही होता है कि गरीबों का किस तरह से पक्ष लिया जाय और उसका उत्साह आगे बढ़ाया जाय।

मान्यवर, अन्य विभागों के बजटों में बात आयी। अगर मोदी मिल का मामला है तो विरोधी पक्ष के लोग हैं, वहां पर जितने भी लेबर काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ लाठी चार्ज की बात हो, तो विरोधी पक्ष तैयार हो जाता है। लेकिन धन्यवाद है इस प्रशासन का कि हर तरह से मिल के मजदूरों की सुरक्षा रहे, इसके लिए हर तरह से कदम उठाया है। मान्यवर, आज जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो भी अनुशासन से सम्बन्धित कदम उठाये जा रहे हैं, वे उनसे यही दृष्टिगोचर होता है कि इस प्रदेश में हर तरह से जिन्हें परेशानियां हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान हो। यह मेन मुद्दा है। अब, मान्यवर, विरोध पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कितने झगड़े हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, मुरादाबाद कांड हुआ है, चोरी डकैतियां हो रही हैं, तो मान्यवर, यह तो हर शासन में 19/20 होता आया है और यह आदमी का नेचर है और होता ही रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह प्रशासन किस लाइन पर, किस तबके की रक्षा करना चाहता है और किसको किस तरह की रक्षा की आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखकर कार्य कर रहा है। मान्यवर, अब ज्यादा विशेष न कहकर केवल यही

कहना चाहता हूं कि किसी प्रशासन के रास्ते को, किसी भी प्रशासन की चुस्ती को इस बात से नहीं आंका जा सकता है कि कौन कितने झगड़े रोक पाता है। किसके समय में दंगे हुये। किस समय में यहां बलवा हुआ, मेन बात यह है जैसा मैंने कहा कि प्रशासन किस लाइन पर चल रहा है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं और उनके बजट का हृदय से आदर करता हूं।

श्री जसवंत सिंह विष्ट––

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया और माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे समय दिलवाया। मान्यवर, मुझे एक बात याद आती है मीरा की "जो मैं ऐसा जानती प्रीति किये दुख होय, जग ढिंढोरा पीटती प्रीति न करियो कोय।'

मान्यवर, मुझे याद है सन् 1944 से लेकर 47 तक जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय विष्ट जी जरा अपना दोहा दोहरा दीजिये। जरा मजा आ जाय।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

जो मैं ऐसा जानती प्रीति किये दुख होय, जग ढिंढोरा पीटती प्रीति न करियो कोय।

(वाह वाह की आवाजें।)

तो मान्यवर, हम आजादी की बात सुनते थे जब देश स्वतंत्र होगा तो, प्रधानमन्त्री किसान होगा, जवाहर लाल नेहरू सचिव होंगे, राष्ट्रपति मजदूर होगा, सरदार पटेल सचिव होंगे। मान्यवर मुल्क आजाद हुआ हम लोग फूले नहीं समाये कर्ज निकाल निकाल कर मिठाई खायी और खिलायी। लेकिन जो मैंने इन 34 वर्षों में देखा, अगर हम ऐसा जानते तो एक भी गरीब आजादी का नाम नहीं लेता और हम गुलाम ही रहना पसंद करते। सारे लोग गरीबों के लिये आंसू बहा रहे हैं। कल मुख्य मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ बजट पेश किया। इन 34 वर्षों में जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप क्या परिवर्तन करेंगे आप कैसे गरीब को लाभ पहुंचा सकते हैं। सारे हिंदुस्तान में देखा जाय तो गरीब आदमियों को बड़े आदमियों ने चोर घोषित कर रखा है और जेलों में बन्द कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष––

यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा है, यह लोक सभा नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, उन्हीं के यह चेले चपाटी यहां सब बैठे हुये हैं ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें ।)

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि सन् 1947 के बाद जो बच्चे पैदा हुये उनमें से कोई मन्त्री बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर बन गया और कोई चीफ इंजीनियर बन गया और कोई सेक्रेटरी बन गया और जो गरीब लोग थे वह गरीब के गरीब ही रह गये । आज उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में ही घूमकर देखिये, मासूम बच्चे नंगे घूम रहे हैं । आज जो 34 वर्षों का शासन है, यह तो यदुवंशी निकले, आप भस्मासुर हैं । मैंने देखा है कि आपने जो वायदे किये वह पूरे नहीं हुये हैं । आप अमीरों के घरों में पले हैं, महलों में पले हैं । आप गरीबों का हाल क्या जानें । यह तमाम बाढ़ आयी नुकसान हुआ तो क्या किसी अमीर का महल टूटा है, मुख्य मन्त्री जी ने गरीब के लिए कोरे आंसू बहा दिये हैं । मान्यवर, हिन्दू मुस्लिम दंगे हुये उनमें एक भी अमीर मुसलमान या अमीर हिन्दू नहीं मारा गया है । गरीब लोग ही मारे गये हैं । अमीरों में से कोई मुख्य मन्त्री बन गया है, कोई प्रधानमंत्री बन गया है हमारे देश का ।और इसी तराके से मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, अब इस समय भी हरिजन लड़ रहे हैं अमीर सवर्ण नहीं मर रहा है । तो इसका कारण क्या है । आप गरीबों को धोखा क्यों दे रहे हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं और पश्चिमी जिलों से यहां विधायक आये हैं । मान्यवर, यह बहुत बड़ा प्रदेश हो गया है । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो यहां से बारहवें या तेरहवें मुख्य मत्री इस प्रदेश के हैं । जब इस प्रदेश को स्व0 गोविन्द बल्लभ पंत संगठित नहीं कर सके तो पंडित नेहरू जी ने उनको दिल्ली बुलाया और उसके बाद सम्पूर्णानन्द जी, चौधरी चरण सिंह, चन्द्रभानु गुप्त, पं0 कमला पति त्रिपाठी जो यहां असफल रहे तो आप कैसे इसको संगठित करने में सफल होंगे । मान्यवर, कल मैं दिल्ली से आ रहा था, कानपुर में अखबार देखा जिसमें लिखा था कि मुख्य मन्त्री ने अपनी शिकायत प्रधान मंत्री से की है मुझको मन्त्रि मंडल का सहयोग नहीं मिल रहा है ।अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है । तो जब मुख्य मन्त्री जी को अपने मन्त्रि मंडल का सहयोग नहीं मिल रहा है तो कैसे यह इस प्रदेश का संचालन करेंगे ? इस बात पर मुझे मुख्य मंत्री जी पर तरस आ रहा है कि यह कैसे इस प्रदेश को चला पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें, आपका समय समाप्त ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय सदस्य 14 हरिजनों को खा कर आये हैं ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

यह सदन में ऐसी बात कह रहे हैं। यदि मैं 14 को खा कर आया हूं तो मेरी हालत ऐसी दुबली पतली न होती। यह तो उनको खाकर आये हैं।

श्री बिहारी लाल--

यह नरभक्षी हैं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

बिहारी जी हरिजनों का ठेका लेकर आये हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें, आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि दो दिनों से बार बार उठने बैठने के बाद आपने मुझे बोलने का समय दे दिया। मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जब कल मुख्य मंत्री जी अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे तो मैंने उनके भाषण को गौर से सुना। गौर से इसलिए सुना कि मुख्य मंत्री जी जब शोक प्रस्ताव पेश करते हैं तो वह बड़े नाटकीय होते हैं तो उसी तरह मैंने समझा कि जो बजट भाषण मुख्य मंत्री जी का होगा वह भी नाटकीय होगा और बिना रवीन्द्रालय के यहां मजा आ जायेगा, लेकिन पूरा कार्यक्रम कल फ्लाप हो गया। पूरे भाषण में ऐसा लगा कि वोल्टेज बिल्कुल डाउन हैं किन्तु वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बूस्टर लगाये जाते हैं तो बूस्टर भी लगाये गये लेकिन वह भी काम नहीं कर सके।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपने कहा कि बुन्देलखंड का कोई माननीय सदस्य नहीं बोला है, इसलिये उस पर आप तरस खायें।

श्री शंकर सिंह--

बुन्देलखंड पर मंत्री जी ने भी तरस खाया है और आजकल मुख्य मंत्री को बुन्देलखंड से विशेष रूप से प्यार हुआ है। पिछड़े क्षेत्रों से प्यार हुआ है, पिछड़े क्षेत्रों के लोगों से प्यार हुआ है और उस प्यार का नमूना देने के लिए उन्होंने चार-पांच दिन पहले बुन्देलखंड का चुनाव अभियान हेलीकापटर द्वारा शुरू कर दिया। जो पिछड़े लोग हैं उनसे कितनी हमदर्दी है। बुन्देलखंड के जो विधायक हैं उनको साथ नहीं ले गये यदि तजुर्बेकार विधायक चाहिए था तो

[श्री शंकर सिंह--]

बेनी बाई को ले जाते। स्वामी प्रसाद सिंह, उन से बड़ा कुटनीतिज्ञ कौन हो सकता है, उनको साथ नहीं ले जा सके। आपके ज्योतिषी हैं मोहन लाल जी उन को साथ नहीं ले जा सके। राजा साहब समथर को लेकर बुन्देलखंड गये। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप तो बड़े लोकप्रिय हैं, बड़े हिमायती हैं, अपने जिले को छोड़कर बुन्देलखंड क्यों जा रहे हैं। लोकप्रियता की यही निशानी है कि आप को अपने जनपद में एक भी सीट नहीं मिल पा रही है यदि वहां से खड़े हो गये तो हार निश्चित है मैं कहना चाहता हूं वह आल्हा ऊदल की भूमि है बुन्देलखंड (शोर) उसे ऐसा मत समझिय कि वहां की जनता आप की भोली शक्ल पर रीझ जायगी, मीठी-मीठी बातों में आ जायगी। मान्यवर, (व्यवधान) बुन्देलखंड की भूमि ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा (शोर) आप को भी छोड़ने वाली नहीं है स्वर्गीय सी० बी० गुप्ता ने भी वहां के चक्कर लगाये थे हार कर ही वापस गये मुख्य मंत्री जी आप उससे सबक लीजिए (शोर)।

श्री उपाध्यक्ष--

आप का निर्वाचन भाषण समाप्त हुआ। विरांजे....

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, दो मिनट

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें।

श्री शंकर सिंह--

पांच-पांच, छः-छः डकैतियां हो रही हैं एक दिन में कालपी नगर में शासन को उसकी कोई चिन्ता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

शंकर सिंह जी, आप का समय समाप्त हो गया। आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं। (श्री शंकर सिंह के बोलते रहने पर) आप बैठें। आप बैठें जांय आपका समय समाप्त हो गया। आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं। बैठें। आप का समय समाप्त हो गया।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

मान्यवर, हम आप के अभारी हैं कि आप ने बहुत कसरत करने के बाद हमको हुक्म दिया बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष--

आप से कसरत इसलिए कराई कि आप पहलवान आदमी हैं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन के ऊपर जो बजट पेश किया है मैं उसकी हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इधर और उधर बैठे हुए सबकी

बातें सुनते सुनते यह समझ में आया कि क्यों इधर शासन में बैठे हुए हैं। मान्यवर, आज क्या इस सामान्य प्रशासन के मुताल्लिक उनकी आंखों में परवा पड़ा हुआ है जो कि तीन वर्षों तक परीक्षायें समय से और सुचारु रूप से नहीं हो सकीं। परीक्षायें इस वर्ष सुचारु रूप से हुई। मैं एक उदाहरण अपने जनपद प्रतापगढ़ का देना चाहता हूं। जरा शांत रहें। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। श्रीमन् 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश के अन्दर गवर्नर प्रशासन हुआ। हमारे जनपद में बेरी डाकू का आतंक छाया हुआ है पिछली सरकार में उस बेरी को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रश्रय दिया जाता था। कप्तान ने सोचा वह प्रशासन अब बदल गया है 22 फरवरी को बेरी डाकू का इनकाउन्टर हो गया। एक एक दिन के अन्दर प्रतापगढ़ जनपद में 52, 52 घरों में डकैती पड़ती थी, आज तो नहीं पड़ रही है, महाशय। और लोग कहते हैं अब कहेंगे क्या--कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही दंगा क्यों होता है मुरादाबाद में हो गया, अलीगढ़ में दंगा हो गया और जगह दंगा हो गया। मैं पूछना चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है। इस के तहत है क्या। आप लोगों द्वारा पुलिस और पी0 ए0 सी0 से मिल कर के प्रशासन के खिलाफ एक षड़यंत्र रचने के तहत यह दंगे हो रहे हैं। श्रीमन् एक आग्रह करूंगा। बहुत सी बातें मेरे साथियों ने कही हैं। माननीय भाई मोहन सिंह ने कहा कि यहां पर सरकार जाति, बिरादरी को चल रही है। जाति बिरादरी का यह जहर, घृणा किसने फैलाई? चौधरी चरण सिंह और लोक दल ने फैलाई, जनता पार्टी ने फैलाई। हां अगर प्रशासन को चलने के लिए हम में कोई गलती है तो साफ साफ बतलाइये, छोटे कशी से चीजें ठीक नहीं हो सकेगी। पिछले तीन वर्षों में अफसर-शाही पनपी जिस तरह से पिछले तीन वर्षों में अफसरों को गलत बढ़ावा दिया गया उसके खामियाजे हम सब भुगत रहे हैं, प्रदेश की जनता भुगत रही है और उससे निबटने के लिए कांग्रेस का प्रशासन सक्षम है। मैं अपने मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अन्दर जहां वह बहुत सी चीजें कर रहे हैं वह मेरे प्रतापगढ़ जनपद में कांस्टेबिल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ावें। 270 कांस्टेबिल्स की स्ट्रेंथ वहां है। थाने बढ़ गये हैं लेकिन कान्स्टेबिल्स की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी। वही पुराना स्टाफ बना हुआ है जब कि आबादी दुगुनी और तिगुनी बढ़ गयी। 1913 में भी 270 कान्स्टेबिल थे और आज भी उतने ही हैं। लिहाजा पुलिस फोर्स को वहां बढ़ाने की जरूरत है। इन तीन वर्षों में पुलिस के जरिये पिछली सरकार ने डकैतों को प्रश्रय दिया, सारे घन्नासेठों को प्रश्रय दिया और आप चाहते हैं कि हम तीन चार महीने में ही सब को दुरुस्त कर दें। एक छोटा सा बिल आया तो उसके लिए आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। पिछली सरकार में जौनपुर के अन्दर एक डकैत पकड़ा गया था, वह मुख्य मंत्री की बिरादरी का था आज उसमें एक डी0 एस0 पी0 और एक दरोगा सस्पेन्ड हो गया है। इतना जातिवाद का नारा आपने उस समय दिया लेकिन उस समय एक आध हरिजन एस0 पी0 या कलैक्टर होता था जब कि आज हमारे प्रशासन में न जाने कितने हरिजन तथा मुसलमान कलेक्टर और एस0 पी0 प्रशासन में हैं (व्यवधान) 323 के तहत हरिजनों की हम जांच करने का मौका देते थे लेकिन आपने तीन वर्षों

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--]

के अन्दर नहीं दिया । क्या यही उनकी हिफाजत का दम आप भरते थे । आप उनको बढ़ाना नहीं चाहते थे । लेकिन चन्द महीनों के अन्दर ही कांग्रेस की सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री ने, इन्दिरा गांधी ने चाहे कोई राजा हो या सेठ चाहे हरिजन हो या धूरहू पर्वास हो सबको एक सीट पर ला कर बिठा दिया । जो योग्य है उसको उसकी योग्यता के अनुरूप ही अवसर दिया जायगा । जाति बिरादरी के नाम पर कांग्रेस को बदनाम नहीं किया जा सकता । एक जिले का उदाहरण पिछली सरकार का दूंगा । वहां के दरोगा ने यह कहा कि इस जिले में इस थाने के सबसे बड़ा जानवरों का चोरी का सरदार था और जो जानवरों की चोरी का सरदार था. इस समय व सिलसिले बजरते लखनऊ में क्या करता है । इसलिए कुछ चोरी में कमी आई है लेकिन फिर भी सख्त निगरानी की जरूरत है ऐसे लोग आपकी मंत्रि परिषद् में थे और मंत्रिगण भ्रष्ट थे । लेकिन हमारे यहां कोई भी मंत्री अगर भ्रष्ट होगा तो उसको यह मुख्य मंत्री नहीं रहने देगा, इन्दिरा गांधी नहीं रहने देगी । मेरा मुख्य मंत्री जी से यही एक आग्रह है कि प्रतापगढ़ जिले में या किसी अन्य जिले में जो 1913 का रिकार्ड कायम रखा गया है आज 1980 में पुलिस के आदमियों में, पुलिस फोर्स में और थानों में वृद्धि होनी चाहिए जिससे यह प्रशासन सुचारू रूप से चल सके और लोगों की हिफाजत हो सके । इन शब्दों के साथ में इस बजट की ताईद करता हूं ।

(श्रीमती कुदसिया बेगम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है । जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे उनको आपने ज्यादा समय दिया है । उनको 7 मिनट का समय दिया है जब कि औरों को 5 मिनट दिया गया है । यह आपने ठीक नहीं किया है ।

(व्यवधान)

पक्षपात किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस तरह का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

आप अपने शब्द वापस लें । माननीय नेता विरोधी दल, आप अपने सदस्य को कृपया संयत करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, नये सदस्य हैं । मैंने उनसे कह दिया है कि वे ऐसे शब्द को वापस लें । उनकी तरफ से मैं उस शब्द को वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय प्रभाकर नाथ द्विवेदी ने इल्जाम लगाया है कि समाचार-पत्रों में एक खबर छपी थी कि कुछ राजु चोर उस मंत्रि मंडल में थे । मैं भी

उस समय प्रश्न उठाया था। उसके बाद सारी छानबीन के बाद उसका एक प्रतिवाद भी आ गया था कि ऐसी कोई बात पुलिस की डायरी में नहीं है और मान्यवर, आपकी पीठ से भी इसका खंडन हो चुका था। इसलिए ऐसी निराधार रिपोर्ट को पुनः यहां पर दुहराने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए मान्यवर, आप कृपया उसको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह तो जन-साधारण की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी। मैं इसको देखूंगा और उसके बाद उस पर कोई व्यवस्था दे सकता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, जो बात माननीय मोहनसिंह जी ने कही है मैं वाकई में एक बात कहना चाहता हूं कि जो बात जन साधारण में प्रचलित है पब्लिक का माउथ पीस होने के नाते वह कुछ भी कह सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं।

श्री विजय सिंह राना--

सारा हिन्दुस्तान जानता है कि भोला पांडेय ने हवाई जहाज चुराया था ...।

(व्यवधान)

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबेआला, मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। जनाबेआला, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो हमारे लीडर्स ने इसका लक्ष्य वेलफियर स्टेट का रखा था और उसके बाद उन्हीं लाइन्स पर हमारी सरकार चलती रही। जो बजट पेश हुआ है वह भी वेलफियर स्टेट के आधार पर ही पेश किया गया है। पुलिस की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, थाने बढ़ा दिये गये हैं उनके लिये और भी सुविधायें मुहइया की गई हैं। यह बिलकुल सही है कि पुलिस भी हमारे समाज का एक हिस्सा है और बहुत जरूरी हिस्सा है और उसी तरीके से हमें उनके साथ बर्ताव करना चाहिए जैसे हम और लोगों के साथ करते हैं। यहां सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस की जहनियत में हमारी आजादी के 33 साल के बाद भी कोई फर्क आया है या नहीं। हम देखते हैं कि जब पुलिस बुलाई जाती है, जिनको अमन शांति को कायम करने

[श्रीमती कुदसिया बेगम--]

के लिये बुलाया जाता है तो ऐसा समझा जाता है कि जैसे वे उनके सख्त दुश्मन हों। वह भी समाज के एक अंग हैं और उनके साथ भी अन्य लोगों की तरह ही सलूक होना चाहिये। मैं नहीं समझती कि किस तरह से पुलिस अपनी जहनियत को बदले और यह समझे कि हम भी समाज के एक अंग हैं।

जनाबेआला, बहुत कुछ कहा गया भ्रष्टाचार और रिश्वत की बाबत उसकी बाबत मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि "अयां राचे बयां" यानी जो चीज जाहिर है उसका बयान क्या किया जाय उधर से और इधर से बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये। अपने समाज को और अपने करदार से बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जनाबेआला, यह बीमारी जो हमारे यहां पैदा हो गयी है इसको किसी न किसी तरह से खत्म करना है हमारी वेलफेयर स्टेट है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी सरकार से अर्ज करना चाहती हूं कि पुलिस मैनुअल जो है, जहां तक मुझे इल्म है, अगर मैं गलती पर हूं तो उसे दुरूस्त कर दें, यह पुलिस मैनुवल पिछली सदी का बना हुआ है 1860 या 1870 का जब हमारे यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी। आप स्वय समझ सकते हैं कि जब विदेशियों की हुकूमत हो तो वह किस तरह से लोगों को दबाय रखना चाहती है। इसी तरह का पुलिस मैनुवल उन्होंने बनाया था। अपनी दृष्टि से उन्होंने ठीक बनाया था। लेकिन आज सवाल यह है कि हमारी आजादी को इतने दिन हो गये, दुनियां कहां से कहां पहुंच गई, लोग चांद पर पहुंच कर वापस आ गए लेकिन हमारी पुलिस मैनुवल वही रही, कुछ तब्दीलियां जरूर की गई हैं लेकिन

[4 बजकर 57 मिनट]

चाहिए तो यह था कि इस पुलिस मैनुवल को बिलकुल स्क्रेप कर दिया जाता आजकल की हालात को देखते हुए, बदलती हुई दुनियां को देखते हुए और जो हमारे वेलफेयर स्टेट का लक्ष्य है उसको सामने रखते हुए, सोशलिजम के उसूलों को सामने रखते हुए हमें पुलिस मैनुवल को बनाना पड़ेगा। जनाबेआला मैं अर्ज करना चाहती हूं कि यह बहुत जरूरी काम है जिसकी तरफ हमारी सरकार को ख्याल करना चाहिए। जनाबेआला आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० उस जमाने की बनी है जब हम गुलाम थे उसमें तरमीम होनी चाहिए और एविडेंस ऐक्ट में भी तरमीम होनी चाहिए। आज कहीं पर दफा 144 लगती है उसमें पांच आदमियों की एसेम्बली में रोक लगाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि आज पांच आदमियों की एसेम्बली कोई हकीकत रखती है। मैं एक बात अर्ज करना चाहती हूं कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में पुलिस को दंगों को दबाने के लिए असलहा के साथ नहीं भेजा जाता है। बल्कि आंसूगैस, मोटर स्प्रे और वेरन से वह काम लेते हैं इसलिए हमारी पुलिस को भी सोच समझ कर हथियार देने चाहिये, असलाहा देने चाहिये क्योंकि जिस तरह के आजकल वाकयात हो रहे हैं उसको देखते हुए हरगिज मुसल्ला न भेजी जाय। पहले सूटिंग का आर्डर मजिस्ट्रेट देते थे बिना उनके हुक्म के फायरिंग नहीं होती थी और पुलिस वाले उल्टे मेजिस्ट्रेट को मजबूर करते हैं कि गोली चलाने का हुक्म दो। इन इलफाज के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और उनको मुबारकबाद देती हूं और उम्मीद करती हूं कि उन्होंने जो बजट बनाया है उससे पुलिस में सुधार आयेगा। उनको सुविधा मुहइया करने के लिए सब कुछ किया गया है मैं उम्मीद करती हूं कि अगली साल पुलिस में जरूर सुधार आयेगा और अपने को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी––

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, बहुत देर से चर्चा चल रही है दोनों तरफ से सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में विशद रूप से चर्चा हुई। मैं भी सामान्य प्रशासन के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिसको हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक मुख्यमंत्री का सम्बन्ध है, वह अत्यन्त सदाचारी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। इनकी अगर मदद की जाय तो हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आज मैं किसी आलोचना–प्रत्यालोचना में न पड़ कर केवल दो–एक सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि एक शिकायत होती है और कुछ बाकियातों का वर्णन भी किया जाता है, लेकिन सुझाव बहुत कम दिये जा रहे हैं। विरोधी दल के भाई कृपया सुझाव भी दिया करें, और उनके सुझाव जितने उचित हों, वे मान जायं। मुझे यह कहना है कि जब से नई सरकार आई है, तब से यह नहीं कहा जा सकता कि कुल काम बिगड़ ही गये हैं। जैसे विद्यार्थियों की परीक्षा समय से हुई, पढ़ाई लिखाई ठीक से जारी है आदि। मैं चाहता हूं कि जो पढ़े–लिखे बेकार लोग हैं चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको किसी तरह से आप काम देने का प्रयास करें। यदि यह नहीं होता है तो हमारी सारी समस्याएं उलझी रह जाएंगी। मेरा सुझाव है कि इनको छात्रवृत्ति के रूप में दो वर्ष तक कुछ धन दिया जाए और इस अवधि में उनको छोटे–छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय और जब वह इनमें लग जायं, कमाने लगें तो यह छात्रवृत्ति बन्द कर दी जाय। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी सरकार चैन से नहीं रहने पाएगी और उससे अपराध तथा भ्रष्टाचार में भी और वृद्धि होगी। जब मैं यहां चुनकर आया था तो मैंने सोचा था कि दो–चार लड़कों को नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन आज तक एक को भी नहीं करा पाया, जाने कैसे नियम कायदे बने हुए हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है, पुलिस की संख्या बढ़ाई जाय, उनका वेतन बढ़ाया जाय। यदि उनका वेतन ठीक है तो शायद इधर–उधर करने की और भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति में कमी आ जाय।

(लाल बत्ती होने पर)

मैं अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूं और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता। अतः इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वासन दे रहा हूं कि आप लोगों का यदि सहयोग रहा तो यह मुख्य मन्त्री आपके प्रदेश की पूरी सेवा कर सकेंगे और इनको हमारे पूरे लोगों का पूर्ण समर्थन है।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं अनुगृहीत हूं कि आपने सामान्य प्रशासन की जो मांगें मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत की हैं, उन पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया। यहां नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करना है, लेकिन चूंकि समय कम है, मैं चाहता हूं कि ठोस सुझाव आपके सामने रखूं। मुख्य मंत्री जी जितने संकल्पशील मालूम पड़ते हैं, और जितना वह प्रयास करते हैं जनता को सन्तुष्ट करने का, अपनी घोषणाओं से, लेकिन जनता में उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। यद्यपि खाद्य विभाग उनके पास नहीं है माननीय अजीत सिंह सेठी के पास है लेकिन जब उस सिलसिले में यहां पर चर्चा हुयी तो बताया गया कि काफी दिन हुए बनारस में इतने क्विन्टल अनाज पकड़ा गया था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे मुख्य मंत्री अनभिज्ञ हैं, कि पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की 90 प्रतिशत चीनी ब्लक में जाती है। सारे लाइसेन्स होल्डर्स उस शकर को ब्लैक में बेच देते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि अगर वे शकर का वितरण भी ठीक करा दें तो मैं समझूंगा कि उनका कार्यकाल सफल रहा।

एक सदस्य--

ये सामान्य प्रशासन की मांगें हैं ?

श्री लल्लू सिंह चौहान--

चूंकि यहां पर अपराध रोकने की बात स्वयं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कही थी और सामान्य प्रशासन में ये सब बातें आती हैं। क्या कारण है कि हमारी सरकार आज गांव में रहने वालों की उपेक्षा कर रही है ? जिस शकर को शहरों में 6 रुपये 30 पैसे प्रति किलो बिकवाने की बात की जा रही है, वही शकर गांवों में 12 और 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है।

आज हो क्या रहा है ? जिले में पुलिस का एस0 पी0 बादशाह बना हुआ है, थानेदार या स्टेशन आफिसर नवाबे मुल्क बना बैठा है। आज जिले में न किसी विधायक का, न किसी जन प्रतिनिधि का और न किसी सार्वजनिक कार्यकर्ता का और न किसी कांग्रेस पार्टी के विधायक का कोई सम्मान है। वे थाने में जाते हैं लेकिन रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। पुलिस विभाग में आई0 जी0 चाहे वर्मा जी हों या महेन्द्र सिंह हो, व्यक्तियों के बदलने से पुलिस का रवइया नहीं बदलता है। लोक दल के, जनता पार्टी के या कांग्रेस के लोग अगर इस तरह से चलेंगे तो पुलिस प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कांग्रेस के लोग, विरोधी दल के लोग, जन संगठनों के लोग, विरोधी दलों के लोग और विधायकों की एक मीटिंग कम से कम एक महीने में एक बार हमारे कलेक्टर को करनी चाहिए ताकि हम लोग वहां पर उन अफसरान की खुली आलोचना कर सकें। हम कलेक्टर और एस0 पी0 से कहते हैं लेकिन वे कोई मीटिंग नहीं बुलाते हैं।

मान्यवर, मेरे जिले में अभी कुछ समय पूर्व 11 हरिजनों की हत्या हुयी जिसमें 3 महीने से लेकर 60 साल की आयु के परिवार के सदस्यों को मार डाला गया। डकैतों ने उनको कत्ल कर दिया लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई कम्पेन्सेशन, कोई धन, कोई मुआविजा नहीं दिया गया। वह परिवार सारा का सारा बरबाद हो गया केवल उसमें अब विधवायें बची हैं।

सुल्तानपुर में क्या हुआ । वहां पर जिन अधिकारियों ने एक लाख दस हजार लीटर मिट्टी तेल पकड़ा था, उन अधिकारियों का वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया । मैं तो यह निवेदन करूंगा कि राज्य स्तर पर भी अपराध कम करने चाहिए और इसके लिए विरोधी दलों के नेताओं को लेकर एक समिति बनायी जाय जो इस मसले पर विचार करे । तब प्रदेश में यह भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है ।

कुमारी सुमनलता दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मन्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत सामान्य प्रशासन के बजट पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया । अभी तक चाहे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हों या सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, सभी की एक ही शिकायत है कि जो हमारे सामान्य प्रशासन में भ्रष्टाचार है । इस सम्बन्ध में सबने बातें कहीं । लेकिन किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाय । मान्यवर, म आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को यह सुझाव देना चाहती हू कि इस भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो जो ट्रांस्फर की प्रथा है इसको रोकना होगा । स्थानान्तरण समय से होना चाहिए, तीन साल या चार साल के बाद, जैसा जिस अधिकारी का समय हो, उसके हिसाब से स्थानान्तरण होना चाहिए । यदि किसी अधिकारी के प्रति कोई शिकायत है तो उसको पहले चतावनी दी जाय और अगर काम नहीं करता है तो सस्पेंड कीजिये ।

दूसरा सुझाव मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को आपके माध्यम से देना चाहूंगी कि जो सारे विधायकों को ये शिकायतें हैं कि अधिकारी वर्ग उनका सम्मान नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, मेरा अनुरोध है माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि वह विधायकों को इतना अधिकार प्रदान करें कि कम से कम अधिकारी वर्ग उनकी बात को जरूर मानें । तीसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को बताना चाहूंगी कि जो व्यक्तिगत हित की बातें हैं, उनमें जो अधिकारी वर्ग अपना ध्यान देते हैं, उनके पास लोग ज्यादा जाते हैं, उनकी बातें मानते हैं, इस तरह की बातें आपके शासन काल में नहीं होनी चाहिए ।

माननीय मोहन सिंह जी ने जो भाषण दिया । उन्होंने एक बड़ा ओजस्वी भाषण दिया । लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप ज्यादा लगाये बजाय सुझाव देने के । मैं उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं करती थी । इस माननीय सदन की जो गरिमा है, शान है, इस सदन में माननीय मोहन सिंह जैसे वक्ता द्वारा इस तरह का आक्षप शोभा नहीं देता ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया । विराजें ।

कुमारी सुमनलता दीक्षित--

मान्यवर, महिलाओं पर अत्याचार की बात है उन्होंने कहा । उनके शासन काल में महिलाओं की जो दुर्दशा हुई, उतनी दुर्दशा कभी भी नहीं हुई । इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करती हूं और उनसे आशा रखती हूं कि उनके शासन काल में हमारे प्रदेश की दशा में काफी सुधार होगा । मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, इस सदन में नेता सदन माननीय कमलापति त्रिपाठी रह चुके हैं । त्रिपाठी जी के समय में मान्यवर, जिन अधिकारियों को काम करवाना होता था, वह बहू जी को पैसा पहुंचा दिये और मान्यवर काम हो गया । अब आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से । तत्कालीन सी०एम०ओ० राधेश्याम शर्मा (व्यवधान) जो कानपुर में कार्यरत थे उनके खिलाफ 20 लाख का गबन का आरोप था और उन्होंने डिप्टी सी० एम० ओ० पर दबाव डलवाया । मान्यवर, ग्यारह लाख के फर्जी वाउचर पकड़े गये और इसके बाद तत्कालीन सी० एम० ओ० बहू जी से मिल आये और बहू जी को 20 हजार रुपये दिया और उसका प्रोमोशन कर दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

बिना सबूत आरोप नहीं लगा सकते ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं । यह हमारे झींझक कार्य केन्द्र, सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर जो हैं, मैंने स्वयं मौके पर जाकर देखा, 5 रुपये प्रति बोरा....।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह बजट भाषण में क्या भाषण दे रहे हैं । मान्यवर, माननीय सदस्य कहना क्या चाहते हैं, इस पर तो जरा गौर कर लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, मुझे बोलने नहीं किया जा रहा है, मुझे उतना समय अधिक दिया जाय।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)--सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर डेढ़ महीने जेल में रहा, वह सस्पेन्ड कर दिया गया । खाद्य मंत्री ने उसको बहाल कर दिया ।

(व्यवधान)

(श्री अनवार मुहम्मद खां का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अनवार मुहम्मद खां--

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं । मान्यवर, इस प्रशासन में जो कमियां हैं मैं उनको बताना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी गौर करके इस बात को सुनें । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मान्यवर, कि इतने बड़े जो काण्ड हुए हैं किसकी वजह से हुए हैं । मैं यह भी खूब जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी जात से बहुत शरीफ हैं, शरीफ नस्ल हैं और वह अपनी शराफत का सबूत यहां हाउस में भी देते रहते हैं । उन्होंने शुरू में यह भी तस्लीम किया था कि जो काण्ड हुए हैं, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं । जब आपने इस्तीफा दिया था, तब तमाम लोगों को खुशी हुई थी । उन्हें इस्तीफा देने से पहले एक चीज का पता लगा लेना चाहिए था कि आखिर कौन सा दल, कौन से लोग फेल करना चाहते हैं । आप इस मुरादाबाद काण्ड होने के पहले की बात का पता करें। बनारस अवध क्लार्क होटल में कौन-कौन से नेता लोग थे ? क्या-क्या उसमें बातें हुई थी और कितने रोज लोग वहां पर रहे थे ? जो आपकी कुर्सी के भूखे थे, जो आपकी कुर्सी को उलटना चाह रहे थे । इसकी जांच कराना आज बे-इन्तिहा जरूरी है । मेरे तजुर्बे में यह बात आयी है कि जो दिल नर्म होता है, वह उतना ही अन्दर से सख्त भी होता है । आपको यह देखना होगा कि आपके दल के ही जिन लोगों ने बे-गुनाह लोगों का कत्ले आम कराया और मुल्क में बे-अमनी फैलायी है, उनको सही सजा दी जानी चाहिए । दूसरे बागपत का जब काण्ड शुरू हुआ था, तो उस पर जो एक्शन शुरू में लिया जाना चाहिए था अगर वह ले लिया गया होता तो आज यह जो मुरादाबाद में दंगा हुआ है, वह नहीं हुआ होता चाहे हिन्दू हो या मुसलमान यह वाक्या हरेक के लिए बहुत ही शर्मनाक वाक्या है, चाहे वह खून हिन्दू का हो या मुसलमान का खून-खून है, पी० ए० सी० ने जिन बे-गुनाह लोगों पर गोलियां चलाई हैं, इससे हम क्या आप भी मुनकिर नहीं हो सकते । ऐसा गंदा काम आपकी पुलिस ने किया है, ऐसा आज तक नहीं हुआ । वहां पर जो आई० जी० पुलिस है, वह हमारे जिले और तहसील के ही रहने वाले हैं, बड़े ईमानदार हैं । इन सब चीजों के होते हुए भी उनको अपने जिले और कायमगंज की ओर देखना चाहिए, जहां के लोग यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि पुलिस और पी० ए० सी० हिन्दुओं का साथ दे रही है । गलत तत्व यह कहते सुने जा रहे हैं कि बताओं तुम लोग क्या करोगे जब पुलिस हमारा साथ दे रही है । इस बात का हम क्या यहां सारे लोग गवाह हैं कि वहां फर्रुखाबाद में कभी भी हिन्दू-मुस्लिम का फसाद नहीं हुआ । बल्कि इतना जरूर हुआ है कि वहां के हिन्दू और मुसलमानों ने अंग्रेजों से 1857 में एक साथ मुकाबला कर फांसी के तख्ते पर खुशी से लटक गये हैं, जिसके आज भी तमाम पेड़ सहादत दे रहे हैं । मैं इन्हीं लफ्जों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका भरपूर समर्थन करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं सभी उन माननीय सदस्यों का चाहे वह पक्ष में बैठने वाले हों या विपक्ष में। दो बातों की चर्चा में सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर जो अपने-अपने सुझाव रखे, बल्कि बहुमूल्य सुझाव दिये क्योंकि सामान्य प्रशासन एक देश के लिए बहुत बड़ी चीज होता है। हमें अनाज और दूसरी चीजों की जरूरत जब पड़ती है, जब हमारी सुरक्षा की गारंटी हो जाए।

(सदन से बिजली चली गयी)

(बिजली आने पर)

तो माननीय उपाध्यक्ष जी, सभी ने अपने-अपने सुझाव रखे, उनमें से जो चीजें निकलकर आयी हैं और उनपर जो कटाक्ष किये गये हैं। मैं उन्हीं सब के बारे में पहले कह देना अपना फर्ज समझूंगा। जो हमारे दो माननीय सदस्य श्री त्रिवेणी और श्री त्रिपाठी जी ने यह जो कहा कि उनके ऊपर 302 के केस चले और विड्रा हुए। तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि इन लोगों पर न कोई केस चले और न ही कोई केस विड्रा हुए तो मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहूंगा कि आज वह माननीय नेता सदन आज मुख्य मंत्री है उनकी सरकार है। अगर कहीं कोई चीज ऐसी है तो उसका पता लगवा लें और पुनः जांच कर लें। दूसरी चीज जो आती है बहुत बड़ी वह है जातिवाद की। मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा ज्यादा कटु हो जायेगा। श्रीमन्, आप थोड़ा मनन करें कि यह जातिवाद चला कौन रहा है कहा जाता है चौधरी चरण सिंह और लोकदल की सरकार ने चलाया। श्रीमन् इस प्रदेश के अन्दर एस0 पी0 रैंक के 2 बिरादरी के आदमी इस पूरे प्रदेश के अन्दर थे उससे ज्यादा पोस्ट नहीं किये जा सकते हैं, 56 जिले हैं वह बिरादरी कहां पोस्ट हुई थी। लेकिन इस सरकार के आते ही 2 एस0 पी0 हट गये हो सकता है उनका कैरेक्टर रोल खराब हो लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप पुनः उनका कैरेक्टर रोल देखलें। वह व्यक्ति शासन के अन्दर स्वच्छ रहे, उनका प्रशासन ठीक रहा, उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ इस प्रदेश की सेवा की हो तो उनके साथ ऐसा अन्याय या अन्य कोई चीज बिरादरी के नाम पर नहीं होनी चाहिये। इसी के साथ-साथ मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं माननीय नेता सदन को आप एक कैरेक्टर रोल मंगा कर देख लें हाथरस, अलीगढ़ के अन्दर एक इन्सपेक्टर है उनके कैरेक्टर रोल की कुछ लाइनें मैं पढ़ूंगा वह अंग्रेजी में है। श्रीमन् 1979 में यह कैरेक्टर रोल इन्ट्री दी गई थी।

A throughly useless and worthless officer, who is most unreliable, undependent faithless and disloyal. He is au indiciplined officer who keeps himself alipned with Political Party. He remains drunk most of the time. He is a decoit in the Police uniform. He draw motor cycle allowance without maintoining motor cycle at Haldwani. H is known as the Natwar Lal of Police A thrughlp cnrrupt officer. Intigrety not certify.

श्रीमन्, कहा गया है कि यह बिल्कुल बेकार आफिसर है यह अफसर होने के लायक नहीं, वह पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्ध रखता है, जो हमेशा शराब पिये रहता है, पुलिस की वर्दी में डकैत है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17—सचिवालय, अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19, 25 व 80—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या 29—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रौद्योग तथा अनुदान संख्या 43 व 88—सूचना विभाग

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय नेता विरोधी दल ने कट मोशन मूव किया था अब वह डिबेट का जवाब दे रहे हैं। इस समय वह अपना समापन भाषण कर रहे हैं तो क्या समापन भाषण में किसी नई चीज का जिक्र कर सकते हैं। मैं हाउस आफ कामन्स की नजीर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। यह बात ठीक है उत्तर देते समय नई बात उठाने का रिवाज नहीं है इसलिए नहीं उठाया जाना चाहिए लेकिन यह एक प्रश्न के सिलसिले में एक चीज को उद्धृत कर रहे थे जो उन्होंने चार पहले बयान में दिये थे, कोई भी नया मामला नेता विरोधी दल नहीं उठा रहे थे।

श्री राजेन्द्र सिंह—

उन्होंने मोटर साइकिल एलाउंस जब वह हल्द्वानी में थे, मोटर साइकिल नहीं थी, लिया, वह पुलिस के नटवर लाल, बिल्कुल करप्ट आफिसर हैं और इन्टीग्रटी नाट सैटिसफाइड। यह जाति बिरादरी की बात कह रहा हूं। जिसकी इन्टीग्रटी इतनी बुरी हो उस को आप यहां पोस्ट कर रहे हैं। इस प्रदेश में दो बिरादरी हैं जिनके एक-एक एस0 पी0 हैं इन 56 जिलों में 54 में तो और ही लोग हैं।

(व्यवधान)

माननीय जेतली साहब, तिवारी जी ने और प्रभाकर द्विवेदी ने और बातें कहीं, एक बात चौधरी चरण सिंह की धर्म पत्नी के खिलाफ इन्क्वायरी की कही। चौधरी चरण सिंह का बयान मौजूद है कि रिपोर्ट आने पर कोर्ट में केस भेजा जाय, उन्होंने मांग की है और आप अपने दामन को देखें जो शाह-कमीशन के केश कोर्ट भेजे गये उन को आपने वापस ले लिया। हम तो कहते हैं बजाये...

(व्यवधान)

माननीय मिश्रा जी ने एक बात और कही। जब हम अपना भाषण दे रहे थे कुछ कागज और मैगजीन के टुकड़े इस्तेमाल किये। प्रेस को आप सेंसर करना चाहते हैं, फ्री प्रेस आप चाहते नहीं हैं। हमारी मजबूरी है, ये आपके लिए कागज के टुकड़े हो सकते हैं लेकिन यह इस देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। मैनपुरी के एक सदस्य थे, इस गवर्नमेन्ट में आकर हरिजनों को डी0 एम0 और एस0 पी0 बनाया है लेकिन माननीय सदस्य यह पता लगावें कि कितने दिनों के लिए बनाये गये हैं, खाली बदनाम करने के लिए ताकि उन को हटा दिया जाये। अलीगढ़ के डी0 एम0 और मुरादाबाद के एस0 पी0 कितने दिन रहे।

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

माननीय संजय सिंह ने एक बात कही, बड़ा अच्छा भाषण था, गरीबों में जमीन बांटी जाये, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि वह अपने दल में मुख्य मन्त्री को मजबूर करें कि जो विशारद कमेटी की रिपोर्ट है उसे लागू कर दें, वद्य-निगम कमेटी की रिपोर्ट पर हमीरपुर के माननीय सदस्य जब वह मन्त्री थे, इन्क्वायरी करा डाली थी। आज उन्हें मंत्रिमंडल से हाथ धोना पड़ा। आपकी हिम्मत है कि विशारद कमेटी की रिपोर्ट लागू करायें।

मैं बधाई दूंगा अपने माननीय बाजपेयी जी को उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बहुत चर्चायें थीं, हमारे देश की प्रधान मन्त्री का बयान आया, उसी लहजा में मुख्य मन्त्री जी भी बयान देते चले गये। मुरादाबाद, अलीगढ़ में दंगा हुआ। किसी ने कहा कि विदेशी हाथ था, किसी ने कहा पालिटिकल पार्टीज का हाथ था। पता चल गया। माननीय बाजपेयी जी ने कहा कि उसी पक्ष का, सत्ता पक्ष का इसमें हाथ था। वह मुख्य मन्त्री बनना चाहता था। विदेशों से उनकी सांठ-गांठ थी। कामयाब नहीं हो सके। हम लोग पहुंच गये इस नतीजे पर कि अलीगढ़ और मुरादाबाद में जो दंगे हुए जो षड़यंत्र हुआ, वह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य का षड़यंत्र था माननीय मुख्य मन्त्री जी को हटाने के लिए। एक और चीज उन्होंने कही कि संख्या तो यहां अधिक है हमारी। कोई भी प्रस्ताव आयेगा पास हो जायेगा। लेकिन यह न भूलें कि जनता की अदालत में हम जाना पड़ेगा तो मात खायेंगे। बहुत अच्छी बात कही। इसलिए हम स्वागत करते हैं। वह जानते हैं क्योंकि देहात से आते हैं। वह जानते हैं प्रशासन कैसे चल रहा है। इस सरकार की इमेज जनता में कैसी बन रही है इसलिए उन्होंने थोड़ा इंगित किया। मैं चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही करें।

मैं आपकी इजाजत चाहूंगा करेप्शन के बारे में कहने के लिए। प्वाइन्ट आउट करता हूं। एग्रो में लाखों रुपये का फलोत्पादन में घपला है। पहले भी कहा था, सत्ता पक्ष से जवाब नहीं आया। हम प्वाइन्ट उठाते हैं और आशा करते हैं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी जवाब देंगे। मैंने भाषण में कहा था कि एग्रो के अन्दर एक अधिकारी हैं जिनको लाखों रुपयों के करेप्शन में हटाया गया था। हमने नहीं हटाया। माननीय चंचल सिंह, मुजफ्फरनगर से आते हैं, उनकी कमेटी ने हटाया। आज भी उनके दो सदस्य हैं। उन्होंने करेप्ट पाया, हटाया। राष्ट्रपति शासन में एक आदमी ने 50 हजार रुपये लेकर रिस्टेट कर दिया। अदम पैरवी में खारिज कर दिया। एक बात और आई कि कोई सुझाव नहीं दिया गया। कई माननीय सदस्यों ने कहा। समय नहीं था। आपने कह दिया था कि 55 मिनट हो गये हैं। मैंने अखबार की कटिंग दिया था। दोनों में सुझाव थे अमल करें। 10 जुलाई, 1980 का जिसमें पुलिस पालिटिक्स के सुझाव थे। अमल कीजिये। इन्टलीजेन्सी के सुझाव हैं। राजनीति को अधिकारियों में नहीं लाना चाहिये। मि०-लाल थे, उन्होंने कहा कि आई० जी० पुलिस को मत हटाइये प्रशासन उससे लीजिये। वह किसी दल से सम्बन्धित नहीं होना चाहिये। आखिर में उनको मना नहीं करता। यह आपका काम है। सिर्फ निवेदन कर रहा था। प्रशासन को सुधारने के लिये, मान्यवर, सिर्फ सुझाव दे रहा था। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शासन नाम की कोई चीज तो है नहीं। मैं ही नहीं, सभी ने कहा। एक बात और कह दूं। एक महिला सदस्य ने कहा। इसलिये उनकी बात कह रहा हूं। बात बहुत छोटी सी थी लेकिन वह एक चीज थी। उन्होंने कहा कि विधायकों का सम्मान नहीं होता। उन्होंने माना कि भ्रष्टाचार है। मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा हूं नहीं तो कहेंगे कि विरोध

पक्ष के नेता होने के कारण कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य आखिर इस प्रदेश के ही रहने वाले हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश को आगे ले चलें। सरकार तो इसलिये रहेगी क्योंकि आपके पास बहुमत है। जब तक आप में टूट नहीं होगी, तब तक आप वहां हैं। लेकिन आपके ही जो सदस्य हैं, वह यह मानकर चलते हैं कि किस तरह का सम्मान आज माननीय सदस्यों का होता है। आज जिला प्रशासन क्या करता है? कितना सम्मान विधायकों का हो रहा है? कई बार यह बात सामने आयी। पता कीजिए कि कोई विधायक सेक्रेट्री या डिप्टी सेक्रेट्री के पास जाता है कोई अधिकारी बैठने के लिये नहीं कहता। वह बेचारा खड़ा रहता है। पहले भी सवाल आया, प्रश्न उठा, लेकिन ये आदेश किये गये थे कि विधायकों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिये। खाली यही नहीं कि उसको क्या एलाउन्स मिलता है। आखिर यह लाख डेढ़ लाख का प्रतिनिधि होता है। लेकिन अब यह नहीं किया जाता है। हो सकता है कि हमारी गल्ती हो। हो सकता है कि विरोधी पक्ष का होने के नाते कहता हूं। लेकिन जो तथ्य हैं, उनको देखना है।

इन शब्दों के साथ एक चीज और कह देना चाहता हूं। ब्रह्मचारी जी ने कहा। उन्होंने अच्छा किया। हम नहीं कर पाते। आज आई0 ए0 एस0 अफसरों की बढ़ोत्तरी होती जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि सभी आई0 ए0 एस0 अफिसर खराब हैं। प्रशासन में अच्छे भी लोग हैं। निष्ठावान लोग भी हैं। होने चाहिये। लेकिन जो प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है कि आई0 ए0 एस0 हर पोस्ट को ग्रेव करते जा रहे हैं, उसको रोकिये। भाई मोहन सिंह जी ने एक बात इसी सिलसिले में कही। आई0 ए0 एस0 की 50 पोस्टें क्रियेट कर दीं। चीफ डवलपमेंट अफिसर बन दिये। मैं कहता हूं वह नहीं जानते कि गेहूं का पेड़ कैसा होता है। बाजरा, मक्का का पेड़ नहीं जानते। मैं जानता हूं। मान्यवर, जब मैं कृषि में था, तो इस तरह का प्रयास हुआ था। अब तो विरोध पक्ष में हूं। मैंने उस वक्त इसका विरोध किया था। मैं जानता हूं कि आई0 ए0 एस0 के लोग अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। लेकिन जो टेकनोक्रेट्स हैं, जब तक उनको सम्मान नहीं दिया जायेगा, क्योंकि कृषि में धंधा है प्रदेश का, जब तक उनको आगे जाने का मौका नहीं देंगे, तब तक यह कल्पना करें कि ये जो बिजली के एयर कन्डीशन में रह रहे हों, ये गांव के बारे में सोच नहीं सकते। मैं मानता हूं कि ये बहुत सी किताबें पढ़कर आते हैं, उनकी वोकेबुलरी अच्छी है। लेकिन आपकी नीतियों का वह क्रियान्वयन नहीं कर सकते। चूंकि यह इल्जाम था, इसलिये कह दिया। आपने चीफ डेवलपमेंट कमिश्नर बन दिये। आपके 12 जिले की कमिश्नरी का सीनियर अफिसर है। लेकिन क्या और कैटेगरी के अफिसर आपके पास नहीं हैं? कृषि विभाग के, टेकनोक्रेट्स, सी0 डी0 के अफिसर्स, पशु चिकित्सक इनमें से अफसर आपके पास नहीं हैं? लेकिन एक बिरादरी विशेष को बढ़ाते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि उनके एक व्यक्ति के खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है तो पूरा कम्युनिटी आकर उसका साथ देगी और देती चली जायेगी। मैं जानता हूं उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। लेकिन इस प्रदेश की स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है। कानून व्यवस्था खराब होती चली जा रही है। प्राइसेस बढ़ती

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

जा रही हैं । यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत से अच्छे आई0 ए0 एस0 के सचिव हैं । वे निष्ठा के साथ अपने बयान दें और नोट दें । खाली यह करदें कि मंत्रीजी कृपया आदेश दें तो यह तो होता ही रहा है । आखिर आपका भी यह प्रदेश है । आप भी इस प्रदेश के रहने वाले हैं । तो आप सही सुझाव दें । जो आपका ईमान कह रहा हो, जो फाइल कह रही हो, उसको कहें ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इसमें भाग लिया, धन्यवाद देता हूं ।

(माननीय मुख्य मन्त्री जी को पुकारने पर)

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब आपने यह कहा कि कोई नयी बात नहीं कही जा सकती तो मैं समझता था कि शायद इस रूलिंग की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई खतरा नहीं था कि माननीय नेता विरोधी दल कोई नयी बात कहते ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी वह रूलिंग नहीं थी, व्यवस्था के प्रश्न पर मेरी व्यवस्था थी ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं अपने को सुधारे लेता हूं । लेकिन ऐसी कोई अव्यवस्था की भी आशंका नहीं थी ।

(हंसी)

आज उन्होंने थोड़ी सी नयी बात जरूर कही । कल तो अखबारों की कतरनें माननीय नेता विरोधी दल बहुत गोंद चिपकाकर ले आये थे, लेकिन बात चिपकी नहीं । (हंसी) कतरनें जो हैं वह बेतरतीब ही बिखरी रह गयीं इस सदन में उनका कोई काम ही नहीं था । आज जरा उन्होंने मेहरबानी की है कि एक दो नयी बातें ही सदन के सामने पेश की हैं । जो नयी और अच्छी बातें उनकी होंगी उसको मैं तुरन्त स्वीकार करूंगा । मान्यवर, कल कहा गया कि मैंने दर्शन का ज्ञान दिया, मैं तो दवा करता नहीं और पढ़ने का समय नहीं मिलता तो एक अनपढ़ आदमी को दर्शन का ज्ञान क्या होगा । लेकिन यह बात सही है, कि अखबारों के ज्ञान के प्योंदों को लगाकर दिमाग का खोखलापन नहीं ढका जा सकता ।

(मेजों की थपथपाहट)

और मैं जानता हूं यहां पर अपने बहुत जानकार अखबार के लोग प्रेस के लोग भी हैं लेकिन अखबार के ज्ञान की गहराई आखिर कितनी है । उसकी गहराई केवल एक नाखूनी अखबार के पन्ने के बराबर है । कल माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत दम भरा, कादंबिनी से दम भरा, और दम भरा इंडिया टुडे से और फिर टाइम्स आफ इन्डिया से पढ़ दिया । एक अखंड पाठ रहा अखबार का (हंसी) और उस अखंड पाठ में बहुत उदारता के साथ कहीं सहमति दी, कहीं

समर्थन दिया, सब कुछ किया केवल एक चीज नहीं किया, वह है कि अपना मत नहीं दिया। मान्यवर, मुझे तो अपने दर्जा 4 के वह दुखद दिन याद आते हैं जब कक्षा में खड़े होकर पाठ्य–पुस्तक में लिखे हुये, दूसरों के लिखे हुये पन्नों को जोर–जोर से पढ़ना पड़ता था। (हंसी) फिर भी मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को कुछ लाभ जरूर हो गया कि महीनों से जो अखबार नहीं पढ़ सका था उसका ज्ञान हो गया। मैं तो प्रस्ताव करूंगा कि जनहित में यह अच्छा होगा कि माननीय नेता विरोधी दल का एक ऐसा भाषण हो जाय, हर माह हो जाय तो सम्मानित सदस्यों को विविध पत्र–पत्रिकाओं, अखबारों को खरीदने की आवश्यकता न पड़े।

मान्यवर, आपने दर्जनों अखबार पढ़े और दर्जनों अखबारों पर विश्वास करने के लिये कहा, ठीक है। लेकिन मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास नहीं करता हूं किन्तु अखबारों का जवाब अखबार से तो दे सकता हूं। मान्यवर, 7 जुलाई 1979 का "करेन्ट पत्रिका को देखें जिसमें सभी चेहरे (पत्रिका दिखाकर) इसके ऊपर हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

यह पेबन्द काफी बड़े हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह––

हमारे पेबन्द से अवश्य बड़े हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मैं इसको हेडिंग नहीं पढ़ना चाहता हूं, तारीख दे दिया है, लाइब्रेरी में रखी है, मैं व्यक्तिगत कभी आक्षेप नहीं करता हूं और न करूंगा, इसको लोग पढ़ सकते हैं। मान्यवर, मैं इसका केवल अंतिम पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं।

So that is the way things go in the U. P. Cabinet. The scrutiny of charges reveal that there are more other Ministers involved in shady activities: Rather revealing was the statement of Janta M. L. C. Sarjoo Prasad Tyagi in this connection. He said that the Chief Minister has nine jewels to tune up the administration, Ironic is his symbolic observation. Each is a specialist in same aspect, like murder, corruption, dacoity or some other vice. I hope these Nov Ratans together will cope up with the nine maladies.

श्री उपाध्यक्ष––

इसका हिन्दी में अनुवाद करदें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मान्यवर, बड़ी मेहरबानी है कि आपने पैसेज के तरजुमे के लिये कहा है, इन चेहरों के लिये नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष––

चेहरे पहचाने हुये हैं, केवल भाषा अपरिचित है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, अनुवाद यह है---कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में इस प्रकार की चीजें हो रहीं हैं और अगर जो आरोप है उनको सूक्ष्मता से देखा जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि मन्त्री लोग दुविधात्मक कार्यक्रमों में लगे हुये हैं । श्री सरजू प्रसाद त्यागी, एम0 एल0 सी0 जनता पार्टी के हैं उनके द्वारा स्टेटमेन्ट से स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य मन्त्री के पास 9 रत्न हैं प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये और यह नव रत्न एक-एक पक्ष के माहिर हैं जैसे कि हत्या, भ्रष्टाचार, डकैती या अन्य कोई दुराचार । डकैती वाले अन्य कोई दुराचार ऐसे हैं कि ये नव रत्न इन चीजों से मुकाबला कर पायेंगे ।

अब आप की ओर से एक सज्जन कह रहे थे कि वोल्टेज बहुत डाउन है । मैं तो तेज बोल्टेज में बोल नहीं रहा हूं । आप तो ऐसे बोल रहे थे, इतने तेज बोलटेज में बोल रहे थे जैसे फ्यूज ही उड़ जायगा । धीरे-धीरे चल रहा है । बात सुनने दीजिए सुन लें जरा ।

एक आरोप शुरू में नेता विरोधी दल ने लगाया कि संजय जी नहीं रहे और मुख्य मन्त्री के ऊपर से साया हट गया है । सही है । मेरे ऊपर से साया हट गया । मेरे ऊपर से क्या करोड़ों के ऊपर से साया हट गया । और आज भी गलियों में जायें, सड़कों पर जायें, एक साधारण आदमी भी कहता है "काश, संजय होते" ।

(तालियाँ) (मेजों की थपथपाहट)

यह बात कही गई कि मुख्य मन्त्री दिल्ली पहुंचते रहते हैं और वहां से आदेश लाते रहते हैं । मान्यवर, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को मैंने अपना नेता स्वीकार किया है (मेजों की थपथपाहट) और गर्व के साथ कहता हूं कि किसी भी प्रश्न पर उनका निर्देश लेने में मुझे कोई हिचक नहीं है । और कम से कम ।

(व्यवधान) 5 बज कर 56 मिनट

मैं तो दुःखी होता हूं और सोचता हूं कि नेता विरोधी दल चौधरी साहब का नाम लेकर उनका आभार तो प्रकट करते । अगर मैं दिल्ली गया मान्यवर, तो इस प्रदेश की कठिनाइयों को ले कर दिल्ली गया । 124 करोड़ का बजट वृद्धि करा सका जो आज तक कभी नहीं हुआ । अगर मैं दिल्ली गया तो प्लानिंग कमिशन द्वारा अपने हरिजन और गरीब वर्ग के लिए 119 करोड़ की व्यवस्था करा सका जब कि आपके शासन काल में पांच साल 28 करोड़ ही था । चौगुनी वृद्धि आज तक कभी नहीं हुई । आपके जो खाद के कारखाने के प्रस्ताव थे दिल्ली जा कर उनके कदम आगे बढ़ाये और उनको पास करा सका । पेट्रो केमिकल कामप्लेक्स का आश्वासन केन्द्र से ले कर इसके लिए पैसा ले आ सका । हरियाणा जिस पर हस्ताक्षर आपके श्री बहुगुणा जी और श्री बंसी लाल जी के थे उस एग्रीमेंट पर फिर से एग्रीमेंट हो सका । तो मान्यवर, मैं कभी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ले कर अगर दिल्ली गया तो खाली हाथ नहीं आया (मेजों की थपथपाहट) और दिल्ली ही क्या इस प्रदेश के लिए अगर उत्तरी ध्रुव पर भी मुझे जाना होता तो वहां जा कर कुछ ले आने को तैयार हूं । बात यह है कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि मुख्य मन्त्री के दंभ में चाहे उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम भले ही रुक जायं लेकिन उनका दम्भ नहीं गया । इस प्रदेश के कदम आगे बढ़ाने के लिए मैं कोई भी कदम जमाने के लिए तैयार हूं । मेरा दंभ प्रदेश के

आगे बढ़ने में कभी सामने नहीं आयेगा। लेकिन मैं जानता हूं यह जो कुछ तथ्य कहे गये प्रगति के। उधर के पक्ष के लोग कहेंगे यह तथ्य नहीं हैं। मुख्य मन्त्री तथ्य कभी बताते नहीं हैं। दर्शन ज्ञान देते हैं। तो मान्यवर, इन तथ्यों के साथ कुछ और भी तथ्य जोड़ना चाहता हूं और वह हैं 2 करोड़ रुपये के मेडिकल के सम्बन्ध में घुटाला क्या यह तथ्य नहीं था ? खाद की जो 30 लाख की गड़बड़ी पकड़ी गयी क्या वह तथ्य नहीं था। गाजियाबाद में 30 लाख की खाद चोरी पकड़ी गयी क्या वह तथ्य नहीं था। लेकिन आप तथ्य पर नहीं जाना चाहते। उसका कारण है क्योंकि तथ्य जो हैं अगर निकाले गये तो सचिवालय में दबे बहुत से तथ्य हैं जो निकाले जा सकते हैं सदन भंग होने की बात आपने कही और आज के अखबार में चुनौती भी आई है। सदन भंग होने की बात कहते ही आगे नेता विरोधी दल ने मद्यपान वाली बात कह दी। भंग और मद्यपान के बीच की अवस्था में तथ्य नहीं दिखाई दिया और उस स्वप्निल जगत में माननीय नेता विरोधी दल को लोक दल की सरकार दिखाई देने लगी जिसको श्रीमती प्रेमवती तिवारी ने एक प्रश्न करके सुई करके उस गुब्बारे को फोड़ दिया और उस सोती हुई अवस्था से वह उठ गये। लोक दल की सरकार तो नहीं रही फिर भी आशंकाओं से घिरे रहे। नेता विरोधी दल के जितने भी भाषण हुए उनका क्रम मेरे पास है। उस क्रम में आपने एक दर्जन अफसरों के नाम से या उनके पद से उनकी चर्चा उन्होंने की। ठीक है। कम से कम जब तक जनता ने हम लोगों को प्रदेश के प्रबन्ध का और अफसरों का काम सौंपा है तब तक तो उनके ट्रान्सफर और पोस्टिंग को वह स्थगित रखें (व्यवधान) मान्यवर, अगर उनको इतनी ही चिन्ता होती प्रदेश की और प्रबन्ध की तो जब प्राण बढ़ की विभीषिका तो जब से सिसक रहा था, घर गिर रहे थे और लोग त्रस्त थे उस समय न्यायालयों को ठप्प कराने का आन्दोलन न छेड़ते। आज जो इतने आंसू बहाये जा रहे हैं वह न बहा कर उस समय हमारे साथ सहयोग करते।

जाति बिरादरी की बात उठाई गयी। आज भी और कल भी उठाई गयी। पोस्टिंग की बात की गयी। यह कहा गया कि कोई वी० पी० सिंह आगरा में थे उनको सी० आई० डी० में कर दिया गया। कभी आप कहते हैं कि आपकी सी० आई० डी० बेकार है, बिजिलेंस बेकार है और आपकी अधिसूचना बेकार है और किसी अफसर को वहां भेजा जाय तो आप कहेंगे क्यों आपने भेज दिया वहां। आपने एक और बात उठाई। पता नहीं किसी के लिये कहा। पिछड़े वर्ग की बात बतलाई। अभी-अभी एक पोस्टिंग हुई है। अपनी जाति बिरादरी के एस० पी० हैं उनकी पोस्टिंग हुई है। हमारी नजर जाति बिरादरी पर नहीं होती। अफसर के लिये जाति बिरादरी का सवाल नहीं होता। वह चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, वह हमारी सेवा में लगा होता है। आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पायेंगे, यह सुरक्षा यह सरकार ही कर पायेगी जो जाति बिरादरी में विश्वास नहीं करती। अगर जाति बिरादरी में आप विश्वास नहीं करते हैं तो एन० के० सिंह जाट के हत्यारों का पता लगा लें। आपने कल कहा कि किसी सहायक अभियन्ता की फाइल गायब हो गई। ऐसी कोई सूचना हमारे सतर्कता विभाग में तो नहीं है लेकिन एक सूचना जरूर है कि

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—]

आपके शासन काल में एक अधिशाषी अभियन्ता जो सिंचाई विभाग के थे, उनकी फाइल नेता विरोधी दल के कार्यालय से गायब हो गई और आज तक उसका पता नहीं चला है और अब किसी तरह से उसको रिकांस्ट्रक्ट किया जा रहा है।

मान्यवर, शाह कमीशन के बारे में कहा गया कि मुकदमे हटा लिए गए। जिन्होंने शाह कमीशन को कायम किया था उन्हीं को जब जनता ने वहां से हटा दिया तो फिर यह तो छोटा सा तर्क है।

नैतिकता की बात यहां पर आयी और मेरे इस्तीफे के बारे में भी कहा गया। मान्यवर, मैंने पहले भी इस सदन में कहा था और बाहर भी कहा था और उसी संदर्भ में मैंने अपने इस्तीफे की बात प्रधान मन्त्री के पास भेजी थी। मान्यवर, इस सीट पर जो बैठता है वह पूरे इस दल से सम्बद्ध रहता है और इस दल के नेतृत्व से सम्बद्ध रहता है। अकेले विश्वनाथ प्रताप सिंह कुछ नहीं है लेकिन इस हैसियत से राजनैतिक नैतिकता भी होती है कि हम इस दल के नेतृत्व के आदेशों को मानें। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, एक बात वे न भूलें कि चौधरी चरण सिंह जिस सरकार को उन्होंने नपुंसक सरकार कहकर उसको तलाक दे दिया था एक महीने के बाद ही उससे भांवर फेर लिया और जब वहां भी इच्छापूर्ति नहीं हुई तो उस घर से भी भागकर कांग्रेस आई के रखेल के रूप में आ गये। लेकिन उनके चरित्र की पूरी पहचान थी और कांग्रेस (आई) ने पार्लियामेंट के अन्दर गृह प्रवेश नहीं होने दिया। शायद बहुत बुरा लग गया हो। फिर भी मैं बहुत सम्मान दे रहा हूं। जो चौधरी साहब ने अपने बारे में कहा था वह तो इससे भी बदतर बात है।

हिन्दुस्तान टाइम्स के 6 जुलाई, 1978 की एक सूचना अखबार में छपी थी। ट्रीटेड लाइक चपरासी। अपने बारे में उन्होंने कहा था—

"The person whom I installed as Prime Minister has treated me like a Chaprasi. Mr. Charan Singh has said commenting on his removal from the Union Cabinet."

चपरासी निकाल दिया गया और चपरासी फिर रख लिया गया। उस समय कहां थी नैतिकता? एक और बात कहना चाहता हूं नैतिकता की बात हुई मैं एक पत्र रखना चाहता हूं क्योंकि यहां पर दिल्ली और लखनऊ की बात आई। जब राम नरेश जी मुख्य मन्त्री थे और चौधरी साहब होममिनिस्टर थे तो उन्होंने एक पत्र लिखा मुजफ्फरनगर के गोलीकांड के मामले में—

My Dear Ram Naresh Ji,

I enclose a letter from an old public man and advocate from Muzaffarnagar. H has written to me once before in this connection and I hold spoken to you personally and to the then Chief Secretary of yours, twice on the subject but it seems there is no improvement.

If verdict in the case of Muzaffarnagar goes adverse, it means a disaster to your name and to your reputation and it would go down as a black mark against the U. P. administration. I am writing somewhat in frustation and anger. I really fail to understand why the process adopted by the Central Government in the matter of Shah Commission was not adopted by you.

Hoping to be forgiven for the strict words that I have used and with best wishes. Your sincerely.

उपाध्यक्ष--

मान्यवर, इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, लगता है कि अगली बार में अंग्रेजी के एक्सटैक्ट न लाऊं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं क्या करूं इस सदन की भाषा हिन्दी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

श्री राम नरेश जी मैं मुजफ्फरनगर के एडवोकेट और जनसेवी का पत्र साथ में भेज रहा हूं उन्होंने लिखा है कि पहले भी उन्होंने इस बारे में लिखा था और मैंने चीफ सेक्रेटरी को परसनली दो बार कहा लेकिन लगता है कि कोई सुधार नहीं हुआ। अगर मुजफ्फरनगर का फैसला विपरीत हुआ तो यह आपके लिए बहुत घातक होगा और आपकी इज्जत पर आघात होगा। मान्यवर, इसमें एक शब्द रह गया है कि "आई एम राइटिंग इट इन ऐंगर एण्ड फ्रस्टेशन।" तो जो शाह कमीशन के संबंध में केन्द्र ने जो आर्डर अपनाये हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को अपनाने चाहिए थे, जो नहीं किये जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं इन शब्दों के लिए आप क्षमा करेंगे। शुभकामनाओं के साथ।

श्री उपाध्यक्ष--

मान्यवर, हिन्दी अनुवाद में आप दो शब्द और ले आये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

तो हमें आपकी गाइडेंस का लाभ मिलता रहेगा। यह कहा गया कि यह सरकार बूथ कैपचरिंग से पावर में आई है। मैं पूरे वाक्या को मानने के लिए तैयार हूं अगर उसमें एक संशोधन जोड़ दें उसमें बूथ कैप्चरिंग रोकना शब्द जोड़ दें।

रियासत साहब आज यहां नहीं हैं। कल उन्होंने मुरादाबाद के बारे में चर्चा की। मेरा ख्याल है कि वह बहुत ही सुलझे और गम्भीर व्यक्ति हैं। और माननीय सदस्यों ने भी इस संबंध में जो कुछ भी सुझाव दिये सबकी तरफ से सुझाव आ रहे हैं बहुत गम्भीरता के साथ जहां तक जानकारी है जो मशीनरी है उसको हम महत्व प्रदान करेंगे जो तथ्य बतलाये गये हैं उन पर पूरी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि यह कहना कि मुरादाबाद साम्प्रदायिक नगर है, उसके साथ अन्याय होगा। क्योंकि आज से तीन महीने पहले हर तरह की साम्प्रदायिक शक्तियों को हराकर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को मुरादाबाद के नागरिकों ने यहां भेजा है। लेकिन आज कांग्रेस और अक्लियत के बीच का जो नाता है, उसकी लाश कहीं गिरी हुई है तो वहीं है। घर के अन्दर अगर कोई जहर दे दिया जाता है किसी को और वह मर जाता है तो यही कहा जाता है कि इससे किसको लाभ हुआ और शक उस पर की जाती है जिसको उससे लाभ पहुंचता है। इससे किन शक्तियों को फायदा हुआ है, वह

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

शक्तियां पहचानी गई हैं, जानकारी के सम्बन्ध में काफी सुराग लग चुके हैं और वक्त आने पर वे सारे तथ्य सामने रख दिये जायेंगे और उस समय वह सारे चेहरे जनता के सामने बेनकाब हो जाएंगे। मैं अमरोहा और चन्दौसी के लोगों को और वहां के प्रतिनिधियों को बराबर मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मुरादाबाद के हिस्सा हैं कि वहां पर जब-जब त्योहार मनाए गए, दोनों सम्प्रदायों के लोगों ने गले से गला मिलाकर त्योहार मनाया है और गले मिले हैं। वहां हिन्दू-मुसलमान नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो लड़ाना चाहते हैं उनको देश की एकता के लिए पहचानना जरूरी है। पीलीभीत, बनारस, मेरठ आजमगढ़, फतेहपुर और आगरा सरीखी तमाम जगहों पर कोशिश किये गये यह आग भड़काने को, लेकिन इन सब जगह जनसहयोग से और जिला प्रसाशन की सतर्कता से कोई घटनाएं नहीं होने पायी हैं। रा पुर, बरेली, इलाहाबाद, मेरठ और अलीगढ़ में अवश्य कुछ घटनाएं हुई, लेकिन बहुत शीघ्र ही उन पर काबू पाया गया। यह 10 करोड़ जनता जो लाखों लाख गांवों में बिखरी है यह लड़ाई नहीं चाहती। हम उन सभी जगह की आवाम के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जहां नहीं हुए और वहां के प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी सतर्कता के साथ यह किया है। जहां आवाम की प्रशंसा हुई, एक शब्द भी यदि उसके लिए कह दिया जाता तो उसका मनोबल ऊंचा होता।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

जहां पता लगा है, ऐक्शन में विलम्ब क्यों है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

बात बहुत मार्के की उठाई, किन्तु बात इतनी ही है अधपकी खिचड़ी परोसन से पेट में दर्द होगा। पक रही है, पकने दीजिये। पूरी हांडी यहां फोड़ूंगा (व्यवधान) मान्यवर, आज पुलिस प्रशासन के बगल में साथ में कई खड़े होना पसन्द नहीं करता। कठिन काम होता है उनकी, कमजोरियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन यह एक झाड़न है, जिसमें सब अपने हाथ की गंदगी को पोछना चाहते हैं और पूरे प्रशासन को इस तरह से हिकारत की दृष्टि से देखा जाएगा तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। इस साल 39 पुलिस जवानों और अफसरों ने डकैतों और बदमाशों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों की बलि दी है। इसमें 177 घायल हुए। यह पुलिस अफिसर जब वर्दी पहन लेता है तो यह न केवल बैरक में रहता है, इसका घर रहता है, जहां हम लोगों का है। यदि उसके बाल-बच्चे हैं उनके बदन और दांत लोहे के नहीं होते हैं। तो जब व्यक्तिगत अफसरों या सिपाहियों के लिए एक तलवार है वहां पूरे प्रशासन के लिये तो हमें बगल में खड़े होने के लिए तैयार है। आप की कल्पना यह है कि प्रशासन के द्वारा ही इलेक्शन होता है। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। बहुत प्रयास किया। जनता चुनती है। प्रशासन का कोई हाथ नहीं रहता है। इसलिए इस वर्ष हम 5 करोड़ रुपये की एक पुलिस कल्याण निधि की स्थापना करने जा रहे हैं। यद्यपि इस बजट में यह नहीं आयी है लेकिन अनुपूरक बजट के रूप में वह इस सदन के सामने आयेगी। यह एक कदम होगा, जो सदस्य प्रशासन की सेवा में हैं, उनके परिवारों की पूरी देख रेख करेगा और सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी लेगी।

यहां पर एक चर्चा यह चली आ रही है पी० ए० सी० के बारे में जिस प्रकार से पुलिस में बहुत त्रुटियां होती हैं, उसी प्रकार से पी० ए० सी० में भी हो सकती हैं लेकिन जहां तक उनके बारे में अत्याचार की बात कही गयी है,

हम उसकी गहराई से, इन्टेलिजेंन्स से सारी सूचनायें ले रहे हैं और इस सोर्स को अगर कहीं भी अतिक्रमण या इनडिसिप्लिन करता है तो उसे सजा देने में बख्शा नहीं जायेगा ।

सुल्तानपुर में जब लाठी चार्ज हुआ तो वहां पर 2 लड़के डूब गये थे । उस मामले में तुरन्त कार्यवाही की गयी और जो दोषी पाये गये उनको दंडित किया गया । खुली बात कहना ठीक होता है । जहां पर इसको डिसिप्लिन्ड करना आवश्यक होता है, अगर कोई जहरीलापन होता है तो उसको भी दूर करना होगा लेकिन पी0 ए0 सी0 को डिस्बैन कर दिया जाय, यह संभव नहीं है । यह नहीं है कि पी0 ए0 सी0 केवल बैरकों में ही रहती है और वहीं पर पड़ी रहती है और जब कहीं पर रायट्स होते हैं तब बाहर आती है ।

हमारी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में इतनी बड़ी सीमा है जिस पर हमें डकैतों के उन्मूलन के लिए लगाना पड़ता है । जब खतरे का समय होता है तब जो आपके सबसे महत्वपूर्ण इसटालेशन्स हैं, जैसे बिजली घर, न्यायालय, आपके कलक्टोरेट आदि उनकी सुरक्षा के लिए लगाना पड़ता है । अभी बाढ़ में हमें 2 कम्पनियों को लगाना पड़ा था । तो जहां पर आवश्यक जिम्मेदारियां होती हैं, वहां पर इनको लगाया जाता है लेकिन यह बात हम जरूर मानते हैं कि जहां कहीं ये ढिलाई करेंगे उनको सजा भी दी जायेगी । लेकिन उनको डिस्बैन किया जाय यह नहीं हो सकेगा ।

एक बात माननीय ऊदल जी ने भ्रष्टाचार के बारे में कही । यह कहा कि दवाओं के बारे में विजिलेन्स ने जो कार्यवाही की उसको दबाया जा रहा है । ऐसी बात नहीं है : मैं विश्वस्त करना चाहता हूं न किसी तरह का दबाव है न दबाया जा रहा है :आप समझ लें भ्रष्टाचार के विरुद्ध, 9 जून से 15 सितम्बर तक के कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं , आवश्यक वस्तुओं के सिलसिले में जो कार्यवाही की गयी उसमें 5 हजार 132 छापे मारे गये, 435 केस रजिस्टर हुए और गिरफ्तारियां 303 हुई । पिछले साल छापे के अतिरिक्त 637 केवल रजिस्टर हुए थे इस साल 1,715 हुए हैं । बस्ती में ब्लैकमार्केटियर के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और यही नहीं जो गलत काम कर रहे हैं अधिकारीगण, एक असिस्टेन्ट कमिश्नर, एक डी0 एस0 ओ0 एक रीजनल मार्केटिंग आफिसर, एक डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफिसर और तीन असिस्टेंट रीजनल मार्केटिंग आफिसरों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी

(व्यवधान)

माननीय अभी तो सिलसिला शुरू ही हुआ है देखिए कौन-कौन आते हैं उसमें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम पर आ जाता हूं । जरा गरमागरमी बहुत है । श्रीवास्तव साहब आ गये । अब छोड़िए ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की ओर बड़ी सहानुभूति प्रकट की गयी। मान्यवर, आते ही उनके विरुद्ध, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों पर सब चीजें कट कर के, मीसबन्दी में लगा दिये गये। मोहन सिंह जी ने कहा था वह चले गये।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

इसके पूर्व प्रशासन में कोई मीसाबन्दियों को पेंशन की व्यवस्था नहीं की गयी थी, न आदेश किया गया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उनको पेंशन नहीं दी गयी। अगर दूकान गल्ले की या चीनी की है तो उनको वरीयता थी। पचास आई० ए० एस० पोस्टों की बात माननीय मोहन सिंह जी ने उठाया। वह अपनी पोस्ट छोड़ कर चले गये। ऐसी बात नहीं है पचास पोस्ट्स बढ़ाये गये हों।

श्री धरमपाल--

एक स्पष्टीकरण आपकी अनुमति से चाहता हूं। कोई मीसाबन्दी आपके मंत्री मंडल का सदस्य भी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, मीसाबन्दी का लेखाजोखा तो उधर होगा। मुरादाबाद, एक कमिश्नरी इसलिए बढ़ायी गयी, यह नहीं कि किसी अधिकारी को या आई० ए० एस० आफिसर को स्थान देना था, बल्कि पहले से उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय कर लिया था, जब जनता सरकार आयी तो उसको खत्म कर दिया, उसी निर्णय को हम लोगों ने पुनः लागू किया है। एक बात आयी कि एक्सपोर्ट प्रोमोशन को वृद्धि देने के लिए डिपार्टमेंट खोला। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि केवल बहुत छोटा सा विभाग, कोई लम्बा चौड़ा नहीं, तीन चार आफिसर्स को रखा है। लेकिन आप ध्यान दें। पूरे देश के निर्यात का उत्तर प्रदेश में हिस्सा केवल एक प्रतिशत है। 10 करोड़ की यह जनसंख्या है। कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद में ब्रास-नेकेल उत्तर प्रदेश में, चमड़े का उद्योग हमारे कानपुर, आगरा में। आपके ये सारे निर्यात, अपने अरब देशों में सब्जी जो है यूरोप से ट्रकों से आती है और हम लोगों के एक देश का ही अन्तर है। वह किसी समय आलू विदेश भेजा गया, मान्यवर, सौभाग्य से मुझे ही दस्तखत करने का मौका उसके लिये मिला था और जनता सरकार आई, कोई भी कृषि प्रोडक्ट को बाहर नहीं भेजा जायगा, यह निर्णय कर लिया। तो इसके लिए इसमें बजट मे इनपुट तो छोड़ दिया जाय, लागत अभी तक, इस तरफ चिन्तन तक भी तो लागत नहीं थी, कोई आई० ए० एस० आफिसर को पद देने के लिए नहीं बल्कि चिन्तन की बात थी। सुपर टाइम ग्रेड का पद हमेशा रहा। एक चीज हमारे माननीय राम औतार दीक्षित जी ने उठाई और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात उठाई। मान्यवर, मैं भी विधायक रहा हूं दो साल इसी सदन में और इन्हीं गलियारों में हर मंत्रियों का दरवाजा खटखटाया हूं। मुझे जिन लोगों ने सुना है चाहे ट्रांस्फर रहा हो, चाहे पोस्टिंग रही हो, सुबह से शाम तक जो विधायक की दशा होती है, उससे मैं पूर्ण भिज्ञ हूं। इस सम्बन्ध में अगर समय दें, तो कुछ इत्मिनान से बातें होंगी, चौधरी साहब तब मुख्य मंत्री थे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उस विषय में जब इत्मिनान से बात करने की इच्छा रखें, तब हम लोगों को बुला लें उसमें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, बिना कहे रहा नहीं जाता है कि अनवार साहब स्वास्थ्य मंत्री थे । हमारे यहां पी0 एच0 सी0 खोली गयी, वहां से लोग आये थे कि वहां पर डाक्टर बहुत अच्छा है, मुझ से कहा चलिये कह दीजिए, कोई यहां पर आ जाय । मैं गया अनवार साहब के पास कि हमारे यहां नयी पी0 एच0 सी0 खुली है, कहते ही उन्होंने कहा कि क्या आपकी राजनीति अफसरों से चलती है । तो मैंने कहा कि अफसर से मेरी राजनीति तो नहीं चलती है । लेकिन आप अगर अपनी दूकान न खोलें, तो मेरे जैसे ग्राहक न आवें । बहरहाल उन्होंने कहा कि कहां है कागज, तुरन्त उन्होंने उस पर लिखा और कहा कि 1 तारीख से अब नहीं होगा । मैंने कहा कि पहला तारीख से नहीं होगा, जो शर्तें हों बतला दीजिए, मैं अपने दरवाजे पर चपका लूंगा और अपने खर्चे से पैम्फलेट छपवा दूंगा । फिर मैं बरी हो जाऊंगा । लेकिन फिर आपका कोई फेवरिट एम0 एल0 ए0 न हो कि उसका हो रहा है और हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि यह कम्पेटीशन का खेल है । सब टंकियां पेट्रोल की कहें कि मैं उधार दूं और एक कहे कि मैं नकद केवल दूंगा, तो वह टंकी नहीं चलेगी । तो इसी संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि यह पूरी प्रक्रिया जो है, चाहे कोई भी खामी हो, तो जितने भी वोटर हैं, वह किसी को सजा नहीं देते । वह केवल एम0 एल0 ए0 को ही सजा देते हैं, 5 सालों के बाद । तो इन सभी के खातिर थप्पड़ खाए एम0 एल0 ए0 और मजा दूसरे लोग उठायें । मैं इस समय मौजूदा संविधान में क्या सम्बधतएं है, नहीं जानता कि उसमें क्या है । लेकिन सारी परेशानियां हम ही लोगों को झेलनी पड़ती हैं । (शोर) मान्यवर, मैं तो समझता था कि विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है कि जो-जो कुछ कहना चाहे, तो कह सकता है । लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उसमें भी कटौती किये लेता हूं । लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर विचारों में भी कटौती करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कपड़ा या लकड़ी यह घर में ही आग नहीं लगाते हैं, यह दिल, दिमाग और जेहन में भी आग लगा देते हैं । और जब यह चीजें दिल, दिमाग और जेहन में आग लगा देते हैं तो वह दमकल या और किसी चीज से नहीं बुझते, वह तो फिर इनसानों के खून से ही बुझते हैं । इसलिए अगर इस आग का कोई भी चाहे युवा हो या कोई अन्य शक्ति बरसा रहा है, उससे डरा नहीं जायेगा । ऐसे लोगों को कुछ ही दिनों में देख लेंगे, उनकी दिली मन्शा को अवश्य पूरा करेंगे । लेकिन इसके दूसरी ओर जहां कोई गरीब त्रस्त है हरिजन और पिछड़ी जाति का, छोटा हो, बड़ा हो मुसलमान भाई हो या और कोई हो इन सब को आप लोगों के सहयोग से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि सदन इस बजट को पास करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--3 मंत्रि-परिषद् के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3--मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,08,000 रुपए में अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--17 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17--सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,20, 04,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--18 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,36,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,13,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--80--गृह (पुलिस) विभाग--पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,22,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्राद्योग विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88-सूचना विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 में दो सूचनायें प्राप्त हुई थीं। एक श्री भगवती सिंह विशारद की थी और दूसरी श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह की थी। श्री भगवती सिंह विशारद की सूचना स्वीकृत की गयी। यह सूचना कृषि अभियन्त्रण कोर्स हेतु पालीटेकनिक विद्यालयों म हाई स्कूल कृषि विज्ञान एवं इण्टरमीडिएट कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के स्थान पर हाई स्कूल गणित एवं विज्ञान के छात्रों को प्रवेश देने सम्बन्धी आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसे स्वीकृत किया गया और दूसरी अस्वीकृत की गयी।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के समय के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

आज कार्यमंत्रणा समिति में कुछ निश्चय किये गये उन्हें बता देता हूं। विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध म निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसके पारण हेतु प्रस्ताव दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 को अपराह्न 5 बजे से लिये जायं—आधा घन्टा।

(2) दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन के पश्चात् विधान सभा का उपवेशन दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 को भी हो, जिस दिन वित्तीय कार्य लिया जाय।

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी शिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

झांसी जनपद के थाना बरूआसागर की पुलिस द्वारा अनशनकारियों पर लाठी-चार्ज किये जाने की तथाकथित घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

[6 बजकर 55 मिनट।]

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21 सितम्बर 1980 की रात्रि को गणेश महोत्सव का जुलूस निकल रहा था तो स्थानीय पुलिस के विरोध में बैठे कुछ अनशनकारियों ने यह कोशिश की कि जुलूस न निकलने दें। पुलिस उप अधीक्षक

तथा परगनाधिकारी द्वारा अनशनकारियों को इस सम्बन्ध में समझाया-बुझाया गया और यह प्रयास किया कि वे जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाने दें। परन्तु जुलूस के निकलने का अनशनकारियों व उनके साथियों ने विरोध किया व जुलूस रोकने की कोशिश की तथा सड़क पर तख्त आदि डालकर व्यवधान उत्पन्न कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक व परगना मैजिस्ट्रेट के समझाने के बाद भी वे लोग नहीं हटे बल्कि उन्होंने पुलिस कर्मचारियों पर पथराव प्रारम्भ कर दिया, फलस्वरूप परगना मैजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। इस घटना में 10 पुलिसजनों व 9 अन्य व्यक्तियों को चोटें आई। पुलिस ने मौके पर 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इस सम्बन्ध में दिनांक 21 सितम्बर, 1980 को ही पुलिस थाना बरुआसागर में अपराध संख्या 61, धारा 147/149/332/353/336 भ0 द0 वि0 व 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत 29 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया। 18 गिरफ्तार व्यक्तियों के अलावा 11 और व्यक्तियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और सभी न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिये गये हैं। इस मामले की तफ्तीश करने के बाद सभी 29 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र, दिनांक 30 सितम्बर, 1980 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

पुलिस द्वारा गणेश की मूर्ति अथवा उनके जेवर आदि उठाकर नहीं ले जाए गए न ही कोई पुरुष अथवा बच्चे गायब हैं और न ही इस आशय की कोई शिकायत जिले के अधिकारियों से की गई है।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, हमारे यहां लोग कहते हैं कि जबरा मारै, रोवै न देय वही चीज, मान्यवर, इस रिपोर्ट में चरितार्थ होती है। वहां के नागरिक पीटे भी गये, चोटें भी नागरिकों को आयीं हैं और जो मुकदमा कायम हुआ है, वह भी उन्हीं नागरिकों पर हुआ है। माननीय मन्त्री जी, आपको जो सूचना है, उससे साफ जाहिर होता है कि यह तथ्य से परे है। मान्यवर, मेरे पास दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आज और मौलिक अधिकार, आदि अखबारों की कटिंग्स हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि लाठीचार्ज हुआ है तो, मान्यवर, पहला प्रश्न तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूंछना चाहता हूं कि ये जो पुलिस के विरुद्ध अनशन कर रहे थे, उनकी क्या शर्तें थीं और पुलिस की क्या ज्यादतियां थीं ? दूसरा प्रश्न है कि अनशनकर्ताओं की संख्या कितनी थी ? माननीय मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या 22 प्रतिनिधियों ने मुख्य मन्त्री जी से मिलकर जो यह घटना घटी है, और जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री जी को दिया था ? यदि दिया था, तो वह शिकायती प्रार्थना-पत्र क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, उनकी दो मांगें थीं एक तो थानाध्यक्ष श्री के0 एम0 मिश्रा सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे और दूसरी मांग थी कि थानाध्यक्ष को निलम्बित किया जाय। मान्यवर, ऐसा है कि वहां पर दो ग्रुप थे। एक का नाम था युवक चाचर और दूसरे का नाम था गनेश चौचर। इसमें गनेश उत्सव के मौके पर उनमें आपस में कहा सुनी हुयी। पहले युवक चाचर अपना कार्यक्रम कर रहा था और जब गनेश चाचर की पार्टी ने अपना कार्यक्रम शुरू किया तो नौटंकी बुलायी। नौटंकी के समय पुलिस थानाध्यक्ष और दूसरे पुलिस के लोग मौजूद थे। वहां पर

[श्री अम्मार रिजवी--]

जब गाने इत्यादि का कार्यक्रम शुरू हुआ तो वहां पर जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने दरोगा, थानाध्यक्ष, का नाम लेने के लिये एक रुपया गाने वाले को दिया और कहा कि थानाध्यक्ष का नाम पुकारो । जब नाम पुकारा गया तो उसके बाद भी गाना शुरू किया गया । अगर कहें तो उसको भी बता दूं कि क्या गाना शुरू हुआ ?

श्री धरमपाल--

जरा गाने के बोल बता दीजिए ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय धरमपाल जी को शौक है तो बताये देता हूं । गाने के बोले थे । 'लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिये ।' मान्यवर, ये गाने के बोल थे । जब एस0 ओ0 ने सुना तो कहा कि भाई ऐसी बात है कि हमारा नाम न लो । हमने तो रुपया दिया ही नहीं । ऐसे ही बैठा हूं । उसके बाद किसी ने फिर रुपया दिया और कहा कि दरोगा का नाम पुकार दो । इत्फाक से वह नाम भूल गया था । तो माइक पर नाम सुनाई दिया । तो वहां जो इंसपेक्टर गये थे उन्होंने कहा कि ऐसी बात गलत है । हम जब यहां बैठे हैं तो हमें यह नहीं कहना चाहिये था । फिर थोड़ा कहा सुनी हुयी और थोड़ा सख्त बात हुयी । फिर वहां से जो सब-इंसपेक्टर और दूसरे लोग थे, दूर चले गये ।

(इस समय 7 बजे अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

और वह नौटंकी वहां पर होती रही और लोगों में इस तरह से तनाव पैदा हुआ । दूसरे दिन दूसरी पार्टी का जुलूस निकल रहा था तो वहां पर अवरोध उत्पन्न किया गया । लोगों को समझाया बुझाया गया कि रास्ता रोकना ठीक नहीं है । इसके बाद वहां पथराव शुरू हुआ और पुलिस वाले भी जख्मी हुए और पब्लिक के लोग भी जख्मी हुये । यह मामला है, चूंकि मामले में आरोप-पत्र दिया जा चुका है, मामला न्यायालय में है, तो एक तरह से सबजुडिस है । मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला न्यायालय के अन्दर इस वक्त विचाराधीन है ।

श्री शंकर सिंह--

क्या आपकी पार्टी के विधायकों ने इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिया है ।

श्री अम्मार रिजवी--

हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां नौटंकी में कितने पुलिस अधिकारी उपस्थित थे, किस वेश में थे, और उसमें से कितने शराब पीकर मंच पर नाच रहे थे ?

श्री अम्मार रिजवी--

वहां पर सब-इंसपेक्टर कुछ फोर्स के साथ उपस्थित थे । शराब पिये थे या नाच रहे थे, माननीय राजेन्द्र जी ने देखा होगा, इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं स्वयं वहां घटनास्थल की जांच करने गया था । मेरा व्यक्तिगत स्टेटमेंट समाचार पत्रों में आया है । तो मेरी जानकारी को सही मानकर क्या मन्त्री जी इसकी जांच कराने का आश्वासन दे रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है । इस समय कोई बात करना अदालत की तौहीन करना है, कंटेम्प्ट आफ दि कोर्ट की बात हो सकती है । लिहाजा इस सिलसिले में कुछ और निवेदन नहीं किया जा सकता ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, यह केस 22 तारीख का है और 30 तारीख को न्यायालय में चार्जशीट चली जाती है केवल 8 दिन में चार्जशीट चली जाती है तो मान्यवर, आप भी परिचित हैं जो इनकी कार्य प्रणाली है । चार्जशीट केवल 8 दिन में पहुंच गयी तो इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस की दिलचस्पी कितनी है । मान्यवर, एक तरफ अनशनकारी अनशन कर रहे थे दूसरी तरफ जुलूस आ रहा था और बीच में पुलिस वाले थे, अगर पत्थर बाजी होती तो जुलूस वाले भी घायल होते लेकिन पत्थर केवल आपकी पुलिस को लगे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग अनशन कर रहे थे, कितने लोगों को पत्थर से चोटें आयीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसमें 29 आदमी गिरफ्तार हुये थे जिसमें से 9 पब्लिक के लोगों को चोटें आयीं थी, 10 पुलिस के लोगों को चोटें आयीं जिनकी इंजरी रिपोर्ट भी मेरे पास है । रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया गया था उसको हटाने के लिये पहले पुलिस को आना था, अगर आपस में कोई बात नहीं थी तो जब जुलूस आ रहा था तो उसके रास्ते में अवरोध क्यों डाला गया, वह तो गणेश जी का उत्सव था, एक प्रोसेशन निकल रहा था तो बीच में अवरोध उत्पन्न करने से यही जाहिर होता है कि आपस में 2 ग्रुप्स में टकराव था । पुलिस ने जब हटाने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव किया गया और पत्थर लगने से लोग जख्मी हुये । वहां पर शांति व्यवस्था जरूरी हो गयी थी इसलिये लाठीचार्ज किया गया ।

श्रीमती बेनो बाई--

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि दरोगा के खिलाफ क्या जो नोट दे रहे थे उन्हीं लोगों ने एक फायर छोड़ा था और जिससे तमाम लोगों में भगदड़ मच गयी और जिससे 200 लोग घायल हुये ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आस्तीन में सांप छिपे होने की जो कहावत है तो वहां पर भी नौटंकी में एक सांप आ गया था और इसलिये वहां इस तरह का एक व्यवधान उत्पन्न करने की हर जगह कोशिश की गयी है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि इस घटना में 10 पुलिसजनों और 9 अन्य व्यक्तियों को चोटें आयीं थी। तो क्या यह व्यक्ति अस्पताल भेजे गये हैं और इन पुलिसजनों और जनता के अनशनकारियों को किस तरह की चोटें आयी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह सिम्पिल इंजरीज थीं । पुलिसवालों को पत्थर से चोटें लगीं थीं और सर पर चोटें लगी हैं । लाठी चार्ज हुआ था इसलिये उसकी चोटें हैं लेकिन ऐसी चोटें नहीं हैं कि उनको अस्पताल में भर्ती करने की बात हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पुलिस ने तत्परता से काम किया और 7 दिन में चार्जशीट दे दिया जिससे वह बधाई के पात्र हैं । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो वहां अनशन कर रहे थे क्या उनकी यह भी शिकायत थी कि दो दिन पहले नौटंकी के समय पुलिस वालों ने शराब पीकर नौटंकी देखने वालों पर लाठी चार्ज किया था ? यदि हां, तो उसकी जांच क्या की गयी और की गयी तो वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

नौटंकी का जिक्र किया तो मान्यवर, श्री गुप्त जी यहां नहीं थे जांच का प्रश्न इस समय नहीं उठता है चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है 10 तारीख को दे दिया गया है, एक हफ्ते या 8 दिन में मामले की चार्जशीट दे दी गयी है । तो मान्यवर, एक तरफ चार्जशीट देने में देर हो जाय तो कहा जाता है कि पुलिस वाले महीनों चार्जशीट नहीं भेजते और यदि तत्परता की जाय तो कहते हैं कि जल्दी कर दिया, तो किसी तरह मान्यवर, चैन नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सब-जुडिश क्या है, एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई है उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है । मान्यवर, मैं सब-जुडिश मामले को नहीं पूछना चाहता हूं लेकिन परिस्थितियां सब-जुडिश नहीं हुआ करती हैं । मैंने पूछा है कि क्या अनशनकारियों की यह भी शिकायत थी कि पुलिस कर्मियों ने शराब पीकर नौटंकी देखने वालों को मारा पीटा और उसमें कई लोग घायल हो गये ? यदि हां, तो उसमें क्या जांच कराई गई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

किसी भी केस की जितनी चीजें उससे सम्बन्धित होती हैं, यदि केस अदालत में है, तो वह सभी चीजें सब-जुडिस होती हैं । जैसे कत्ल यदि होता है तो कौन से फैक्टर हैं जिससे कत्ल हुआ, वह भी सब-जुडिश है । इसलिये यह मामला अदालत में है और जो तथ्य बताये जा सकते थे उनको मैंने बता दिया है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मन्त्री जी क्या, जो विधायकों ने इस घटना के बाद तुरन्त एक कई विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मुख्य मन्त्री जी को दिया है, उसके आधार पर जाँच कराने को आप तैयार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जांच न्यायपालिका कर रही है ।

गुड़, खाण्डसारी उद्योग सम्बन्धी नई नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 19 सितम्बर, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (नत्थी ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री हुकम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, आज का चर्चा का विषय प्रशासन से जुड़ा हुआ है जब कि सरकार से यह पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार है या नहीं है । मान्यवर, आप को स्मरण होगा कि जिस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी खुद इस सरकार ने केन्द्र सरकार से सिफारिश की थी कि जितनी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये उसके पश्चात् मान्यवर, इस माननीय सदन ने सर्व सम्मति से संकल्प पास किया और संस्तुति की कि तमाम चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण कर दिया जाये । इस बीच में यह प्रश्न केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में शटल काक की तरह घूमता रहा । केन्द्र सरकार इस बात की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार पर समझती रही और प्रदेश सरकार केन्द्र पर । प्रश्न इस प्रकार घूमता रहा । साथ ही साथ तमाम चीनी उद्योग समाप्त होता रहा और चीनी मिलों के मालिक इस बात को सोच कर कि उनकी मिलों का राष्ट्रीयकरण न कर दिया जाये, न उन्होंने मिलों को मेन्टीनेन्स की और न कोई उनमें सुधार किया और मशीनों के कल पुर्जे निकाल कर बेच दिये । उसका असर यह हुआ कि चीनी उद्योग समाप्त हो गया ।

श्री अमर सिंह--

कोरम की कमी है, मान्यवर, कोरम देख लिया जाय ।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

हुकम सिंह जी और मन्त्री जी दोनों अकेले चर्चा कर लें....

श्री शंकर सिंह--

चलने दीजिए, मान्यवर....

एक सदस्य--

स्थगित कीजिये कोरम नहीं है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जिन्होंने कोरम का सवाल उठाया वह तो आगे आकर बैठ जायं ।

एक सदस्य--

वह तो चले गये....

श्री अधिष्ठाता--

कोरम के न होने के कारण कोई चर्चा मुमकिन नहीं है ।

(सदस्य गण पूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, सरकार के इस त्रुटिपूर्ण गलत नीति के कारण आज यहां का चीनी उद्योग उस स्थान पर खड़ा हो गया है कि तमाम हिन्दुस्तान के और प्रदेश हम से पीछे थे आज आगे निकल गये हैं । यह हालत हो गई है कि चीनी नाम की कोई चीज नहीं मिलती । माननीय मन्त्री जी को दुकानों की जो हालत है, पता होगी ।

तीन बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । आज जब कि गन्ना पेराई शुरू हो गई सरकार की नीति के बारे में हमें यह जानकारी नहीं है कि क्या इस प्रदेश के खड़े कोल्हू चल पायेंगे या नहीं आज इस प्रदेश के श्रेसर चल पायेंग या नहीं, लाइसेन्स की पालिसी सरकार की क्या होगी इस बारे में अक्तूबर के महीने में भी कोई प्रकाश शासन ने नहीं डाला, और सब से ऊंची बात जो आज हमें समाचार पत्रों में मिली वह यह है कि किसान की भक्त सरकार ने 13 रुपये प्रति कुन्तल गन्ने का भाव कर दिया । शर्म आती है हम को अपोजिशन में बैठ कर । पता नहीं सरकार को शर्म इस बात की आती है या नहीं । मैं चाहूंगा कि आज मन्त्री जी कम से कम इस स्थिति के बारे में प्रकाश डालें और बतायें कि श्रेसर के बारे में, कोल्हू के बारे में, लाइसेन्स के बारे में उन की क्या नीति है दूसरी ओर आपके रेडियोग्राम और वायरलेस से चीनी की नीति तय हो रही है । 22 तारीख के रेडियोग्राम के द्वारा खांडसारी पर पाबन्दी लगा दी जाती है लेकिन आज तक सरकार के किसी गजट में उसका नोटोफिकेशन नहीं हुआ । चीनी के निर्यात पर कोई रोक लगाई गई है इस प्रकार की नीति से प्रदेश के व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग में असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया है । रेडियोग्राम और वायरलेस से जो सरकार अपने अधिकारियों को चीनी पर रोक लगाने के सम्बन्ध में पाबन्दी लगा रही है तो हिटलर और मुसोलिनी के राज में इस तरह की बातें हो सकती थी । उनके आदेश उनकी जेब में रहे होंगे लेकिन इस सरकार के गजट नोटिफिकेशन होना चाहिये कि खाण्डसारी के निर्यात, आयात या स्टोरेज के बारे में आपकी क्या नीति है । कोई नीति इस प्रकार की हमारे सामने नहीं आई है तो इस चर्चा के माध्यम से सरकार इन मुद्दों पर अपनी नीति को स्पष्ट करें ।

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने अभी चर्चा में हिस्सा लिया और सरकार का ध्यान गुड़ खाण्डसारी नीति पर आकर्षित किया । उसमें पहले यह कहा

था कि यह प्रश्न राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित है। मैं इस चर्चा मे हिस्सा लेते हुये ए ा समझता हूं कि नियम 49 के अन्तर्गत जो यह प्रश्न उठाया गया है यह राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित नहीं है। इसकी जो चर्चा होनी थी वह नीति विषयक है। जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा को उठाया है उनका कहना है कि सरकार को चीनी, गुड़ तथा खांडसारी उद्योग के विषय में कोई स्पष्ट नीति नहीं है जिसकी वजह से किसानों के दिलों म, गुड़ और खांडसारी पर आधारित जो व्यक्ति अपना जीवन गुजार रहे हैं या जो व्यापारी हैं उनमें भय व्याप्त हो गया है कि शायद सरकार क्रेशरों पर पाबन्दी लगाने जा रही है जिसकी वजह से इस प्रदेश के किसान जल्दी अपनी पेड़ी के खेत खाली नहीं कर पायेंग और समय से गेहूं नहीं बो पायेंग, खड़े कोल्हुओं पर शायद पाबन्दी लगाई जा रही है यह विषय है इस समय चर्चा का। माननीय सदस्य ने जरा इनसे हट कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जो कि राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित था लेकिन वह विचार इस समय वहां विचाराधीन नहीं है और उस पर मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता। इस प्रदेश के अन्दर 25 लाख किसान गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने के किसानों का जीवन, उससे सम्बन्धित जो व्यवसाय है जैसे चीनी, खांडसारी तथा गुड़ उद्योग इनका इससे सम्बन्ध है। प्रदेश के अन्दर जो भी नीति बनाई जाती है वह इन तीनों इकाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं उनके हितों को भी ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है।

इस प्रदेश के अन्दर जहां 25 लाख किसान गन्ने की खेती करते हैं वहीं इस प्रदेश के अन्दर 11 करोड़ इन्सान उपभोक्ता के रूप में गुड़ और खांडसारी तथा चीनी प्राप्त करने के लिए सरकार से आशा करते हैं। इस तरह से तीनों के हितों की रक्षा करते हुए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने जो नीति बनायी है उस पर यह चर्चा है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर लाइसेन्स से सम्बन्धित कई दफे सवाल पूछे गये कि क्रशर पर लाइसेन्स लगाने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो नीति बनायी है वह राष्ट्र के हित में है और इस प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुये बनायी गई है। इस पर यदि दो घन्टे भी चर्चा हो तो बड़ी खुशी की बात है।

श्री अधिष्ठात --

यह सिर्फ आधे घन्टे की चर्चा है। 7.40 पर इसे समाप्त होना है।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैं अभी समाप्त करता हूं। लाइसेन्स की नीति के बारे में मैं स्पष्ट पढ़कर बता दूं--

प्रदेश में गन्ने की अनुमानित उपज तथा पूर्व वर्षों की खांडसारी नीति को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक वर्ष खांडसारी इकाइयों को लायसेन्स देने की नीति निर्धारित की जाती है। जिससे चीनी मिलों के गन्ना पूर्ति पर कुप्रभाव न पड़े और साथ ही साथ क्षेत्रों में खान्डसारी इकाइयों का अलाभप्रद केन्द्रीयकरण न होने पावे। गत वर्ष 1979-80 सूखा का वर्ष था। गन्ना उत्पादन सूखे के कारण अनुमान से अधिक प्रभावित रहा जिसके कारण प्रदेश की चीनी मिलें एवं खान्डसारी इकाइयां असामयिक (नार्मल क्रशिंग के समय से पूर्व) बन्द हुई। गन्ने के लिए चीनी मिलों

[श्री भानु प्रताप सिंह--]

एवं खान्डसारी इकाइयों में से अधिक से अधिक गन्ना मूल्य देने की होड़ लग गयी थी। गन्ने की उपज का केवल 20 प्रतिशत भाग ही चीनी मिलों को उपलब्ध हो सका। गन्ने की कमी के कारण चीनी उत्पादन निराशात्मक रहा। वर्ष 1980-81 में गन्ना क्षेत्रफल में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं है। गत वर्ष की तुलना में यह वृद्धि मात्र 2.20 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 1979-80 में 12.33 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध इस वर्ष 12.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना अनुमानित है। गत वर्ष के 471 लाख टन गन्ना उत्पादन की अपेक्षा इस वर्ष 540 लाख टन गन्ना उत्पादन का अनुमान है। इस प्रकार इस वर्ष केवल 70 लाख टन गन्ना उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है परन्तु गुड़ एवं खांडसारी के मूल्यों में बराबर वृद्धि हो रही है और यदि यही रुख रहा तो आगामी महीनों में गुड़ के भाव काफी ऊंचे रहेंगे और गत वर्ष की भांति इस वर्ष खांडसारी इकाइयों व बड़े कोल्हुओं पर गन्ने का प्रत्यावर्तन भारी मात्रा में हो सकता है जिससे चीनी मिलों की गन्ना पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अतः गुड़ खान्डसारी एवं चीनी मिलों को गन्ने की पूर्ति में समन्जस्य बनाये रखने के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा खान्डसारी नीति निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष भी शासन ने गुड़ के बनाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी है गुड़ बैल कोल्हुओं तथा खड़े कोल्हुओं से गन्ने की पेराई करके बनाया जाता है और कोल्हुओं पर सरकार ने न कोई कोटा निर्धारित की और न कोई परिमिट प्राप्त करने का प्रतिबन्ध लगाया है। अतः यह आशंका सही नहीं है कि रबी के लिये गन्ने के खेत खाली नहीं हो पायेंगे व रबी की बुआई नहीं हो पायेगी। बैल कोल्हुओं व खड़े कोल्हुओं पर प्रतिबन्ध न होने के कारण पैड़ी के खेतों को समय से काटकर उनमें रबी बुवाई करने में कोई कठिनाई न होगी।

जहां तक खांडसारी बनाये जाने का सम्बन्ध है यह उल्लेखनीय है कि खांडसारी नीति में भी इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। गत वर्ष भी चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में खान्डसरी इकाइयों के लिये नये लाइसेन्स नहीं दिये गये थे और वही नीति इस वर्ष भी अपनाई गई है जहां तक इकाइयों के लाइसेन्स नवीनीकरण का प्रश्न है पूर्व वर्ष से इस वर्ष नीति को अधिक उदार बनाया गया है। जिन इकाइयों के लाइसेन्स सत्र 1976-77 तक नवीनीकृत थे और इकाइयां कार्यरत थीं परन्तु उनके लाइसेन्स आगामी सत्र में किन्हीं कारणों से नवीनीकृत नहीं किये जा सके हैं और उनकी इकाई अपने लाइसेन्सकृत स्थल पर स्थापित हो तो उनके लाइसेन्स समस्त बकाया धनराशि एवं फीस जमा कराकर सत्र 1980-81 हेतु नवीनीकृत किये जायेंगे। जहां तक कि प्रस्तावित चीनी मिलों के क्षेत्रों में भी जहां प्लांट तथा मशीनरी के आदेश हो गये हैं या आदेश होने वाले हैं उनके 20 कि0 मी0 के अर्द्ध व्यास के अन्दर नये क्रेशर लाइसेन्स इस शर्त के साथ दिये जाने की व्यवस्था है कि प्रस्तावित चीनी मिल चलने पर उन इकाइयों को सुरक्षित क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। खाण्डसारी बनाने की अन्य सुविधाओं में शक्ति चालित केन्द्रापग एवं हस्त चालित केन्द्रापग के नये लाईसेन्स देने पर भी प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि माह अक्तूबर व नवम्बर में पावर क्रेशर से खान्डसारी बनाने में गन्ने से बहुत कम प्रतिशत खान्डसारी बनती है, जो राष्ट्रीय हानि है। चूंकि इस वर्ष देश में चीनी का संकट है और हमारे प्रदेश में गन्ना उत्पादन भी बहुत अधिक नहीं है इसलिए राष्ट्रीय हित में यह निर्णय लिया गया है कि खान्डसारी इकाइयां एक दिसम्बर, 1980 से पूर्व न चलाई जायं।

उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रदेश के गन्ना किसानों में किसी प्रकार का भय व्याप्त होना कि उनका गन्ना खेतों में खड़ा रह जायेगा और वे रबी की बुवाई नहीं कर सकेंगे भ्रामक प्रतीत होता है क्योंकि सरकार द्वारा गुड़ व खांडसारी बनाने पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं बल्कि गत वर्ष की अपेक्षा अधिक सुविधाय ही प्रदान की गयी हैं ।

श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

जैसा माननीय मन्त्री जी ने नीति बतायी उसमें लाईसेन्स के रिन्यूवल के बारे में बतायें कि जो लाईसेन्स गत वर्ष दिये गये थे जो किसी कारण से बिजली न मिलने से या मशीनरी समय पर न मिलने से चला नहीं पाये उनके बारे में मंत्री जी ने क्या नीति अपनाई है ?

श्री अधिष्ठाता--

यह चर्चा का विषय है स्पष्टीकरण का नहीं । अब एक-एक मिनट में आप अपनी बात कहें ।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, मंत्री जी ने गन्ने के विषय में नीति स्पष्ट की है । उन्होंने कहा कि गन्ने की रिकवरी नवम्बर में कम होती है । म स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह नीति केवल मिल मालिकों को खुश करने के लिए जिन्होंने इस चुनाव के अन्दर चन्दा दिया इन्हे सत्तारूढ़ किया । उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए यह किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, म आपका ध्यान नियम 49 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें है कि स्पष्टीकरण और प्रश्न कर सकते हैं । इसके अन्तिम पैरा में देखें उसमें दिया है कि सदस्यों को किसी तथ्य विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

वह ठीक है प्रश्न कर सकते हैं । लेकिन समय कम है एक-एक मिनट में अपनी बात कह लें उसके बाद स्पष्टीकरण हो जाय ।

श्री दामोदर शर्मा--

सदन में कोरम नहीं है, श्रीमन् ।

श्री अधिष्ठाता--

कोरम है ।

श्री धरमपाल--

मिल मालिकों को अनधिकृत रूप से लाभ कमवाने देने के लिए गन्ना न देने की नीति अपनाई जा रही है ..

श्री अधिष्ठाता--

खांडसारी नीति पर आप कुछ कहिए ।

श्री सोमांश प्रकाश--

मन्त्री जी द्वारा इस बारे में यह जो नीति बताई गई है और बनाई गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं, वह बहुत अच्छी है । यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि किसी भी प्रकार इसमें कोई गलत बात है । प्रश्नों के बाद जो साथी कह रहे थे, उनसे कहना चाहता हूं कि यदि किसी को जानकारी करनी है, तो उसको जानकारी लिखकर मंत्री जी से कर लेना चाहिए, वह जानकारी मिल सकती है । इसके साथ में इसका स्वागत करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं तीन बातें जानना चाहता हूं । पहली, परमीशन जैसे आज मिल गई, तो लाइसेन्स मिलने के बाद आवश्यक परिस्थितियां जुटाएगा, व्यवस्था बैठायेगी, तो चूंकि गत वर्ष लाइसेन्स मिल गया था लेकिन वह अपनी इकाई स्थापित नहीं कर सका तो उनके बारे में क्या पालिसी होगी । दूसरी बात, कई बार यह परिस्थिति होती है, जिस क्षमता का लाईसेन्स मिला, उसे उसने कम कर दिया गन्ना न मिलने के कारण, तो इस साल वह अपनी पुरानी क्षमता मांगता है, इस बारे में आपकी क्या नीति होगी ? तीसरी बात दिसम्बर से चालू करना तो यह बहुत लम्बा समय है, आप कोई तिथि निर्धारित कर दें, नहीं तो इसका परपज समाप्त हो जाएगा ?

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, खांडसारी उद्योग के बारे में हुकम सिंह जी ने जो चर्चा चलाई है, उसमें मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो खड़े कोल्हू किसान चलाता था, उन पर इस समय प्रतिबन्ध क्यों लगाया जा रहा है । (व्यवधान) यदि लगाया जा रहा है तो मैं इसका विरोध करता हूं । खांडसारी जो गाजियाबाद में पकड़ी गई, जिसके बारे में यह चर्चा चल रही है, उसके बारे में क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितने बोरी उसमें चीनी थी और कितने बोरी उसमें खांडसारी थी ? (व्यवधान) इसके अलावा जो शुगर एजेन्ट्स खत्म कर दिए गये हैं और जो पालिसी बनाई गई है, उस पर सरकार ने आगे क्या नीति बनाई है ? (व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

कोरम पूरा है ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मंत्री जी ने खांडसारी और गुड़ के बाहर जाने पर जो प्रतिबन्ध लगाया है, उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसको आप खत्म कर देंगे तो गन्ने का मूल्य किसान को अच्छा मिल जायेगा और किसान को लाभ होगा और जो समय दिसम्बर का आपने निर्धारित किया है, उसको घटाकर नवम्बर,

कर दें, तो उससे किसान का हित होगा । यदि ये दोनों प्रतिबन्ध नहीं हटते हैं तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह सरकार बड़े-बड़े मिल मालिकों को लाभ पहुंचाना चाहती है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । माननीय मंत्री ने अपने बयान में कहा कि खड़े कोल्हूओं पर कोई पाबन्दी नहीं है तो क्या उसमें पावर कोल्हू भी शामिल हैं ताकि किसानों को कोई कन्फ्यूजन न रहे । दूसरे मंत्री जी ने कहा कि चीनी मिलों में ज्यादा रिकवरी रहेगी और सल्फीटेशन में खांडसारी में रिकवरी कम रहेगी । ऐसा लगता है कि चीनी मिल मालिकों के असर में आकर सरकार द्वारा यह पालिसी बनायी गयी है । तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि चीनी के निर्यात और खांडसारी के निर्यात के सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है ? आपको इसको खोलने में क्या कठिनाई है जिससे किसान, खांडसारी, गुड़ और चीनी, तीनों युनिटों के चलने से कम्पीटीटिव प्राइस पा सके ? आपने गन्ने का दाम 13 रुपये प्रति क्विन्टल का निश्चित कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे कोई गन्ना किसान जिन्दा रह पायेगा । तो आप उनको कम्पीटेटिव प्राइस क्यों नहीं दिला सकते हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

माननीय राजेन्द्र जी ने क्षमता बढ़ाने का प्रश्न उठाया । जब यह नीति बनायी थी तो चूंकि प्रदेश में गन्ने की उपज, जैसी कि हम आशा करते थे कि ज्यादा होगी, विपरीत परिस्थितियों के कारण थोड़ी अर्थात् 20 प्वाइन्ट यानी कुछ ही वृद्धि रही । इसलिए हमने इस प्वाइन्ट पर कोई विचार नहीं किया था लेकिन अगर कहीं पर विशेष परिस्थितियां हो तो उनका अध्ययन करने के बाद कोई निर्णय लिया जायेगा ।

आपने यहां पर एक प्रश्न तिथि निर्धारण से सम्बन्धित भी उठाया कि हम कब तक खांडसारी को आपके क्रशरर्स वगैरह हैं, सल्फर प्लान्टस है, उनको कब तक चलवा देंगे । हम विचार कर रहे हैं कि 1 दिसम्बर के आस-पास उनको अवश्य चलवा देंगे । अगर उनको अभी चलवा देते हैं तो उससे गन्ने का प्रत्यावर्तन क्रशर्स की ओर ज्यादा हो जाता है और मिलों की ओर कम होगा जिससे चीनी कम बनेगी । यह कहना सही नहीं है कि खांडसारी की ओर जो प्रत्यावर्तन होगा उससे ज्यादा चीनी बनेगी, क्योंकि इनकी इकाइयां ज्यादा अच्छी नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं और इससे जो रिकवरी आती है वह बहुत ही कम होती है । इसकी वजह से हमने क्रशरों पर यह पाबन्दी लगाई है । इससे जो किसान अपना गन्ना मिलों में ले जाना चाहें, वहां ले जा सकते हैं और अन्य किसान अपने कोल्हू जब से चाहें तब से चला सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं मिला है । मैंने पूछा था कि जिन लोगों को गत वर्ष लाईसेन्स मिल गया था और वे अपनी इकाई को इन्स-टाल नहीं कर सकते थे, उनके बारे में वे क्या कर रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

कानून म यह प्राविधान है कि 9 महीने में एक इकाई स्थापित करके चलायी जाय तो निरस्त नहीं किया जा सकता है। या जो आगे करना है वह किया जा सकता है। माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा बाहर जाने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है खांडसारी पर उसे हटा दिया जाय जिस वक्त इस पर विचार किया गया था इस बात को दृष्टि में रखते हुए किया गया था। अगर इसको खुला रहने देते तो इस वक्त जो दुर्दशा है, प्रदेश में जो चीनी की स्थिति है, बड़ा भयंकर हो जाती। इससे किसानों को कोई हानि नहीं। जो चीनी और खांडसारी व्यापारियों के पास है उन लोगों के पास है जिनसे यह कहते हैं कि हमने चन्दा लिया और एलेक्शन लड़ा है यह उन्हीं के हितों की रक्षा की बात करते हैं सदन में बैठ कर उनकी पैरवी करते हैं। हम उनकी पैरवी नहीं करना चाहते। हमें रोक लगानी पड़ती है गुड़ और खांडसारी के नाम पर प्रदेश से बाहर वह बेईमान ले जा कर स्मगल कर देना चाहते हैं। जो प्रदेश के उपभोक्ता हैं 11-12 करोड़ उनके हितों की रक्षा के लिए यह किया था। पावर कोल्हु की बात कही गयी। उसकी एक सीमा है 11 बाई 14 जो रूरल की सीमा है। उसको अपने ट्रैक्टर से या ट्यूबवेल पर पम्प से चलाइये। पावर कोल्हु है जो ट्यूबवेल का स्थान है, इंजन से चलाइये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

चर्चा का समय समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
7 अक्तूबर, 1980

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 534 पर)

जनपद गोरखपुर—

क्र0सं0	नाम थाना	थानाध्यक्ष का नाम	सेवा अवधि 30-9-80 को उपनिरीक्षक पद पर नियुक्त के समय से		
			वर्ष	माह	दिन
1	2	3	4		
1	राज घाट	निरीक्षक श्री रूप नारायन तिवारी	रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।		
2	कोतवाली	निरीक्षक, श्री जे0 बी0 चौबे	28	8	29
3	कैन्ट	निरीक्षक, श्री गोपाल नारायन सिंह	18	8	15
4	बड़हलगंज	निरीक्षक, श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्रा	16	7	15
5	बांसगांव	उप नि0, श्री कैलाशनाथ सिंह	15	7	7
6	गगहा	उप नि0, श्री गोपाल जी सिंह (रैंकर)	3	9	7
7	सोकरीगंज	उप नि0 श्री बंश बहादुर सिंह	13	6	20
8	गोला	उप नि0 श्री राम जी सिंह	रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।		
9	बेलघाट	" श्री अख्तर हुसैन (रैंकर)	3	9	7
10	पीपीगंज	" श्री एस0 के0 मिश्रा	10	6	14
11	कम्पीयरगंज	" श्री अभय सिंह	13	6	20
12	फरेंदा	" श्री राम सकल सिंह	19	9	0
13	घुघली	" श्री राम किशन दुबे	17	7	14
14	श्यामदेउरवा	" श्री राम अवध चौधरी	13	6	20
15	पिपराइच	" श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	8	10	26
16	चौरीचौरा	" श्री नान्हु राम	10	6	15
17	झंगहा	" श्री राम सिहोर राम (रै0)	5	7	5
18	खोराभार	" श्री बालेश्वर सिंह यादव (रै0)	3	9	7
19	गुलरिहा	" श्री मुख्तार सिंह	9	7	5

1	2	3	4		
20	चिलवातल	उप नि0 श्री श्रीकान्त पांडे	11	6	10
21	सहजनवा	,, श्री कोशलेन्द्र प्रताप सिंह	15	7	10
22	बेलोपार	,, श्री गिरिराज सिंह	10	6	14
23	खजनी	,, श्री प्रेम नारायन सिंह	14	6	29
24	महराजगंज	,, श्री हरिनाथ प्रसाद यादव	11	6	10
25	निचलौल	,, श्री रामरति राम यादव (रे0)	5	7	5
26	कोठीभार	,, श्री इन्द्रजीत सिंह	8	8	26
27	नौतनवा	,, श्री राम अधार यादव	14	6	29
28	पुरन्दरपुर	,, श्री उदय नारायन राय	5	7	2

जनपद आजमगढ़—

1	कोतवाली	निरीक्षक श्री गुलाब तिवारी	सूचना एकत्र की जा रही है।		
2	मऊ	निरीक्षक, श्री सुरेश सिंह	रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।		
3	मुबारकपुर	उप नि0, श्री रमाशंकर सिंह	11	6	10
4	मुहम्मदाबाद	,, श्री कैलाश मोहन श्रीवास्तव	17	7	25
5	अहरौला	,, श्री महिमा राय	11	6	10
6	पवई	,, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	13	4	29
7	सरायमीर	,, श्री तीर्थराज पान्डे	14	6	29
8	निजामाबाद	,, श्री नरेन्द्र प्रताप त्रिपाठी	11	6	10
9	जोथनपुर	,, श्री राम नगीना सिंह यादव	8	10	26
10	रौनापार	,, श्री जयपति नाथ	5	8	2
11	महराजगंज	,, श्री राम क्षौतार राय	5	9	5
12	अतरौलिया	,, श्री सूरज देव राय (रेंकर)	5	9	5
13	कन्धरापुर	,, सुख सागर शुक्ला (डाइरेक्ट)	3	9	5
14	देवगांव	,, श्री अब्दुल वहाब खां	सेवाभिलेख उपलब्ध नहीं है।		
15	गम्भीरपुर	,, श्री लोक नाथ राय	20	8	26
16	मेहनगर	,, श्री राजेन्द्र प्रसाद राय (डाइरेक्ट)	3	9	4

1	2	3	4		
17	तरबा	उप नि0श्री ओंकार सिंह	8	10	26
18	चिरैयाकोट	,, श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह	11	6	10
19	मधुबन	,, श्री शारदा सिंह	17	7	24
20	घोसी	,, श्री दयाराम	15	6	13
21	कोपागंज	,, श्री विभूति नारायन राय	14	6	29
22	दोहरीघाट	,, श्री कामेश्वर राय	24	8	28
23	बरदह	,, श्री कामेश्वर चौबे	14	6	29

जनपद देवरिया—

1	कोतवाली	निरीक्षक श्री अ.र0 के0 सिंह	सूचना एकत्र की जा रही है।		
2	रुद्रपुर	,, श्री जी0 पी0 त्रिपाठी	17	8	25
3	पडरौना	,, श्री गया पाल सिंह	सूचना एकत्र की जा रही है।		
4	पटहेरवा	उप नि0 श्री टी0 एन0 राय	22	8	29
5	रामकोला	,, श्री सच्चिदानन्द सिंह	15	7	7
6	बनकटा	,, श्री अखंड सिंह	15	6	9
7	हाटा	,, श्री रजेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव	13	6	20
8	खुखुन्दु	,, श्री कृष्ण सिंह यादव	13	6	20
9	कसया	,, श्री स्वतन्त्र सिंह	11	6	10
10	बरहज	उप नि0 श्री टी0 बी0 सिंह	11	6	10
11	खड्डा	,, श्री जे0 के0 सिंह	11	6	10
12	लार	,, श्री जी0 एस0 सिंह	8	10	26
13	विशुनपुरा	,, श्री ओ0 पी0 शाही	5	9	1
14	तुर्कपट्टी	,, श्री डी0 पी0 सिंह (डाइरेक्ट)	3	9	4
15	तरकुलवा	,, श्री गुप्तेश्वर सिंह	18	8	14
16	कप्तानगंज	,, श्री के0 पी0 पान्डेय	16	7	14
17	सलेमपुर	,, श्री लानवी सिंह	13	6	20
18	भटनी	,, श्री राजाराम यादव	10	6	16
19	नेबुआ नौरगिया	,, श्री श्यामा कान्त त्रिपाठी	5	9	5
20	रामपुर कारखाना	,, श्री गंगासिंह	5	9	5

उत्तर प्रदेश संग्रहालय संघ

1	2		3	4		
21	खामपार	उप नि0	श्री उदय नारायन सिंह	5	9	5
22	तरयासुजान	,,	श्री नवरंग सिंह (रैंकर)	3	9	7
23	गौरी बाजार	,,	श्री भारद्वाज पान्डेय	रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।		
जनपद बस्ती—						
1	कोतवाली	निरीक्षक	श्री रामसुमेर यादव	25	8	29
2	खलीलाबाद	,,	श्री राज किशोर सिंह	20	8	26
3	दाल्टरगंज	उप नि0	श्री महेश सिंह	7	7	24
4	महुली	,,	श्री रफीउद्दीन खां	7	7	24
5	छावनी	,,	श्री भारत सिंह	16	7	15
6	पैकबलिया	,,	श्री उदय प्रताप सिंह	16	7	14
7	मेहदावल	,,	श्री उदय नारायन तिवारी	15	7	7
8	घनघटा	,,	श्री गौरी शंकर राय	15	7	9
9	ढेवरुआ	,,	श्री वशिष्ठ मिश्रा	15	7	7
10	इटवा	,,	श्री राम रेखा पाल	13	6	20
11	उस्का	,,	श्री संतोष कुमार पान्डे	13	6	20
12	डुमरिया गंज	,,	श्री राजेन्द्र पाठक	11	6	10
13	बांसी	,,	श्री आत्मा राय दुबे	10	6	14
14	मुन्डेरवा	,,	श्री सुरेन्द्र सिंह	10	6	20
15	कप्तानगंज	,,	श्री सूर्यनाथ सिंह	10	6	14
16	बिल्हिया	,,	श्री राधा मोहन दुबे	8	10	26
17	परशुरामपुर	,,	श्री वीरेन्द्र नाथ राम	8	10	26
18	सोनहा	,,	श्री हरि मूर्ति सिंह	8	10	26
19	त्रिलोकपुर	,,	श्री राम अधार यादव	9	10	26
20	बघिया	,,	श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी	5	9	1
21	लालगंज	,,	श्री अशोक कुमार राय	5	9	5
22	रुधौली	,,	श्री नरेन्द्र प्रताप नारायन सिंह	5	9	1
23	खेसरहा	,,	श्री शेष नाथ राय	5	9	1
24	मिश्रौलिया	,,	श्री राम नारायन सिंह यादव	5	9	1
25	दुधारा	,,	श्री जगदीश पाठक (रैंकर)	3	9	7
26	कलवरी	,,	श्री राम नाथ (रैंकर)	3	9	7
27	मोहना	,,	श्री राम अधार राय	13	6	20
28	तेतरी	,,	श्री प्रहलाद मिश्रा	19	8	29

अविकल पटल सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 588 पर)

क्रम-संख्या	अल्मोड़ा जनपद के उन स्वतन्त्रता सैनिकों के नाम व पते जिनको केन्द्रीय पेंशन रुकी हुई है
1	2
1	श्री अम्बा दत्त पुत्र श्री कृष्णानन्द भट्ट, ग्राम सौता, पट्टी तल्ला सितोर, पो0 आ0 डौड़ाखाल, जिला अल्मोड़ा ।
2	श्री नन्द किशोर दुर्गपाल पुत्र श्री खीमा नन्द, ग्राम सिरमौती, पट्टी मल्ला चौकोट, पो0 आ0 देघाट, जिला अल्मोड़ा ।
3	श्री जय बल्लभ ममगाई पुत्र श्री जोगा नन्द, ग्राम गोरसेर, पो0 आ0 बंजनाथ, जिला अल्मोड़ा ।
4	श्री ईश्वर दत्त फुलोरिया पुत्र श्री जय कृष्ण, ग्राम आदि ग्राम, पट्टी तल्ला गेंवाड़, पो0 आ0 तिमितखाल, जिला अल्मोड़ा ।
5	श्री हिम्मत सिंह भाकुनी पुत्र त्रिलोक सिंह भाकुनी, ग्राम खीराकोट, पट्टी तल्ला कोरारो, पो0 आ0 चनौदा, जिला अल्मोड़ा ।
6	श्री गंगा सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, ग्राम सुरमौती, पो0 आ0 देघाट, पट्टी मल्ला चौकोट, जिला अल्मोड़ा ।
7	श्री हीरामनी उपाध्याय पुत्र श्री टीकाराम उपाध्याय, ग्राम काले खाल पट्टी, पो0 आ0 खसाड़, पट्टी मल्ला सल्ट, जिला अल्मोड़ा ।
8	श्री दुर्गादत्त भट्ट पुत्र श्री नरोत्तम भट्ट, ग्राम विजेपुर, पट्टी मल्ला दोरा, पो0 आ0 द्वाराहाट, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा ।
9	श्री बची राम पुत्र श्री गंगादत्त जोशी, मोहल्ला रानी धारा, अल्मोड़ा ।
10	श्री नन्दलाल शाह पुत्र श्री मोहन लाल शाह, लाला बाजार, अल्मोड़ा ।
11	श्री जय दत्त वैल्ता पुत्र श्री मोती राम वैल्ता, सदर बाजार, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा ।
12	श्रीमती चन्द्र देवी पाण्डेय विधवा स्व0 श्री कृष्णानन्द पाण्डेय, ग्राम व पोस्ट रिस्यारा गांव, जिला अल्मोड़ा ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 595 पर)

उत्पादन टनों में — लाख रुपयों में

वर्ष	चुर्क	प्रतिशत	डाला	प्रतिशत	लाभ (+)/घाटा (—) चुर्क	लाभ (+)/घाटा (—) डाला
1973-74	315327	65-69	244830	61-20	(—) 56-68	(—) 1-73
1974-75	302076	62-93	228600	5-10	(—) 28-68	(—) 120-53
1975-76	384495	80-10	315960	79-00	(—) 18-72	(—) 28-83
1976-77	386154	80-45	296700	74-20	(+) 1-20	(—) 47-14
1977-78	336158	70-03	270780	67-7	(—) 44-46	(—) 49-23
1978-79	336314	70-07	247000	61-7	(—) 115-42	(—) 100-90
1979-80	267463	55-72	182768	45-7	(—) 141-25	(—) 95-32
1980-81 (जुलाई, 1980 तक)	76898	48-06	76526	57-4	(—) 44-09	(—) 18-65

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 599 पर)

भवनहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों की सूची

ब्लाक परसेंडी	ब्लाक खैराबाद	ब्लाक एलिया
1	2	3
	प्राइमरी स्कूल	
1—खजुरियावासी	1—अकोइया	1—एलिया
2—अमारामोती सिंह	2—जयातपुर	2—खगेसियामऊ
3—शेरपुर सरांवा	3—चौबेपुर	3—सरेली
4—अगेरासी	4—चिलवारा	4—लहरोई
5—माधपुर (कन्या)	5—कोडरी (प्राची)	5—सेमोरा
6—सैदापुर	6—मुबारकपुर	6—डखिया
7—शाहपुर	7—कोडरी नवीन	7—सेरपुर
8—उमराशसींपुर	8—टिकरिया	8—सहेंराई सिकिटिहा
9—कसरेली	9—नगरा	9—जगना
10—इमेलिया	10—एमीपुर	10—कूका
11—मदिमासो	11—भगौतीपुर	11—सोहई
12—पटी सेबई	12—इलसिया	12—देवई
13—सेखवापुर	13—पकरिया	13—बम्होरा (कन्या)
14—पुरवा परसेंडी	14—जाजपुर	14—घौरेमऊ (कन्या)
15—मिर्जापुर	15—सराय युसुफ	
16—गौरा अर्जुनपुर	16—टुडवा चिलोला	
17—मोनापुर	17—औसिया	
18—केमहरा	18—पहाड़पुर कोलिया	
19—रानीपुर	19—रफातपुर (कन्या)	
20—सरैया कायस्थान (कन्या)	20—सुलतानपुर कमैचा	

1	2	3
21—खानपुर		
22—समैसा		
23—कला बहादुरपुर		
24—अरौखमाजतपुर		
	जूनियर हाई स्कूल	
1—अंगरासी	1—नेरपुर	1—केशवपुर
2—रिखैना	2—चिलवारा	2—तिहार
3—हरिहरपुर	3—कन्या जू० हा० स्कूल, शफीपुर	3—खगेसिया मऊ
4—बड़ागांव		4—मोहम्मदीनपुर
5—टप्पा खुजरिया		
6—मेहदापुरवा (कन्या)		

विधान सभा सचिवालय